अक्तूबर-दिसंबर, 2022 (संयुक्तांक)

I.S.S.N. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

संपादक

श्री पुंडरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री जाह्नवी शेखर शर्मा

श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

परामर्शदाता

श्री असलम खान

श्री कमला कान्त

श्री अविनाश शुक्ला

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ` 125/-

वार्षिक : ` 1,300/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसंबर, 2022 (संयुक्तांक)

संपादक

पुडंरीक शर्मा

(2022) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

क्या ऐसे किसी मामले में, जहां अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से आहत इत्तिलाकर्ता के पति और दो अप्राप्तवय बच्चों की हत्या की गई हो बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी पक्षद्रोही हो गया तथा नातेदार साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रश्नगत किया गया हो, मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **यूनुस** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (2022) 2 दा. नि. प. 249 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सीय साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि हुई है, अभियुक्त के रक्तरंजित हथियार और वस्त्रों पर मानव रक्त पाया गया है, अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर से रक्त से सना बांका बरामद किया गया, साथ ही रक्तरंजित पैंट और कमीज को भी बरामद किया गया जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क भी कोई महत्व नहीं रखता है कि बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया है, अतः अभियुक्त की सह-अपराधिता साबित होती है और निचले न्यायालय का उसे सिद्धदोष ठहराने का निर्णय न्यायोचित है ।

क्या बलात्संग के किसी मामले में बलात्संग की पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की संपुष्टि किया जाना अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु आवश्यक है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **मधुसूदन नायक** बनाम **ओडिशा राज्य** (2022) 2 दा. नि. प. 284 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सीय साक्ष्य से मैथुन की संपुष्टि हुई है और कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं के साथ बलात्संग किए जाने का मिथ्या आरोप लगाकर अपना शील दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए सामान्यत: पीड़िता के परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की तलाश करना अनावश्यक और अनुचित है और लैंगिक अपराध की पीड़िता किसी और को नहीं बल्कि वास्तविक अपराधी को ही दोषी ठहराएगी, साथ

ही चिकित्सीय साक्ष्य भी पीड़िता के साक्ष्य की पुष्टि करता है, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

क्या अपहरण और बलात्संग के किसी मामले में अभियुक्त सहमत पक्षकार की प्रतिरक्षा प्रस्तुत करके दोषसिद्धि से बच सकता है ? इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **शैलेश महादेव लांजेवर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** (2022) 2 दा. नि. प. 382 वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री के बीच दामाद और सास का रिश्ता है तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए घटना के समय अभियोक्त्री के पास देर रात्रि अभियुक्त के साथ उसकी मोटरसाइकिल से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और केवल इस आधार पर उसे लैंगिक मैथुन का सहमत पक्षकार नहीं माना जा सकता । इसके अतिरिक्त, इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि बलात्संग के पश्चात् अभियोक्त्री ने घर पहुंचने के पश्चात् अभियुक्त की माता और बहन को बलात्संग के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया था क्योंकि वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने वहां गई थी और बलात्संग की घटना को प्रकट करने पर उसे शर्मिन्दगी होती, इसलिए उसने केवल मारपीट तथा दुर्व्यवहार किए जाने का अभिकथन किया था और अभियोक्त्री का उक्त प्रभाव का साक्ष्य नैसर्गिक पाया गया है । इसलिए अपीलार्थी सहमत पक्षकार होने का लाभ नहीं ले सकता ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

अक्तूबर-दिसम्बर, 2022

निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या

केशवन नम्बूतिरी **बनाम** नारायण पिल्लई और अन्य 308

तरुण साह **बनाम** उत्तराखण्ड राज्य और एक अन्य 296

प्रसेनजीत मनबेन्द्रा सेन **बनाम** महाराष्ट्र राज्य 413

बीरबल सिंह **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य 318

मधुसूदन नायक **बनाम** ओडिशा राज्य 284

यूनुस **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य 249

राम सिंह **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य 334

शैलेश महादेव लांजेवर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य 382

सुब्रता नाथ **बनाम** त्रिपुरा राज्य 347

हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** हंस राज 441

संसद् के अधिनियम

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 - 22

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 438 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506] – बलात्संग – अग्रिम जमानत के लिए आवेदन – अभियुक्त द्वारा पीड़िता को धमकी के साथ उसका भयदोहन किया जाना – पुलिस का पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार – आवेदक के विरुद्ध धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं कि उसकी सास ने राजनीतिक दल की सदस्य होने के नाते जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है, दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है, पीड़िता को थाने में बैठा कर रखा गया और उस पर समझौता करने और अपनी रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है ।

तरुण साह बनाम **उत्तराखण्ड राज्य और एक अन्य** 296

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 279 और 304क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना – वाहन चलाते हुए टक्कर मार कर मृत्यु कारित किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा बताया जाना कि टक्कर के बाद कार का चालक भाग गया था – दोषसिद्ध/आवेदक की शनाख्त न होना – कार किराए पर देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि अभि. सा. 1 ने ऐसा कोई भी अपराधजन्य विवरण नहीं दिया है जिससे यह

पृष्ठ संख्या

पता चले कि कार आवेदक को दी गई थी या आवेदक द्वारा चलाई गई थी, और न ही अन्वेषण अधिकारी ने उपरोक्त तथ्य की जांच की है, साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने आवेदक की शनाख्त कार चालक के रूप में नहीं की है बल्कि वास्तविक कार चालक के घटनास्थल से भाग जाने को स्पष्ट किया है, अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को आरोपित अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता और निचले दोनों न्यायालयों का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।

प्रसेनजीत मनबेन्द्रा सेन बनाम **महाराष्ट्र राज्य** 413

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – मृतक द्वारा अभियुक्त की भतीजी की लज्जा भंग किए जाने का अभिवाक् – अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या किए जाने का अभिकथन – अभिकथित हमले और शव की बरामदगी के बीच 5 घंटे से अधिक का समय अंतराल है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर कोई भी संपुष्टिकारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी की दोषिता को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सके या उसकी ओर संकेत किया जा सके, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

राम सिंह बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 334

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – साक्ष्य की विश्वसनीयता – प्रकटीकरण कथन के अनुसार बरामदगी – बरामदगी और अभिग्रहण साक्षियों में विरोधाभास – न्यायालयिक रिपोर्ट से रक्त-ग्रुप की पुष्टि न होना – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अपीलार्थी की कुल्हाड़ी,

पृष्ठ संख्या

लुंगी और बनियान पर रक्त नहीं पाया गया है, मिट्टी और मृतक की टी-शर्ट पर मानव रक्त पाया गया था किन्तु रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए कुल्हाड़ी की अभिकथित बरामदगी और वस्त्रों का अभिग्रहण अभियोजन पक्ष के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

राम सिंह बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 334

– धारा 302 और 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से आहत इत्तिलाकर्ता के पति और दो अप्राप्तवय बच्चों की हत्या किया जाना - चिकित्सीय साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि होना – अभियुक्त के रक्तरंजित हथियार और वस्त्रों पर मानव रक्त पाया जाना – बरामदगी के साक्षियों मे से एक साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – नातेदार साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता – अपीलार्थी की निशानदेही पर अपीलार्थी के घर से रक्त से सना बांका बरामद किया गया, साथ ही रक्तरंजित पैंट और कमीज को भी बरामद किया गया जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क भी कोई महत्व नहीं रखता है कि बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी अर्थात् नौशाद अली ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया है, अतः अपीलार्थी की सह-अपराधिता

पृष्ठ संख्या

साबित होती है और निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है ।

यूनुस बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 249

– धारा 302 और 307 – अपीलार्थी द्वारा घटना-स्थल पर कम रोशनी होने का अभिवाक् किया जाना – अपीलार्थी का घर मृतक के घर के बगल में होना – आहत के साक्ष्य में घटनास्थल पर बल्ब की रोशनी का उल्लेख होना – अपीलार्थी की शनाख्त पर प्रश्न – हमलावरों के पास भी पीड़ितों की पहचान करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी और उन्होंने बिना किसी गलती के उन लोगों में से निशाना बनाया था, जो छत पर सो रहे थे, यदि उस समय उपलब्ध रोशनी, हालांकि कम थी, फिर भी हमलावरों के लिए पर्याप्त थी तो निश्चित रूप से आहत/इत्तिलाकर्ता के लिए अपने समक्ष खड़े घुसपैठियों के चेहरों को पहचानने के लिए पर्याप्त थी, अतः अभिकूट अभियुक्त अपीलार्थी की शनाख्त पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

यूनुस बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 249

– धारा 302 और 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अपीलार्थी के अतिरिक्त पांच अन्य हमलावरों के नामों का प्रकटीकरण पुलिस के समक्ष किया जाना – अतिरिक्त हमलावरों को पुलिस द्वारा अभियुक्त न बनाया जाना – अन्वेषण की इस कमी के आधार पर दोषमुक्ति का अभिवाक् किया जाना – इत्तिलाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसने पुलिस को वर्तमान

पृष्ठ संख्या

मामले में संलिप्त सभी अभियुक्तों के नाम बताए थे, किन्तु पुलिस ने उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की और यह सुस्थापित है कि पुलिस के रिष्टिपूर्ण कृत्य और आचरण के कारण, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और न ही घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है, अतः निचले न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

यूनुस बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 249

– धारा 304क और 279 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना – वाहन चलाते हुए टक्कर मार कर मृत्यु कारित किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – दोषमुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता के बच्चे को टक्कर मारना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष कथन का समर्थन न किया जाना – प्रतिरक्षा साक्षी के अनुसार वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था, मृतक/बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार करने लगा था और वाहन के टायर के नीचे आ गया, ऐसी स्थिति में चालक को उपेक्षक/लापरवाह नहीं कहा जा सकता और न ही इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय कहा जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने इसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उद्धृत किया था किन्तु पुनरावृत्ति के कारण उसकी परीक्षा नहीं कराई थी, अतः

पृष्ठ संख्या

निचले न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय न्यायोचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **हंस राज** 441

– धारा 323 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – स्वेच्छया क्षति कारित किया जाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा आहत की श्वासनली और टांगों की रक्त वाहिनियां काटे जाने का अभिकथन किया जाना – आहत और उसके माता-पिता के साक्ष्य में विरोधाभास – घटनास्थल की पुष्टि न होना – अभियोजन वृत्तान्त से चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि न होना – पीड़ित और उसके माता-पिता के साक्ष्यों में सुधार हुआ है जो उन्होंने न्यायालय में पहली बार किया है, पीड़ित और उसके माता-पिता ने मुख्य-परीक्षा में एक-दूसरे के कथन का समर्थन किया था, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उन्होंने ऐसे कथन किए हैं जो अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित बयानों से मेल नहीं खाते हैं और इस विरोधाभास के कारण, यह प्रतीत होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गलत व्याख्या की है या उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया है, अतः निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।

सुब्रता नाथ बनाम **त्रिपुरा राज्य** 347

– धारा 341, 447 और 294(ख) – अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थियों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने उसकी भूमि पर अतिचार किया तथा उसके पुत्र को सदोष अवरुद्ध किया – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा अपीलार्थी की भूमि पर अतिचार करके उसकी

पृष्ठ संख्या

संपत्ति के बीचों-बीच एक नए पथ का निर्माण किया जाना – अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में घटना की तारीख और समय का वर्णन न होना – प्रत्यर्थियों द्वारा यह साबित करने के लिए ग्राम सर्वेक्षण योजना नक्शे को प्रस्तुत किया जाना कि अभिकथित मार्ग अपीलार्थी की भूमि में पहले से विद्यमान था – अभि. सा. 1 और 2 का हितबद्ध साक्षी होना और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य में सदोष अवरोध के घटकों को उल्लिखित नहीं किया जाना – अपीलार्थी द्वारा यह स्थापित करने में असफल रहना कि प्रत्यर्थियों ने अपराध करने या अपीलार्थी को डराने-धमकाने या उसका अपमान करने या भूमि पर उसके कब्जे और उपभोग के अधिकार में हस्तक्षेप करने के समान आशय से उसकी संपत्ति में अतिचार किया था – अत:, विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति उचित प्रतीत होती है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

केशवन नम्बूतिरी बनाम **नारायण पिल्लई और अन्य** 308

– धारा 366 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण – अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री को जंगल में लेकर जाना – वन-रक्षक द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त कराना – शनाख्त परेड में, वन-रक्षक ने अपीलार्थी की शनाख्त उसी व्यक्ति के रूप में की जो जंगल में महिला के साथ उनसे मिला था, अतः इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री का अपहरण नहीं किया है ।

शैलेश महादेव लांजेवर बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** 382

पृष्ठ संख्या

– धारा 366, 376(2)(च) और 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण और बलात्संग – अभियुक्त/ अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में अभियोक्त्री के सहमत-पक्षकार होने का अभिवाक् किया जाना – अपीलार्थी और अभियोक्त्री का दामाद और सास का रिश्ता होना – अभियोक्त्री का मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ जाने का यह आचरण इस निष्कर्ष को दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी क्योंकि रात में, उसके पास अपीलार्थी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसकी पुत्री नागभीड़ नहीं आई थी और साथ ही अभियोक्त्री को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव भी नहीं दिया गया कि उस दिन श्रावणी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी, अतः अपीलार्थी सहमत पक्षकार होने का लाभ नहीं ले सकता ।

शैलेश महादेव लांजेवर बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** 382

– धारा 366, 376(2)(च) और 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण और बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि अभियोक्त्री ने बलात्संग की घटना अपीलार्थी की बहिन और मां को नहीं बताई किन्तु अपीलार्थी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियोक्त्री का साक्ष्य नैसर्गिक पाया जाना – अभियोक्त्री ने अपीलार्थी की बहिन

पृष्ठ संख्या

के घर पहुंचने पर अपीलार्थी की मां और बहिन को मारपीट की घटना सुनाई किन्तु उसने अपीलार्थी द्वारा अपने साथ हुए बलात्संग के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने वहां गई थी और बलात्संग के बारे में बताने पर अभियोक्त्री को और अधिक शर्मिंदगी होती, लेकिन यदि उसने घटना की कोई भी जानकारी नहीं दी होती, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होती और अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा भी नहीं ली है कि इस घटना से पहले उसके अभियोक्त्री के साथ सहमत-संबंध थे अतः अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता और निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है ।

शैलेश महादेव लांजेवर बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य** 382

– धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन – दोषसिद्ध/अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाना – पीड़िता के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए अन्य किसी साक्षी का न होना – चिकित्सीय साक्ष्य से मैथुन की संपुष्टि – कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं के साथ बलात्संग किए जाने का मिथ्या आरोप लगाकर अपना शील दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए आमतौर पर उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की तलाश करना अनावश्यक और अनुचित है और लैंगिक अपराध की पीड़िता किसी और को नहीं बल्कि वास्तविक अपराधी को ही दोषी ठहराएगी, साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से पीड़िता के साक्ष्य की पुष्टि होती है, अतः निचले

पृष्ठ संख्या

न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

मधुसूदन नायक बनाम **ओडिशा राज्य** 284

– धारा 376 और 53 [सपठित कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 35] – बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित कारावास की पूर्ण अवधि का भोगा जाना – अपीलार्थी को जब से अभिरक्षा में लिया गया था तब से उसे न तो विचारण के दौरान और न ही इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया गया है, इसलिए वह न केवल विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश भुगत चुका है बल्कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए भी कारावास भुगत चुका है, अतः अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

मधुसूदन नायक बनाम **ओडिशा राज्य** 284

– धारा 376, 302, 449 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भाभी के घर में अतिचार करके उसके साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन – अगले दिन अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भाभी और उसके पुत्र की हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतका द्वारा पड़ोसन को यह बताया जाना कि अपीलार्थी ने उसके साथ गलत काम किया है – बलात्कार और हत्या का कोई भी साक्षी न होना – मृतका के पति द्वारा मृतका की साड़ी की शनाख्त न किया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराने हेतु अपर्याप्त साक्ष्य पाया जाना

पृष्ठ संख्या

– पड़ोसन साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि मृतका ने उसे अपीलार्थी द्वारा उसके साथ 'गलत काम' करने और उसे परेशान करने के बारे में सूचित किया था, लेकिन यह केवल मृतका द्वारा पड़ोसन को दिए गए बयान के संबंध में है और मृतका के पति द्वारा साड़ी की शनाख्त नहीं कराई गई है जिससे पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण नहीं हो पाई है, अतः केवल पड़ोसन के कथन के आधार पर अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

बीरबल सिंह बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 318

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 118 – कौन साक्ष्य दे सकेगा – हितबद्ध/नातेदार साक्षी – आपराधिक विधि न्यायशास्त्र के अधीन नातेदार और हितबद्ध साक्षी के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है – किसी साक्षी को केवल पीड़ित का नातेदार होने के कारण "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता – साक्षी को केवल तभी "हितबद्ध" कहा जा सकता है जब उसे किसी सिविल मामले में डिक्री या दांडिक मामले में मुकदमेबाजी के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त होता है, अतः मृतकों की निकट नातेदार होने से आहत साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता ।

यूनुस बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 249

यूनुस

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2005 की दांडिक अपील सं. 445)

तारीख 12 दिसंबर, 2022

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से आहत इत्तिलाकर्ता के पति और दो अप्राप्तवय बच्चों की हत्या किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की पुष्टि होना – अभियुक्त के रक्तरंजित हथियार और वस्त्रों पर मानव रक्त पाया जाना – बरामदगी के साक्षियों मे से एक साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – नातेदार साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता – अपीलार्थी की निशानदेही पर अपीलार्थी के घर से रक्त से सना बांका बरामद किया गया, साथ ही रक्तरंजित पैंट और कमीज को भी बरामद किया गया जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क भी कोई महत्व नहीं रखता है कि बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी अर्थात् नौशाद अली ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया है, अतः अपीलार्थी की सह-अपराधिता साबित होती है और निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 307 – अपीलार्थी द्वारा

घटनास्थल पर कम रोशनी होने का अभिवाक् किया जाना – अपीलार्थी का घर मृतक के घर के बगल में होना – आहत के साक्ष्य में घटना-स्थल पर बल्ब की रोशनी का उल्लेख होना – अपीलार्थी की शनाख्त पर प्रश्न – हमलावरों के पास भी पीड़ितों की पहचान करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी और उन्होंने बिना किसी गलती के उन लोगों में से निशाना बनाया था, जो छत पर सो रहे थे, यदि उस समय उपलब्ध रोशनी, हालांकि कम थी, फिर भी हमलावरों के लिए पर्याप्त थी तो निश्चित रूप से आहत/इत्तिलाकर्ता के लिए अपने समक्ष खड़े घुसपैठियों के चेहरों को पहचानने के लिए पर्याप्त थी, अतः अभिकूट अभियुक्त अपीलार्थी की शनाख्त पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 और 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या और हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अपीलार्थी के अतिरिक्त पांच अन्य हमलावरों के नामों का प्रकटीकरण पुलिस के समक्ष किया जाना – अतिरिक्त हमलावरों को पुलिस द्वारा अभियुक्त न बनाया जाना – अन्वेषण की इस कमी के आधार पर दोषमुक्ति का अभिवाक् किया जाना – इत्तिलाकर्ता ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसने पुलिस को वर्तमान मामले में संलिप्त सभी अभियुक्तों के नाम बताए थे, किन्तु पुलिस ने उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की और यह सुस्थापित है कि पुलिस के रिष्टिपूर्ण कृत्य और आचरण के कारण, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्षकथन को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और न ही घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है, अतः निचले न्यायालय के दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 118 – कौन साक्ष्य दे सकेगा – हितबद्ध/नातेदार साक्षी – आपराधिक विधि न्यायशास्त्र के अधीन नातेदार और हितबद्ध साक्षी के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है – किसी साक्षी को केवल पीड़ित का नातेदार होने के कारण "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता – साक्षी को केवल तभी "हितबद्ध" कहा जा सकता है जब उसे किसी सिविल मामले में डिक्री या दांडिक मामले में मुकदमेबाजी

के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त होता है, अतः मृतकों की निकट नातेदार होने से आहत साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता ।

इस मामले में इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी अपने परिवार के सदस्यों के साथ सो रही थी । उसका पुत्र और पति बाहर आंगन में सो रहे थे तथा इत्तिलाकर्ता अपनी पुत्री कुमारी नगमा के साथ एक चारपाई पर तथा दूसरी पुत्री कुमारी गुलशन दूसरी चारपाई पर बराबर में सो रही थी । घर में बल्ब जल रहा था, इसलिए रोशनी थी । बाहर के दरवाजे अन्दर से बंद थे । फिर तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को प्रातः लगभग 4:30 बजे अचानक इत्तिलाकर्ता के पति व बेटों की आवाज सुनाई दी, तब उसकी आंख खुली । वह उठकर कमरे के दरवाजे पर आई तो देखा कि उसके ज्येष्ठ का पुत्र यूनुस (दोषसिद्ध/अपीलार्थी) उसके पति व बेटे पर गंडासे (एक तेज धार वाला हथियार) से हमला कर रहा था और जब दोषसिद्ध/अभियुक्त ने इत्तिलाकर्ता को देखा तो उसने उस पर भी गंडासे से हमला कर दिया । तब इत्तिलाकर्ता क्षतिग्रस्त होकर वहीं गिर गई । इसके पश्चात् वह डर के कारण चुप रही, तब दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस ने उसे मरा हुआ समझकर उसकी पुत्रीगुलशन व नगमा पर भी गंडासे से हमला कर दिया और कहा कि सब लोग मर गए हैं । सबको मरा हुआ समझकर वह वहां से निकला और सीढ़ी पर चढ़ गया । तभी इत्तिलाकर्ता डरकर चिल्लाई तो बाहर से लोग आ गए । उसके पश्चात् दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस देशी पिस्तौल से लैस होकर छत पर फायर कर अपने घर से कूदकर भाग गया । तब उस महिला ने अपना दरवाजा खोला । उसके पति, बेटे और पुत्री का शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि अपीलार्थी यूनुस और उसके परिवार के सदस्य इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों से सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने यह अपराध कारित किया है । वह अपनी क्षतिग्रस्त पुत्री नगमा को लेकर पुलिस थाने आई और अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु रिपोर्ट कराई । मामले का अन्वेषण किए जाने के पश्चात् दोषसिद्ध/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा

302/307 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर दोषसिद्ध/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की सह-अपराधिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि उसकी निशानदेही पर अपीलार्थी के घर से रक्त से सना बांका बरामद किया गया, साथ ही रक्तरंजित पैंट और कमीज को भी बरामद किया गया जिन्हें अपीलार्थी पहने हुए था और उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क भी कोई महत्व नहीं रखता है कि बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी अर्थात् नौशाद अली ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया है । (पैरा 33)

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अगली दलील यह थी कि घटनास्थल पर प्रकाश का कोई उचित स्रोत नहीं था जिससे साक्षी अपीलार्थी की पहचान कर पाते, इसलिए अभियोजन पक्षकथन विश्वसनीय नहीं है । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि घटनास्थल पर एक बल्ब की रोशनी थी जो उसके घर में जल रही थी । प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा साक्षियों की बहुत विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई किन्तु फिर भी कोई भी महत्वपूर्ण बात अभिलेख पर नहीं लाई जा सकी जिससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घटनास्थल पर बिजली का कोई बल्ब नहीं था । तथ्य यह है कि हमलावरों के पास भी पीड़ितों की पहचान करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी और उस रोशनी में उन्होंने बिना किसी गलती के उन लोगों में से निशाना बनाया था, जो छत पर सो रहे थे । यदि उस समय उपलब्ध रोशनी, हालांकि कम थी, फिर भी हमलावरों के लिए पर्याप्त थी, तो हमें यह क्यों सोचना चाहिए कि वही रोशनी क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थी जिन्होंने निश्चित रूप से अपने सामने खड़े घुसपैठियों के चेहरों पर अपनी आंखें केंद्रित की होंगी । हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमलावर, त्रासदी वाले घर के निवासियों के लिए कोई अजनबी नहीं थे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

प्रत्येक हत्यारे की शारीरिक बनावट से अच्छी तरह परिचित थे । इसलिए, हम यह मानने के लिए सहमत नहीं हैं कि पीड़ितों के लिए हमलावरों को देखना संभव नहीं था या उनकी गलत पहचान करने की संभावना थी, इसलिए, श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी और नगमा के लिए अपीलार्थी की पहचान करना आसान था, जिसने मृतक की हत्या की थी और उस हत्या करने वाले को उन दोनों ने देखा था । (पैरा 31 और 35)

श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी जो घटना की इत्तिलाकर्ता होने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है, के साक्ष्य से पता चलता है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से बयान किया है, जिसने अपने पति और अप्राप्तवय बेटे और पुत्री को गंडासे (हमले का हथियार) से मार डाला है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसने अपीलार्थी के साथ पांच अन्य अभियुक्तों की भागीदारी का खुलासा किया है । ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसने पुलिस को वर्तमान मामले में संलिप्त सभी अभियुक्तों के नाम बताए हैं, किन्तु पुलिस ने उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की है । यह सुस्थापित है कि पुलिस के रिष्टिपूर्ण कृत्य और आचरण के कारण, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है । इसी तरह, नगमा के साक्ष्य का प्रश्न है, उसने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है जो घटना की एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और अपीलार्थी और मृतकों में से एक, नबीउल्लाह की पुत्री है । उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले को दोहराया है जैसा कि उसकी मां श्रीमती गुड्डी ने कहा है और मृतक की शव-परीक्षा रिपोर्ट के साथ-साथ दो क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की क्षति रिपोर्ट से भी इसकी पूरी तरह पुष्टि होती है । (पैरा 29)

आपराधिक विधि न्यायशास्त्र के अधीन नातेदार और हितबद्ध साक्षी के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है । किसी साक्षी को केवल पीड़ित का नातेदार होने के कारण "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता । साक्षी को केवल तभी "हितबद्ध" कहा जा सकता है जब उसे किसी

सिविल मामले में डिक्री में मुकदमेबाजी के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त होता है । इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीमती गुड़िया को और नगमा का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । यह विधि में सुस्थापित है कि केवल यह तथ्य कि मृतक के नातेदार ही एकमात्र साक्षी हैं, उनकी सुसंगत साक्ष्य को मिथ्या ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस, जो वर्तमान मामले में संलिप्त था और जिसने तीन व्यक्तियों अर्थात् इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी के पति, अप्राप्तवय बेटे और पुत्री की हत्या की है और श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी और कुमारी नगमा को भी क्षतियां पहुंचाई हैं । अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्ध/ अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला साबित कर दिया है और विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण साक्ष्य की जांच करने के पश्चात् दोषसिद्ध/अपीलार्थी को उचित रूप से दोषसिद्ध ठहराया है और उसे संबंधित अपराध के लिए दंडादिष्ट किया है । (पैरा 36, 37 और 38)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 19 एस. सी. सी. 567 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1128 : **मोहम्मद रोजली** बनाम **असम राज्य** ;	37
[2018]	(2018) 5 एस. सी. सी. 435 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 1372 : **सुधाकर** बनाम **राज्य** ;	36
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 79 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2012 एस. सी. 25 : **मनो दत्त और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	30
[2010]	(2010) 12 एस. सी. सी. 324 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्णा मास्टर** ;	31

[2008] 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 478 =
ए. आई. आर. ऑनलाइन 2008 मैड 32 :
राजा बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 34

[1998] (1998) 9 एस. सी. सी. 238 =
ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1808 :
नथुनी यादव बनाम **बिहार राज्य** ; 31

[1995] (1995) (सप्ली.) 3 एस. सी. सी. 665 =
1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2651 :
पूरन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 34

[1976] (1976) 4 एस. सी. सी. 441 =
ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 381 :
नामदेव दौलता धायगुड़े बनाम **महाराष्ट्र राज्य ।** 34

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 की दांडिक अपील सं. 445.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अमिताभ श्रीवास्तव, संजय कुमार और शिवम शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया ।

न्या. सिन्हा – दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस का विचारण अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या 1) जिला हरदोई द्वारा सेशन विचारण मामला सं. 189/2002 (राज्य बनाम यूनुस) में किया गया था जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 307, 302 के अधीन पुलिस थाना शाहबाद, जिला हरदोई में रजिस्ट्रीकृत अपराध मामला सं. 338/2001 से उद्भूत हुआ था और साथ ही सेशन विचारण मामला सं 190/2002 (राज्य बनाम यूनुस) का भी विचारण किया गया जो आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3/25 के अधीन पुलिस थाना शाहबाद, जिला हरदोई में ही दर्ज मामला संख्या 351/2001 से उद्भूत हुआ था।

2. सेशन विचारण संख्या 189/2002 और 190/2002 में पारित तारीख 1 फरवरी, 2005 के निर्णय और आदेश के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय सं. 1, हरदोई ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दोषसिद्ध ठहराया और उसे निम्न प्रकार दंडादिष्ट किया :–

> "(क) दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपए का जुर्माना, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास ।
>
> (ख) दंड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत सात वर्ष का कारावास तथा 4,000/- रुपए का जुर्माना, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास ।
>
> (ग) धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000/- रुपए का जुर्माना, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास ।

उपरोक्त सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया ।

3. तारीख 1 फरवरी, 2005 के उपरोक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, दोषसिद्ध/अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील प्रस्तुत की है ।

4. मामले से संबंधित तथ्य निम्नानुसार हैं –

इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) अपने परिवार के सदस्यों के साथ सो रही थी । उसका पुत्र और पति बाहर आंगन में सो रहे थे तथा इत्तिलाकर्ता अपनी पुत्री कुमारी नगमा के साथ एक चारपाई पर तथा दूसरी पुत्री कुमारी गुलशन दूसरी चारपाई पर बराबर में सो रही थी । घर में बल्ब जल रहा था, इसलिए रोशनी थी । बाहर के दरवाजे अन्दर से बंद थे । फिर तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को प्रातः लगभग 4:30 बजे अचानक इत्तिलाकर्ता के पति व बेटों की आवाज सुनाई दी, तब उसकी आंख खुली । वह उठकर कमरे के दरवाजे पर आई

तो देखा कि उसके ज्येष्ठ का पुत्र यूनुस (दोषसिद्ध/अपीलार्थी) उसके पति व बेटे पर गंडासे (एक तेज धार वाला हथियार) से हमला कर रहा था और जब दोषसिद्ध/अभियुक्त ने इत्तिलाकर्ता को देखा तो उसने उस पर भी गंडासे से हमला कर दिया । तब इत्तिलाकर्ता क्षतिग्रस्त होकर वहीं गिर गई । इसके पश्चात् वह डर के कारण चुप रही, तब दोषसिद्ध/ अपीलार्थी यूनुस ने उसे मरा हुआ समझकर उसकी पुत्री गुलशन व नगमा पर भी गंडासे से हमला कर दिया और कहा कि सब लोग मर गए हैं । सबको मरा हुआ समझकर वह वहां से निकला और सीढ़ी पर चढ़ गया । तभी इत्तिलाकर्ता डरकर चिल्लाई तो बाहर से लोग आ गए । उसके पश्चात् दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस देशी पिस्तौल से लैस होकर छत पर फायर कर अपने घर से कूदकर भाग गया । तब उस महिला ने अपना दरवाजा खोला । उसके पति, बेटे और पुत्री का शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आगे यह बताया गया कि अपीलार्थी यूनुस और उसके परिवार के सदस्य इत्तिलाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों से सारी संपत्ति हड़पना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने यह अपराध कारित किया है । वह अपनी क्षतिग्रस्त पुत्री नगमा को लेकर पुलिस थाने आई और अभियुक्त/ अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने हेतु रिपोर्ट कराई ।

5. इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) ने घटना की लिखित रिपोर्ट, मोहर्रिर शंभू नाथ गुप्ता से लिखवाई, जिसने लिखने के पश्चात् उसे पढ़कर सुनाया । इसके पश्चात् उसने उस पर पना अंगूठा लगाया । इसके पश्चात् वह शाहाबाद पुलिस थाने गई और रिपोर्ट दर्ज कराई । घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नांकित की गई है ।

6. जमुना पाण्डेय (अभि. सा. 3) के साक्ष्य से पता चलता है कि तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को वह पुलिस थाना शाहाबाद, जिला हरदोई में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और उक्त तारीख को प्रातः 6:15 बजे इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) आई और एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई जिसके आधार पर उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) तैयार की । उसने इसे रोजनामचे में रिपोर्ट संख्या 7 (प्रदर्श क-3) के रूप में भी दर्ज किया ।

7. चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि घटनास्थल और पुलिस स्टेशन शाहाबाद के बीच की दूरी चार फर्लांग थी । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि इसके आधार पर अपीलार्थी यूनुस के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302, 307 के अधीन मामला संख्या 338/2001 रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात्, इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड्डी और कुमारी नगमा, जो क्षतिग्रस्त थीं, को जिला अस्पताल हरदोई भेजा गया, जहां प्रातः 8:30 से 8:50 बजे के बीच डॉक्टर ने उनकी जांच की ।

8. मामले का अन्वेषण श्री टी.पी. सिंह (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया । उसका साक्ष्य इस प्रकार है –

तारीख 30 अक्तूबर, 2001 से 27.12.2001 तक वह थाना शाहाबाद में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था । तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को प्रातः 6:15 बजे उनकी उपस्थिति में थाने में मामला अभियोग रजिस्ट्रीकृत किया गया । उसी तारीख को उसके द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया । उसने थाने पर इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) का बयान दर्ज किया तथा उसे उसकी अप्राप्तवय पुत्री के साथ तत्काल जिला अस्पताल में चिकित्सीय जांच हेतु भेजा । तत्पश्चात् वह घटनास्थल पर गया । घटनास्थल पर पहुंचकर उसने साक्षी फुद्दन (इत्तिलाकर्ता का पड़ोसी) का बयान दर्ज किया तथा उपनिरीक्षक महाराज सिंह को जांच कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा तीनों शवों को शवपरीक्षण हेतु भेजा । तत्पश्चात् उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा स्थल-नक्शा (प्रदर्श क-6) तैयार किया । उन्होंने घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी को दो अलग-अलग बर्तनों, कथरी और तकिए (प्रदर्श क-7, 8 और 9) में इकट्ठा किया । इसके पश्चात् उसने कांच की चूड़ियों के 13 टुकड़े (प्रदर्श क-10) एकत्र किए और एक खाली कारतूस (प्रदर्श क-11) भी बरामद किया । अभियुक्त यूनुस को 4 नवम्बर, 2001 को गिरफ्तार किया गया तो उसने साक्षियों की मौजूदगी में कहा कि रक्त से सना गंडासा, जिससे उसने हत्या की थी और रक्त से सने कपड़े, जो उसने घटना के समय

पहने हुए थे, उसके घर में छिपाए हुए थे। फिर वह साक्षी सोनपाल और नौशाद अली के साथ अभियुक्त यूनुस के घर गए। उन्होंने अभियुक्त के घर से रक्त से सना गंडासा, पैंट और कमीज बरामद की और अभियुक्त ने वहां अपना अपराध संस्वीकृत कर लिया । इसके पश्चात् उपनिरीक्षक चंद्र भान यादव ने उक्त बरामदगी का बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-12 तैयार किया । उपरोक्त सभी बरामद वस्तुओं को जांच के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया । उन्होंने साक्षी मंगल शाह का बयान दर्ज किया और जांच पूरी करने के पश्चात् 8 दिसंबर, 2001 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जो प्रदर्श क-13 के रूप में चिह्नांकित किया गया ।

टी.पी. सिंह (अभि. सा. 5) ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तारीख 3 नवम्बर, 2001 को रात्रि 8:30 बजे उसने अपने साथी के साथ मिलकर अभियुक्त यूनुस को ग्राम बहाद सिकंदरपुर रेलवे क्रासिंग से गिरफ्तार किया तथा उसकी तलाशी के दौरान उसकी पैंट की दाहिनी जेब से चलती हुई एक देशी पिस्तौल बरामद की, जबकि उसकी पैंट की बाईं जेब से 12 बोर के दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए तथा अभियुक्त उक्त हथियार को अपने पास रखने का लाइसेंस नहीं दिखा सका । अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत मामला रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया । अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार किया, अत: उससे अलग से भी पूछताछ की गई । उसने देशी पिस्तौल व जिंदा कारतूस का बरामदगी ज्ञापन तैयार किया, जो प्रदर्श क-17 है । अपीलार्थी के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 अन्तर्गत मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । अभियुक्त का बयान 4 नवम्बर, 2001 को अभिलिखित किया गया जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया । टी.पी. सिंह (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तों की तलाशी से पहले उन्होंने एक-दूसरे की तलाशी ली और आश्वासन दिया कि पुलिस टीम के पास कोई प्रतिबंधित वस्तु नहीं मिली है। अभियुक्त की तलाशी लेने पर, अभियुक्त की निशानदेही पर एक देशी पिस्तौल और जिंदा कारतूस के अतिरिक्त कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं

हुई । बरामदगी ज्ञापन जीप की हेडलाइट और टॉर्च की रोशनी में तैयार किया गया था ।

9. श्री कृष्ण यादव (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से पता चलता है कि तारीख 3 नवंबर, 2001 को वह पुलिस थाना शाहाबाद में कांस्टेबल के पद पर तैनात था । उक्त तारीख को वह थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक टी. पी. सिंह (अभि. सा. 5), उपनिरीक्षक सी.पी. यादव, उपनिरीक्षक वृषकांत राय, उपनिरीक्षक लम्हेराज सिंह, कांस्टेबल श्याम बहादुर यादव और जीप चालक अमर नाथ तिवारी के साथ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने शाहदरा रेलवे स्टेशन गए थे । तभी मुखबिर द्वारा दी गई इस सूचना पर कि अभियुक्त यूनुस औझी स्टेशन गया है, उन्होंने अभियुक्त यूनुस को तारीख 3 नवंबर, 2001 को रात 8:30 बजे रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया और अभियुक्त यूनुस की तलाशी के दौरान, उसकी पैंट की दाहिनी जेब से एक 12 बोर की देसी पिस्तौल और उसकी पैंट की बाईं जेब से 12 बोर के दो ज़िंदा कारतूस मिले । उक्त सामान का अभिग्रहण ज्ञापन उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया । उक्त अभिग्रहण ज्ञापन पर उसने और उसके साथी ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे । बरामद सामान घटनास्थल पर ही मौजूद था । अभियुक्त ने हत्या करना संस्वीकृत कर लिया है ।

श्री कृष्ण यादव (अभि. सा. 7) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त यूनुस को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था । अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले और बाद में किसी की तलाशी नहीं ली गई । अभियुक्त की निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल या ज़िंदा कारतूस के अलावा कुछ भी बरामद नहीं हुआ । उन्होंने आगे यह भी कथन किया कि साक्षियों के बयान घटनास्थल पर ही अभिलिखित किए गए थे और अभियुक्त को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद वे पुलिस थाने वापस आए और बरामद किए गए सामान को जमा किया गया और अभियुक्त को अभिरक्षा में ले लिया गया । उक्त बरामद किए गए सामान और अभियुक्त की गिरफ्तारी से संबंधित प्रविष्टि रोजनामचे में पुलिस उपनिरीक्षक सी. के. यादव द्वारा की गई थी ।

10. सर्वेश कुमार शर्मा (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से पता चलता है कि तारीख 3 नवंबर, 2001 को वह पुलिस थाना शाहबाद, जिला हरदोई में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर तैनात था । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह साक्ष्य दिया कि उक्त तिथि को उसने अभिग्रहण ज्ञापन के आधार पर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अंतर्गत उक्त मामले की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कि प्रदर्श क-18 है । इस साक्षी ने इसे प्रविष्टि सं. 30 के अंतर्गत रोजनामचे में दर्ज किया ।

अपनी प्रतिपरीक्षा में सर्वेश कुमार शर्मा (अभि. सा. 8) ने यह उल्लेख किया है कि यह कहना गलत है कि आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समय से पहले दर्ज की गई थी ।

11. पुलिस उपनिरीक्षक राम अवतार सिंह (अभि. सा. 9) के साक्ष्य से यह पता चलता है कि तारीख 3 नवंबर, 2001 को वह थाना शाहाबाद, जिला हरदोई में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था । (अभि. सा. 9) ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मामला सं. 351/2001 जो आयुध अधिनियम की धारा 25 से संबंधित था, का अन्वेषण उसे सौंपा गया था । अन्वेषण के दौरान उसने चिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की रोजनामचे में प्रविष्टि की तथा अपने साथी प्रभारी निरीक्षक, उपनिरीक्षक टी.पी. सिंह, उपनिरीक्षक मेहराज सिंह, उपनिरीक्षक कृष्ण कांत, उपनिरीक्षक चन्द्रभान यादव, कांस्टेबल श्रीकृष्ण यादव (अभि. सा. 7) तथा कांस्टेबल राम बहादुर यादव के बयान दर्ज किए । उपरोक्त कार्यवाही तारीख 3 नवंबर, 2001 तथा 4 नवम्बर, 2001 को की गई । तारीख 4 नवम्बर, 2001 को उपनिरीक्षक कृष्ण कान्त राय के निर्देश पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा स्वयं के हस्ताक्षर से स्थल नक्शा (नक्शा नजरी) तैयार किया, जो प्रदर्श क-20 है । अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त यूनुस के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए तथा अभियुक्त यूनुस के रक्तरंजित कपड़ों और गंडासे को अपने कब्जे में ले लिया तथा साक्षी सोनपाल व नौशाद अली (अभि. सा. 10) की उपस्थिति में उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर से उक्त वस्तुओं का अभिग्रहण ज्ञापन तैयार किया

गया, जो कि प्रदर्श क-12 है । तारीख 8 दिसंबर, 2001 को तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री वी. वी. सिंह द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई, जो कि प्रदर्श क-21 है । उक्त तारीख को पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी यूनुस के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर कर उसे प्रदर्श क-22 के रूप में प्रमाणित किया गया है । उसने यह भी कथन किया है कि वह उपनिरीक्षक मेहराज सिंह की लिखावट व हस्ताक्षर से भली-भांति परिचित है, क्योंकि वह उसके साथ थाना शाहाबाद में तैनात था । मामला अपराध संख्या 338/2001 जो धारा 302, 307 दंड संहिता के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत था, मृतक नबीउल्लाह, आसिफ व कुमारी गुलशन से संबन्धित पंचायतनामा व पुलिस दस्तावेज, उपनिरीक्षक मेहराज सिंह द्वारा उसकी उपस्थिति में तैयार किए गए । उक्त दस्तावेज इस साक्षी के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किए गए । मृतक नबीउल्लाह का पंचायतनामा (प्रदर्श क-23), चिट्ठी मजरूबी (प्रदर्श क-24), सी.एम.ओ. को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क-25), चालान लैश (प्रदर्श क-26), फोटो लैश (प्रदर्श क-27), सी.एम.ओ. रिपोर्ट (प्रदर्श क-28) तथा सैंपल स्टाम्प (प्रदर्श-क-29) को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । मृतक आसिफ का पंचायतनामा (प्रदर्श क-30), चिट्ठी मजरूबी (प्रदर्श क-31), सी.एम.ओ. को लिखा गया पत्र (प्रदर्श क-32), चालान लैश (प्रदर्श क-33), फोटो लैश (प्रदर्श क-34), मृतक के कपड़े पर सी.एम.ओ. रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन भेजी गई (प्रदर्श क-35) तथा सैंपल स्टाम्प (प्रदर्श क-36) को भी प्रमाणित किया गया । मृतक कुमारी गुलशन का पंचायतनामा प्रदर्श क-37, चिट्ठी मजरूबी (प्रदर्श क-38), सी.एम.ओ. को पत्र (प्रदर्श क-39), चालान लैश (प्रदर्श क-40), फोटो लैश (प्रदर्श क-41), मृतक के कपड़े पर सी.एम.ओ. रिपोर्ट जो पुलिस स्टेशन भेजी गई थी (प्रदर्श क-42) और नमूना स्टाम्प (प्रदर्श क-43) को भी प्रमाणित किया गया ।

उपनिरीक्षक राम अवतार सिंह (अभि. सा. 9) ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि न तो उन्हें यह पता था कि बरामद किया गया

सामान थाने में कितने समय से था और न ही उन्हें यह पता था कि सामान कब न्यायालयिक प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था । इसके अतिरिक्त सामान बरामद होने से पहले उन्होंने न तो अभियुक्त से कुछ पूछा और न ही कोई बयान दर्ज किया । अभियुक्तों के बयान अन्वेषण अधिकारी ने केस डायरी में दर्ज किए । उपनिरीक्षक ने अभियुक्त को जहां से गिरफ्तार किया था, वह स्थान तो दिखाया, किन्तु जहां जीप खड़ी थी, वह नहीं दिखाया । साक्षी को यह नहीं पता था कि अभियुक्त के साथ घर में कितने लोग रहते हैं । जब साक्षी और अभियुक्त ने घर में प्रवेश किया तो घर में कोई पुरुष या महिला नहीं थी और आसपास से कोई भी व्यक्ति साक्षी के बुलाने पर आने को तैयार नहीं हुआ । इस तथ्य का उल्लेख बरामदगी ज्ञापन में नहीं किया गया, क्योंकि अभियुक्त के साथ पहले से ही दो लोग मौजूद थे । उन्हें याद नहीं कि उनका बयान कब लिया गया था, किन्तु उन्होंने यह पुष्टि की है कि अन्वेषण अधिकारी ने उनका बयान लिया है । हालांकि केस डायरी देखने पर उन्होंने बताया कि साक्षी सोनपाल और अन्य के बयान उनके बयानों के साथ उसमें दर्ज नहीं हैं ।

12. नौशाद अली **उर्फ** नौशे शाह (अभि. सा. 10), जो कथित हमले के हथियार अर्थात् गंडासे की बरामदगी का साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि 4 नवम्बर, 2001 को अभियुक्त-अपीलार्थी यूनुस ने पुलिस को कोई गंडासा या कोई अन्य सामान नहीं दिया। वह पुलिस के कहने पर घर के अंदर भी नहीं गया । उक्त साक्षी को विचारण न्यायालय ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसे प्रतिपरीक्षा की अनुमति दे दी गई ।

प्रतिपरीक्षा में, अभि. सा. 10 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श क-12) साक्षी के सामने पेश किया गया था, जिसे देखने पर उसने यह साक्ष्य दिया कि यह उसका हस्ताक्षर है जो पुलिस अधिकारी के कहने पर पुलिस थाने में एक सादा कागज पर किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने वर्तमान मामले के संबंध में कभी कोई बयान दर्ज नहीं किया है । यह कहना गलत है कि वह अभियुक्त के साथ मिल गया है, इसलिए उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है ।

13. क्षतिग्रस्त श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) और कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) की क्षतियों की जांच 30 अक्तूबर, 2001 को प्रातः 8:30 बजे तथा प्रातः 8:50 बजे डॉ. सी. के. गुप्ता (अभि. सा. 4) द्वारा की गई, जो जिला अस्पताल हरदोई में ई.एम.ओ. (आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी) के पद पर तैनात थे । डॉ. सी. के. गुप्ता (अभि. सा. 4) ने क्षतिग्रस्त श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) तथा कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) के शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

"इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1), जो नबीउल्लाह की पत्नी है, की क्षतियां निम्न प्रकार हैं –

(1) बाईं भौंह के पार्श्व आधे भाग पर 2.5 सेमी x 0.5 सेमी माप का अस्थि गहरा छिन्न घाव है जिससे ताजा रक्तस्राव हो रहा है ।

(2) बाएं चेहरे के गाल पर 2.5 सेमी x 0.5 सेमी माप का छिन्न घाव जिसमे गहरा कटाव है और ताजा रक्त दिखाई दे रहा है ।

(3) दाहिनी बांह पर पृष्ठीय मध्य भाग में 5 सेमी x 2.5 सेमी माप का छिन्न घाव है जिसमें ताजा रक्त मौजूद है और घाव के किनारे स्पष्ट हैं ।

(4) दाहिने हाथ की मध्य सीमा पर छिन्न घाव है जिसकी माप 3 सेमी x 0.5 सेमी है और गहराई अस्थि तक है, ताजा रक्त दिखाई दे रहा है, घाव के किनारे स्पष्ट हैं ।

(5) बाएं कलाई पर 6 सेमी x 3 सेमी माप का छिन्न घाव है जो हाथ तक फैला हुआ है और घाव की गहराई अस्थि तक है, ताजा रक्त दिखाई दे रहा है ।

(6) बाएं अग्रबाहु के पृष्ठीय मध्य सीमा पर ऊपर की ओर 6 सेमी x 3 सेमी माप का छिन्न घाव जिसके किनारे स्पष्ट हैं और ताजा रक्त दिखाई दे रहा है ।

(7) खोपड़ी के ललाट क्षेत्र के मध्य में 4.5 सेमी x 0.5 सेमी

माप का छिन्न घाव जो अस्थि गहरा है तथा नाक के पुल से 7 सेमी ऊपर की ओर है ।

(8) खोपड़ी के सामने पार्श्विका जंक्शन पर 5 सेमी x 0.5 सेमी माप का छिन्न घाव है जो अस्थि गहरा है तथा घाव में ताजा रक्त दिखाई दे रहा है ।"

डॉक्टर के अनुसार रोगी की हालत बहुत खराब थी, क्षतियां नुकीली चीज से लगी थीं; क्षतियां लगभग ताजा थीं; सभी क्षतियों को निगरानी में रखा गया था; खोपड़ी, दाहिनी बांह और बाईं बांह का एक्स-रे कराने की सलाह दी गई ।

कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) पुत्री मोहम्मद नबीउल्लाह, आयु लगभग 4 वर्ष को कारित क्षतियां :–

माथे के बाईं ओर मध्य रेखा से टेम्पोरल क्षेत्र में 12 सेमी x 3 सेमी माप का छिन्न घाव जो अस्थि गहरा है और उसमें ताजा रक्त बह रहा है जिसमें से सेरेब्रल माल्ट के कुछ भाग बाहर निकल रहा है । घाव के किनारे स्पष्ट रूप से कटे हुए हैं ।" डॉक्टर की राय के अनुसार क्षति तेजधार वाली वस्तु से पहुंची है। क्षति की ताजा है; क्षति को निगरानी में रखा गया है; खोपड़ी का एक्स-रे कराने की सलाह दी गई है ।

14. मृतक नबीउल्लाह, आसिफ और कुमारी गुलशन के शव का शवपरीक्षण तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को सायं 4:00 बजे, सायं 4:30 बजे और सायं 5:00 बजे डॉ. जे.एल. गौतम (अभि. सा. 6) द्वारा किया गया, जो उस समय जिला अस्पताल, हरदोई में ई.एम.ओ. (आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी) के पद पर तैनात थे ।

मृतक नबीउल्लाह (आयु लगभग 40 वर्ष) की मृत्युपूर्व की क्षतियां :–

(1) बाएं घुटने की प्याली पर 12.0 सेमी x 3.0 सेमी का अस्थि गहरा कटाव है जो बाएं कान से 7.0 सेमी ऊपर है । कपाल गुहा में मस्तिष्क गुदा दिखाई दे रहा है जो तिरछा होकर बाहर आ रहा है ।

(2) 9.0 सेमी x 2.0 सेमी माप का छिन्न घाव है जो गुहा तक गहरा है और यह क्षति संख्या 1 से 1.5 सेमी नीचे बाईं ओर खोपड़ी पर मौजूद है ।

(3) चेहरे पर बाएं कान तक 10.0 सेमी x 1.0 सेमी के आकार में मांसपेशी के ऊपर गहरा घाव मौजूद है ।"

मृतक आसिफ (आयु लगभग 6 वर्ष) की मृत्युपूर्व की क्षतियां :–

14.0 सेमी x 2.0 सेमी माप का अस्थि गहरा छिन्न घाव पाया गया है जो पार्श्विका और पश्चकपाल दोनों हड्डियों के पश्च भाग के नीचे तिरछा स्थित है । गुहा में मस्तिष्क का गुदा विदीर्ण पाया गया है ।

मृतक कुमारी गुलशन (आयु लगभग 10 वर्ष) की मृत्यु पूर्व की क्षतियां :–

(1) 10.0 सेमी x 2.0 सेमी माप का कपाल गुहा तक गहरा घाव जिसकी स्थिति नाक की जड़ से 6.0 सेमी ऊपर खोपड़ी के बीच में है । ललाट की अस्थि के नीचे अस्थि भंग पाया गया है ।

(2) 3.0 सेमी x 1.0 सेमी माप का अस्थि गहरा छिन्न घाव है जो बाएं कान के ठीक ऊपर बाएं पार्श्विका अस्थि के नीचे बाएं कान के पिन्ना के आर-पार अस्थि भंग के साथ पाया गया है ।

(3) ठोड़ी के ऊपर 2.0 सेमी x 0.5 सेमी माप का अस्थि गहरा घाव है ।

शवपरीक्षण रिपोर्ट में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व की क्षतियों के परिणामस्वरूप कोमा में जाना बताया गया है ।

डॉ. जे.एल. गौतम (अभि. सा. 6) ने तीनों मृतकों के शवपरीक्षण में प्रदर्श क-14, क-15 और क-16 को प्रमाणित किया है । उन्होंने आगे यह साक्ष्य दिया कि तीनों मृतकों की मृत्यु-पूर्व क्षतियां तेज धार वाले हथियार अर्थात् गंडासे से कारित हो सकती हैं । उन्होंने आगे यह कहा कि मृतक की मृत्यु संभवतः 30 अक्तूबर, 2001 को प्रातः 4:30 बजे हुई होगी । अपनी प्रतिपरीक्षा में डॉ. जे.एल. गौतम (अभि. सा. 6) ने

कहा कि मृतक की क्षतियों को देखने से यह पता चलता है कि यह एक या दो तेज धार वाले भारी हथियार से कारित हो सकती है । मृतक की मृत्यु का जो समय दिया गया है वह 2-3 घंटे कम या अधिक हो सकता है ।

15. यह मामला 25 फरवरी, 2002 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरदोई की अदालत को सौंपा गया और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 5, हरदोई ने दोषसिद्ध/अपीलार्थी अर्थात् यूनुस के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/307 के अधीन तारीख 6 अक्तूबर, 2003 को आरोप विरचित किए और अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या 1, हरदोई ने दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन तारीख 20 नवंबर, 2004 को आरोप विरचित किए । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । उसने अपनी प्रतिरक्षा में सभी आरोपों से इनकार किया ।

16. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर दस साक्षियों अर्थात् श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) जो मामले की इत्तिलाकर्ता है, कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी है, कांस्टेबल जमुना पांडे (अभि. सा. 3) जिसने दोषसिद्ध/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई, डा. सी. के. गुप्ता (अभि. सा. 4) जिन्होंने क्षतिग्रस्तों अर्थात् श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा.1) और कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) की क्षतियों की जांच की, टी.पी. सिंह (अभि. सा. 5) जो मामले के अन्वेषण अधिकारी हैं, डॉ. जे. एल. गौतम (अभि. सा. 6) जिन्होंने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया, कांस्टेबल श्री कृष्ण यादव (अभि. सा. 7), सर्वेश कुमार शर्मा (अभि. सा. 8), उपनिरीक्षक राम अवतार (अभि. सा. 9), नौशाद अली **उर्फ** नौशेशाह (अभि. सा. 10), जो कथित हमले के हथियार अर्थात् गंडासे की बरामदगी का साक्षी हैं, की परीक्षा कराई ।

17. अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात्, दोषसिद्ध/ अपीलार्थी यूनुस का कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन फिर से दर्ज किया गया जिसमें उसने अभियोजन साक्ष्य से

इनकार किया और कहा कि उसे शत्रुता के कारण इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है ।

18. अब हम सबसे पहले इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) जो एक क्षतिग्रस्त साक्षी भी है, के साक्ष्य पर विचार करना चाहेंगे जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मृतक नबीउल्लाह उसका पति था, मृतक आसिफ उसका पुत्र था तथा मृतका गुलशन उसकी पुत्री थी । घटना लगभग ढाई वर्ष पहले की है । यह साक्षी, उसका पति तथा उनके बच्चे घर के अन्दर सो रहे थे । उसका घर शाहाबाद में है, जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध है । घटना वाली रात को एक बल्ब जल रहा था जिससे वहां रोशनी थी । उसका पति तथा उसका पुत्र गलियारे में लेटे हुए थे जबकि यह साक्षी तथा उसकी बेटियां एक कमरे में लेटी हुई थीं । प्रातः लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच उसने अपने पति तथा बेटे की चीखें सुनीं, तो वह भागी । जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि अभियुक्त यूनुस गंडासा लेकर उसके पति तथा बेटे पर हमला कर रहा है । अभियुक्त यूनुस के साथ आसिफ बेग, तनवीर, नासिर, वसीम, नन्हे और रबीउल्लाह भी थे । अभियुक्त के साथियों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और इसी बीच पुत्रियां गुलशन और नगमा भी बाहर आ गईं, अभियुक्त के सभी साथियों ने इस साक्षी और उसकी पुत्री को पकड़ लिया और अभियुक्त यूनुस ने उन पर गंडासे से हमला कर दिया । उनका शोर सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए तो अभियुक्त और उसके साथी जहां से आए थे, उसी रास्ते से अर्थात् घर की छत से होकर भाग गए । अभियुक्त छत पर था और उसने गोली चला दी । इसके पश्चात् अन्य साथी भाग गए । तब किसी तरह साक्षी ने सामने का दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति और पुत्र आसिफ और पुत्री मृत पड़े थे । उसे और उसकी पुत्री नगमा को क्षतियां आई थीं । सभी अभियुक्तों के हाथ में देशी तमंचा था । अभियुक्त रफीकुल्लाह, इस साक्षी का ज्येष्ठ है और अभियुक्त यूनुस का पिता है । इस साक्षी के घर में तीन दुकानें हैं, जिन पर आसिफ, नासिर, तनवीर और वसीम का कब्जा है तथा उसके घर पर उसके देवर रफीकुल्लाह ने कब्जा कर लिया है । यह साक्षी मोमीनाबाद, जिला हरदोई में डर के साए, में जी रही है तथा अभियुक्त उसे जान से मारने के

आशय से अभी भी तलाश कर रहे हैं । वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए शाहाबाद थाने गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक मुंशी से हुई तथा उसने पूरी घटना बताई तथा अभियुक्तों के नाम भी बताए । इस साक्षी ने कथन किया है कि वह अनपढ़ है तथा उसे रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई गई थी, बल्कि उसने रिपोर्ट पर यूं ही अंगूठा लगा दिया था । इस साक्षी को काफी क्षतियां आई हैं जिसके कारण वह यह नहीं समझ पाई कि विचारण न्यायालय में बयान देते समय वह जिन अभियुक्तों के नाम बता रही थी, उनका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है । जब उसे रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तो उसने कहा कि अभियुक्तों के नाम पूरे नहीं हैं तथा शेष बातें सत्य हैं, जो कि प्रदर्श क-1 के रूप में सिद्ध हुई हैं । उसने सभी अभियुक्तों की ठीक प्रकार पहचान की थी । श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी मां जीवित है । उसका कोई सगा भाई नहीं है । उसके चचेरे भाइयों के नाम फिरोज, सिद्दीक, अनीस, सिराज आदि हैं । वह उनके पिता का नाम नहीं जानती थी । उनकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी के पिता का नाम बाबू है । उनकी भी मृत्यु हो गई । हत्या के पश्चात् वह मोमीनाबाद में रह रही थी । उसे अपनी और जिसके घर वह रहती है, उसकी जान को खतरा है । मोमीनाबाद में वह सकरौला नाम के व्यक्ति के यहां रहती है । सकरौला विचारण न्यायालय में मौजूद है । वह सकरौला और चचेरे भाइयों के साथ कोर्ट में पेश होती है । अभियुक्त यूनुस के छोटे भाई का नाम यूसूफ है । साक्षी का घर और अभियुक्त यूनुस का घर अलग-अलग है । साक्षी और उसका पति अपने बच्चों के साथ अलग घर में रहते थे । अभियुक्त यूनुस, यूसूफ (भाई) और पिता एक साथ अलग घर में रहते थे । साक्षी और उसके पति की शादी के समय आयु में कोई अंतर नहीं था । यह कहना गलत है कि पति की आयु साक्षी से अधिक थी । दरोगा ने साक्षी का बयान अभिलिखित किया है । साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसके पति की आयु उससे काफी अधिक थी, यदि दरोगा ने ऐसा बयान लिखा है तो इसका कारण साक्षी को नहीं पता है । घटना के पश्चात् साक्षी थाने नहीं गई । पुलिसकर्मी उसके घर आए थे । उसने नसीर, वसीम, यूनुस के नाम बताए, जिन्होंने उसके पति और बच्चों की गंडासे से हत्या की है । हत्या में एक लड़का तनवीर और आसिफ शामिल था । हत्या में वसीम, नसीर,

नन्हे, रफीउल्लाह भी शामिल थे । साक्षी ने सभी अभियुक्तों के नाम पुलिस को बताए थे। पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। पुलिस के आने पर साक्षी ने ताला खोला था । उसने अभियुक्तों के नाम पुलिस को बताए थे और नाम बताने के पश्चात् वह बेहोश हो गई थी । साक्षी ने यह कथन किया है कि वह लखनऊ पहुंचने तक बेहोश रही। साक्षी को यह नहीं पता कि पुलिस उसे कहां ले गई थी । मारपीट के दौरान उसे क्षतियां भी आई हैं । बांका से छह बार वार किया गया । इस साक्षी के सिर और हाथ पर क्षति के निशान भी हैं । यह साक्षी अनपढ़ है । घटना के समय वह अपनी दो पुत्रियों के साथ कमरे में सो रही थी। साक्षी का पति और उसका पुत्र आसिफ घर के बाहर सो रहे थे । तनवीर और आसिफ ने जब उसके पति को पकड़ा तो वह चीखने लगी और शोर मचाने लगी । वह चीखते हुए बचाने पहुंची। अभियुक्त यूनुस ने साक्षी के पति को गंडासे से काट दिया था । जब वह अपने पति के पास पहुंची तो नसीर और वसीम ने उसे पकड़ लिया था । अभियुक्त यूनुस ने उस पर भी उक्त स्थान पर गंडासे से प्रहार किया । उसने बच्चों को भाग जाने को कहा । साक्षी की पुत्री गुलशन भागकर कमरे में आ गई और कम्बल के नीचे छिप गई और कहने लगी कि "प्यारे भाई मुझे मत मारो" । नन्हे ने साक्षी की पुत्री को पकड़ लिया और यूनुस ने उस पर वार किया । साक्षी के पुत्र ने उसे पकड़ लिया तो अभियुक्त यूनुस ने उस पर भी वार किया । यूनुस, रफीउल्लाह और साक्षी के मकान की छत मिली हुई है और उनकी सीढ़ियां हमेशा वहीं पर रहती हैं । वे मकान की छत पर चढ़कर अंदर आए और वापस चले गए । साक्षी ने सभी अभियुक्तों के नाम न्यायालय में बताए थे और इसके पहले किसी को नहीं बताए थे । साक्षी ने बताया कि उसके घर में कुल सात व्यक्ति आए थे ।

19. नगमा (अभि. सा. 2) ने, जो इत्तिलाकर्ता की पुत्री है, अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी मां (अभि. सा. 1) का नाम गुड़िया है । उसके घर में पिता नबीउल्लाह, भाई आसिफ बेग, बहिन गुलशन और उसकी मां गुड्डी रहते थे । अभियुक्त यूनुस रात में उसके घर में घुस आया, जो विचारण न्यायालय में मौजूद है । उसने घर में मौजूद सभी लोगों पर हमला किया था । उसके पिता, आसिफ और

गुलशन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी जबकि साक्षी को क्षतियां आई थीं । घर में बल्ब जलने की वजह से रोशनी थी ।

20. नगमा (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह और उसकी मां बाबू के साथ मोमीनाबाद, हरदोई में रहती थीं । अभियुक्त यूनुस ने उसे घर में पकड़ लिया था । आसिफ, तनवीर और यूनुस ने इस साक्षी पर हमला किया था । उन्होंने उसकी मां और पिता पर भी हमला किया था । नसीर और वसीम ने उसकी मां को पकड़ लिया था और साक्षी वहीं खड़ी रही । घर में सात लोग घुस आए थे और वे सभी सातों लोग झगड़े में शामिल थे । वे उसके घर से बक्सा उठा ले गए थे । जब झगड़ा हुआ था तब उस समय साक्षी (अभि. सा. 1) की मां घटनास्थल पर मौजूद थी । इस साक्षी ने इस घटना को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में देखा था । यह कहना गलत है कि साक्षी को सिखाया-पढ़ाया गया है और इसके बाद ही वह इस प्रकार साक्ष्य दे रही है ।

21. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री संजय कुमार, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री अरुणेन्द्र को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया ।

22. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को इस तथ्य के कारण वर्तमान मामले में मिथ्या फंसाया गया है कि उसका इत्तिलाकर्ता और उसके पति के साथ कुछ पुराना शत्रुता का रिश्ता था, क्योंकि अपीलार्थी मृतक के पति के बड़े भाई का पुत्र था । उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि घटना रात में हुई थी जिसमें मृतक और उसके अवयस्क पुत्र और पुत्री को कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके घर में डकैती करने के आशय से मार डाला था और तीन लोगों की हत्या कर दी थी और उन्होंने इत्तिलाकर्ता और उसकी पुत्री को क्षतियां पहुंचाईं । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराई गई है किन्तु मुकदमे के दौरान इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) का कथन विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसमें उसने उल्लेख किया कि अपीलार्थी के साथ छह अन्य अभियुक्त व्यक्ति अर्थात्

आसिफ बेग, तनवीर, नसीर, वसीम, नन्हे, रफीउल्लाह भी थे जिन्होंने उसके घर में घुसकर उसके पति, दो बच्चों की हत्या की और उसे तथा उसकी पुत्री को क्षतिग्रस्त किया । अभियोजन पक्षकथन का झूठ इस तथ्य से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को छोड़कर उक्त अभियुक्तों में से किसी पर भी अभियोजन पक्ष द्वारा मामला नहीं चलाया गया और केवल अपीलार्थी को ही दोषसिद्ध किया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं होने के बावजूद उसे दंडादिष्ट किया गया है इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को खारिज किया जाना चाहिए और अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

23. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि घटनास्थल पर रोशनी का कोई उचित स्रोत नहीं था, जिससे अपीलार्थी की पहचान की जा सके तथा साक्ष्य में यह भी आया है कि इत्तिलाकर्ता एवं मृतक के घर पर बल्ब जल रहा था, परन्तु अन्वेषण अधिकारी ने स्थल-नक्शा में प्रकाश का स्रोत नहीं दर्शाया है, अतः वर्तमान अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता केवल संदेह एवं इत्तिलाकर्ता के परिवार के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध के आधार पर है । इसके पश्चात् उन्होंने तर्क दिया कि रक्त से सना गंडासा, जिससे हमला किया गया था और जिसे अपीलार्थी की निशानदेही पर उसके घर से बरामद किया गया था तथा अपीलार्थी की रक्तरंजित पैंट और कमीज, जो उसने घटना के समय पहनी हुई थी, वास्तव में एक मिथ्या बरामदगी है, क्योंकि उक्त बरामदगी के दो साक्षी, जिन्हें तारीख 4 नवम्बर, 2001 के बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-12) के रूप में तैयार किया गया है, अर्थात् सोन पाल और नौशाद अली (अभि. सा. 10) जिनमें से सोन पाल को अभियोजन पक्ष के समक्ष उक्त बरामदगी को साबित करने के लिए पेश नहीं किया गया, जबकि नौशाद अली (अभि. सा. 10) ने उक्त बरामदगी का समर्थन नहीं किया है ।

24. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है क्योंकि इत्तिलाकर्ता एक बहुत ही हितबद्ध और पक्षपाती साक्षी है और इसके अतिरिक्त उसके साक्ष्य में बड़ा विरोधाभास प्रतीत होता है जो

घटना के बारे में उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के विपरीत है । कुमारी नगमा (अभि. सा. 3), जो एक बाल साक्षी है, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसे सिखाया-पढ़ाया गया है और वह किसी अन्य व्यक्ति की संगति में थी जिसने उसे अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया है । उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि वसीम नामक व्यक्ति ने 30 जनवरी, 2001 को दंड संहिता की धारा 498 के अधीन अपराध के लिए एन.सी.आर. (असंज्ञेय रिपोर्ट) दर्ज कराई थी जिसमें यह कहा गया था कि उसकी पत्नी श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) को कुछ व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गए थे और वह मृतक नबीउल्लाह के घर पर पाई गई जिसके कारण अपीलार्थी को वर्तमान मामले में फंसाया गया है तथा अभियोजन पक्ष द्वारा मामले की सत्यता को जानबूझकर छिपाया गया है ।

25. दूसरी ओर, विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की दलील का जोरदार खंडन करते हुए यह कहा है कि अपीलार्थी का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दर्ज है और उसने मृतक (नबीउल्लाह) जो उसका चाचा था और दो चचेरे भाइयों की गंडासे से हत्या की है और उसने इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1), जो मृतक नबीउल्लाह की पत्नी है और उसकी अप्राप्तवय पुत्री कुमारी नगमा पर भी हमला किया है जिनके शरीर पर गंभीर घाव हैं । उन्होंने आगे यह कहा कि मृतकों में से एक (कुमारी गुलशन) की आयु लगभग 10 वर्ष थी जबकि मृतक आसिफ की आयु लगभग 6 वर्ष थी और यह एक नृ:शंस हत्या है और श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) और कुमारी नगमा (अभि. सा. 2), जो घटना की क्षतिग्रस्त साक्षी हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है जिसकी पुष्टि प्रत्यक्ष साक्ष्य से होती है ।

उसने आगे यह प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की सह-अपराधिता से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी को 3 नवंबर, 2021 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसे 4 नवम्बर, 2021 को पुलिस लॉकअप से बाहर निकाला गया था और उसकी निशानदेही पर उसके घर से हमले में प्रयोग किया गया हथियार

अर्थात् रक्तरंजित गंडासा, और रक्तरंजित पैंट और कमीज को बरामद किया गया था और इस सामग्री को जूट के डिब्बे में रखा गया था । उक्त वस्तुओं को न्यायालयिक प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया और इस प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया ।

26. विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी है कि अपीलार्थी के पास मृतक की हत्या करने का भी मजबूत मकसद था, जैसाकि श्रीमती गुड्डी (अभि. सा.1) के साक्ष्य में यह आया है कि अपीलार्थी, मृतक (नबीउल्लाह) और इत्तिलाकर्ता की संपत्ति हड़पना चाहता था, जिसके कारण उसके पति और दो बच्चों की हत्या कर दी गई और अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श क-12 से पता चलता है कि अपीलार्थी का रक्तरंजित गंडासे, पैंट और कमीज को भी बरामद कर लिया गया है और उस पर सभी साक्षियों अर्थात् सोन पाल और नौशाद अली **उर्फ** नौशेशाह (अभि. सा. 10) की उपस्थिति में हस्ताक्षर भी किए गए हैं । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि सिर्फ इसलिए कि नौशाद अली (अभि. सा. 10) पक्षद्रोही हो गया है, अभिग्रहण ज्ञापन को संदिग्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अपीलार्थी ने भी अभिग्रहण ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

27. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात्, हमने निचले न्यायालय के अभिलेखों और उसके साक्ष्यों के साथ-साथ विवादित निर्णय का अवलोकन किया है तथा पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गहन विचार किया है ।

28. अभियोजन पक्षकथन से यह स्पष्ट है कि घटना तारीख 10 फरवरी, 2001 को प्रातः 4:30 बजे इत्तिलाकर्ता के घर में घटित हुई थी जिसमें अपीलार्थी ने इत्तिलाकर्ता तथा मृतक के घर में प्रवेश किया जो अपने बच्चों के साथ घर में सो रहे थे । अपीलार्थी का घर मृतक के घर से सटा हुआ था । दोषसिद्ध/अपीलार्थी ने मृतक नबीउल्लाह और उसके पुत्र पर, जो कमरे के बाहर सो रहे थे, हमला किया जबकि इत्तिलाकर्ता और उसकी दो अप्राप्तवय पुत्रियां कमरे के अंदर दूसरी चारपाई पर सो रही थीं और अपने पति नबीउल्लाह द्वारा शोर मचाए जाने पर जब

इत्तिलाकर्ता ने उस पर गंडासे से हमला किया तो वह जाग गई और उसने देखा कि इत्तिलाकर्ता ने उसके पति और अप्राप्तवय पुत्र आसिफ पर गंडासे से हमला किया है और जब उसने और उसकी पुत्री ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो अपीलार्थी ने इत्तिलाकर्ता और उसकी दोनों पुत्रियों पर भी गंडासे से हमला कर दिया जिससे उसकी पुत्री कुमारी गुलशन की मृत्यु हो गई जबकि इत्तिलाकर्ता और दूसरी पुत्री कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) को क्षतियां आईं । इत्तिलाकर्ता ने अपीलार्थी के विरुद्ध घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मुंशी से लिखित रिपोर्ट तैयार कराने के पश्चात् तारीख 30 अक्तूबर, 2001 को सायं 6:15 बजे थाना शाहाबाद, जिला हरदोई, जो चार फर्लांग की दूरी पर था, में दर्ज कराई । उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अधीन अपराधों के लिए अपराध मामला सं. 168/2001 के रूप में पुलिस थाना शाहाबाद जिला हरदोई में रजिस्ट्रीकृत किया गया । उसने लिखित रिपोर्ट को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है ।

29. श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1), जो घटना की इत्तिलाकर्ता होने के साथ-साथ क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है, के साक्ष्य से पता चलता है कि उसने अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से बयान किया है, जिसने अपने पति और अप्राप्तवय बेटे और पुत्री को गंडासे (हमले का हथियार) से मार डाला है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसने अपीलार्थी के साथ पांच अन्य अभियुक्तों की भागीदारी का खुलासा किया है । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसने पुलिस को वर्तमान मामले में संलिप्त सभी अभियुक्तों के नाम बताए हैं, किन्तु पुलिस ने उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की है । यह सुस्थापित है कि पुलिस के रिष्टिपूर्ण कृत्य और आचरण के कारण, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि वह एक क्षतिग्रस्त साक्षी है और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है । इसी तरह, नगमा (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का प्रश्न है, उसने भी अभियोजन पक्षकथन का वर्णन

किया है जो घटना की एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है और अपीलार्थी और मृतकों में से एक, नबीउल्लाह की पुत्री है । उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले को दोहराया है जैसा कि उसकी मां श्रीमती गुड्डी (अभि. सा. 1) ने कहा है और मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट के साथ-साथ दो क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की क्षति रिपोर्ट से भी इसकी पूरी तरह पुष्टि होती है ।

30. **मनो दत्त और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है :–

> "हम केवल अब्दुल सईद **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एस. सी. सी. 259 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 5701 का संदर्भ दे सकते हैं, जहां इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था –
>
> > 'घटना के दौरान स्वयं क्षतिग्रस्त हुए एक साक्षी के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है । जहां घटना का एक साक्षी स्वयं घटना में क्षतिग्रस्त हो गया हो, ऐसे साक्षी के साक्ष्य को सामान्यतः बहुत विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि वह एक ऐसा साक्षी होता है जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति की गारंटी अंतर्निहित होती है और किसी को मिथ्या फंसाने के लिए अपने वास्तविक हमलावर(ओं) को छोड़ने की संभावना नहीं होती है । "एक क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य को मिथ्या साबित करने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता होती है ।' देखें रामलगन सिंह **बनाम** बिहार राज्य, [(1973) 3 एस. सी. सी. 881 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 2593] मलखान सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, [(1975) 3 एस. सी. सी. 311 = ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 12], मच्छी सिंह **बनाम** पंजाब राज्य, [(1983) 3 एस. सी. सी. 470 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957], अप्पाभाई **बनाम** गुजरात राज्य,

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 79 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2012 एस. सी. 25.

[(1988) सप्ली. एस. सी. सी. 241 = ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 696], बोंक्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, [(1995) 6 एस. सी. सी. 447 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 257], भाग सिंह **बनाम** पंजाब राज्य, [(1997) 7 एस. सी. सी. 712 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1997 एस. सी. 77], मोहर **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, [(2002) 7 एस. सी. सी. 606 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3279], दिनेश कुमार **बनाम** राजस्थान राज्य, [(2008) 8 एस. सी. सी. 270 = ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 3259], विष्णु **बनाम** राजस्थान राज्य, [(2009) 10 एस. सी. सी. 477 = 2009 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6363], अन्नारेड्डी संबाशिवा रेड्डी **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य, [(2009) 12 एस. सी. सी. 546 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 2661] और बलराजे **बनाम** महाराष्ट्र राज्य, [(2010) 6 एस. सी. सी. 673 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 3707] ।

31. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अगली दलील यह थी कि घटनास्थल पर प्रकाश का कोई उचित स्रोत नहीं था जिससे साक्षी अपीलार्थी की पहचान कर पाते, इसलिए अभियोजन पक्षकथन विश्वसनीय नहीं है । यहां यह उल्लेखनीय है कि श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि घटनास्थल पर एक बल्ब की रोशनी थी जो उसके घर में जल रही थी । प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा साक्षियों की बहुत विस्तार से प्रतिपरीक्षा की गई किन्तु फिर भी कोई भी महत्वपूर्ण बात अभिलेख पर नहीं लाई जा सकी जिससे निश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि घटनास्थल पर बिजली का कोई बल्ब नहीं था । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **कृष्णा मास्टर**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "उच्च न्यायालय का यह मानना उचित नहीं था कि पूरे गांव में बिजली नहीं थी और बरसात के मौसम की अमावस्या के कारण पूरा अंधेरा था जिसके कारण प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के लिए घटना को देखना असंभव था ।

[1] (2010) 12 एस. सी. सी. 324 = ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 3071.

इसके अतिरिक्त शहरी लोगों की दृश्य-क्षमता का मानक ग्रामीणों पर लागू होने वाला नहीं है"। इसके अतिरिक्त, **नथुनी यादव** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में, न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया : "तथ्य यह है कि हमलावरों के पास भी पीड़ितों की पहचान करने के लिए पर्याप्त रोशनी थी जिन्हें उन्होंने बिना किसी गलती के उन लोगों में से निशाना बनाया था, जो छत पर सो रहे थे । यदि उस समय उपलब्ध रोशनी, हालांकि कम थी, फिर भी हमलावरों के लिए पर्याप्त थी, तो हमें यह क्यों सोचना चाहिए कि वही रोशनी क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थी जिन्होंने निश्चित रूप से अपने सामने खड़े घुसपैठियों के चेहरों पर अपनी आंखें केंद्रित की होंगी ।"

हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमलावर, त्रासदी वाले घर के निवासियों के लिए कोई अजनबी नहीं थे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रत्येक हत्यारे की शारीरिक बनावट से अच्छी तरह परिचित थे । इसलिए, हम यह मानने के लिए सहमत नहीं हैं कि पीड़ितों के लिए हमलावरों को देखना संभव नहीं था या उनकी गलत पहचान करने की संभावना थी, इसलिए, श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) और नगमा (अभि. सा. 2) के लिए अपीलार्थी की पहचान करना आसान था, जिसने मृतक की हत्या की थी और उस हत्या करने वाले को उन दोनों ने देखा था ।

32. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि तीन मृतकों की हत्या कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा की गई थी क्योंकि उनके घर में डकैती हुई थी परन्तु उक्त तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि अभिलेख से यह सिद्ध नहीं होता है कि इत्तिलाकर्ता और मृतक के घर से कोई सामान बदमाशों द्वारा लूटा गया या ले जाया गया जिसके लिए पुलिस को कोई सूचना दी गई थी, जिससे यह पता चलता है कि ऐसी कोई डकैती की घटना नहीं हुई थी और सच्ची घटना की जानकारी श्रीमती गुड़िया (अभि. सा. 1) ने पुलिस को उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में दी थी ।

33. अपीलार्थी की सह-अपराधिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाती है कि इस निशानदेही पर अपीलार्थी के घर से रक्त से सना बांका

---

[1] (1998) 9 एस. सी. सी. 238 = ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 1808.

बरामद किया गया, साथ ही रक्तरंजित पैंट और कमीज को भी बरामद किया गया जिन्हें अपीलार्थी पहने हुए था और उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया और प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी के गंडासे, पैंट और कमीज पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल का यह तर्क भी कोई महत्व नहीं रखता है कि बरामदगी के साक्षियों में से एक साक्षी अर्थात् नौशाद अली (अभि. सा. 10) ने बरामदगी का समर्थन नहीं किया है ।

34. **राजा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "....नि:संदेह, बरामदगी को अपने आप में अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है, किन्तु फिर भी यह निश्चित रूप से सबूत का एक भाग तो है जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में अन्य सबूतों का समर्थन होता है, **नामदेव दौलता धायगुड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाला मामला देखिए । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर रक्तरंजित सामान की बरामदगी अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के सबूत को पर्याप्त पुष्टि प्रदान करती है, इसके लिए **पूरन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाला मामला देखिए । उक्त मामले में, बरामदगी से संबंधित तथ्य रक्त से सना हुआ हथियार इस मामले से मिलता-जुलता था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह पाया कि सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कृपाण पर लगे रक्त के धब्बे मानव प्रकृति के थे । अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के आधार पर रक्त से सना हुआ कृपाण बरामद होना अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को पर्याप्त पुष्टि प्रदान करता है ।

35. इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) और नगमा (अभि. सा. 2) के साक्ष्य का अवलंब इस न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक हितबद्ध और पक्षपाती साक्षी हैं

---

[1] 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 478 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2008 मैड 32.

[2] (1976) 4 एस. सी. सी. 441 = ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 381.

[3] (1995) (सप्ली.) 3 एस. सी. सी. 665 = 1995 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2651.

और वे मृतक के नातेदार हैं, किन्तु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के उक्त तर्क में भी कोई सार नहीं है क्योंकि यह सुस्थापित विधि है कि मृतक के नातेदारों के साक्ष्य को केवल इसी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि अभियुक्तों को झूठे फंसाए जाने की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए इस न्यायालय द्वारा उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ।

36. आपराधिक विधि न्यायशास्त्र के अधीन नातेदार और हितबद्ध साक्षी के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है । किसी साक्षी को केवल पीड़ित का नातेदार होने के कारण "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता । साक्षी को केवल तभी "हितबद्ध" कहा जा सकता है जब उसे किसी सिविल मामले में डिक्री में मुकदमेबाजी के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त होता है, या किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित होते हुए देखने में जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुधाकर** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है । इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीमती गुड़िया (अभि. सा. 1) और नगमा (अभि. सा. 2) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है ।

37. यह विधि में सुस्थापित है कि केवल यह तथ्य कि मृतक के नातेदार ही एकमात्र साक्षी हैं, उनकी सुसंगत साक्ष्य को मिथ्या ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । **मोहम्मद रोजली** बनाम **असम राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने "हितबद्ध" और "नातेदार" साक्षियों के बीच अंतर को दोहराया है और यह माना है कि केवल इस तथ्य से कि साक्षी मृतक के नातेदार हैं, उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न नहीं उठता है यदि यह अन्यथा विश्वसनीय और ठोस है । रिपोर्ट का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है :–

> "13. इस तर्क के संबंध में कि सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के निकट नातेदार हैं, यह अब तक अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि एक नातेदार साक्षी को केवल पीड़ित का नातेदार होने

[1] (2018) 5 एस. सी. सी. 435 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 1372.

[2] (2019) 19 एस. सी. सी. 567 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 1128.

के आधार पर "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता है । इस न्यायालय ने अनेक मामलों में 'हितबद्ध' और 'नातेदार साक्षियों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी साक्षी को तभी हितबद्ध कहा जा सकता है जब वह किसी मुकदमे के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त करता हो, जिसका एक आपराधिक मामले के संदर्भ में अर्थ यह होगा कि पूर्व शत्रुता या अन्य कारणों से अभियुक्त को दंडित होते देखने में साक्षी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है और इस प्रकार अभियुक्त को मिथ्या फंसाने का उसका एक हेतु है । उदाहरण के लिए, देखें राजस्थान राज्य **बनाम** कल्कि, [(1981) 2 एस. सी. सी. 752 = ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1390]; अमित **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, [(2012) 4 एस. सी. सी. 107 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1433]; और गंगाभवानी **बनाम** रायपति वेंकट रेड्डी, [(2013) 15 एस. सी. सी. 298 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 3681] । हाल ही में, गणपति **बनाम** तमिलनाडु राज्य, [(2018) 5 एस. सी. सी. 549 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 1635] में इस अंतर को निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया, राजस्थान राज्य **बनाम** कल्कि (उपरोक्त) वाले मामले में में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को निर्दिष्ट करते हुए –

> 14. "नातेदार" का अर्थ "हितबद्ध" नहीं है । किसी साक्षी को "हितबद्ध" तभी कहा जा सकता है जब उसे मुकदमे के परिणाम से कुछ लाभ प्राप्त होता हो अर्थात् किसी सिविल मामले में डिक्री में या किसी अभियुक्त व्यक्ति को दंडित होते देखने में एक साक्षी जो नैसर्गिक है और किसी मामले की परिस्थितियों में एकमात्र संभावित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, उसे "हितबद्ध" नहीं कहा जा सकता...।"

14. आपराधिक मामलों में अक्सर ऐसा होता है कि अपराध का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पीड़ित का कोई निकट संबंधी होता है जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्वाभाविक होती है । ऐसे साक्षी के साक्ष्य को मात्र इस आधार पर यूं ही त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वह "हितबद्ध" साक्षी है । वास्तव में, इस न्यायालय द्वारा दांडिक

मामलों में हितबद्ध साक्षियों को लेकर जो नवीनतम मत व्यक्त किया गया है वह दलीप सिंह **बनाम** पंजाब राज्य, [1954] एस. सी. आर. 145 = ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 364. वाले मामले में किया गया है जो निम्न प्रकार है –

> "26. एक साक्षी को समान्यतः स्वतंत्र माना जाता है जब तक कि वह ऐसे स्रोतों से न आए जो संदिग्ध होने की संभावना रखते हैं और इसका अर्थ सामान्यतः यह होता है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता जैसा कोई कारण न हो, जिससे वह उसे मिथ्या फंसाना चाहे । सामान्यतः, एक निकट नातेदार असली अपराधी को छिपाने और एक निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या फंसाने वाला आखिरी व्यक्ति होता है..."

15. नातेदार साक्षी के मामले में, न्यायालय उसके साक्ष्य को स्वाभाविक रूप से दूषित नहीं मान सकता है, और उसे केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि साक्ष्य स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय, संभावित, तर्कसम्मत और सुसंगत है । हम जयबालन **बनाम** संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी, [(2010) 1 एस. सी. सी. 199 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 419] वाले मामले में इस न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं –

"23. हमारा यह विचार है कि ऐसे मामलों में जहां न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के लिए कहा जाता है, वहां ऐसे साक्षियों के साक्ष्य की सराहना करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं होना चाहिए । न्यायालय को हितबद्ध साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य की सराहना करने और उसे स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए किन्तु न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर संदेह नहीं करना चाहिए । न्यायालय का प्राथमिक प्रयास संगतता की तलाश करना होना चाहिए । किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल इसलिए अनदेखा या खारिज नहीं किया जा सकता कि वह पीड़ित के निकट नातेदार के मुख से आया है ।"

38. इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोषसिद्ध/अपीलार्थी यूनुस, जो वर्तमान मामले में संलिप्त था और जिसने तीन व्यक्तियों अर्थात् इत्तिलाकर्ता श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा.1) के पति, अप्राप्तवय बेटे और पुत्री की हत्या की है और श्रीमती गुड़िया **उर्फ** गुड्डी (अभि. सा. 1) और कुमारी नगमा (अभि. सा. 2) को भी क्षतियां पहुंचाई हैं । अभियोजन पक्ष ने दोषसिद्ध/अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे अपना मामला साबित कर दिया है और विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण साक्ष्य की जांच करने के पश्चात् दोषसिद्ध/अपीलार्थी को उचित रूप से दोषसिद्ध ठहराया है और उसे संबंधित अपराध के लिए दंडादिष्ट किया है ।

39. उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए तथा ऊपर वर्णित कारणों से, इस अपील में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 1 फरवरी, 2005 के विवादित निर्णय तथा आदेश द्वारा अपीलार्थी को ठीक ही दोषसिद्ध किया है ।

40. वर्तमान अपील असफल होती है और खारिज किए जाने योग्य है और तद्नुसार खारिज की जाती है । अपीलार्थी यूनुस, जो जेल में है, विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश भोगेगा ।

41. इस आदेश की प्रमाणित प्रति तथा निचले न्यायालय के अभिलेख को आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित किया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

मधुसूदन नायक

बनाम

ओडिशा राज्य

[2016 की दांडिक (जेल) अपील सं. 74]

तारीख 15 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति एस. के. साहू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन – दोषसिद्ध/अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग किया जाना – पीड़िता के साक्ष्य की संपुष्टि के लिए अन्य किसी साक्षी का न होना – चिकित्सीय साक्ष्य से मैथुन की संपुष्टि – कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं के साथ बलात्संग किए जाने का मिथ्या आरोप लगाकर अपना शील दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए आमतौर पर उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की तलाश करना अनावश्यक और अनुचित है और लैंगिक अपराध की पीड़िता किसी और को नहीं बल्कि वास्तविक अपराधी को ही दोषी ठहराएगी, साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य से पीड़िता के साक्ष्य की पुष्टि होती है, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376 और 53 [सपठित कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 35] – बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित कारावास की पूर्ण अवधि का भोगा जाना – अपीलार्थी को जब से अभिरक्षा में लिया गया था तब से उसे न तो विचारण के दौरान और न ही इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया गया है, इसलिए वह न केवल विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश भुगत चुका है बल्कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए भी कारावास भुगत चुका है, अतः अपीलार्थी को तुरंत निर्मुक्त किया जाना न्यायोचित है ।

इस मामले में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 12 जुलाई, 2012 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे पीड़िता संबलपुर जिले के गोविंदपुर पुलिस थाना के अधीन अपने ग्राम जुरापाली, गरपोश के समीप एक नाले के पास शौच के लिए गई थी और उसके शौच करने के दौरान अपीलार्थी मधुसूदन नायक उसके पीछे से आया, उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया । पीड़िता का शोरगुल सुनकर उसका भाई मनोहर नायक और पास में मवेशी चरा रहे अन्य लोग पीड़िता को बचाने के लिए वहां आए और उन्हें देखकर अपीलार्थी मौके से फ़रार हो गया । उसी दिन पीड़िता ने गरपोश पुलिस-चौकी के सहायक उप निरीक्षक के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और पीड़िता के निर्देशानुसार इसका मसौदा तैयार किया गया और रिपोर्ट गोविंदपुर पुलिस थाने को भेज दी गई और तद्नुसार गोविंदपुर पुलिस थाने में अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सं. 49 तारीख 12 जुलाई, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दर्ज किया गया । अपीलार्थी का भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 37 में अपर सेशन न्यायाधीश, कुचिंडा के न्यायालय में विचारण किया गया और उसे तारीख 9 अक्तूबर, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार आरोपित अपराध का दोषी पाया गया और सात वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – पीड़िता की परीक्षा के रूप में कराई गई है और उसने यह कथन किया है कि घटना वाले दिन अपराह्न लगभग 2 बजे जब वह शौच के लिए नाले के पास गई और जब वहां बैठी थी, तभी अपीलार्थी वहां आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर लिटा दिया और जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया । उसकी गर्दन के सामने, दाहिने हाथ और कमर पर क्षतियां आईं । उसने इसके आगे यह कथन किया कि उसका भाई घटनास्थल के पास ही मवेशी चरा रहा था और पीड़िता का शोर सुनकर

वह घटनास्थल पर आया और विरोध किया किन्तु अपीलार्थी ने पीड़िता को नहीं छोड़ा, इसके पश्चात् पीड़िता को अपीलार्थी से पृथक् किया और उसे उसके ग्राम के गौंटिया, अर्थात् बृंदाबन नायक के घर ले गया । पीड़िता ने इसके आगे यह कथन किया कि वह उसके साथ गरपोश चौकी गई जहां उसके निर्देशानुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया और तद्नुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस चौकी में प्रस्तुत की गई । पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल ने पुलिस के समक्ष दिया गया पीड़िता का उसका पूर्वोक्त बयान रखा तथा अन्वेषण अधिकारी के माध्यम से यह साबित हुआ है कि उसने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ऐसा कथन नहीं किया था कि अपीलार्थी ने उसकी गर्दन दबाई थी और यह कि उसके छोटे भाई ने उसे अपीलार्थी से पृथक् किया था और यह कि उसे उसके ग्राम के गौंटिया, अर्थात् बृंदाबन नायक के घर ले जाया गया था और उसकी गर्दन, कमर और हाथ पर क्षतियां आई थीं । ऐसे विरोधाभासों के आधार पर पीड़िता के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, यदि वह स्वाभाविक और विश्वसनीय पाया जाता है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा उसकी अभिपुष्टि हो जाती है । यहां तक कि लैंगिक अपराध के मामले में भी अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । बलात्संग के आरोप में अभियुक्त पर विचारण चलाते समय न्यायालय को मामले की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मामले का निपटारा करना चाहिए और न्यायालय को पीड़िता के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय मामूली विरोधाभासों और विसंगतियों, जोकि सारभूत प्रकृति की नहीं हैं, से प्रभावित नहीं होना चाहिए । लैंगिक हमले की पीड़िता का साक्ष्य एक आहत साक्षी के साक्ष्य के समतुल्य है । वह इस मायने में सबसे अच्छी साक्षी इसलिए है कि इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि वह वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करना चाहे । लैंगिक अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे संपुष्टि का अभाव क्यों न हो । यौन अपराधों में सदैव पीड़िता के साक्ष्य

की अभिपुष्टि की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि अपराध की प्रकृति ही ऐसी होती है । कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं के साथ बलात्संग किए जाने का मिथ्या आरोप लगाकर अपना शील दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए आमतौर पर उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की तलाश करना अनावश्यक और अनुचित है । लैंगिक अपराध की पीड़िता किसी और को नहीं बल्कि वास्तविक अपराधी को ही दोषी ठहराएगी । पीड़िता के साक्ष्य की अभिपुष्टि उसके छोटे भाई के साक्ष्य से होती है । निःसंदेह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कश्मीर कुलु और किशोर कुलु नामक दो अन्य व्यक्ति अभि. सा. 2 के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन दो साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, किन्तु जब पीड़िता के साक्ष्य की संपुष्टि के साक्ष्य से हो रही है, तो ऐसे साक्ष्य को मात्र इसलिए खारिज करना उचित नहीं होगा और अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । चिकित्सक ने तारीख 13 जुलाई, 2012 को पीड़िता की जांच की और यह कथन किया कि गर्दन के सामने की तरफ जलग्रंथि उपास्थि के दोनों तरफ और बाएं हाथ के अग्रभाग के पिछले भाग में बाएं कलाई के जोड़ से 6 इंच की दूरी पर अर्धचंद्राकार नाखून के चिह्न पाए गए हैं । उसने अपीलार्थी की भी चिकित्सा जांच की और यह पाया कि उसकी बाईं जांघ पर नाखून के चिह्न विद्यमान हैं और उसके शिश्नमुंड में शिश्नमल नहीं था । इस प्रकार पीड़िता और उसके भाई के साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सक के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के विचार में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप सिद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त हैं । उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन पारित दंडादेश और आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या कमी दिखाई नहीं देती है । अभियोग की प्रकृति और गंभीरता तथा पीड़िता पर अपराध के तरीके को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित किए गए दंड को किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक नहीं कहा जा सकता । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित

निर्णय और दंडादेश को कायम रखा जाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस मामले के संबंध में तारीख 13 जुलाई, 2012 से अभिरक्षा में लिया गया था और उसे उसी दिन न्यायालय में भेज दिया गया था और उसे न तो विचारण के दौरान और न ही इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया गया है । इसलिए वह न केवल विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश भुगत चुका है बल्कि जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए भी कारावास भुगत चुका है । इसलिए, अपीलार्थी को इस मामले में, यदि इस दौरान भी अभिरक्षा से निर्मुक्त नहीं किया गया है और किसी अन्य मामले में उसे निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता भी नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए। (पैरा 8 और 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2016 की दांडिक (जेल) अपील सं. 74.

2012 के सेशन विचारण मामला सं. 37 में अपर सेशन न्यायाधीश, कुचिंडा के तारीख 9 अक्तूबर, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री सविता तिवारी

प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से श्री आशीष तिवारी (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति एस. के. साहू – अपीलार्थी मधुसूदन नायक का भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 37 में अपर सेशन न्यायाधीश, कुचिंडा के न्यायालय में विचारण किया गया और उसे तारीख 9 अक्तूबर, 2015 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के अनुसार आरोपित अपराध का दोषी पाया गया और सात वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

2. संक्षेप में, अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 12 जुलाई, 2012 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे पीड़िता (अभि. सा. 1) संबलपुर जिले के गोविंदपुर पुलिस थाना के अधीन अपने ग्राम जुरापाली,

गरपोश के समीप एक नाले के पास शौच के लिए गई थी और उसके शौच करने के दौरान अपीलार्थी उसके पीछे से आया, उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया । पीड़िता का शोरगुल सुनकर उसका भाई मनोहर नायक (अभि. सा. 2) और पास में मवेशी चरा रहे अन्य लोग पीड़िता को बचाने के लिए वहां आए और उन्हें देखकर अपीलार्थी मौके से फ़रार हो गया ।

उसी दिन पीड़िता ने गरपोश पुलिस-चौकी के सहायक उप निरीक्षक के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई और पीड़िता के निर्देशानुसार अभि. सा. 2 द्वारा इसका मसौदा तैयार किया गया और रिपोर्ट गोविंदपुर पुलिस थाने को भेज दी गई और तद्नुसार गोविंदपुर पुलिस थाने में अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सं. 49 तारीख 12 जुलाई, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दर्ज किया गया ।

3. गोविंदपुर थाने के भारसाधक पुलिस निरीक्षक केशव चंद्र बेहरा (अभि. सा. 13) ने मामला रजिस्ट्रीकृत होने के पश्चात् मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया । अन्वेषण के दौरान उन्होंने पीड़िता और अन्य साक्षियों की परीक्षा कराई । तारीख 13 जुलाई, 2012 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और अपीलार्थी के साथ-साथ पीड़िता (अभि. सा. 1) की चिकित्सीय जांच किए जाने के लिए अध्यपेक्षा भेजी । उन्होंने अपीलार्थी के पहने हुए वस्त्रों को भी अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 4) के अधीन अभिगृहीत कर लिया और उसे न्यायालय भेज दिया । उन्होंने चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए पीड़िता के योनिक लेप और गुप्तांग के बालों को भी अभिगृहीत कर लिया । उन्होंने अपीलार्थी के रक्त के नमूने, अपीलार्थी के गुप्तांग के बाल, उसके नाखून की कतरन, अपीलार्थी के वीर्य आदि को भी अभिगृहीत कर लिया, जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसकी चिकित्सा जांच के दौरान एकत्र किए गए थे । उसी दिन, उन्होंने गोविंदपुर पुलिस थाना में पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए वस्त्र अर्थात् सिंथेटिक साड़ी, एक मैरून रंग का पेटी कोट और एक नारंगी रंग का ब्लाउज आदि जो उसने घटना के समय पहने हुए थे, को भी अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 2) के अनुसार अभिगृहीत कर लिया । उन्होंने घटनास्थल का दौरा भी किया और घटनास्थल का स्थल-नक्शा (प्रदर्श 10) तैयार किया तथा प्रदर्शों के रसायनिक जांच हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान

प्रयोगशाला, संबलपुर भेजने के लिए विद्वान् एस.डी.जे.एम. (उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट) कुचिंडा के समक्ष आवेदन किया और अन्वेषण पूर्ण होने पर अन्वेषण अधिकारी द्वारा तारीख 17 अगस्त, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फ़ाइल किया गया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए तेरह साक्षियों की परीक्षा कराई जिनमें से सुसंगत साक्षी इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) है जो पीड़िता भी है तथा मनोहर नायक (अभि. सा. 2) है जो पीड़िता का छोटा भाई है और यही साक्षी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का लेखक है । हरि शंकर देहुरी (अभि. सा. 12) चिकित्सक हैं जिन्होंने अपीलार्थी और पीड़िता दोनों की चिकित्सा जांच की है और केशव चंद्र बेहरा (अभि. सा. 13) अन्वेषण अधिकारी है ।

अभियोजन पक्ष ने ग्यारह दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं । प्रदर्श-1 लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है तथा प्रदर्श-2 पीड़िता के वस्त्रों की अभिग्रहण सूची है । इसी प्रकार प्रदर्श 3, कच्चा नक्शा है तथा प्रदर्श 4 और 5, अभिग्रहण सूची हैं । प्रदर्श 6, अभि. सा. 12 की रक्त-ग्रुप के संबंध में रिपोर्ट है एवं प्रदर्श 7, अभि. सा. 12 की राय है । प्रदर्श 8, पीड़िता की तथा प्रदर्श 9, अपीलार्थी की चिकित्सा अध्यपेक्षा है, इसी प्रकार प्रदर्श 10 स्थल-नक्शा है और प्रदर्श 11 तात्विक वस्तु और सी.ई. (रासायनिक परीक्षण) पर अग्रेषण रिपोर्ट है । अभियोजन पक्ष ने सात तात्विक वस्तुएं भी साबित की हैं । तात्विक वस्तु-I सिंथेटिक साड़ी है तथा तात्विक वस्तु-II पेटीकोट है । इसी प्रकार तात्विक वस्तु-III ब्लाउज है तथा तात्विक वस्तु-IV, चड्डी है । तात्विक वस्तु-V, योनिक लेप वाली शीशी है और तात्विक वस्तु-VI, रक्त के नमूने वाली शीशी है, इसी प्रकार तात्विक वस्तु-VII, वह शीशी है जिसमें वीर्य रखा गया है ।

5. अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा के लिए उस पर लगाए गए आरोपों से केवल इनकार किया है और यह कथन किया गया है कि उसे पूर्व में शत्रुता के कारण इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने, अभि. सा. 1 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए, जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 2 के साक्ष्य और अभि.

सा. 12 के चिकित्सीय साक्ष्य से होती है, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध का दोषी पाया ।

7. चूंकि मामले की सुनवाई के समय "विधिक सहायता विभाग" द्वारा नियुक्त विद्वान् काउंसेल श्री प्रियब्रत सिन्हा उपस्थित नहीं थे, इसलिए श्री अजीत कुमार साहू, अधिवक्ता, जिन्हें दांडिक मामले में बीस वर्षों का अनुभव है, को न्यायमित्र नियुक्त किया गया । उन्हें दस्तावेज पुस्तिका उपलब्ध कराई गई तथा मामला तैयार करने के लिए समय दिया गया । उन्होंने साक्षियों के साक्ष्य तथा आक्षेपित निर्णय भी प्रस्तुत किया । आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश पर आपत्ति करते हुए, उन्होंने अभिवाक् किया कि पीड़िता का साक्ष्य विरोधाभासों से पूर्ण है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् कश्मीर कुलु (अभि. सा. 4) और किशोर कुलु (अभि. सा. 5) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसलिए पीड़िता के साक्ष्य को स्वीकार करना और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराना उचित नहीं होगा ।

दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर सरकारी अधिवक्ता श्री सिबानी संकर प्रधान ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, साक्षियों के साक्ष्य तथा आक्षेपित निर्णय को प्रस्तुत किया तथा यह अभिवाक् किया कि पीड़िता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य की पुष्टि तथा अभि. सा. 12 द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि किसी और से नहीं बल्कि अभि. सा. 2 से हो रही है जो उसका भाई है । उन्होंने यह तर्क दिया कि भले ही स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है किन्तु यह अभियोक्त्री के वृत्तांत पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता और चूंकि आक्षेपित निर्णय में कोई कमी नहीं है, इसलिए अपील को खारिज किया जाना चाहिए ।

8. पीड़िता की परीक्षा अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है और उसने यह कथन किया है कि घटना वाले दिन अपराह्न लगभग 2 बजे जब वह शौच के लिए नाले के पास गई और जब वहां बैठी थी, तभी अपीलार्थी वहां आया और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर लिटा दिया और जब वह मदद के लिए चिल्लाई तो अपीलार्थी ने उसके साथ

बलात्संग किया । उसकी गर्दन के सामने, दाहिने हाथ और कमर पर क्षतियां आईं । उसने इसके आगे यह कथन किया कि उसका भाई (अभि. सा. 2) घटनास्थल के पास ही मवेशी चरा रहा था और पीड़िता का शोर सुनकर वह घटनास्थल पर आया और विरोध किया किन्तु अपीलार्थी ने पीड़िता को नहीं छोड़ा, इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने पीड़िता को अपीलार्थी से पृथक् किया और उसे उसके ग्राम के गौंटिया, अर्थात् बृंदाबन नायक के घर ले गया । पीड़िता ने इसके आगे यह कथन किया कि वह अभि. सा. 2 के साथ गरपोश चौकी गई जहां अभि. सा. 2 ने उसके निर्देशानुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया और तद्नुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस चौकी में प्रस्तुत की गई । पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल ने पुलिस के समक्ष दिया गया पीड़िता का उसका पूर्वोक्त बयान रखा तथा अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) के माध्यम से यह साबित हुआ है कि उसने अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ऐसा कथन नहीं किया था कि अपीलार्थी ने उसकी गर्दन दबाई थी और यह कि उसके छोटे भाई (अभि. सा. 2) ने उसे अपीलार्थी से पृथक् किया था और यह कि उसे उसके ग्राम के गौंटिया, अर्थात् बृंदाबन नायक के घर ले जाया गया था और उसकी गर्दन, कमर और हाथ पर क्षतियां आई थीं । मेरी विनती है कि ऐसे विरोधाभासों के आधार पर पीड़िता के साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है ।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बलात्संग का अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त को अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, यदि वह स्वाभाविक और विश्वसनीय पाया जाता है और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अभिपुष्टि की जाती है । यहां तक कि लैंगिक अपराध के मामले में भी अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है । बलात्संग के आरोप में अभियुक्त पर विचारण चलाते समय न्यायालय को मामले की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत संवेदनशीलता के साथ मामले का निपटारा करना चाहिए और न्यायालय को पीड़िता के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय मामूली विरोधाभासों और विसंगतियों, जो कि सारभूत प्रकृति की नहीं हैं, से प्रभावित नहीं होना चाहिए । लैंगिक हमले की पीड़िता का साक्ष्य एक

आहत साक्षी के साक्ष्य के समतुल्य है । वह इस मायने में सबसे अच्छी साक्षी इसलिए है कि इस बात की संभावना बहुत कम होगी कि वह वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करना चाहे । लैंगिक अपराध की पीड़िता के साक्ष्य को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे संपुष्टि का अभाव क्यों न हो । यौन अपराधों में सदैव पीड़िता के साक्ष्य की अभिपुष्टि की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि अपराध की प्रकृति ही ऐसी होती है । कोई भी स्वाभिमानी महिला स्वयं के साथ बलात्संग किए जाने का मिथ्या आरोप लगाकर अपना शील दांव पर नहीं लगाएगी और इसलिए आमतौर पर उसके परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि की तलाश करना अनावश्यक और अनुचित है । लैंगिक अपराध की पीड़िता किसी और को नहीं बल्कि वास्तविक अपराधी को ही दोषी ठहराएगी । पीड़िता के साक्ष्य की अभिपुष्टि उसके छोटे भाई (अभि. सा. 2) के साक्ष्य से होती है, जिसने कथन किया है कि जब वह मवेशी चरा रहा था, तो अभि. सा.1 का शोरगुल सुनकर वह घटनास्थल पर आया था और उसने देखा कि अपीलार्थी नाले के अंदर पीड़िता के साथ बलात्संग कर रहा है । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 उसे बचाने आया किन्तु अपीलार्थी ने पीड़िता को नहीं छोड़ा तब अभि. सा. 2 ने पीड़िता का हाथ पकड़कर उसे अलग किया और जब उसने घटना के बारे में पूछा, तो पीड़िता ने उसे बताया कि कैसे अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया । अभि. सा. 2 ने इसके आगे यह कथन किया है कि वह अभि. सा. 1 के साथ गौंटिया ग्राम के ब्रुन्दाबन नायक के घर गया था और अभि. सा. 1 के निर्देशानुसार उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया था । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 1 या अभि. सा. 2 ने ऐसा कुछ भी प्रकट नहीं किया जिससे उनका साक्ष्य खारिज हो जाए ।

नि:संदेह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कश्मीर कुलु (अभि. सा. 4) और किशोर कुलु (अभि. सा. 5) नामक दो अन्य व्यक्ति अभि. सा. 2 के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन दो साक्षियों ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, किन्तु जब पीड़िता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य की संपुष्टि अभि. सा. 2 के साक्ष्य से हो रही है, तो ऐसे साक्ष्य को मात्र इसलिए खारिज करना उचित नहीं

होगा कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

चिकित्सक (अभि. सा. 12) ने तारीख 13 जुलाई, 2012 को पीड़िता की जांच की और यह कथन किया कि गर्दन के सामने की तरफ जलग्रंथि उपास्थि के दोनों तरफ और बाएं हाथ के अग्रभाग के पिछले भाग में बाएं कलाई के जोड़ से 6 इंच की दूरी पर अर्धचंद्राकार नाखून के चिह्न पाए गए हैं । चिकित्सक ने पीड़िता के बृहत भगोस्ठ पर शिश्नमल पाया । पीड़िता का रक्त ग्रुप 'बी' पॉजिटिव पाया गया और उसकी रिपोर्ट को प्रदर्श 6 के रूप में चिह्नित किया गया है । अभि. सा. 12 ने अपीलार्थी की भी चिकित्सा जांच की और यह पाया कि उसकी बाईं जांघ पर नाखून के चिह्न विद्यमान हैं और उसके शिश्नमुंड में शिश्नमल नहीं था । इस प्रकार पीड़िता (अभि. सा. 1) और उसके भाई (अभि. सा. 2) के साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सक के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे विनम्र विचार में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप सिद्ध किए जाने के लिए पर्याप्त हैं । उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अपीलार्थी के विरुद्ध विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन पारित दंडादेश और आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता या कमी दिखाई नहीं देती है । अभियोग की प्रकृति और गंभीरता तथा पीड़िता पर अपराध के तरीके को ध्यान में रखते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी पर आरोपित किए गए दंड को किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक नहीं कहा जा सकता । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को कायम रखा जाता है ।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस मामले के संबंध में तारीख 13 जुलाई, 2012 से अभिरक्षा में लिया गया था और उसे उसी दिन न्यायालय में भेज दिया गया था और उसे न तो विचारण के दौरान और न ही इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर निर्मुक्त किया गया है । इसलिए वह न केवल विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित मुख्य दंडादेश भुगत चुका है बल्कि

जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने के लिए भी कारावास भुगत चुका है । इसलिए, अपीलार्थी को इस मामले में, यदि इस दौरान भी अभिरक्षा से निर्मुक्त नहीं किया गया है और किसी अन्य मामले में उसे निरुद्ध किए जाने की आवश्यकता भी नहीं है तो उसे तुरंत निर्मुक्त कर दिया जाए ।

10. ओडिशा पीड़ित प्रतिकार योजना, 2017 के अधिनियमन तथा किए गए अपराध की प्रकृति और गुरुता तथा पीड़िता की पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, मैं पीड़िता के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबलपुर से सिफारिश करना आवश्यक समझता हूं, ताकि पीड़िता के मामले की जांच विधि के अनुसरण में किए जाने के पश्चात् प्रतिकार प्रदान किया जा सके । निर्णय की एक प्रति अनुपालन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबलपुर को भेजी जाए ।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख तत्काल विद्वान् निचले न्यायालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाए ।

तद्नुसार दांडिक (जेल) अपील खारिज की जाती है ।

इस मामले के निपटारे से निवृत्त होने से पूर्व मैं विद्वान् न्यायमित्र श्री अजीत कुमार साहू को अपनी बहुमूल्य सहायता प्रदान करने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने उपर्युक्त निर्णय तक पहुंचने में सहायता की है । विद्वान् न्यायमित्र अपना व्यावसायिक शुल्क पाने के हकदार होंगे जिसके लिए 5,000/- रुपए (पांच हज़ार रुपए मात्र) निर्धारित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

तरुण साह

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य और एक अन्य

(2022 का अग्रिम जमानत आवेदन सं. 129)

तारीख 22 जुलाई, 2022

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 438 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 और 506] – बलात्संग – अग्रिम जमानत के लिए आवेदन – अभियुक्त द्वारा पीड़िता को धमकी के साथ उसका भयदोहन किया जाना – पुलिस का पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार – आवेदक के विरुद्ध धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं कि उसकी सास ने राजनीतिक दल की सदस्य होने के नाते जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया है, दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है, पीड़िता को थाने में बैठा कर रखा गया और उस पर समझौता करने और अपनी रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है ।

इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जब पीड़िता का पति अस्वस्थ था, आवेदक ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे । तत्पश्चात्, आवेदक ने पीड़िता का कई बार शोषण किया । उसने पीड़िता को धमकाया । पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म दिए जाने के पश्चात् भी आवेदक ने उसे पुनः प्रताड़ित करने का प्रयास किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था आवेदक के पास एक पिस्तौल भी है । उसने पीड़िता का कुछ समय पहले से भयादोहन करना शुरू कर दिया था । उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी । तारीख 26 अप्रैल, 2022 को इस घटना के सम्बन्ध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इसके उपरांत अपनी गिरफ्तारी के भय से आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया । आवेदन खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम जमानत बहुत व्यापक संरक्षण है । निःसंदेह, गिरफ्तारी के अंतर्गत स्वतंत्रता के हनन के अतिरिक्त कई अन्य दुविधाएं भी आ जाती हैं जैसे कि आजादी कटौती, जिससे सामान्यतः गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पीड़ा, अपमान, बदनामी आदि का सामना करना पड़ता है । व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए । लेकिन, फिर, किसी भी अपराध की निष्पक्ष और उचित तरीके से जांच की जानी चाहिए, किसी भी बल से अप्रभावित, अपराध की गंभीरता और आरोपी की सटीक भूमिका के अतिरिक्त, सबूतों, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका भी महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए । तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान पीड़िता उपस्थित हुई और प्रति-शपथपत्र फाइल किया । उसने अपने प्रति-शपथपत्र में यह कथन किया है कि वास्तव में, उसे धमकाया गया था और आवेदक ने बार-बार ऐसा किया था । उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई थी । जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की । दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष, पुलिस थाना मुखानी ने उससे यौन संबंध बनाने और 5,00,000/- रुपए देने की मांग की । पीड़िता ने इस बातचीत को रिकार्ड कर लिया और मामले की सूचना पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तराखंड को दी । जब न्यायालय ने विद्वान् राज्य काउंसेल से जानना चाहा कि मामले में क्या हुआ है, तो न्यायालय को सूचित किया गया कि वास्तव में संबंधित थानाध्यक्ष को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और प्रारंभिक जांच के बाद उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें यह पाया गया कि तारीख 24 अप्रैल, 2022 को रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की । अपने प्रति-शपथपत्र में पीड़िता ने कोटिबद्ध रूप से कथन किया है कि उसके पति गुर्दे (वृक्क) के रोग से पीड़ित थे । वह डायलिसिस पर थे । उस दौरान तारीख 9 अप्रैल, 2018 को प्रथम बार आवेदक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके बाद लगातार उसे डरा धमका कर भयदोहन कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई

क्योंकि वह बीमार था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी । उसने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसके बाद फिर से पीड़िता के अनुसार उसे परेशान किया गया, भयदोहन किया गया । अपने प्रति-शपथपत्र के पैरा 10 में पीड़िता ने यह कथन किया है कि वास्तव में, जब भयदोहन उसकी क्षमता से बाहर हो गया तो उसने ये सारी बातें आवेदक की पत्नी को बताई । इसके बाद उसे और धमकाया गया । पीड़िता के अनुसार तारीख 20 अप्रैल, 2022 को आवेदक ने पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाते हुए उसका पीछा किया । तारीख 23 अप्रैल, 2022 को पीड़िता के अनुसार आवेदक व उसकी पत्नी तथा हेमंत कुमार नामक व्यक्ति पीड़िता के घर आए, खूब शोर मचाया, पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी तथा जाते समय पीड़िता के घर का गेट व लोहे की बाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया । यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई । जिसकी रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज सहित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई । यह वही रिपोर्ट है जो पीड़िता के अनुसार दर्ज नहीं की गई । उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक के विरुद्ध धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं । यह आरोप है कि उसकी सास ने राजनीतिक दल की सदस्य होने के नाते जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया । उन्होंने पूरे दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी । पीड़िता को थाने में बैठाया गया । उस पर समझौता करने और अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया गया । आवेदक के विरुद्ध लगाए गए ये सभी आरोप उसे अग्रिम जमानत देने से वंचित करते हैं । (पैरा 11, 13, 14, 15, 16 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 886 : **अंसार मौहम्मद** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य** ;	6,7
[2020]	2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 98 : **सुशीला अग्रवाल** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)** ;	12

[2011]	(2011) एस. सी. सी. 694 : **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य** ;	12
[1980]	(1980) 2 एस. सी. सी. 565 : **गुरूबक्श सिंह सिब्बियां और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य ।**	11

मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2022 का अग्रिम जमानत आवेदन सं. 129.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन ।

आवेदक की ओर से	सर्वश्री एम.एस.पाल वरिष्ठ अधिवक्ता और ललित मिगलानी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से	श्री ललित मिगलानी, सहायक सरकारी अधिवक्ता और सुश्री सोनिका खुबले
पीड़ित की ओर से	श्री सी.के. शर्मा, अधिवक्ता

न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैथानी – प्रस्तुत मामले में आवेदक तरुण साह ने पुलिस थाना मुखानी, जिला नैनीताल में धारा 376 और 506 के अधीन रजिस्ट्रीकृत 2022 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 105 में अग्रिम जमानत की ईप्सा की है ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना गया है और अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजों का परिशीलन किया गया है ।

3. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जब पीड़िता का पति अस्वस्थ था, आवेदक ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाए थे । तत्पश्चात्, आवेदक ने पीड़िता का कई बार शोषण किया । उसने पीड़िता को धमकाया । पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म दिए जाने के पश्चात् भी आवेदक ने उसे पुनः प्रताड़ित करने का प्रयास किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था आवेदक के पास एक पिस्तौल भी है । उसने पीड़िता का कुछ समय पहले से

भयदोहन करना शुरू कर दिया था । उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी । तारीख 26 अप्रैल, 2022 को इस घटना के सम्बन्ध में प्रथम इत्तिला दर्ज की गई ।

4. तत्काल, अग्रिम जमानत आवेदक को पहली बाद तारीख 29 जून, 2022 को सुना गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो अग्रिम जमानत आवेदन में उपाबंध-1 है, में पीड़िता का जन्म वर्ष 1986 अभिलिखित है । परंतु यह प्रतीत होता है कि यह गलत है क्योंकि स्वयं पीड़िता ने प्रति-शपथपत्र फाइल किया है जिसमें उसने अपनी उम्र 26 वर्ष बताई है । तारीख 29 जून, 2022 को इस न्यायालय ने अंतरिम आदेश भी पारित किया ।

5. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि उक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थानाध्यक्ष मुखानी, दीपक बिष्ट के साथ षड्यंत्र कर सोच-समझकर एवं तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद दर्ज कराई गई । विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा निम्नलिखित दलीलें दी गईं :–

(i) तारीख 24 अप्रैल, 2022 को पीड़िता ने थानाध्यक्ष मुखानी को इत्तिला दी थी परंतु उस इत्तिला में बलात्संग का कोई आरोप नहीं था ।

(ii) यदि आवेदक द्वारा पीड़िता के साथ वर्ष 2018 में बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किए गए थे तो पीड़िता ने यह बात अपने पति को क्यों नहीं बताई थी ?

(iii) तारीख 24 अप्रैल, 2022 को दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष मुखानी द्वारा आवेदक को टेलीफोन कर के सूचित किया गया कि उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज है । उनके मध्य हुई बातचीत का संवाद न्यायालय के संदर्भ हेतु तारीख 21 जुलाई, 2022 को प्रतिपूरक शपथपत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा फाइल गया ।

(iv) पीड़िता द्वारा स्वयं भी अपने और थानाध्यक्ष मुखानी दीपक बिष्ट के मध्य हुए बातचीत का संवाद प्रस्तुत किया गया

जिससे यह दर्शित होता है कि वास्तव में यह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक षड्यंत्र के अधीन दर्ज की गई थी । न्यायालय के संदर्भ हेतु उक्त बातचीत का संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें दीपक बिष्ट पीड़िता से आवेदक को गिरफ्तार करने हेतु पीड़िता से शारीरिक सम्बन्ध बनाने की बात कह रहा था ।

(v) आवेदक, पीड़िता के बच्चे का डी.एन.ए. जांच कराने को भी तैयार है । यह दलील दी गई है कि वस्तुत: बच्चे का भविष्य भी दाव पर है ।

(vi) आवेदक ने स्वयं पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र लिखकर प्रस्तुत मामले का अन्वेषण करके सत्यता लाने हेतु सी.बी.सी.आई.डी. को मामला स्थानांतरित करने को कहा गया है ।

(vii) जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो आवेदक द्वारा न्यायालय से सुरक्षा मांगी गई और उसके बाद अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र फाइल किया गया ।

6. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल द्वारा **अंसार मौहम्मद** बनाम **राजस्थान राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में अधिकथित विधिक सिद्धांत का अवलंब लिया है ।

7. **अंसार मौहम्मद** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया कि पीड़िता आवेदक के साथ रह रही थी । परन्तु जब उनके संबंधों में अनबन होने लगी तो पीड़िता द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । उस मामले में जमानत मंजूर की गई थी ।

8. इसके विपरीत, दूसरी ओर राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् कांउसेल द्वारा यह दलील यह दी गई है कि आवेदक की गिरफ्तारी आवश्यक है, क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसकी पिस्तौल को भी अभिरक्षा में लिया जाना है ।

---

[1] 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 886.

9. पीड़िता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 एवं धारा 164 के अधीन अपने कथन अभिलिखित कराए हैं, उसने आवेदक द्वारा कारित अपराध के बारे में कथन किया है ।

10. जमानत अपने आप में दो परस्पर विरोधी अधिकारों अर्थात् व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एवं सामाजिक हित को संतुलित करती है । वास्तव में, अग्रिम जमानत किसी सीमा तक अन्वेषण के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है । यह सुस्थिर विधि है कि संज्ञेय मामलों में भी गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है । गिरफ्तार करने की शक्ति एक अलग बात है और गिरफ्तारी की आवश्यकता कुछ अलग महत्व रखती है । विधि का सिद्धांत, इस संबंध में, काफी सुस्थिर है कि संज्ञेय मामलों में भी गिरफ्तार करने से पहले अन्वेषण अधिकारी "आई.ओ." को यह अभिलिखित करना होगा कि अभियुक्त मामले में अंतर्वलित है और यह कि उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है ।

11. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम जमानत बहुत व्यापक संरक्षण है । निःसंदेह, गिरफ्तारी के अंतर्गत स्वतंत्रता के हनन के अतिरिक्त कई अन्य दुविधाएं भी आ जाती हैं जैसे कि आजादी कटौती, जिससे सामान्यतः गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पीड़ा, अपमान, बदनामी आदि का सामना करना पड़ता है । जैसा कि **गुरुबक्श सिंह सिब्बियां और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत पुलिस अभिरक्षा के विरुद्ध बीमा है । **गुरुबक्श सिंह सिब्बियां** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्याययल ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि "अग्रिम जमानत का आदेश गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध एवं पुलिस अभिरक्षा के विरुद्ध बीमा है । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी के बाद जो जमानत आदेश किया जाता है उससे भिन्न यह एक ऐसा आदेश है जो गिरफ्तारी से पूर्व की उस विधिक प्रक्रिया से जुड़ा है जो यह निदेश देती है कि यदि कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में यह आदेश जारी किया गया है, तत्पश्चात् उसे यदि उस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो जमानत पर छोड़ा जाएगा ।"

---

[1] (1980) 2 एस. सी. सी. 565.

12. अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय जिन कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ने कई निर्णयों में अधिकथित किया है । **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन कारकों की एक सूची दी है, जिसे अग्रिम जमानत आवेदन का निपटारा करते समय ध्यान में रखना चाहिए । वस्तुतः, इसमें **सुशीला अग्रवाल** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली)**[2] वाले मामले के निर्णय को निर्दिष्ट किया गया है । इस निर्णय के पैरा 112 में **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे** (उपरोक्त) वाले निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार मत व्यक्त किया है :–

"112. निम्नलिखित कारकों एवं मानकों को अग्रिम जमानत को ध्यान में रखते हुए विचार में लिया जा सकता है –

(i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता एवं गिरफ्तारी से पहले मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को गहनतापूर्वक समझना चाहिए ;

(ii) आवेदक का पूर्व आचरण अर्थात् क्या अभियुक्त किसी संज्ञेय अपराध में न्यायालय द्वारा पहले कभी दोषसिद्धि होने पर कारावास में रहा है ;

(iii) आवेदक की न्याय से भागने की संभावना ;

(iv) अभियुक्त द्वारा समान या अन्य अपराधों के दोहराने की संभावना ;

(v) जहां आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाया गया हो ;

(vi) अग्रिम जमानत की मंजूरी का प्रभाव, विशेषकर उन मामलों में जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं;

(vii) न्यायालयों को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी

---

[1] (2011) एस. सी. सी. 694.

[2] 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 98.

सामग्री का बहुत सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए । न्यायालय को मामले में अभियुक्त की सटीक भूमिका को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए । जहां अभियुक्त को दण्ड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की सहायता से अपराध में आलिप्त किया गया है वहां पर न्यायालय को सामान्य ज्ञान एवं परिस्थिति के अनुसार बड़ी सर्तकता और सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि इन मामलों में किसी को अनावश्यक आलिप्त न कर लिया जाए इसके लिए अत्यधिक सावधानी एवं सतर्कता की आवश्यकता है;

(viii) अग्रिम जमानत की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा, अर्थात् स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए और अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित हिरासत को रोकना चाहिए;

(ix) न्यायालय को साक्षियों के साथ छेड़छाड़ का या परिवादी को धमकी देने सम्बन्धी तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए;

(x) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और जमानत मंजूर किए जाने के मामले में केवल वास्तविकता के तत्व पर ही विचार किया जाना चाहिए और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, सामान्य घटनाक्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है ।

13. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए । लेकिन, फिर, किसी भी अपराध की निष्पक्ष और उचित तरीके से जांच की जानी चाहिए, किसी भी बल से अप्रभावित, अपराध की गंभीरता और आरोपी की सटीक भूमिका के अतिरिक्त, सबूतों, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका या शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका भी महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

14. तत्काल अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान पीड़िता उपस्थित हुई और प्रति-शपथपत्र फाइल किया । उसने अपने प्रति-शपथपत्र में यह कथन किया है कि वास्तव में, उसे धमकाया गया था और आवेदक ने बार-बार ऐसा किया था । उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई थी । जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की । दीपक बिष्ट, थानाध्यक्ष, पुलिस थाना मुखानी ने उससे यौन संबंध बनाने और 5,00,000/- रुपए देने की मांग की । पीड़िता ने इस बातचीत को अभिलिखित कर लिया और मामले की सूचना पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तराखंड को दी । जब न्यायालय ने विद्वान् राज्य काउंसेल से जानना चाहा कि मामले में क्या हुआ है, तो न्यायालय को सूचित किया गया कि वास्तव में संबंधित थानाध्यक्ष को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और प्रारंभिक जांच के बाद उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें यह पाया गया कि तारीख 24 अप्रैल, 2022 को रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की ।

15. अपने प्रति-शपथपत्र में पीड़िता ने कोटिबद्ध रूप से कथन किया है कि उसके पति गुर्दे (वृक्क) के रोग से पीड़ित थे । वह डायलिसिस पर थे । उस दौरान तारीख 9 अप्रैल, 2018 को प्रथम बार आवेदक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके बाद लगातार उसे डरा धमका कर भयदोहन कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए । उसने यह बात अपने पति को नहीं बताई क्योंकि वह बीमार था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी । उसने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन उसके बाद फिर से पीड़िता के अनुसार उसे परेशान किया गया, भयादोहन किया गया । अपने प्रति-शपथपत्र के पैरा 10 में पीड़िता ने यह कथन किया है कि वास्तव में, जब भयदोहन उसकी क्षमता से बाहर हो गया तो उसने ये सारी बातें आवेदक की पत्नी को बताई । इसके बाद उसे और धमकाया गया । पीड़िता के अनुसार तारीख 20 अप्रैल, 2022 को आवेदक ने पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाते हुए उसका पीछा किया ।

16. तारीख 23 अप्रैल, 2022 को पीड़िता के अनुसार आवेदक व उसकी पत्नी तथा हेमंत कुमार नामक व्यक्ति पीड़िता के घर आए, खूब शोर मचाया, पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी तथा जाते समय पीड़िता के घर का गेट व लोहे की बाड़ को क्षतिग्रस्त कर दिया । यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई । जिसकी रिपोर्ट सीसीटीवी फुटेज सहित पुलिस थाने में दर्ज कराई गई । यह वही रिपोर्ट है जो पीड़िता के अनुसार दर्ज नहीं की गई ।

17. पीड़िता के अनुसार, तारीख 23 अप्रैल, 2022 की घटना के बाद उसने अपने पति को पूरी बात बताई । उसके पति ने उसे आश्वासन दिया । इसके बाद वह हिम्मत करके थाने गई और तारीख 24 अप्रैल, 2022 को आवेदक के विरुद्ध बलात्कार आदि की दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई । लेकिन पीड़िता के अनुसार वह भी दर्ज नहीं की गई । इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई गई ।

18. पीड़िता ने अपने प्रति-शपथपत्र के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक को दिया गया आवेदन संलग्न किया है । उस रिपोर्ट में पीड़िता ने लिखा है कि जब तारीख 24 अप्रैल, 2022 को उसने आवेदक के विरुद्ध रिपोर्ट दी तो आवेदक की सास, जो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, और अन्य लोगों को थाने में बुलाया गया और पीड़िता पर समझौता करने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया गया । उसे रात 10:30 बजे तक थाने में बैठाए रखा गया । अंत में तारीख 26 अप्रैल, 2022 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । लेकिन फिर भी पीड़िता के अनुसार उसे धमकाया गया ।

19. जैसा कि कथन किया गया है, जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी, पीड़िता का पक्षकथन यह है कि आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया और थानाध्यक्ष दीपक बिष्ट ने उससे यौन संबंध बनाने की मांग की और आवेदक को गिरफ्तार करने के लिए 5,00,000/- रुपए की रिश्वत मांगी । पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक को यह भी लिखा है कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा है, जिसके बारे में उसने तारीख 25 मई, 2022 को फिर से रिपोर्ट दी ।

20. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आवेदक के विरुद्ध बलात्कार, भयदोहन, धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं । पीड़िता ने लिखा है कि उसका पति बिस्तर पर था । वह गुर्दे (वृक्क) की दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित है और जो डायलिसिस पर है । आवेदक पीड़िता के पति का दोस्त है । पीड़िता ने एक तारीख वह बताई है जब आवेदक ने उसके साथ पहली बार बलपूर्वक बलात्कार किया था और उसके बाद निरंतर करता रहा ।

21. उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक के विरुद्ध धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप हैं । यह आरोप है कि उसकी सास ने राजनीतिक दल की सदस्य होने के नाते जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया । उन्होंने पूरे दो दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी । पीड़िता को थाने में बैठाया गया । उस पर समझौता करने और अपनी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाया गया । आवेदक के विरुद्ध लगाए गए ये सभी आरोप उसे अग्रिम जमानत देने से वंचित करते हैं ।

22. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा दलीलों पर विचार करते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं है ।

23. अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

मही./अस.

केशवन नम्बूतिरी

बनाम

नारायण पिल्लई और अन्य

(2011 की दांडिक अपील सं. 557)

तारीख 31 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति के. हरिपाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 341, 447 और 294(ख) – अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थियों पर यह आरोप लगाया जाना कि उन्होंने उसकी भूमि पर अतिचार किया तथा उसके पुत्र को सदोष अवरूद्ध किया – अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा अपीलार्थी की भूमि पर अतिचार करके उसकी संपत्ति के बीचों-बीच एक नए पथ का निर्माण किया जाना – अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत में घटना की तारीख और समय का वर्णन न होना – प्रत्यर्थियों द्वारा यह साबित करने के लिए ग्राम सर्वेक्षण योजना नक्शे को प्रस्तुत किया जाना कि अभिकथित मार्ग अपीलार्थी की भूमि में पहले से विद्यमान था – अभि. सा. 1 और 2 का हितबद्ध साक्षी होना और अभि. सा. 2 के परिसाक्ष्य में सदोष अवरोध के घटकों को उल्लिखित नहीं किया जाना – अपीलार्थी द्वारा यह स्थापित करने में असफल रहना कि प्रत्यर्थियों ने अपराध करने या अपीलार्थी को डराने-धमकाने या उसका अपमान करने या भूमि पर उसके कब्जे और उपभोग के अधिकार में हस्तक्षेप करने के समान आशय से उसकी संपत्ति में अतिचार किया था – अतः, विचारण न्यायालय द्वारा की गई प्रत्यर्थियों की दोषमुक्ति उचित प्रतीत होती है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपरोक्त मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(क) के अधीन फाइल किए गए एक परिवाद से आरंभ हुआ था, जिसमें दंड संहिता की धारा 341, 447, 294(ख) और धारा 34 के अधीन दंडनीय

अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया था । अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि उसके कब्जे में वालाकोम ग्राम के सर्वेक्षण सं. 109/1 में अवस्थित 35.20 एकड़ की भूमि है और वह उसका उपभोग कर रहा है और साथ ही उसके कब्जे और उपभोग में सर्वेक्षण सं. 109/15 में अवस्थित 10.20 एकड़ का एक अन्य भूखंड भी है । प्रथम अभियुक्त के पास भी एक भूखंड है, जो सर्वेक्षण सं. 109/1 में शिकायतकर्ता के भूखंड के तुरंत पूर्व में स्थित है जबकि द्वितीय अभियुक्त के कब्जे में सर्वेक्षण सं. 109/15 में अब स्थित भूमि के पूर्व की ओर स्थित संपत्ति है । उपरोक्त परिवाद इसलिए फाइल किया गया था क्योंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की संपत्ति पर अतिचार किया था और उसके पुत्र ने उसके कब्जे वाले भूखंड की सीमा पर, उक्त भूखंड में पगडंडी के लिए एक भाग छोड़ने के पश्चात्, जो पंचायत की सड़क से पश्चिम दिशा में जुड़ती है, तारों की बाड़ लगाने का प्रयास किया तो उस समय उसके पुत्र को सदोष अवरूद्ध और निवारित किया गया और अभियुक्तों ने उसके पुत्र और पत्नी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया । उक्त कार्य को करते समय अभियुक्त समान आशय को अग्रसर कर रहे थे । परिवाद में आगे यह भी कथन किया गया है कि यद्यपि, इस मामले के संबंध में पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी किन्तु उसके पश्चात् कुछ पुलिस वालों ने घटनास्थल का केवल दौरा किया और उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में परिवाद फाइल करने के लिए बाध्य होना पड़ा । शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के शपथ पर किए गए कथन को अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को फाइल पर लिया गया तथा अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी किए गए । जब अभियुक्तों को अपराध की विशिष्टियों को पढ़कर सुनाया गया तथा उन्हें स्पष्ट किया गया तो उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष की ओर से चार साक्षियों की परीक्षा की गई । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श पी-1 और पी-2 को भी चिह्नित किया गया । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात्, जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313(1)(ख) के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई तो अभियुक्तों ने

मामले में उसे संलिप्त करने वाली संपूर्ण सामग्री से इनकार किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । दोनों पक्षों के काउंसेलों को सुनवाई करने के पश्चात्, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के दोष को साबित करने में असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(1) के अधीन दोषमुक्त किया गया । विद्वान् मजिस्ट्रेट के उक्त निष्कर्ष से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के अधीन इजाजत प्राप्त करने के पश्चात् इस न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का परिशीलन करने तथा विद्वान् विचारण द्वारा दिए गए निर्णय पर विचार करने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रथमतः, अभिकथित अतिचार और सदोष अवरोध किए जाने के आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल अपीलार्थी के पुत्र अभि. सा. 2 का मौखिक साक्ष्य ही अभिलेख पर विद्यमान है । अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य में सदोष अवरोध के घटक सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा की गई कार्रवाई के कारण किसी विशिष्ट रीति में अवरुद्ध हुआ था । जहां तक अतिचार के आरोप का संबंध है और साथ ही अपमान वचन के अपराध के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का संबंध है, उसमें कोई बल नहीं है । यद्यपि, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपीलार्थी की भूधृति में अतिचार किया था और उसमें एक नया मार्ग बनाया था, किन्तु इस तथ्य को सभी सुसंगत संदेहों से परे साबित नहीं किया जा सका है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि अपीलार्थी की भूधृति में ऐसा कोई मार्ग विद्यमान नहीं है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के लिए उनकी अपनी-अपनी भूधृतियों से पश्चिम की ओर स्थित पंचायत मार्ग तक निर्बाध गमन सुकर हुआ हो । किन्तु अपीलार्थी यह साबित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि घटना के दिन प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने

अपीलार्थी की संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और उसमें उन्होंने एक नया मार्ग तैयार किया था । अपीलार्थी उसकी संपत्ति में स्थित विद्यमान मार्ग की वर्तमान चौड़ाई को बताने में असफल रहा है । यद्यपि, यह अभिकथन किया गया है कि पूर्व में उक्त पथ एक मीटर चौड़ा था और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपीलार्थी की संपत्ति में अतिक्रमण करके उसे अब दो मीटर तक चौड़ा कर दिया है, किन्तु यह अभिकथन केवल कागज-पत्रों में ही मौजूद है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 हितबद्ध साक्षी हैं और उपरोक्त अतिचार तथा अतिक्रमण के संबंध में केवल उनका ही साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है । अभि. सा. 3 एक स्वतंत्र साक्षी है, जो दोनों पक्षकारों का पड़ोसी है । उसके द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त होता है कि अपीलार्थी की भूमि में विद्यमान पथ की चौड़ाई अभी भी उतनी ही है, जितनी की वह पूर्व में थी । उसके अनुसार, पथ की चौड़ाई इतनी है कि उस पर सुगमता से एक ऑटो रिक्शा चल सकता है, अर्थात् उक्त चौड़ाई लगभग 1.45 मीटर है, इतनी ही चौड़ाई उसकी पूर्व में भी थी । दंड संहिता की धारा 447 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपराध करने के समान आशय से अपीलार्थी की संपत्ति में प्रवेश किया था और उन्होंने अपीलार्थी को डराने धमकाने, उसका अपमान करने या उसे नाराज करने के इरादे से उक्त कार्य किया था या उन्होंने उक्त कार्य उसके भूमि पर कब्जे के अधिकार तथा संपत्ति के उपभोग को बाधित करने के इरादे से किया था । उक्त तथ्य को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया । यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों के बावजूद अपीलार्थी ने युक्तियुक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसी सिविल न्यायालय से संपर्क नहीं किया है । अपीलार्थी पेशे से वकील है और उसके द्वारा युक्तियुक्त अनुतोष के लिए सिविल न्यायालय में न जाना आलोचना से परे नहीं है और उसे सही नहीं माना जा सकता । मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को पलटने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार नहीं की गई हैं । अपील में कोई गुण नहीं है और उसे खारिज किया जाता है । (पैरा 8, 9 और 10)

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 557.

वर्तमान अपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378(4) के अधीन फाइल किया गया है और उक्त अपील के माध्यम से दांडिक मामला सं. 318/2009 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी – I, कोट्टराक्कारा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई है ।

याची की ओर से	श्री वी. सुरेश और श्री जी. सुधीर
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री श्याम जे. सैम और श्री एम. एस. ब्रीज, एसपीपी

न्यायमूर्ति के. हरिपाल – वर्तमान अपील को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 378(4) के अधीन फाइल किया गया है और उक्त अपील के माध्यम से दांडिक मामला सं. 318/2009 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी – I, कोट्टराक्कारा द्वारा पारित निर्णय को चुनौती दी गई है । उपरोक्त मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(क) के अधीन फाइल किए गए एक परिवाद से आरंभ हुआ था, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 341, 447, 294(ख) और धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का आरोप लगाया गया था । अपीलार्थी/शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया था कि उसके कब्जे में वालाकोम ग्राम के सर्वेक्षण सं. 109/1 में अवस्थित 35.20 एकड़ की भूमि है और वह उसका उपभोग कर रहा है और साथ ही उसके कब्जे और उपभोग में सर्वेक्षण सं. 109/15 में अवस्थित 10.20 एकड़ का एक अन्य भूखंड भी है । प्रथम अभियुक्त के पास भी एक भूखंड है, जो सर्वेक्षण सं. 109/1 में शिकायतकर्ता के भूखंड के तुरंत पूर्व में स्थित है, जबकि द्वितीय अभियुक्त के कब्जे में सर्वेक्षण सं. 109/15 में अब स्थित भूमि के पूर्व की ओर स्थित संपत्ति है । उपरोक्त परिवाद इसलिए फाइल किया गया था क्योंकि अभियुक्त ने शिकायतकर्ता की संपत्ति पर अतिचार किया था और उसके पुत्र ने उसके कब्जे वाले भूखंड की सीमा पर, उक्त भूखंड में पगडंडी के लिए एक भाग छोड़ने के पश्चात्, जो पंचायत की सड़क से पश्चिम दिशा में जुड़ती है, तारों की बाड़ लगाने का प्रयास किया तो उस समय उसके पुत्र को सदोष अवरुद्ध और निवारित किया गया और अभियुक्तों ने उसके पुत्र और

पत्नी के लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया । उक्त कार्य को करते समय अभियुक्त समान आशय को अग्रसर कर रहे थे । परिवाद में आगे यह भी कथन किया गया है कि यद्यपि, इस मामले के संबंध में पुलिस के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी किन्तु उसके पश्चात् कुछ पुलिस वालों ने घटनास्थल का केवल दौरा किया और उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उन्हें न्यायालय में परिवाद फाइल करने के लिए बाध्य होना पड़ा । शिकायतकर्ता और उसके पुत्र के शपथ पर किए गए कथन को अभिलिखित करने के पश्चात् मामले को फाइल पर लिया गया तथा अभियुक्त व्यक्तियों को समन जारी किए गए । जब अभियुक्तों को अपराध की विशिष्टियों को पढ़कर सुनाया गया तथा उन्हें स्पष्ट किया गया तो उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया ।

2. अभियोजन पक्ष की ओर से चार साक्षियों की परीक्षा की गई । इसके अतिरिक्त, प्रदर्श पी-1 और पी-2 को भी चिन्हित किया गया । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को अभिलिखित करने के पश्चात्, जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313(1)(ख) के अधीन अभियुक्त की परीक्षा की गई तो अभियुक्तों ने मामले में उसे संलिप्त करने वाली संपूर्ण सामग्री से इनकार किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । दोनों पक्षों के काउंसेलों को सुनवाई करने के पश्चात्, विद्वान् मजिस्ट्रेट ने अपने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के दोष को साबित करने में असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 255(1) के अधीन दोषमुक्त किया गया । विद्वान् मजिस्ट्रेट के उक्त निष्कर्ष से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378(4) के अधीन इजाजत प्राप्त करने के पश्चात् इस न्यायालय में वर्तमान अपील फाइल की है ।

3. मैंने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल की ब्यौरेवार सुनवाई की है । यद्यपि, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विद्वान् काउंसेल की सुनवाई के लिए अनेक आस्थगन मंजूर किए गए थे फिर भी उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई प्रतिवेदन या प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं

हुआ और इसलिए यह उपधारणा की गई कि उनकी सुनवाई कर दी गई है ।

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभि. सा. 1 से अभि. सा. 4 द्वारा प्रस्तुत मौखिक परिसाक्ष्य तथा प्रदर्श पी-1 और पी-2 के रूप में अभिलेख पर मौजूद दस्तावेजों तक सीमित है । अभि. सा. 1 स्वयं अपीलार्थी है, जो स्पष्ट रूप से घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । वह तिरुवनंतपुरम विधिज्ञ परिषद् का एक वकील है । अभिकथित घटना, जो तारीख 26 जुलाई, 2008 को घटित हुई थी, के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था । उसके पास घटना के संबंध में केवल अनुश्रुत जानकारी विद्यमान है । यहां यह कहना अपेक्षित है कि परिवाद में अपराध की विशिष्टियों को सम्मिलित नहीं किया गया है । यहां तक कि घटना की तारीख और समय को भी परिवाद में दर्शाया नहीं गया है । किन्तु जब शिकायतकर्ता की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अधीन परीक्षा की गई तो उसने यह कथन किया कि उक्त घटना तारीख 26 जुलाई, 2008 को घटित हुई थी । फिर भी उस समय घटना के घटित होने के समय को उल्लिखित नहीं किया गया । उसने अपने कथन में यह कहा है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के कब्जे में उसकी भूधृति के पूर्व वाला भूखंड है, जो कोट्टराक्कारा तालुक के वोलाकाम ग्राम के सर्वेक्षण सं. 109/1 और 109/15 में अवस्थित है । अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा किए जाने के समय शिकायतकर्ता ने यह कथन किया कि प्रथम प्रत्यर्थी ने उत्तर की दिशा से उसकी संपत्ति में अतिचार किया और उसने संपत्ति के पश्चिमी छोर तक एक मार्ग बनाया । प्रदर्श पी-1, पुनः सर्वेक्षण योजना को यह साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों की संपत्ति में उपरोक्त वर्णन का कोई मार्ग विद्यमान नहीं है । शिकायतकर्ता ने यह भी कथन किया कि विद्यमान फीड-साइट (काय्यालाकुजी), जिसकी चौड़ाई एक मीटर है, को चौड़ा करके दो मीटर किया गया था । इसके परिणामस्वरूप उसे अत्यधिक हानि हुई । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान शिकायतकर्ता ने यह कथन किया कि उसके पास इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने उसकी संपत्ति के

मध्य से एक मार्ग/पगडंडी का निर्माण किया, जिसकी चौड़ाई एक मीटर थी; जबकि ऐसा मार्ग वर्ष 1974 से ही विद्‌यमान है, जब उसने उक्त संपत्ति का क्रय किया था । उसने इस सुझाव से इनकार किया कि शिकायत उस समय फाइल की गई थी, जब उसने प्रत्यर्थियों द्‌वारा प्रयोग किए जा रहे पथ/मार्ग को बाधित करने का प्रयास किया, जिसे सर्वप्रथम पुलिस और पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई शिकायत प्रत्यर्थियों द्‌वारा फाइल की गई थी । किसी भी प्रकार से उसने इस कार्यहेतुक के आधार पर सिविल न्यायालय में कोई वाद फाइल नहीं किया है ।

5. अभि. सा. 2 अपीलार्थी का पुत्र है । उसके अनुसार प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने उसका मार्ग रोका तथा उसके साथ उस समय गाली-गलौज किया, जब उसने अपनी संपत्ति के चारों ओर तारों का बाड़ लगाने का प्रयास किया । प्रश्नबद्‌ध मार्ग विद्‌यमान है और उसकी चौड़ाई लगभग 3 फुट है और उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि इस घटना को किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था अथवा नहीं । उसके अनुसार, उन्होंने एक मीटर चौड़ा मार्ग छोड़ने के पश्चात् अपनी संपत्ति के चारों ओर तारों का बाड़ लगाने का प्रयास किया था । उसके अनुसार प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने विद्‌यमान एक मीटर चौड़े मार्ग को दो मीटर तक चौड़ा कर दिया था ।

6. अभि. सा. 3, अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों का पड़ोसी है । उसने यह परिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 अपीलार्थी की भूधृति के पूर्वी छोर पर निवास कर रहे थे और पंचायत का मार्ग अपीलार्थी की संपत्ति के पश्चिम की ओर स्थित है और उनके पास अपीलार्थियों की भूमि से वहां तक पहुंचने का मार्ग उपलब्ध है, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.45 मीटर तक हो सकती है और उस पर कोई ऑटो रिक्शा चलने में समर्थ है । जब उससे यह पूछा गया कि उक्त मार्ग की चौड़ाई पूर्व में कितनी थी तो उसने यह उत्तर दिया कि उसकी चौड़ाई पूर्व में भी उतनी ही थी किन्तु पूर्व में उस पर यातायात नहीं चल सकता था क्योंकि वह मात्र एक पगडंडी के रूप में था । उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि क्या नए मार्ग का सृजन करने के संबंध में कोई

विवाद है अथवा नहीं । उसे पंचायत के सदस्यों के घटनास्थल पर पहुंचने के संबंध में केवल अनुश्रुत जानकारी है । इन विषयों के संबंध में मुख्य परीक्षा में कथन किया गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उक्त मार्ग की चौड़ाई अभी भी पहले जितनी थी और केवल एक ही अंतर आया है कि अब उक्त मार्ग और अधिक प्रयोक्तव्य हो गया है । अभि. सा. 4 वालाकोम की पंचायत का ग्राम अधिकारी है जिसने प्रदर्श पी-1 स्कैच को साबित किया है ।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य के संबंध में विद्वान् मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उक्त साक्ष्य प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के विरुद्ध आगे और कार्यवाही करने या उन्हें दोषसिद्ध ठहराने हेतु पर्याप्त नहीं है । उक्त साक्ष्य पर पुन: विचार करने के पश्चात् मेरे मन में इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के दोषी न होने का निष्कर्ष निकालते हुए तथा उन्हें दोषमुक्त करके किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है ।

8. प्रथमत:, अभिकथित अतिचार और सदोष अवरोध किए जाने के आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल अपीलार्थी के पुत्र अभि. सा. 2 का मौखिक साक्ष्य ही अभिलेख पर विद्यमान है । अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य में सदोष अवरोध के घटक सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 द्वारा की गई कार्रवाई के कारण किसी विशिष्ट रीति में अवरुद्ध हुआ था । जहां तक अतिचार के आरोप का संबंध है और साथ ही अपमान वचन के अपराध के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का संबंध है, उसमें कोई बल नहीं है । यद्यपि, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपीलार्थी की भूधृति में अतिचार किया था और उसमें एक नया मार्ग बनाया था, किन्तु इस तथ्य को सभी सुसंगत संदेहों से परे साबित नहीं किया जा सका है । अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया है कि अपीलार्थी की भूधृति में ऐसा कोई मार्ग विद्यमान नहीं है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के लिए उनकी अपनी-अपनी भूधृतियों से पश्चिम की ओर स्थित पंचायत

मार्ग तक निर्बाध गमन सुकर हुआ हो । किन्तु अपीलार्थी यह साबित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि घटना के दिन प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपीलार्थी की संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और उसमें उन्होंने एक नया मार्ग तैयार किया था । अपीलार्थी उसकी संपत्ति में स्थित विद्यमान मार्ग की वर्तमान चौड़ाई को बताने में असफल रहा है । यद्यपि, यह अभिकथन किया गया है कि पूर्व में उक्त पथ एक मीटर चौड़ा था और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपीलार्थी की संपत्ति में अतिक्रमण करके उसे अब दो मीटर तक चौड़ा कर दिया है, किन्तु यह अभिकथन केवल कागज-पत्रों में ही मौजूद है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 हितबद्ध साक्षी हैं और उपरोक्त अतिचार तथा अतिक्रमण के संबंध में केवल उनका ही साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान है । अभि. सा. 3 एक स्वतंत्र साक्षी है, जो दोनों पक्षकारों का पड़ोसी है । उसके द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य से यह सुझाव प्राप्त होता है कि अपीलार्थी की भूमि में विद्यमान पथ की चौड़ाई अभी भी उतनी ही है, जितनी की वह पूर्व में थी । उसके अनुसार, पथ की चौड़ाई इतनी है कि उस पर सुगमता से एक ऑटो रिक्शा चल सकता है, अर्थात् उक्त चौड़ाई लगभग 1.45 मीटर है, इतनी ही चौड़ाई उसकी पूर्व में भी थी ।

9. दंड संहिता की धारा 447 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 ने अपराध करने के समान आशय से अपीलार्थी की संपत्ति में प्रवेश किया था और उन्होंने अपीलार्थी को डराने धमकाने, उसका अपमान करने या उसे नाराज करने के इरादे से उक्त कार्य किया था या उन्होंने उक्त कार्य उसके भूमि पर कब्जे के अधिकार तथा संपत्ति के उपभोग को बाधित करने के इरादे से किया था । उक्त तथ्य को सुसंगत संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया ।

10. यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों के बावजूद अपीलार्थी ने युक्तियुक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसी सिविल न्यायालय से संपर्क नहीं किया है । अपीलार्थी पेशे से वकील है और उसके द्वारा युक्तियुक्त अनुतोष के लिए सिविल न्यायालय में न जाना आलोचना से परे नहीं है और उसे सही नहीं माना जा सकता ।

मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष को पलटने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार नहीं की गई हैं । अपील में कोई गुण नहीं है और उसे खारिज किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

(2022) 2 दा. नि. प. 318 **छत्तीसगढ़**

बीरबल सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(2021 की दांडिक अपील सं. 1128)

तारीख 9 नवंबर, 2022

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 302, 449 और 201 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – बलात्संग और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भाभी के घर में अतिचार करके उसके साथ बलात्संग किए जाने का अभिकथन – अगले दिन अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा भाभी और उसके पुत्र की हत्या किए जाने का अभिकथन – मृतका द्वारा पड़ोसन को यह बताया जाना कि अपीलार्थी ने उसके साथ गलत काम किया है – बलात्कार और हत्या का कोई भी साक्षी न होना – मृतका के पति द्वारा मृतका की साड़ी की शनाख्त न किया जाना – अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषी ठहराने हेतु अपर्याप्त साक्ष्य पाया जाना – पड़ोसन साक्षी द्वारा यह कथन किया जाना कि मृतका ने उसे अपीलार्थी द्वारा उसके साथ 'गलत

काम' करने और उसे परेशान करने के बारे में सूचित किया था, लेकिन यह केवल मृतका द्वारा पड़ोसन को दिए गए बयान के संबंध में है और मृतका के पति द्वारा साड़ी की शनाख्त नहीं कराई गई है जिससे पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण नहीं हो पाई है, अतः केवल पड़ोसन के कथन के आधार पर अपीलार्थी को उक्त अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

इस मामले में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तारीख 3 दिसंबर, 2009 को ग्राम मझगवां, पुलिस थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी भाभी श्यामवती बाई के घर में घुसकर उसके साथ बलात्संग किया और इसके पश्चात् तारीख 4 दिसंबर, 2009 को उक्त घटना से संबन्धित श्यामवती बाई द्वारा की जाने वाली किसी भी चर्चा को रोकने के लिए अपीलार्थी ने पुनः उसके घर में अतिचार किया और उसकी और उसके पुत्र नील सिंह की गला घोंट कर हत्या कर दी और साक्ष्य नष्ट करके बचकर भागने के लिए उसने सह अभियुक्त मदन सिंह (जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है) की सहायता से दोनों शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया और यतद्वारा अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 449, 376, 302 और 201 के अधीन अपराध कारित किया । वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह सुस्थापित है कि मृतका श्यामवती बाई अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल की भाभी है और दुर्बल सिंह की पत्नी थी और नील सिंह, दुर्बल सिंह का पुत्र था; दुर्बल सिंह और अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल एक दूसरे के भाई हैं; घटना के समय अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल अपने ग्राम मझगवां में नहीं रह रहा था किन्तु वहां कभी-कभी आता रहता था । तारीख 3 दिसंबर, 2009 को मृतका श्यामवती बाई का पति अर्थात् दुर्बल सिंह 'दशगत्रे' की रसम में सम्मिलित होने पीतमपुरा स्थित अपनी ससुराल गया; उसकी पत्नी श्यामवती बाई और पुत्र नील सिंह दोनों ग्राम मझगवां में थे; तारीख 5 दिसंबर, 2009 को दुर्बल सिंह का भतीजा अर्थात् टिम्मन (पुत्र अर्जुन) पीतमपुरा आया और दुर्बल सिंह को यह सूचना दी कि उसकी पत्नी और पुत्र दुर्बल सिंह के घर पर नहीं हैं और उसका घर खुला पड़ा है तथा घर का समान भी तितर-बितर पड़ा हुआ है; जिस पर दुर्बल सिंह, टिम्मन के साथ उसके घर मझगवां आया और अपनी पत्नी और

पुत्र को आस-पास जाकर ढूंढने लगा किन्तु उनका कोई पता न चल सका; तारीख 7 दिसंबर, 2009 को पदमेश मारवी ने नील सिंह का शव बागड़ी बांध में तैरते हुए देखा और इसके पश्चात्, दुर्बल सिंह को बुलाया गया जिसने अपने पुत्र के शव कि शनाख्त की, किन्तु चूंकि उसे अपने पुत्र की मृत्यु का कारण पता नहीं था इसलिए उसने तारीख 7 दिसंबर, 2009 को ही पूर्वाह्न 9 बजे पुलिस थाना पेंड्रा में मृत्यु संबंधी संसूचना (प्रदर्श पी/18) दर्ज कराई जिसके पश्चात् पुलिस ने बागड़ी बांध का नक्शा नजरी तैयार कराया और उस समय प्रेमवती पुलिस को यह सूचना दी कि तारीख 4 दिसंबर, 2009 को सायंकाल श्यामवती बाई उससे मिली थी जिसने उसे यह बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाएगी किन्तु आगे पूछताछ किए जाने पर मृतका श्यामवती बाई ने उसे आगे और कुछ भी नहीं बताया, मृतका श्यामवती बाई अपने घर में सो रही थी, इसके पश्चात् तारीख 5 दिसंबर, 2009 को प्रातःकाल में जब वह श्यामवती बाई के घर आई तब वहां कोई नहीं था और श्यामवती बाई तथा उसका पुत्र लापता थे; इसके पश्चात् डॉ. श्रीमती जे. एस. लाकड़ा (अभि. सा. 11) द्वारा नील सिंह के शव की शव-परीक्षा कराई गई और शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) में यह राय व्यक्त की गई है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है जो श्वासनली पर दबाव डालकर कारित किया गया है और यह मृत्यु मानव वध प्रकृति की है; इसके पश्चात् तारीख 9 दिसंबर, 2009 को प्रातः काल श्यामवती बाई का शव भी उक्त बागड़ी बांध में तैरता हुआ पाया गया, मृतका श्यामवती बाई के गुप्तांग नग्न अवस्था में थे; इसके पश्चात् श्यामवती बाई के शव का नक्शा पंचनमा तैयार किया गया और उसका शव, शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया; शव-परीक्षा रिपोर्ट में डॉ श्रीमती जे. एस. लाकड़ा ने यह राय व्यक्त की कि शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) के अनुसार श्यामवती बाई की मृत्यु का कारण श्वासावरोध है जो श्वासनली पर दबाव डालकर कारित किया गया है और यह मृत्यु मानव वध है । इसके पश्चात्, तारीख 14 दिसंबर, 2009 को पुलिस थाना पेंड्रा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/14) दर्ज की गई और अभियुक्त/अपीलार्थी को (प्रदर्श पी/15) द्वारा गिरफ्तार किया गया; इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछताछ की गई जिसके दौरान उसने अपने प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श

पी/4) में बताया कि उसने तारीख 3 दिसंबर, 2009 को श्यामवती बाई का बलात्संग किया और इसके पश्चात् तारीख 4 दिसंबर, 2009 को उसने श्यामवती बाई और उसके पुत्र नील सिंह की गला घोंट कर हत्या कर दी और इस अपराध में फंसने से बचने के लिए वह सह-अभियुक्त मदन सिंह के साथ दोनों शवों को साईकल पर साड़ी से बांधकर ले गया और बांध में फैंक दिया । अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में मृतका श्यामवती बाई द्वारा पहनी गई साड़ी प्रदर्श पी/5 के अनुसार बरामद की गई । इसके पश्चात् साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । अभियुक्त/अपीलार्थी ने दोषी होने से इनकार किया और विचारण की मांग की । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । अपील मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में, स्वीकृततः और निर्विवादित रूप से मृतका श्यामवती अपीलार्थी के भाई दुर्बल सिंह की पत्नी है और नील सिंह अपीलार्थी का भतीजा है । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का हेतु प्रस्तुत किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा साबित माना गया है कि तारीख 3 दिसंबर, 2009 को, अपीलार्थी ने श्यामवती के साथ उसके पति की अनुपस्थिति में बलात्कार किया और अगले दिन, श्यामवती द्वारा उक्त घटना/अपराध का खुलासा न हो, इसके लिए उसने मृतका श्यामवती और उसके बेटे नील सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी और उनके शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया, जो क्रमशः तारीख 9 दिसंबर, 2009 और 7 दिसंबर, 2009 को बरामद किए गए । निःसंदेह प्रेमवती, पत्नी अर्जुन जो मृतका श्यामवती के घर के बगल में रहती थी, ने प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि उसे मृतका श्यामवती ने यह बताया था कि 3 दिसंबर, 2009 की रात में अपीलार्थी ने उसे परेशान किया था और उसके साथ गलत काम किया है, लेकिन उसने स्वयं अपीलार्थी को वहां नहीं देखा था और उसने भय और लज्जा

के कारण किसी को भी उक्त घटना नहीं बताई । अगले दिन, अपीलार्थी ने श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की हत्या कर दी और शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया, जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने हेतु साबित पाया । यह सुस्थापित विधि है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर मामले में हेतु एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है यद्यपि प्रेमवती ने कहा है कि मृतका ने उसे अपीलार्थी द्वारा उसके साथ 'गलत काम' करने और उसे परेशान करने के बारे में सूचित किया था, लेकिन यह केवल मृतका द्वारा प्रेमवती को दिए गए बयान के संबंध में है और केवल उस आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । अगली परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष द्वारा इंगित की गई है और जिसे विद्वान् निचली अदालत ने सिद्ध पाया है, वह अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में 'साड़ी' (प्रदर्श पी/5) की बरामदगी है । उक्त बरामदगी ग्राम के पूर्व सरपंच छत्रपाल सिंह द्वारा सिद्ध की गई है, जिन्होंने अपनी प्रति परीक्षा के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस द्वारा मृतका श्यामवती की 'साड़ी' की पहचान की गई थी, जिसमें दुर्बल सिंह (मृतका श्यामवती के पति) यह नहीं पहचान पाया कि 'साड़ी' मृतका श्यामवती की है । यद्यपि विद्वान् विचारण न्यायालय यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका श्यामवती के पति दुर्बल सिंह ने अपनी पत्नी की 'साड़ी' की पहचान नहीं की है, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य का अवलंब लिया है कि यह 'साड़ी' मृतका श्यामवती की है, क्योंकि इसे अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में बरामद किया गया है, जो कि ग्राम के पूर्व सरपंच छत्रपाल सिंह जो अभिग्रहण प्रक्रिया के साक्षियों में से एक है, द्वारा दिए गए कथन के पैरा 5 के आलोक में स्पष्ट रूप से एक विकृत निष्कर्ष है । इस प्रकार, मृतका श्यामवती के पति दुर्बल सिंह अपनी पत्नी श्यामवती से संबंधित 'साड़ी' की पहचान करने में विफल रहे और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी के कहने पर अभिगृहीत की गई 'साड़ी' केवल मृतका श्यामवती की है और इसलिए यह अपीलार्थी को विचाराधीन अपराध से सम्बद्ध करने में सहायक नहीं होगा । मामले को इस प्रकार

दृष्टिगत करते हुए और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आलोक में और उल्लिखित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतका श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की मृत्यु का कारण कोई और नहीं, बल्कि अपीलार्थी ही था । निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुचित और त्रृटिपूर्ण मूल्यांकन किया गया है । इसलिए, हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी बीरबल संदेह का लाभ पाने का हकदार है । (पैरा 16, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2022]	(2022) 7 एस. सी. सी. 157 = ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 2631 : **महेंद्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	16
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 124 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1249 : **संपत कुमार** बनाम **पुलिस निरीक्षक** ;	16
[1996]	(1996) 10 एस. सी. सी. 193 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3390 : **सी. चेंगा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	14
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधी चंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	7,13
[1982]	(1982) 2 एस. सी. सी. 351 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1157 : **गंभीर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 1128.

2010 विचारण मामला सं. 9 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2010 को पारित निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री सविता तिवारी

प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से श्री आशीष तिवारी (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – यह दांडिक अपील अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा 2010 विचारण मामला सं. 9 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय), पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2010 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन फ़ाइल की गई है जिसके अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 449 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और 100/- रुपए जुर्माने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास का कठोर कारावास भोगने के साथ, आजीवन कारावास से दंडादिष्ट किया गया; दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आजीवन कारावास तथा 100/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास का कठोर कारावास से; दंड संहिता की धारा 201 के अधीन 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 100/- रुपए के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास का कठोर कारावास से; श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की हत्या कारीत करने के लिए आजीवान कारावास तथा 100-100/- रुपए के जुर्माने से, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक-एक मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तारीख 3 दिसंबर, 2009 को ग्राम मझगवां, पुलिस थाना पेंड्रा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में अपनी भाभी श्यामवती बाई के घर में घुसकर उसका बलात्संग किया और इसके पश्चात् तारीख 4 दिसंबर, 2009 को

उक्त घटना से संबन्धित श्यामवती बाई द्वारा की जाने वाली किसी भी चर्चा को रोकने के लिए अपीलार्थी ने पुनः उसके घर में अतिचार किया और उसकी और उसके पुत्र नील सिंह की गला घोंट कर हत्या कर दी और साक्ष्य नष्ट करके बचकर भागने के लिए उसने सह अभियुक्त मदन सिंह (जिसे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है) की सहायता से दोनों शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया और एतद्द्वारा अपीलार्थी ने दंड संहिता की धारा 449, 376, 302 और 201 के अधीन अपराध कारित किया ।

3. वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह सुस्थापित है कि मृतका श्यामवती बाई अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल की भाभी है और दुर्बल सिंह की पत्नी थी और नील सिंह, दुर्बल सिंह का पुत्र था; दुर्बल सिंह और अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल एक दूसरे के भाई हैं; घटना के समय अभियुक्त/अपीलार्थी बीरबल अपने ग्राम मझगवां में नहीं रह रहा था किन्तु वहां कभी-कभी आता रहता था ।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन आगे इस प्रकार है कि तारीख 3 दिसंबर, 2009 को मृतका श्यामवती बाई का पति अर्थात् दुर्बल सिंह 'दशगत्रे' की रसम में सम्मिलित होने पीतमपुरा स्थित अपनी ससुराल गया; उसकी पत्नी श्यामवती बाई और पुत्र नील सिंह दोनों ग्राम मझगवां में थे; तारीख 5 दिसंबर, 2009 को दुर्बल सिंह का भतीजा अर्थात् टिम्मन (पुत्र अर्जुन) पीतमपुरा आया और दुर्बल सिंह को यह सूचना दी कि उसकी पत्नी और पुत्र दुर्बल सिंह के घर पर नहीं हैं और उसका घर खुला पड़ा है तथा घर का समान भी तितर-बितर पड़ा हुआ है, जिस पर दुर्बल सिंह, टिम्मन के साथ उसके घर मझगवां आया और अपनी पत्नी और पुत्र को आस-पास जाकर ढूंढने लगा किन्तु उनका कोई पता न चल सका; तारीख 7 दिसंबर, 2009 को पदमेश मारवी (अभि. सा. 1) ने नील सिंह का शव बागड़ी बांध में तैरते हुए देखा और इसके पश्चात्, दुर्बल सिंह को बुलाया गया जिसने अपने पुत्र के शव कि शनाख्त की, किन्तु चूंकि उसे अपने पुत्र की मृत्यु का कारण पता नहीं था इसलिए उसने तारीख 7 दिसंबर, 2009 को ही पूर्वाहन 9 बजे पुलिस थाना पेंड्रा में

मृत्यु संबंधी संसूचना (प्रदर्श पी/18) दर्ज कराई जिसके पश्चात् पुलिस ने बागड़ी बांध का नक्शा नजरी तैयार कराया और उस समय प्रेमवती (अभि. सा. 3) पुलिस को यह सूचना दी कि तारीख 4 दिसंबर, 2009 को सायंकाल में श्यामवती बाई उससे मिली थी जिसने उसे यह बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाएगी किन्तु आगे पूछताछ किए जाने पर मृतका श्यामवती बाई ने उसे आगे और कुछ भी नहीं बताया, मृतका श्यामवती बाई अपने घर में सो रही थी, इसके पश्चात् तारीख 5 दिसंबर, 2009 को प्रातःकाल जब वह श्यामवती बाई के घर आई तब वहां कोई नहीं था और श्यामवती बाई तथा उसका पुत्र लापता थे; इसके पश्चात् डॉ. श्रीमती जे. एस. लाकड़ा (अभि. सा. 11) द्वारा नील सिंह के शव की शव-परीक्षा कराई गई और शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20) में यह राय व्यक्त की गई है कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है जो श्वासनली पर दबाव डालकर कारित किया गया है और यह मृत्यु मानव वध है; इसके पश्चात् तारीख 9 दिसंबर, 2009 को प्रातः काल श्यामवती बाई का शव भी उक्त बागड़ी बांध में तैरता हुआ पाया गया, मृतका श्यामवती बाई के गुप्तांग नग्न अवस्था में थे; इसके पश्चात् श्यामवती बाई के शव का नक्शा पंचनमा तैयार किया गया और उसका शव, शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया; शव-परीक्षा रिपोर्ट में डॉ. श्रीमती जे. एस. लाकड़ा (अभि. सा. 11) ने यह राय व्यक्त की कि शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) के अनुसार श्यामवती बाई की मृत्यु का कारण श्वासावरोध है जो श्वासनली पर दबाव डालकर कारित किया गया है और यह मृत्यु मानव वध है। इसके पश्चात्, तारीख 14 दिसंबर, 2009 को पुलिस थाना पेंड्रा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/14) दर्ज की गई और अभियुक्त/अपीलार्थी को (प्रदर्श पी/15) द्वारा गिरफ्तार किया गया; इसके पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछताछ की गई जिसके दौरान उसने अपने प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) में बताया कि उसने तारीख 3 दिसंबर, 2009 को श्यामवती बाई का बलात्संग किया और इसके पश्चात् तारीख 4 दिसंबर, 2009 को उसने श्यामवती बाई और उसके पुत्र नील सिंह की गला घोंट कर हत्या कर दी और इस

अपराध में फंसने से बचने के लिए उसने सह-अभियुक्त मदन सिंह के साथ दोनों शवों को साइकिल पर साड़ी से बांधकर ले गया और बांध में फेंक दिया । अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में मृतका श्यामवती बाई द्वारा पहनी गई साड़ी प्रदर्श पी/5 के अनुसार बरामद की गई । इसके पश्चात् साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेंड्रा रोड, जिला बिलासपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और इसके पश्चात् मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया । अभियुक्त/अपीलार्थी दोषी होने से इनकार किया और विचारण की मांग की ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 11 साक्षियों की परीक्षा कराई है और 21 दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं जबकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई है और न ही कोई भी दस्तावेज़ प्रदर्शित किया है ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 449, 376, 302 और 201 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और ऊपर उल्लिखित रूप में दंडादिष्ट किया और इसी आक्षेपित आदेश के विरुद्ध यह अपील फ़ाइल की गई है ।

7. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल सुश्री सविता तिवारी ने यह निवेदन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्त अपराधों के अधीन दोषसिद्ध करने वाला विद्वान् विचारण न्यायालय का आदेश पूर्णतया अन्यायोचित है क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं हो सकी है सिवाय प्रेमवती (अभि. सा. 3) के कथन के जो नातेदार और हितबद्ध साक्षी है । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है यद्यपि अभियुक्त/अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसार मृतका श्यामवती कि साड़ी प्रदर्श पी/5 के अनुसार बरामद कि

गई है किन्तु उक्त साड़ी कि शनाख्त इस संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी, विशेष कर दुर्बल सिंह जो मृतका का पति है, द्वारा नहीं कराई गई है कि यह साड़ी मृतका कि ही है, अतः इस साड़ी को अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध से जोड़ने के लिए साक्ष्य नहीं माना जा सकता है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थी को प्रश्नगत अपराध से सम्बद्ध किया जा सके, इस प्रकार यह ऐसा मामला है जिसमें किसी तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक पांच सिद्धान्त पूरे नहीं हो रहे हैं जिनका उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने **शरद बिरधी चंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में किया गया है । इसलिए वर्तमान अपील मंजूर किए जाने योग्य है और अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त किया जाना चाहिए ।

8. इसके प्रतिकूल राज्य कि ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल श्री आशीष तिवारी ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय दंडादेश का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने तर्कसम्मत साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित कर दिया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध करके ठीक ही किया है, इस प्रकर, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है, उनकी उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया है ।

10. सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की मृत्यु मानव वध है या नहीं जिसके संबंध में विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, विशेषकर डॉ. श्रीमती जे. एस. लाकड़ा (अभि. सा. 11) द्वारा तैयार की गई शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20 और पी/21), पर

---

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

विचार करते हुए सकारात्मक मत व्यक्त किया है क्योंकि शवपरीक्षण रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की मृत्यु का कारण श्वासावरोध है गला घोंट कर कारित किया गया है । तद्नुसार, शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी/20 और पी/21) और डॉ. श्रीमती जे. एस. लाकड़ा (अभि. सा. 11) के कथन पर विचार करने पर हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके पूर्णतया न्यायोचित ही किया है कि श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की मृत्यु मानव वध है और तथ्यों का यह निष्कर्ष न तो अनुचित है और न ही अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल है । तद्नुसार, हम एतद्द्वारा उक्त निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं ।

11. अब विचार के लिए यह प्रश्न उद्भूत होता है कि इस मामले में का अभियुक्त/अपीलार्थी प्रश्नगत अपराध का कर्ता है या नहीं जिसके बारे में विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह कहा है कि इसी अभियुक्त/ अपीलार्थी ने यह अपराध कारित किया है ।

12. पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेलों की दलीलों पर विचार करने और उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हम यह कहना चाहेंगे कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी को अपराध से संबद्ध करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन पक्षकथन केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर ही आधारित है । उच्चतम न्यायालय ने कई विनिश्चयों में निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है तब उस साक्ष्य से इन बातों का समाधान किया जाना चाहिए – (i) जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकाले जाने की ईप्सा की गई है वे तर्कसम्मत रूप से पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए; (ii) वे परिस्थितियां सुनिश्चित प्रकृति की होनी चाहिए जिनसे बिना किसी त्रुटि के अभियुक्त के दोषी होने का ही निष्कर्ष निकले; (iii) परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला बननी चाहिए कि केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सके कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के आधार पर यह अपराध किसी और के द्वारा नहीं अपितु अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है;

और (iv) दोषसिद्धि साबित करने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और उससे अन्य कोई भी परिकल्पना नहीं की जा सके सिवाय इसके कि अभियुक्त ही दोषी है और ऐसा साक्ष्य केवल अभियुक्त के दोषी होने के साथ ही संगत न हो बल्कि उसकी निर्दोषिता के साथ असंगत भी हो । [**गंभीर** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाला मामला देखिए ।]

13. **शरद बिरधी चंद सारदा** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था कि साक्ष्य कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन पक्षकथन में आई खामी मिथ्या प्रतिरक्षा या मिथ्या अभिवाक् से दूर नहीं हो सकती । उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों की पुरोभाव्य शर्त, दोषसिद्धि के पूर्व पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो सकती है, जो पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए । ये शर्तें इस प्रकार हैं – (i) जिन परिस्थितियों से दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाना है वे पूर्ण रूप से सिद्ध की जानी चाहिए । परिस्थितियां निश्चित रूप से सिद्ध की जानी चाहिए न कि केवल उनके सिद्ध होने की संभावना हो; (ii) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य इस परिकल्पना के साथ संगत हों कि अभियुक्त दोषी है अर्थात् अन्य कोई परिकल्पना न की जा सके; (iii) परिस्थितियां निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिए; (iv) कोई भी संभावित परिकल्पना न की जा सके सिवाय उस परिकल्पना के जो साबित की जानी है; (v) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि ऐसा कोई भी युक्तियुक्त कारण ही न बचे जो अभियुक्त की निर्दोषिता के साथ संगत हो और उससे यही दर्शित होना चाहिए कि सभी मानवीय संभाव्यताओं के अंतर्गत अपराध अभियुक्त द्वारा ही कारित किया गया है ।

14. पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में सुस्थापित विधि यह है कि जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला गया है पूरी तरह साबित की जानी चाहिए और वे परिस्थितियां

---

[1] (1982) 2 एस. सी. सी. 351 = ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1157.

निश्चायक प्रकृति की होनी चाहिए । **सी. चेंगा रेड्डी** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाला मामला देखिए ।

15. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुध्यात उपरोक्त सिद्धांतों पर विचार करते हुए, अब हम साक्ष्य की संवीक्षा बारीकी से करेंगे और अपीलार्थी के विरुद्ध परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करेंगे ।

16. वर्तमान मामले में, स्वीकृततः और निर्विवादित रूप से मृतका श्यामवती अपीलार्थी के भाई दुर्बल सिंह की पत्नी है और नील सिंह अपीलार्थी का भतीजा है । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का हेतु प्रस्तुत किया है जो विचारण न्यायालय द्वारा साबित माना गया है कि तारीख 3 दिसंबर, 2009 को अपीलार्थी ने श्यामवती के साथ उसके पति की अनुपस्थिति में बलात्कार किया और अगले दिन, श्यामवती द्वारा उक्त घटना/अपराध का खुलासा न हो, इसके लिए उसने मृतका श्यामवती और उसके बेटे नील सिंह की गला घोंटकर हत्या कर दी और उनके शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया, जो क्रमशः तारीख 9 दिसंबर, 2009 और 7 दिसंबर, 2009 को बरामद किए गए । निःसंदेह प्रेमवती, पत्नी अर्जुन (अभि. सा. 3), जो मृतका श्यामवती के घर के बगल में रहती थी, ने प्रतिपरीक्षा के पैरा 7 में न्यायालय के समक्ष यह कहा है कि उसे मृतका श्यामवती ने यह बताया था कि 3 दिसंबर, 2009 की रात में अपीलार्थी ने उसे परेशान किया था और उसके साथ गलत काम किया है, लेकिन उसने स्वयं अपीलार्थी को वहां नहीं देखा था और उसने भय और लज्जा के कारण किसी को भी उक्त घटना नहीं बताई । अगले दिन, अपीलार्थी ने श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की हत्या कर दी और शवों को बागड़ी बांध में फेंक दिया, जिस पर विद्वान् विचारण न्यायालय ने हेतु साबित पाया । यह सुस्थापित विधि है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर मामले में हेतु एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है (देखें : **संपत कुमार** बनाम **पुलिस निरीक्षक**[2]) । **महेंद्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[3] वाले मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय के

---

[1] (1996) 10 एस. सी. सी. 193 = ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 3390.

[2] (2012) 4 एस. सी. सी. 124 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 1249.

[3] (2022) 7 एस. सी. सी. 157 = ए. आई. आर. 2022 एस. सी. 2631.

न्यायाधीश ने इस बिंदु पर विधि को दोहराया कि केवल इसलिए कि हेतु स्थापित हो गया है, केवल उस आधार पर आरोपी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषी नहीं ठहराया जा सकता है । इसलिए, यद्यपि प्रेमवती (अभि. सा. 3) ने कहा है कि मृतका ने उसे अपीलार्थी द्वारा उसके साथ 'गलत काम' करने और उसे परेशान करने के बारे में सूचित किया था, लेकिन यह केवल मृतका द्वारा प्रेमवती (अभि. सा. 3) को दिए गए बयान के संबंध में है और केवल उस आधार पर अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376 और 302 के अधीन अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।

17. अगली परिस्थिति जो अभियोजन पक्ष द्वारा इंगित की गई है और जिसे विद्वान् निचली अदालत ने सिद्ध पाया है, वह अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में 'साड़ी' (प्रदर्श पी/5) की बरामदगी है । उक्त बरामदगी ग्राम के पूर्व सरपंच छत्रपाल सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा सिद्ध की गई है, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस द्वारा मृतका श्यामवती की 'साड़ी' की पहचान की गई थी, जिसमें दुर्बल सिंह (मृतका श्यामवती के पति) यह नहीं पहचान पाया कि 'साड़ी' मृतका श्यामवती की है । यद्यपि, विद्वान् निचली अदालत ने आक्षेपित निर्णय के पैरा 22 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :-

> "22. आरोपी का यह भी बचाव है कि दुर्बल ने उसकी पत्नी की साड़ी को नहीं पहचाना था, किंतु श्यामवती की लाश नग्न हालत में मिली थी और आरोपी ने बांध के पानी के अंदर से पत्थर में बंधी साड़ी को जप्त कराया है और उसने उस साड़ी को जप्त कराने के संबंध में कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है । अतः मैं, पाता हूं कि उक्त साड़ी श्यामवती की ही थी यह तथ्य विश्वास किए जाने योग्य है ।"

यद्यपि विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मृतका श्यामवती के पति दुर्बल सिंह ने अपनी पत्नी की 'साड़ी' की पहचान नहीं की है, लेकिन न्यायालय ने इस तथ्य का अवलंब लिया है कि यह 'साड़ी' मृतका श्यामवती की है, क्योंकि इसे अभियुक्त-अपीलार्थी

के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/4) के अनुसरण में बरामद किया गया है, जो कि ग्राम के पूर्व सरपंच छत्रपाल सिंह (अभि. सा. 2), जो अभिग्रहण प्रक्रिया के साक्षियों में से एक है, द्वारा दिए गए कथन के पैरा 5 के आलोक में स्पष्ट रूप से एक विकृत निष्कर्ष है । इस प्रकार, मृतका श्यामवती के पति दुर्बल सिंह अपनी पत्नी श्यामवती से संबंधित 'साड़ी' की पहचान करने में विफल रहे और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी के कहने पर अभिगृहीत की गई 'साड़ी' केवल मृतका श्यामवती की है और इसलिए यह अपीलार्थी को विचाराधीन अपराध से संबद्ध करने में सहायक नहीं होगा ।

18. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, ऊपर वर्णित साक्ष्यों के आलोक में और उल्लिखित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतका श्यामवती और उसके पुत्र नील सिंह की मृत्यु का कारण कोई और नहीं, बल्कि अपीलार्थी ही था । निचले न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुचित और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन किया गया है । इसलिए, हम यह मानते हैं कि अपीलार्थी बीरबल संदेह का लाभ पाने का हकदार है ।

19. तद्नुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 449, 376, 201 और 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि तथा विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा उसे दिया गया आजीवन कारावास का दंड एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । यदि किसी अन्य मामले में अपीलार्थी वांछित नहीं है तो उसे तत्काल जेल से उन्मुक्त किया जाए ।

20. यह दांडिक अपील ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस./पु.

राम सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(2013 की दांडिक अपील सं. 698)

तारीख 2 दिसंबर, 2022

न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या – साक्ष्य की विश्वसनीयता – प्रकटीकरण कथन के अनुसार बरामदगी – बरामदगी और अभिग्रहण साक्षियों में विरोधाभास – न्यायालयिक रिपोर्ट से रक्त-ग्रुप की पुष्टि न होना – न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अपीलार्थी की कुल्हाड़ी, लुंगी और बनियान पर रक्त नहीं पाया गया है, मिट्टी और मृतक की टी-शर्ट पर मानव रक्त पाया गया था किन्तु रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए कुल्हाड़ी की अभिकथित बरामदगी और वस्त्रों का अभिग्रहण अभियोजन पक्ष के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं है, अतः अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – मृतक द्वारा अभियुक्त की भतीजी की लज्जा भंग किए जाने का अभिवाक् – अभियुक्त द्वारा कुल्हाड़ी से हत्या किए जाने का अभिकथन – अभिकथित हमले और शव की बरामदगी के बीच 5 घंटे से अधिक का समय अंतराल है और इसके अतिरिक्त अभिलेख पर कोई भी संपुष्टिकारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी की दोषिता को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सके या उसकी ओर संकेत किया जा सके, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

वर्तमान मामले में अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 3 अप्रैल, 2012 को प्रातः लगभग 10:00 बजे शिकायतकर्ता संघू राम (अभियुक्त-1) ने थाना मानपुर को खैरकट्टा में एक अज्ञात शव के होने की

सूचना दी । उक्त सूचना के आधार पर मर्ग संसूचना (प्रदर्श-1) रजिस्ट्रीकृत की गई । मृतक का शव बरामद कर शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । अभियोजन पक्षकथन आगे इस प्रकार है कि मृतक बल्लार साईं ग्राम फुलकोड़ो का निवासी था और मजदूर के रूप में कार्य करता था, जो आम तौर पर मजदूरी के लिए ग्राम खैरकट्टा आता था । घटना के दो-तीन दिन पश्चात् अपीलार्थी की पत्नी बिसंतीन बाई ने ज्योति बाई को बताया कि मृतक बल्लार साई ने घटना की रात्रि उनके घर में भोजन किया था और वह उनकी भतीजी कुमारी भारती द्वारा पहनी गई पायल को छू रहा था, जिस पर कुमारी भारती चिल्लाई और वे जाग गए । अपीलार्थी मृतक को घसीटते हुए घर से बाहर ले आया । इसके पश्चात् ग्राम में एक बैठक हुई जिसमें ज्योति बाई और कुमारी भारती सहित कई लोग उपस्थित थे । उक्त बैठक में कुमारी भारती ने बताया कि मृतक सोते समय उसकी पायल छू रहा था । ज्योति बाई ने भी उक्त बैठक में ऐसा ही कथन किया । अभियोजन पक्ष के अनुसार उपरोक्त तथ्य का पता चलने पर अपीलार्थी मृतक को पास के खेतों में ले गया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/19) तारीख 8 अप्रैल, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषण अधिकारी एन. एल. मंडावी ने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया और उसके पश्चात् उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/7) अभिलिखित किया । इसके पश्चात् एक कुल्हाड़ी बरामद की गई और अपीलार्थी द्वारा पहनी गई लुंगी और बनियान को प्रदर्श पी/8 के अनुसार अभिगृहीत कर लिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अभिगृहीत की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी/12 के अनुसार रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया तथा उचित अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप पत्र फ़ाइल किया गया, जिसे विधि के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया । अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया । अपराध की अभिपुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने 18 साक्षियों की परीक्षा कराई और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए । अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने दोषिता से इनकार किया, लेकिन अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए दोषी ठहराया तथा उसे उपरोक्तानुसार दंडादिष्ट किया और इसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है । अपील मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/7) के अनुसार कुल्हाड़ी बरामद की गई और उसके वस्त्र अभिगृहीत कर लिए गए । प्रकटीकरण के साक्षी अमर साईं और हीरे सिंह ने कुल्हाड़ी की बरामदगी और लुंगी व बनियान के अभिग्रहण का समर्थन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में वर्तमान अपीलार्थी की कुल्हाड़ी, लुंगी और बनियान पर रक्त नहीं पाया गया । मिट्टी और मृतक की टी-शर्ट पर मानव रक्त पाया गया था, तथापि रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए कुल्हाड़ी की अभिकथित बरामदगी और वस्त्रों का अभिग्रहण अभियोजन पक्ष के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं है । (पैरा 17)

उपरोक्त साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट है कि यद्यपि बैठक हुई थी परन्तु यह बैठक कुमारी भारती की लज्जा भंग के संबंध में थी तथा मृतक की हत्या के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है क्योंकि तारीख 2 अप्रैल, 2012 को मध्य रात्रि में लगभग 11:30 बजे मृतक को अपीलार्थी के घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी की भतीजी की लज्जा भंग करने की कोशिश की थी । यह भी निर्विवाद है कि मृतक को अपीलार्थी ने थप्पड़ मारा था और तारीख 3 अप्रैल, 2012 को सुबह लगभग 5:00 बजे संघू राम (अभि. सा. 1) ने मृतक का शव देखा था । अभिकथित हमले और शव की बरामदगी के बीच 5 घंटे से अधिक का समय अंतराल है और इसके अतिरिक्त अभिलेखों में कोई भी संपुष्टिकारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी की दोषिता को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सके या

उसकी ओर संकेत किया जा सके । उपर्युक्त निर्णयों और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए उच्च न्यायालय का सुविचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की सम्पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिससे अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके । इस मामले को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किए जाने और आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किए जाने संबंधी आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने में कोई संकोच नहीं है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाए । (पैरा 16, 19 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	(2019) 7 एस. सी. सी. 781 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 3714 : **बलवान सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** ;	18
[2018]	(2018) 16 एस. सी. सी. 161 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 2027 : **नवनीतकृष्णन** बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक** ;	20
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 698.

2012 के सेशन विचारण सं. 41 में सेशन न्यायाधीश राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़ द्वारा तारीख 12 जून, 2013 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — श्री जी. एस. अहलूवालिया की ओर से श्री ऋषभ बिसेन

प्रत्यर्थी की ओर से — श्री सुदीप वर्मा, उप सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति राकेश मोहन पाण्डेय ने दिया ।

न्या. पाण्डेय – अपीलार्थी द्वारा यह दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन 2012 के सेशन विचारण सं. 41 में सेशन न्यायाधीश राजनन्दगांव, छत्तीसगढ़ के तारीख 12 जून, 2013 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के उस निर्णय के विरुद्ध फ़ाइल की गई है जिसके अनुसार निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास तथा 3,000/– रुपए के जुर्माने से, जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 3 अप्रैल, 2012 को प्रातः लगभग 10:00 बजे शिकायतकर्ता संघू राम (अभियुक्त-1) ने थाना मानपुर को खैरकट्टा में एक अज्ञात शव के होने की सूचना दी । उक्त सूचना के आधार पर मर्ग संसूचना (प्रदर्श-1) रजिस्ट्रीकृत की गई । मृतक का शव बरामद कर शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया ।

3. अभियोजन पक्षकथन आगे इस प्रकार है कि मृतक बल्लार साईं ग्राम फुलकोड़ो का निवासी था और मजदूर के रूप में कार्य करता था, जो आम तौर पर मजदूरी के लिए ग्राम खैरकट्टा आता था । घटना के दो-तीन दिन पश्चात् अपीलार्थी की पत्नी बिसंतीन बाई (अभि. सा. 18) ने ज्योति बाई (अभि. सा. 4) को बताया कि मृतक बल्लर साई ने घटना की रात्रि उनके घर में भोजन किया था और वह उनकी भतीजी कुमारी भारती (अभि. सा. 2) द्वारा पहनी गई पायल को छू रहा था, जिस पर कुमारी भारती (अभि. सा. 2) चिल्लाई और वे जाग गए । अपीलार्थी मृतक को घसीटते हुए घर से बाहर ले आया । इसके पश्चात् ग्राम में

एक बैठक हुई जिसमें ज्योति बाई (अभि. सा. 4) और कुमारी भारती (अभि. सा. 2) सहित कई लोग उपस्थित थे । उक्त बैठक में कुमारी भारती (अभि. सा. 2) ने बताया कि मृतक सोते समय उसकी पायल छू रहा था । ज्योति बाई (अभि. सा. 4) ने भी उक्त बैठक में ऐसा ही कथन किया । अभियोजन पक्ष के अनुसार उपरोक्त तथ्य का पता चलने पर अपीलार्थी मृतक को पास के खेतों में ले गया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/19) तारीख 8 अप्रैल, 2012 को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् अन्वेषण प्रारंभ किया गया । अन्वेषण अधिकारी एन. एल. मंडावी (अभि. सा. 17) ने अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया और उसके पश्चात् उसका प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/7) अभिलिखित किया । इसके पश्चात् एक कुल्हाड़ी बरामद की गई और अपीलार्थी द्वारा पहनी गई लुंगी और बनियान (बनियान) को प्रदर्श पी/8 के अनुसार अभिगृहीत कर लिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और अभिगृहीत की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी/12 के अनुसार रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया तथा उचित अन्वेषण के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप पत्र फ़ाइल किया गया, जिसे विधि के अनुसार सुनवाई और निपटान के लिए सेशन न्यायालय को सौंप दिया गया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया । अपीलार्थी ने आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया । अपराध की अभिपुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष ने 18 साक्षियों की परीक्षा कराई और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट सहित 21 दस्तावेज प्रस्तुत किए । अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने दोषिता से इनकार किया, लेकिन अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई ।

5. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने के लिए

दोषी ठहराया तथा उसे उपरोक्तानुसार दंडादिष्ट किया और इसी आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है ।

6. अपीलार्थी की और से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है कि ज्ञापन और अभिग्रहण के साक्षी अमर साईं (अभि. सा. 9) और हीरे सिंह (अभि. सा. 12) ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अन्य स्वतंत्र साक्षियों ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उन्होंने आगे यह दलील दी है कि न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में रक्त नहीं पाया गया है और इस मामले में हेतुक का अभाव है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण नहीं है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आधार बन सके । उन्होंने अंत में यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है, इसलिए वह दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

7. दूसरी ओर राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और यह निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया है क्योंकि प्रकटीकरण और अभिग्रहण के अतिरिक्त अंतिम बार एक साथ देखे जाने का तथ्य भी विचारण न्यायालय द्वारा सिद्ध पाया गया, इसलिए वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है, उनके द्वारा ऊपर दी गई परस्पर विरोधी दलीलों पर विचार किया है तथा अभिलेख का अत्यंत सावधानी से परिशीलन किया है ।

9. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात् निम्नलिखित दो प्रश्न विचारार्थ उठते हैं :–

(i) क्या अभियोजन पक्ष मृतक बल्लार साईं की मृत्यु को मानव वध की प्रकृति की साबित करने में सक्षम रहा है ?

(ii) क्या अपीलार्थी प्रश्नगत अपराध का अपराधी है ?

प्रश्न संख्या 1 का उत्तर –

10. विद्वान् विचारण न्यायालय ने शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/16) के आधार पर इस प्रश्न के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष अभिलिखित किया है जिसमें डॉ. सीमा ठाकुर (अभि. सा. 16) ने, जिन्होंने शव-परीक्षा की है, स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मृत्यु का कारण मृतक को लगी क्षतियों से होने वाला आंतरिक रक्तस्राव है और मृत्यु की प्रकृति मानव वध की हो सकती है । शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/16) और डॉ. सीमा ठाकुर (अभि. सा. 16) के साक्ष्यों को देखने के पश्चात्, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि मृतक की मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी और विद्वान् विचारण न्यायालय का ऐसा मानना उचित है ।

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर –

11. अगले विचारणीय प्रश्न पर आते हैं कि क्या अपीलार्थी प्रश्नगत अपराध का कर्ता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने निम्न परिस्थितियों का अवलंब लिया है :–

(i) मृतक ने घटना की रात्रि में अपीलार्थी की भतीजी कु. भारती (अभि. सा. 2) की लज्जा भंग करने का प्रयास किया ।

(ii) ऐसे कृत्य से प्रेरित होकर अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया ।

(iii) मृतक का शव अगले ही दिन अपीलार्थी के खेतों के पास एक गड्ढे में मिला ।

(iv) मृतक के अभिकथित कृत्य के संबंध में ग्राम में कई-कई बार बैठकें हुईं और एक बैठक में अपीलार्थी भी उपस्थित था जहां उससे पूछा गया कि मृतक का शव गड्ढे में कैसे पहुंचा और इस प्रश्न पर उसने कुछ नहीं कहा ।

(v) अपीलार्थी को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था । तथा

(vi) प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/7) के अनुसार कथित कुल्हाड़ी बरामद की गई थी और अपीलार्थी के वस्त्र, ज्ञापन (प्रदर्श पी/8) के अनुसार अभिगृहीत किए गए थे ।

12. सर्वप्रथम **शरद बिरधीचंद सारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने पारिस्थितिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि श्रृंखला पूर्ण है और अभियोजन पक्ष की निर्बलता या कमी को मिथ्या प्रतिरक्षा या मिथ्या अभिवाक् से दूर नहीं किया जा सकता । उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के शब्दों के अनुसार, पूर्व शर्त इस प्रकार है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि से पूर्व परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण रूप से सिद्ध होनी चाहिए । यह इस प्रकार है :–

(i) जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूर्ण रूप से सिद्ध किया जाना चाहिए । संबंधित परिस्थितियों को सिद्ध ही किया जाना चाहिए न कि उनके सिद्ध किए जाने की संभावना पर विचार किया जाए ।

(ii) इस प्रकार सिद्ध तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात् अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती ।

(iii) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए ।

(iv) उन्हें प्रत्येक संभावित परिकल्पना को छोड़ देना चाहिए सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है । तथा

(v) साक्ष्यों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दर्शाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

13. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा विचारित प्रथम एवं द्वितीय परिस्थिति इस प्रकार है कि घटना की रात्रि मृतक ने कुमारी भारती (अभि. सा. 2) की लज्जा भंग करने का प्रयास किया । यह तथ्य कुमारी

---

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

भारती (अभि. सा. 2) द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया गया है तथा उसने आगे यह कथन किया है कि मृतक को रात्रि में ही घर से बाहर निकाल दिया गया था तथा वर्तमान अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया था । इस तथ्य को अपीलार्थी की पत्नी बिसंतीन बाई (अभि. सा. 18) और कलिंग साईं (अभि. सा. 5) द्वारा भी स्वीकार किया गया है इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि तारीख 2 अप्रैल, 2012 की रात्रि को मृतक ने अपीलार्थी की भतीजी की लज्जा भंग करने का प्रयास किया, जिसके पश्चात् उसे घर से निकाल दिया गया ।

14. तीसरी परिस्थिति जिस पर विचारण न्यायालय ने अवलंब लिया है, इस प्रकार है कि मृतक का शव अगले ही दिन अपीलार्थी के खेतों के पास एक गड्ढे में पड़ा हुआ पाया गया था । इस संबंध में, साक्षी संघू राम (अभि. सा. 1) ने शव देखा और पुलिस को सूचित किया जिसके परिणामस्वरूप मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) रजिस्ट्रीकृत की गई । शव की पहचान मृतक बल्लार साईं के रूप में की गई । उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृतक का शव अगले ही दिन अपीलार्थी के खेतों के पास एक गड्ढे में मिला था और यह बात मर्ग संसूचना (प्रदर्श पी/1), शव के शनाख्त ज्ञापन (प्रदर्श पी/2), मृत्युसमीक्षा ज्ञापन (प्रदर्श पी/3ए) और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी/4) से स्पष्ट है ।

15. चौथी परिस्थिति जिसका विचारण न्यायालय ने अवलंब लिया है इस प्रकार है कि मृतक के अभिकथित कृत्य के संबंध में ग्राम में कई बार बैठकें हुईं और एक बैठक में अपीलार्थी भी उपस्थित था और उसके द्वारा उसके खेतों में मिले शव के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । कुमारी भारती (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-4 में यह कथन किया है कि घटना वाली रात्रि मृतक द्वारा उसके पैर छूने के संबंध में एक बैठक हुई थी । सुंदरी बाई (अभि. सा. 3) ने भी कहा है कि मृतक द्वारा कुमारी भारती (अभि. सा. 2) के पैर छूने का प्रयास करने के शर्मनाक कृत्य के संबंध में भी एक बैठक हुई थी । ज्योति बाई (अभि. सा. 4) ने कथन किया है कि बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मृतक की मृत्यु के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई । इसी प्रकार कलिंग साई

(अभि. सा. 5) ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि बैठक में मृतक की हत्या के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई । फूल सिंह (अभि. सा. 8) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मृतक मद्यप था । बिसंतीन बाई (अभि. सा. 18) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा-6 में यह कथन किया कि मृतक की हत्या के पश्चात् एक बैठक बुलाई गई थी और कुमारी भारती (अभि. सा. 2) से बैठक के सदस्यों ने पूछताछ की थी जिसमें उसने अपनी लज्जा भंग करने की घटना का विवरण दिया था । बिसंतीन बाई (अभि. सा. 18) ने स्पष्ट रूप से यह इनकार किया है कि मृतक की हत्या वर्तमान अपीलार्थी द्वारा की गई थी और उसके शव को गड्ढे में फेंक दिया गया था ।

16. उपरोक्त साक्ष्यों से यह सुस्पष्ट है कि यद्यपि बैठक हुई थी परन्तु यह बैठक कुमारी भारती (अभि. सा. 2) की लज्जा भंग के संबंध में थी तथा मृतक की हत्या के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी ।

17. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अवलंब ली गई अगली परिस्थिति इस प्रकार है कि अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी/7) के अनुसार कुल्हाड़ी बरामद की गई और उसके वस्त्र अभिगृहीत कर लिए गए । प्रकटीकरण के साक्षी अमर साईं (अभि. सा. 9) और हीरे सिंह (अभि. सा. 12) ने कुल्हाड़ी की बरामदगी और लुंगी व बनियान के अभिग्रहण का समर्थन नहीं किया है । इसके अतिरिक्त न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट (प्रदर्श पी/21) में वर्तमान अपीलार्थी की कुल्हाड़ी, लुंगी और बनियान पर रक्त नहीं पाया गया । मिट्टी और मृतक की टी-शर्ट पर मानव रक्त पाया गया था, तथापि रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप सिद्ध नहीं हो सका, इसलिए कुल्हाड़ी की अभिकथित बरामदगी और वस्त्रों का अभिग्रहण अभियोजन पक्ष के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं है ।

18. **बलवान सिंह** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो जाती है और यदि अन्वेषण में कोई संदूषण नहीं

---

[1] (2019) 7 एस. सी. सी. 781 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 3714.

पाया जाता है तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शाना पर्याप्त हो सकता है कि वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव का है, यद्यपि रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप भी साबित नहीं हो पाता है । इस मामले में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया है :–

> 23. उपर्युक्त चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा रक्तरंजित वस्तुओं की बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया जाता है और यदि अन्वेषण में यह दूषित नहीं पाई जाती है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा यह दर्शाना पर्याप्त हो सकता है कि वस्तुओं पर पाया गया रक्त मानव जाति का है, भले ही रक्त के विघटन के कारण रक्त-ग्रुप सिद्ध न हो सके । न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अभियोजन पक्ष के लिए रक्त-ग्रुप साबित करना आवश्यक है या आवश्यक नहीं है ताकि मिलान किया जा सके ।

> 19. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा एक साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति का कोई महत्व नहीं है क्योंकि तारीख 2 अप्रैल, 2012 को मध्य रात्रि में लगभग 11:30 बजे मृतक को अपीलार्थी के घर से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मृतक ने अपीलार्थी की भतीजी की लज्जा भंग करने की कोशिश की थी । यह भी निर्विवाद है कि मृतक को अपीलार्थी ने थप्पड़ मारा था और तारीख 3 अप्रैल, 2012 को सुबह लगभग 5:00 बजे संघू राम (अभि. सा. 1) ने मृतक का शव देखा था । अभिकथित हमले और शव की बरामदगी के बीच 5 घंटे से अधिक का समय अंतराल है और इसके अतिरिक्त अभिलेखों में कोई भी संपुष्टिकारी सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी की दोषिता को पूर्ण रूप से सिद्ध किया जा सके या उसकी ओर संकेत किया जा सके ।

20. **नवनीतकृष्णन** बनाम **राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया

[1] (2018) 16 एस. सी. सी. 161 = ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 2027.

है कि अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, लेकिन अभियुक्तों को केवल अंतिम बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है :-

> "18. यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि विधि यह मानता है कि मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया व्यक्ति ही उसकी हत्या करेगा और इसका खंडन करने का भार अभियुक्त पर है कि वह यह साबित करे कि वह मृतक से पहले ही अलग हो गया था । निस्संदेह, अंतिम बार देखा गया सिद्धांत उन परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थिति है जो अभियुक्त के दोष को पूर्ण रूप से सिद्ध कर सकती है और/या कुछ निश्चितता के साथ उसकी ओर इंगित कर सकती है । तथापि यह साक्ष्य अकेले अभियुक्त के दोष को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का भार नहीं उठा सकता और इसके लिए संपुष्टि की आवश्यकता होती है ।

21. उपर्युक्त निर्णयों और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए हमारा सुविचारित मत यह है कि अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की सम्पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध करने में बुरी तरह विफल रहा है, जिससे अपीलार्थी को मृतक की हत्या के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सके । इस मामले को ध्यान में रखते हुए हमें अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किए जाने और आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किए जाने संबंधी आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने में कोई संकोच नहीं है । अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय आरोप से दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाए ।

22. तदनुसार दांडिक अपील मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./अस.

सुब्रता नाथ

बनाम

त्रिपुरा राज्य

(2024 की दांडिक अपील सं. 2)

तारीख 18 नवंबर, 2024

न्यायमूर्ति बिस्वाजीत पालित

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 323 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – स्वेच्छया क्षति कारित किया जाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा आहत की श्वासनली और टांगों की रक्त वाहिनियां काटे जाने का अभिकथन किया जाना – आहत और उसके माता-पिता के साक्ष्य में विरोधाभास – घटना-स्थल की पुष्टि न होना – अभियोजन वृत्तांत से चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि न होना – पीड़ित और उसके माता-पिता के साक्ष्यों में सुधार हुआ है, जो उन्होंने न्यायालय में पहली बार किया है, पीड़ित और उसके माता-पिता ने मुख्य-परीक्षा में एक-दूसरे के कथन का समर्थन किया था, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उन्होंने ऐसे कथन किए हैं जो अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित बयानों से मेल नहीं खाते हैं और इस विरोधाभास के कारण, यह प्रतीत होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गलत व्याख्या की है या उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया है, अतः निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में, धर्मनगर पुलिस थाने के प्रभारी रणधीर नाथ द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन आरंभ किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया गया था कि 8 अक्तूबर, 2017 को सायं लगभग 6 बजे वर्तमान अपीलार्थी ने अपने पुत्र बिप्रजीत नाथ को घर से बुलाया और उसकी हत्या करने के प्रयास में एक तेज चाकू से उसके गले की श्वास नली और उसके पैरों और हथेलियों की रक्त वाहिकाएं भी काट दीं । शोरगुल सुनकर इलाके के

लोग आए और घटना देखी और उसे अधमरी दशा में पास के नाले से बचाया । उसे तुरंत धर्मनगर अस्पताल ले जाया गया और उसकी दशा गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए राज्य से बाहर ले जाने की सलाह दी गई । इसलिए, इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, धर्मनगर पुलिस थाने के प्रभारी ने दंड संहिता की धारा 307 के अधीन धर्मनगर पुलिस थाने का मामला संख्या 75/2017 अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया । क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला विद्वान् सेशन न्यायाधीश को सौंप दिया गया और विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन औपचारिक आरोप विरचित किया गया और उसे बंगाली भाषा में समझाया गया, जिस पर उसने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण के दौरान, आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष कुल 10 साक्षी पेश किए और कुछ दस्तावेजों का अवलंब लिया, जिन्हें इस मामले में प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है । अंततः, विचारण की समाप्ति पर, निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और उसे दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी ठहराया । यह अपील इस न्यायालय के समक्ष विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा, धर्मनगर द्वारा पारित किए गए उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है । अपील मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – न्यायालय द्वारा पीड़ित के साक्ष्य पर विचार किए जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभिकथित घटना के समय पीड़िता और अपीलार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था । घटना के तुरंत बाद पीड़िता अपने पिता की चिमटे की दुकान पर गया और घटना का विवरण दिया । परंतु पीड़ित के माता-पिता के अतिरिक्त अन्य साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के आरोपों के संबंध में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया । न्यायालय पीड़ित के माता-पिता तथा पीड़ित के साक्ष्य पर विचार किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायालय के समक्ष अपनी अन्वेषण के दौरान वे तीनों साक्षी, अन्वेषण अधिकारी को दिए गए अपने

पूर्व बयानों से मुकर हो गए हैं । अभियोजन पक्ष भी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका । इस मामले में और भी दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए रक्तरंजित रेत या अभिकथित गमछा पेश करने में विफल रहा, जिससे पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के अनुसार अपने गले में लपेटा था । अभियोजन पक्ष यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उन वस्तुओं को क्यों नहीं अभिगृहीत किया । विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान भी अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए उक्त वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल रहा । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अभियोजन पक्ष की ओर से अभिकथित अपराध में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । न्यायालय ने चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य पर विचार किया, जिन्होंने अन्वेषण के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षति की प्रकृति हल्की थी और किसी कुंद हथियार से पहुंचाई गई थी, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क यह था कि क्षति चाकू से कारित की गई थी । चाकू को कुंद हथियार नहीं कहा जा सकता । संबंधित चिकित्सा अधिकारी ने अपने अन्वेषण के दौरान पीड़ित के शरीर के अन्य अंगों पर आई क्षतियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इस मामले में, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और निचले न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप विरचित किया था, परंतु निचले न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सका और निचले न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध किया है । किन्तु यहां दिए गए मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विभिन्न कमियां हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और इसके अतिरिक्त पीड़ित और उसके माता-पिता के साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साक्ष्य में पूर्ण सुधार हुआ है

जो उन्होंने न्यायालय में पहली बार किया है, क्योंकि पीड़ित और उसके माता-पिता ने यद्यपि अपनी मुख्य-परीक्षा में एक-दूसरे के कथन का समर्थन करने का प्रयास किया था, किन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए अपने बयानों से विचलित हो गए हैं । अभियोजन पक्ष, दलीलों की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय को बनाए रखने में उन कमियों को स्पष्ट करने में विफल रहा है और इस विरोधाभास के कारण, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गलत व्याख्या की है या उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया है जिसके लिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान अपीलार्थी, अभिलेख पर उपलब्ध पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में, संदेह के लाभ पर दोषमुक्ति का हकदार है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा निर्दिष्ट उद्धरण यद्यपि अत्यंत सुसंगत हैं, फिर भी अभिलेख पर उपलब्ध ठोस साक्ष्य के अभाव में इस मामले को लागू नहीं हो सकते । (पैरा 20, 21, 22, 23, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय पैरा

[2023]	2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1396 = ए. आई. आर. 2023 एस. सी. 5644 : **बीरबल नाथ** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** ;	25
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2908 : **सैयद इब्राहीम** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ;	24
[1994]	(1994) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 289 = 1994 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2298 : **मणि राम और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	24
[1994]	ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 115 : **हरियाणा राज्य** बनाम **इंद्रराज और अन्य** ;	24
[1994]	ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1612 : **मीरान बख्श** बनाम **लीलू** उर्फ **सगीर अहमद और अन्य** ;	24

[1992]	1992 क्रिमिनल ला जर्नल 293 : **गुरमेज सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	24
[1987]	1987 क्रिमिनल ला जर्नल 1533 (जीएयू) : **आशिम दास और अन्य आदि** बनाम **असम राज्य** ;	24
[1987]	1987 क्रिमिनल ला जर्नल 706 : **अमर सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	24
[1974]	ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 344 : **हरचंद सिंह और अन्य** बनाम **हरियाणा राज्य** ।	24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2024 की दांडिक अपील सं. 2.

2019 के सेशन विचारण मामला सं. 22 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा, धर्मनगर द्वारा तारीख 4 जनवरी, 2024 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री पी. के. बिस्वास (ज्येष्ठ काउंसेल), पी. मजूमदार, ऋषिराज नाथ और सुश्री एस देब बर्मा
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री राजू दत्ता (लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति बिस्वाजीत पालित – यह दांडिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन फ़ाइल की गई है जिसमें विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा, धर्मनगर द्वारा सेशन विचारण मामला संख्या 22/2019 में तारीख 4 जनवरी, 2024 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है । उक्त निर्णय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 323 के अधीन छह (6) मास के कठोर कारावास और 1,000/– रुपए के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त एक मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया था ।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पी. के. बिस्वास को सुना गया, जिनकी सहायता विद्वान् काउंसेल श्री पी. मजूमदार, विद्वान् काउंसेल श्री ऋषिराज नाथ और विद्वान् काउंसेल

सुश्री एस. देबबर्मा ने की तथा त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान् लोक अभियोजक श्री राजू दत्ता को भी सुना गया ।

3. सुनवाई के दौरान विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि प्रारंभ में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप विरचित किए गए थे, परंतु सुनवाई समाप्त होने पर, विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी पाया और उसे तद्नुसार दंडादिष्ट किया । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, इस मामले में अभियोजन पक्ष निचले न्यायालय के समक्ष वास्तविक घटनास्थल की व्याख्या करने में विफल रहा है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि घटना स्थल एक नाले पर था, परंतु अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल को एक तालाब के किनारे दिखाया, परंतु अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने कहा कि घटना स्थल रहने की झोपड़ी के पीछे था । इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई सही स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । इसके अतिरिक्त, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा न तो रक्त से सनी कोई मिट्टी अभिगृहीत की गई और न ही कोई गमछा, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार रक्तरंजित था, अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण के दौरान और इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर कोई सबूत नहीं है कि वास्तव में किस हथियार से अभियुक्त यानी वर्तमान अपीलार्थी द्वारा अपराध किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण के दौरान अपने बयान का बेहतर वृत्तान्त दिया है । अभियोजन पक्ष विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष बहस की सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष उन बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए वृत्तांतों को समझाने में विफल रहा है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में कई कमजोरियां हैं परंतु फिर भी अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार किए बिना ही निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और उसे दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी ठहराया, जिसके लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है और निचले न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए इस अपील को मंजूर किए जाने का आग्रह किया गया है ।

4. दूसरी ओर, राज्य प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने दलील दी कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को सही और उचित रूप से दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषी करार दिया और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई सार नहीं है क्योंकि प्रतिपरीक्षा की प्रवृत्ति से अपीलार्थी अभिकथित पीड़ित के अभिलेख पर मौजूद सबूतों को खारिज नहीं कर सका और इसके अतिरिक्त, अभिकथित घटना के समय पीड़ित और अपीलार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था परंतु घटना के तुरंत बाद उसने अपने माता-पिता को इस तथ्य का खुलासा किया और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उनके सबूतों को किसी भी तरह से नष्ट किया जा सकता था । इसलिए, विद्वान् लोक अभियोजक ने अंततः विद्वान् न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को कायम रखते हुए इस अपील को खारिज करने का आग्रह किया।

5. इस मामले में, धर्मनगर पुलिस थाने के प्रभारी रणधीर नाथ द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन आरंभ किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि 8 अक्तूबर, 2017 को सायं लगभग 6 बजे वर्तमान अपीलार्थी ने अपने पुत्र बिप्रजीत नाथ को घर से बुलाया और उसकी हत्या करने के प्रयास में एक तेज चाकू से उसके गले की श्वास नली और उसके पैरों और हथेलियों की रक्त वाहिकाएं भी काट दीं । शोरगुल सुनकर इलाके के लोग आए और घटना देखी और उसे अधमरी दशा में पास के नाले से बचाया । उसे तुरंत धर्मनगर अस्पताल ले जाया गया और उसकी दशा गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए राज्य से बाहर ले जाने की सलाह दी गई । इसलिए, इत्तिलाकर्ता ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई ।

6. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्राप्त होने पर, धर्मनगर पुलिस थाने के प्रभारी ने दंड संहिता की धारा 307 के अधीन धर्मनगर पुलिस थाने का मामला संख्या 75/2017 अभिलिखित किया और अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप पत्र दाखिल किया । क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मामला विद्वान् सेशन न्यायाधीश को सौंप दिया गया और विद्वान् निचले

न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन औपचारिक आरोप विरचित किया गया और उसे बंगाली भाषा में समझाया गया, जिस पर उसने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण किए जाने की मांग की ।

7. विचारण के दौरान, आरोप को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष कुल 10 साक्षी पेश किए गए और कुछ दस्तावेजों का अवलंब लिया, जिन्हें इस मामले में प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है । अंततः, विचारण की समाप्ति पर, निचले न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया और उसे दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी ठहराया । यह अपील इस न्यायालय के समक्ष विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा, धर्मनगर द्वारा पारित किए गए उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।

8. निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अब हम अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे ।

9. प्रदीप कुमार सिंहा (अभि. सा. 1) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि लगभग 2/3 वर्ष पहले एक दिन पुलिसकर्मी उनके मोहल्ले के रणधीर नाथ के घर आए और जब उन्हें पता चला कि अपीलार्थी ने रणधीर नाथ के पुत्र को क्षति पहुंचाई है, तो वे वहां गए । वे अभियोजन पक्षकथन के बारे में कुछ नहीं कह सके और यह भी कहा कि उन्होंने अपराध होते हुए नहीं देखा था।

10. देबाशीष नाथ (अभि. सा. 2) ने यह साक्ष्य दिया है कि लगभग 3 वर्ष पहले एक दिन सायंकाल वह धर्मनगर टाउन में था और उसे सूचना मिली कि उसके भाई बिप्रजीत नाथ पर सुब्रता नाथ ने हमला किया है और उसे धर्मनगर अस्पताल ले जाया गया है । यह सूचना मिलने पर वह तुरंत धर्मनगर अस्पताल पहुंचा और अपने भाई को गर्दन में आई क्षति के साथ उपचार कराते हुए पाया और पता चला कि क्षति सुब्रता नाथ के कारण कारित हुई थी । इसके पश्चात्, उसे पता चला कि उस दिन उस समय उसका भाई घर में अकेला था जब अभियुक्त-अपीलार्थी उनके घर आया और उसके भाई को बुलाकर यह देखने के

लिए कहा कि उनके घर में चोर उनके मुर्गे चुराने आए हैं या नहीं और उसे अपने घर के पीछे ले गया । उस समय उसके परिवार के अन्य सदस्य अपने घर के सामने अपनी किराने की दुकान पर मौजूद थे । तब अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसके भाई पर हमला किया और चाकू से उसका गला काट दिया ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने यह कथन किया कि उसके भाई ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त ने चाकू से उसका गला काट दिया था । साक्षी का ध्यान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए उपरोक्त बयान की ओर दिलाया गया, परंतु वह बयान अन्वेषण अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन दर्ज बयान में नहीं पाया गया और यह साक्षी इस मामले का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है ।

11. रणधीर नाथ (अभि. सा. 3) पीड़ित के पिता हैं । उसने यह कथन किया है कि उन्होंने यह मामला 8 जुलाई, 2017 को दर्ज कराया था । उस दिन, उसके पुत्र बिप्रजीत नाथ उसके साथ उसकी दुकान पर थे । उस समय उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी । इसके पश्चात्, उसका पुत्र अपनी पत्नी से चाय लाने के लिए कहने हेतु घर वापस गया । सुब्रता नाथ यानी अपीलार्थी भी उसके घर आए और काफी देर तक वहीं रहे और उसकी पत्नी उसके लिए चाय का कप लेकर गईं। कुछ देर बाद, उसका पुत्र गर्दन, हथेली और पैर पर रक्त बहने के निशान के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और उसने अपनी गर्दन पर गमछा लपेटा और उसने देखा कि वह रक्त से लथपथ था । किसी तरह वह कह सका कि सुब्रता नाथ अपनी मां की अनुपस्थिति में उसे अपने घर के पीछे ले गया था और इस बहाने से उसने उनके घर से मुर्गा चुराते समय एक चोर को पकड़ लिया । उनके पुत्र ने सुब्रता नाथ द्वारा चाकू से किए गए अंधाधुंध हमले से स्वयं को बचाने का प्रयास किया और उनके पुत्र की हथेली पर गंभीर क्षतियां कारित हुईं और उसके पश्चात् सुब्रता नाथ ने उसके पैर में भी रक्तरंजित क्षति पहुंचाई । इसके पश्चात्, सुब्रता नाथ ने अपने पुत्र को अपने घर के पीछे छोड़ दिया और भाग गया । अपने पुत्र को देखकर, उसने शोर मचाया और किसी तरह एक ई-रिक्शा का प्रबंध किया और उसे उपचार के लिए धर्मनगर अस्पताल ले गए । उपचार के दौरान, उनके पुत्र को ए.जी.एम.सी. और जी.बी.पी. अस्पताल, यदितला

भेज दिया गया और उनके पुत्र को लगभग एक महीने तक उपचार से गुजरना पड़ा और घटना की तारीख को, उन्होंने धर्मनगर थाने के ओ/सी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की और उनके बयान के अनुसार धर्मनगर थाने में एक पुलिसकर्मी ने उनका इजहार तैयार किया । साक्षी ने इजहार पर प्रदर्श-1 के रूप में अपने हस्ताक्षर की पहचान की ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस साक्षी ने बताया कि अन्वेषण के दौरान, पुलिस घटनास्थल पर आई थी और उसने पुलिस को भूमि पर रक्त के धब्बे दिखाए थे, साथ ही रक्तरंजित कपड़े और गमछा भी पुलिस को दिखाया था । उन्होंने पुलिस को बयान दिया था । उसको यह बयान भी दिखाया गया कि सुब्रता नाथ ने बलपूर्वक अपने पुत्र की कमीज उतार दी और यह भी कहा कि उसका पुत्र रक्त बहते घावों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा और उस समय उसकी गर्दन पर गमछा बंधा हुआ था परंतु बयान का यह हिस्सा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन द्वारा अभिलिखित किए गए उसके बयान में नहीं मिला । उसने पुलिस को यह नहीं बताया कि जब उसके पुत्र ने चाकू से अभियुक्त द्वारा किए गए अंधाधुंध हमले से स्वयं को बचाने का प्रयास किया, तो उसके पुत्र के दोनों हाथों की हथेलियों पर गंभीर घाव हो गए । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी को बताया था कि सुब्रता नाथ ने उसके पुत्र को उसके घर के पीछे छोड़ दिया और भाग गया । साक्षी का ध्यान भी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए उसके बयान की ओर आकर्षित किया गया परंतु उस बयान में वह बात लिखी हुई नहीं मिली ।

12. रीना रानी नाथ (अभि. सा. 4), इत्तिलाकर्ता की पत्नी हैं । उन्होंने कथन किया है कि तारीख 8 अक्तूबर, 2017 को उसका पति उसके घर के सामने अपनी दुकान पर था और उसका पुत्र दुकान में उनके साथ था । उसी समय, सुब्रता नाथ उनके घर आए और उसके पति के बारे में पूछताछ की और इस साक्षी ने बताया कि उसका पति उनकी दुकान में हैं और इस बीच, उनका पुत्र घर वापस चला गया और कहा कि उनके पति ने एक कप चाय मंगाई थी । इसके पश्चात्, वह अपने पति के लिए एक कप चाय ले गईं और सुब्रता नाथ उनके घर से चले गए और उनका पुत्र उनकी झोपड़ी में ही रह गया । चूंकि उनका पुत्र

अकेला रह गया था, इसलिए उनके पति ने उन्हें घर वापस जाने के लिए कहा क्योंकि रात में उनके इलाके में सियार घूमते हैं । इस बीच, उनका पुत्र उसके पति की दुकान पर पहुंचा तो पुत्र रक्त से लथपथ था और उसकी गर्दन पर एक 'गमछा' लिपटा हुआ था और उसकी गर्दन, दोनों हाथ और पैर पर तेजधार आयुध से कारित घाव थे । उसे तुरंत धर्मनगर अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में उसके पुत्र ने बताया कि सुब्रता नाथ ने उस पर चाकू से हमला किया है । उपचार के दौरान उसके पुत्र को ए.जी.एम.सी. और जी.बी.पी. अस्पताल भेज दिया गया और वह वहां एक महीने तक उपचार के लिए भर्ती रहा । इस साक्षी ने आगे यह बताया कि सुब्रता नाथ उनके इलाके का रहने वाला है और उसका उसके पति से भूमि के एक टुकड़े की कीमत को लेकर विवाद था, जो उसके पति ने उसे बेचा था ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने कहा कि अन्वेषण के दौरान जब पुलिस घटना स्थल पर गई थी, तो उन्होंने पुलिस को भूमि पर रक्त के धब्बे दिखाए थे और पहने हुए कपड़े तथा गमछे पर भी रक्त के धब्बे दिखाए थे । इससे ज़्यादा कुछ भी सुसंगत नहीं निकला ।

13. अभि. सा. 5 पीड़ित है । उसने यह कथन किया है कि तारीख 8 अक्तूबर, 2017 को वह अपनी झोपड़ी में था और हेडफोन से संगीत सुन रहा था । दरवाजा बंद था । वह अपने पिता के साथ उनके घर के पास स्थित चिमटे की दुकान पर था और उसके पिता ने उसे अपनी मां से एक कप चाय लाने के लिए कहा, इस तरह, वह घर वापस आ गया और अपनी मां से अपने पिता के लिए एक कप चाय लाने को कहा । उस समय, सुब्रता नाथ उनके घर में था और वह अपनी मां के साथ बात कर रहा था परंतु जब उसकी मां चाय बनाकर दुकान पर उसके पिता के लिए ले जा रही थी, उसी समय सुब्रता नाथ उनके घर से चला गया । जब उसकी मां चली गई, तो सुब्रता नाथ भी घर से चला गया और वह अकेला था । थोड़ी देर बाद, सुब्रता नाथ फिर आया और दरवाजा खटखटाया और उस समय वह संगीत सुन रहा था और सुब्रता नाथ ने उससे दरवाजा खोलने को कहा और बताया कि कोई उसके मुर्गे चुराने आया है । इस प्रकार उसने दरवाजा खोला और सुब्रता नाथ उसे अपने घर के पिछवाड़े की ओर ले गया । चूंकि उसने सफेद कमीज पहनी

हुई थी इसलिए उसने पीड़ित (अभि. सा. 5) से अपनी कमीज उतारने को कहा क्योंकि अंधेरे में भी वह दिखाई देती । उसके कहने पर सद्भावनापूर्वक उसने कमीज उतार ली और उसके पश्चात् उसने अचानक उसे पीछे से पकड़ लिया और चाकू से उसका गला काट दिया और उसकी गर्दन पर सामने की ओर गंभीर क्षति आई और जब उसने विरोध करने और स्वयं को बचाने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने उसके बाएं हाथ की हथेली पर गंभीर क्षति पहुंचाई। पकड़ने के दौरान उसने उसके दाएं हाथ और दाएं टखने के ठीक ऊपर भी क्षति पहुंचाई। वह भूमि पर गिर गया उस समय सुब्रता ने सोचा कि वह मर गया होगा और वह भाग गया । इसके तुरंत बाद, वह अपने पिता की दुकान पर गया और घटना के बारे में बताया । उसने आगे कहा कि उस समय उसके पिता की दुकान में कुछ लोग थे और उन्होंने भी उसे देखा और सुना और उसके पश्चात् उसे धर्मनगर अस्पताल ले जाया गया ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने बताया कि उसके पिता और चाचा उसके साथ यदितला गए थे । उसे यह बयान दिखाया गया कि उसने अन्वेषण अधिकारी को बताया था कि चूंकि उसने सफ़ेद कमीज पहनी हुई थी, इसलिए अपीलार्थी ने उसे अपनी कमीज उतारने के लिए कहा क्योंकि वह अंधेरे में भी दिखाई देगी । साक्षी का ध्यान उसके बयान की ओर आकर्षित किया गया किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए बयान में ऐसा नहीं पाया गया । वह उन व्यक्तियों का नाम भी नहीं बता सका जो उसके पिता की दुकान में मौजूद थे क्योंकि वह उन्हें पहचानने की स्थिति में नहीं था । इस साक्षी को आगे उसका पुलिस को दिया गया बयान दिखाया गया जिसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया गया कि वह अपने पिता के साथ उनके घर के पास स्थित चिमटे की दुकान में था और जब उसके पिता ने उसे अपनी मां से चाय का कप लाने के लिए कहा और इस तरह वह घर लौट आया और अपनी मां से अपने पिता के लिए एक कप चाय ले जाने के लिए कहा । इस साक्षी को उसका अन्वेषण अधिकारी को दिया गया बयान पुनः दिखाया गया जिसमें उसने ऐसा कोई उल्लेख नहीं पाया कि जब उसकी मां चली गई, तो सुब्रता नाथ भी घर से चला गया और वह अकेला था और कुछ देर बाद, सुब्रता

फिर आया और जब वह संगीत सुन रहा था, तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसे यह कहते हुए दरवाज़ा खोलने को कहा कि कोई मुर्गे चुराने आया है और इस प्रकार इस साक्षी के कथन का (जो न्यायालय में दिया गया है) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए उसके बयान से मेल नहीं खाता है ।

14. आशीष पॉल (अभि. सा. 6) ने यह साक्ष्य दिया है कि लगभग 3 वर्ष पहले, एक दिन सायं लगभग 6.30 बजे, वह अपनी झोपड़ी में टीवी देख रहा था, तभी उसे अपने घर के बाहर शोरगुल सुनाई दिया । जब वह बाहर आया तो उसने बिप्रजीत नाथ की गर्दन पर रक्त बहते हुए देखा और अपने पिता की दुकान के सामने भूमि पर पड़ा हुआ भी पाया । वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिसके पश्चात् पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया । अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया और उसके बयान के अंश को प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है जिसकी पुष्टि अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई है ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान उन्होंने बताया कि रणधीर नाथ के साथ उनके अच्छे संबंध थे ।

15. हरधन बोस (अभि. सा. 7) ने कथन किया है कि पिछले अन्वेषण अधिकारी के स्थानांतरण पर, उन्होंने मामले का अन्वेषण आरंभ किया और अपने अन्वेषण के दौरान, उन्होंने पिछली जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और साक्षी आशीष पॉल और कुछ अन्य साक्षियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए और उन्होंने प्रदर्श-2 की पुष्टि की परंतु चूंकि उनका स्थानांतरण हो गया था, इसलिए उन्होंने मामले की सूची पुलिस थाने के भारसाधक को सौंप दी ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने कहा कि उनके अन्वेषण के दौरान, उन्होंने साक्षी रणधीर नाथ और बिप्रजीत नाथ का कोई अन्य बयान नहीं देखा और उन्होंने तारीख 4 जून, 2018 को इत्तिलाकर्ता रणधीर नाथ का बयान अभिलिखित किया और अन्वेषण के दौरान, रणधीर नाथ ने रक्तरंजित गमछे के साथ रक्तरंजित पहनने वाले कपड़े पेश नहीं किए ।

16. लक्ष्मीकांत सिंह (अभि. सा. 8) को भी अभियोजन पक्ष द्वारा

पक्षद्रोही घोषित किया गया और उनके कथन के भाग को प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित किया गया, जिसकी पुष्टि अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई है ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी सुसंगत बात सामने नहीं आई ।

17. स्वप्न सिंह ने कथन किया है कि तारीख 15 अक्तूबर, 2018 को वह धर्मनगर थाने में पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर तैनात था और उसी दिन पूर्व अन्वेषण अधिकारी के स्थानांतरण के कारण यह मामला अन्वेषण के लिए उन्हें सौंपा गया था । उन्होंने चौकी का दौरा किया और कुछ साक्षियों से पूछताछ की, परंतु उन्होंने इत्तिलाकर्ता रणधीर नाथ का बयान दोबारा अभिलिखित किया । उन्होंने ए.जी.एम.सी. और जी.बी.पी. अस्पताल से पीड़ित बिप्रजीत नाथ की क्षति रिपोर्ट प्राप्त की और अपीलार्थी सुब्रता नाथ के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने कहा कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए इत्तिलाकर्ता के पहले बयान में, रणधीर नाथ ने अभिकथित अपराध के हेतु के बारे में कोई भी प्रकटीकरण कथन नहीं दिया है । उन्होंने शिकायतकर्ता से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं लिया जिससे पता चले कि पीड़ित बिप्रजीत नाथ ने अभियुक्त सुब्रता नाथ से अपनी भूमि बेचने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा लिया था, जो उनके पहले के समझौते के नियमों और शर्तों से भिन्न हो । इस साक्षी ने आगे यह कहा कि इस मामले का घटनास्थल एक तालाब के पास था और शिकायतकर्ता की दुकान शिकायतकर्ता के घर से 100 मीटर की दूरी पर उत्तर-पश्चिम की ओर स्थित थी । वह तालाब का सही स्थान भी नहीं बता सका ।

18. डॉ. शंकर सरकार (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया है कि तारीख 9 अक्तूबर, 2017 को वे ए.जी.एम.सी, यदितला के ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, हेड-एंड-नेक सर्जरी विभाग में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात थे । उस दिन, धर्मनगर पुलिस थाने के अंतर्गत मामला संख्या 75/2017 के संबंध में एक मरीज बिप्रजीत नाथ को अभिकथित रूप से गर्दन, दोनों हाथों और दाएं पैर पर जानलेवा क्षति के साथ भर्ती कराया गया था । उन्होंने रोगी की जांच की और पाया कि गर्दन के अंतिम भाग

पर घाव मामूली था और क्षति किसी कुंद वस्तु से कारित की गई थी और यह क्षति साधारण प्रकृति की थी । उन्होंने संपूर्ण रिपोर्ट को प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नित किया ।

प्रतिपरीक्षा के दौरान, इस साक्षी ने बताया कि उसने रिपोर्ट में रोगी के पिता का नाम नहीं लिखा था और रिपोर्ट के अनुसार, रोगी को तारीख 19 अक्तूबर, 2017 को छुट्टी दे दी गई थी । उन्होंने आगे यह बताया कि उन्होंने "मामला और लक्षण" कॉलम में अभिलेख के अनुसार उल्लेख किया था और अभिलेख का अर्थ है आपातकालीन विभाग में संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा गया फॉर्म । वह उस समय आपातकालीन विभाग (इमरजेंसी) में तैनात चिकित्सा अधिकारी का नाम नहीं बता सका । रोगी को धर्मनगर अस्पताल से जी.बी.पी. अस्पताल भेज दिया गया था, परंतु रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया गया था और अन्वेषण के दौरान उन्होंने पाया कि घावों की सिलाई की गई थी और यह कार्य धर्मनगर अस्पताल में किया गया था ।

आरोप के निर्धारण के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का सारांश और सार का उल्लेख ऊपर किया गया है ।

19. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और निम्न न्यायालय के अभिलेख का भी अवलोकन किया है । निश्चित रूप से इस मामले में अभियोजन पक्ष अपराध में प्रयोग किए गए अभिकथित हथियार को प्रदर्श के रूप में सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत नहीं कर सका है । न ही प्रतिवादी (प्रथम) की ओर से उसे अभिगृहीत करने का कोई प्रयास किया गया है । अभियोजन पक्ष अपराध के वास्तविक स्थान (घटनास्थल) के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका है क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि अभिकथित घटना स्थल एक नाले पर था । परंतु जब साक्षी निम्न न्यायालय के समक्ष साक्षी-कठघरे में आए, तो उन्होंने कहा कि अभिकथित घटना आवासीय झोपड़ी के पीछे घटित हुई थी और प्रतिवादी (प्रथम) जब साक्षी-कठघरे में आया, तो उसने कहा कि घटनास्थल एक तालाब के पास था । इस संबंध में, अभियोजन पक्ष बहस के दौरान कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका ।

20. अब यदि हम पीड़ित के साक्ष्य पर विचार करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभिकथित घटना के समय पीड़िता और अपीलार्थी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था । घटना के तुरंत बाद पीड़िता अपने पिता की चिमटे की दुकान पर गया और घटना का विवरण दिया । परंतु पीड़ित के माता-पिता के अतिरिक्त अन्य साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के आरोपों के संबंध में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया ।

21. अब यदि हम पीड़ित के माता-पिता तथा पीड़ित के साक्ष्य पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के समक्ष अपनी अन्वेषण के दौरान वे तीनों साक्षी, अन्वेषण अधिकारी को दिए गए अपने पूर्व बयानों से मुकर हो गए हैं । अभियोजन पक्ष भी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सका ।

22. इस मामले में और भी दिलचस्प बात यह है कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए रक्तरंजित रेत या अभिकथित गमछा पेश करने में विफल रहा, जिससे पीड़ित ने अभियोजन पक्ष के अनुसार अपने गले में लपेटा था । अभियोजन पक्ष यह भी स्पष्ट नहीं कर सका कि अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी ने उन वस्तुओं को क्यों नहीं अभिगृहीत किया । विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान भी अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए उक्त वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल रहा ।

23. जैसाकि पहले ही कहा जा चुका है, अभियोजन पक्ष की ओर से अभिकथित अपराध में प्रयुक्त हथियार को बरामद करने का कोई प्रयास नहीं किया गया । अब, यदि हम चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य पर विचार करें, जिन्होंने अन्वेषण के दौरान बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि क्षति की प्रकृति हल्की थी और किसी कुंद हथियार से पहुंचाई गई थी, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क यह था कि क्षति चाकू से कारित की गई थी । चाकू को कुंद हथियार नहीं कहा जा सकता । संबंधित चिकित्सा अधिकारी (अभि. सा. 10) ने अपनी अन्वेषण के दौरान पीड़ित के शरीर के अन्य अंगों पर आई क्षतियों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

24. तर्क की सुनवाई के दौरान, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री पी. के. बिस्वास ने निम्नलिखित उद्धरणों का अवलंब लिया है :–

सैयद इब्राहीम बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] [मामला सं. एस.एल.पी. (सी.आर.आई.) सं. 2787/2005 तारीख 27 जुलाई] वाले मामले में उद्धृत किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 11 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया :–

> "11. ऊपर बताए गए सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में यह देखा जाना चाहिए कि अभि. सा. 1 का साक्ष्य किस हद तक ठोस और विश्वसनीय है । केवल इसलिए कि वह एकमात्र साक्षी था जिसने दावा किया था कि उसने घटना देखी है, जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम' कहा गया है) की धारा 134 में कही गई बातों की पृष्ठभूमि में उनके साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता । किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या आवश्यक नहीं है, विरचित आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायालयों द्वारा सुसंगत साक्ष्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए न कि साक्षियों की संख्या पर । इसलिए, यदि अभि. सा. 1 के साक्ष्य को ठोस और विश्वसनीय माना जाता है तो अभियोजन पक्ष को सफलता मिलेगी । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी के पिता (अभि. सा. 1) ने विधि का अवलंब लेने का दावा किया था । अभि. सा. 1 के साक्ष्य का आशय यह था कि घटना के एक भाग को देखने के पश्चात् उसे दौड़ कर पुलिस थाने जाना पड़ा और लगभग पांच मिनट के भीतर वापस आ गया था । अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उसके साक्ष्य के इस भाग की सत्यता को गलत साबित करता है । घटना रात्रि में लगभग 10 बजे हुई बताई जाती है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुलिस थाने में रात करीब 11.30 बजे दर्ज की गई । अभि. सा. 1 और अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया कि अभिकथित घटनास्थल और पुलिस थाने की दूरी को देखते हुए किसी व्यक्ति को पैदल पुलिस थाने पहुंचने में लगभग एक घंटा

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2908.

लगेगा । एक और महत्वपूर्ण बात अभि. सा. 1 ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार की है कि रिपोर्ट (प्रदर्श बी-1) पुलिस थाने में सब-इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल की मौजूदगी में लिखी गई थी । परंतु अपनी मुख्य-परीक्षा में उसने यह कहा था कि उसने एक होटल में किसी व्यक्ति से रिपोर्ट लिखवाई थी और वह व्यक्ति आमतौर पर याचिकाएं लिखता है । अभिकथित तौर पर रिपोर्ट लिखने वाले इस व्यक्ति का कोई विवरण, यहां तक कि उसका नाम भी अभि. सा. 1 द्वारा नहीं बताया गया था । उसका साक्ष्य इस आशय का है कि वह अकेले ही उस पुलिस थाने में आया था जहां रिपोर्ट दर्ज की गई थी और इस तरह उसने स्वीकार किया कि रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखी गई थी परंतु एक और महत्वपूर्ण बात है जो अभियोजन पक्ष के बयान और साक्षी के रूप में अभि. सा. 1 की विश्वसनीयता को पूरी तरह से झुठला देती है । उसने चार अलग-अलग जगहों पर घटना होने का संकेत दिया है । अपनी मुख्य-परीक्षा में उसने कहा कि घटना उसके घर पर हुई थी । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कहा कि घटना उसकी पत्नी, यानी मृतक की मां, के घर पर हुई थी । इस निर्विवाद स्थिति को देखते हुए और वास्तव में अभि. सा. 1 की इस संस्वीकृति पर विचार करते हुए कि वह और उसकी पत्नी लगभग दो दशक पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे और वह अपनी पत्नी से मिलने में इच्छुक नहीं था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जिस पर विचार करना चाहिए । तब यह प्रश्न स्वतः ही उठेगा कि तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद वह अभिकथित घटना को अपनी पत्नी के घर में कैसे देख सकता था । मामला यहीं समाप्त नहीं होता है । प्रतिपरीक्षा में उसने आगे यह भी कहा कि घटना उसकी पत्नी के घर के सामने छोटी गली में घटित हुई थी । यह उस कथन से स्पष्ट रूप से भिन्न है कि घटना घर के अंदर हुई थी जहां अभिकथित तौर पर वह, मृतक, उसका पुत्र (अभि. सा. 2) और बेटियां (अभि. सा. 3) और (अभि. सा. 6) मौजूद थे । बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है । उसने यह स्वीकार किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श बी-1) में उसने घटनास्थल को मृतक का घर बताया था । यद्यपि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभी तक एक ठोस सबूत नहीं है, परंतु इसका उपयोग साक्षी की सत्यता को परखने के

लिए किया जा सकता है । अभि. सा. 1 ने स्वीकार किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में जो कहा गया था वह सही था । जब घटनास्थल का पता ही नहीं चला है तो अभियोजन पक्ष के बयान को स्वीकार करना उचित नहीं होगा ।"

मणि राम और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] (दांडिक अपील संख्या 238/1993 तारीख 13.05.1994) 1994 वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 7 और 9 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया :–

"7. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया है कि प्रभु नाथ (अभि. सा. 2) कोई और नहीं बल्कि मृतक का सगा भाई है और इसलिए वह एक अत्यंत रुचिकर साक्षी है, अतः अपीलार्थियों को दोषी ठहराने में उसके एकमात्र साक्ष्य को स्वतंत्र स्रोत से किसी भी पुष्टि के बिना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी प्रभु नाथ का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य के अनुरूप नहीं है, जो तथ्य अपने आप में यह मानने के लिए पर्याप्त है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं बल्कि एक बनावटी साक्षी है और इस तथ्य को दोनों निचले न्यायालयों ने अनदेखा कर दिया है और इसलिए, दोनों निचले न्यायालयों के निष्कर्ष गंभीर रूप से निर्बल हैं और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता । प्रभु नाथ (अभि. सा. 2) और डॉ. टेकरीवाल (अभि. सा. 1) के साक्ष्य का गहन परिशीलन करने पर, हमें यह पता चलता है कि उपरोक्त दलील में बहुत बल है ।

9. उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त यह भी बताया जा सकता है कि प्रभु नाथ (अभि. सा. 2) ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थियों के गन्ने के खेत से निकलने के तुरंत बाद और जब अपीलार्थी संतराम ने बासदेव को चुनौती दी, तो वह भागने लगा और उस समय अपीलार्थी मणि राम पूर्व-पश्चिम की ओर 60-70 गज की दूरी पर खड़ा था और अपीलार्थी आज्ञा राम ने जो मणि राम से लगभग 4-5 फीट

[1] (1994) (सप्ली.) 2 एस. सी. सी. 289 = 1994 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 2298.

की दूरी पर खड़ा था, बासदेव का पीछा किया और जब मृतक भाग रहा था, तब दोनों ने अपने कट्टों से उस पर गोली चलाई । यह कथन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि मृतक पर पीछे से उस समय गोली चलाई गई थी जब वह भाग रहा था और अपीलार्थी मणि राम और आज्ञा राम उसका पीछा कर रहे थे । ऐसा होने पर गोली या छर्रे की क्षतियां उसकी पीठ पर या कम से कम उसके कंधे के पीछे कहीं न कहीं लगनी चाहिए थीं । क्षति संख्या 7 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दाएं कंधे और ऊपरी बांह के सामने और बाहरी भाग पर 17 × 13 सेमी के क्षेत्र में कई गोली के घाव थे परंतु पीठ पर या कंधे के पीछे कहीं भी कोई क्षति कारित नहीं हुई थी । क्षति संख्या 7 के अतिरिक्त गोली से कोई अन्य क्षति कारित नहीं हुई है । न तो उस चिकित्सक ने जिसने सबसे पहले क्षतिग्रस्त बासदेव की चिकित्सा जांच की थी और न ही शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने आहत की पीठ या कंधे के पिछले भाग पर कोई क्षति पाई जिससे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रभु नाथ के एकमात्र साक्ष्य की पुष्टि हो जाती । इस न्यायालय के निर्णयों की लंबी श्रृंखला से यह पूर्णरूपेण स्थापित हो चुका है कि जब प्रत्यक्ष साक्ष्य, विशेषज्ञ के साक्ष्य से मेल नहीं खाता है तब अभियोजन पक्षकथन के साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग कमजोर हो जाता है और इसलिए, ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा । यदि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य का पूरी तरह समर्थन नहीं होता है तो यह अभियोजन पक्षकथन का एक मूलभूत दोष माना जाएगा है और जब तक इस विसंगति का उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है तब तक यह न केवल साक्ष्य को बल्कि पूरे मामले को ही दूषित करने के लिए पर्याप्त है । वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एकमात्र साक्षी प्रभु नाथ का साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह मेल नहीं खाता, इसलिए उसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मानना कठिन है और इसलिए एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि को आधार बनाना सुरक्षित नहीं होगा । अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है । परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त किए जाने योग्य है ।”

हरियाणा राज्य बनाम **इंद्रराज और अन्य**[1] (दांडिक अपील संख्या 532-33/1984 तारीख 30.03.1993) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 7 में निम्न मत व्यक्त किया :–

7. ये अपीलें दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध की गई हैं और चूंकि उच्च न्यायालय ने अपनी संतुष्टि के लिए निचले न्यायालय के निष्कर्षों को पलट दिया है, इसलिए हमने दोनों प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है । उनके साक्ष्यों से यह पता चलता है कि वे हितबद्ध साक्षी हैं । इसलिए, उनके साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच आवश्यक है । जहां तक अभि. सा. 4 का संबंध है, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह प्रातः 9 बजे स्कूल गया था और उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि गणतंत्र दिवस होने के कारण स्कूल में एक समारोह था जिसमें ध्वजारोहण, भाषण, खेलकूद और पुरस्कार वितरण जैसे कुछ कार्यक्रम थे । चूंकि साक्षी 18 वर्ष का छात्र है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक कार्यक्रम में लगने वाले समय को जानता हो । यदि हम समयों को जोड़ दें, तो जैसा कि प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल ने बताया है, पूरा समारोह दोपहर 1.15 बजे के पश्चात् समाप्त हुआ होगा, ऐसी स्थिति में इस साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसे घटनास्थल तक पहुंचने के लिए स्कूल से तीन मील की दूरी तय करनी पड़ी। प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि वह एक हितबद्ध साक्षी है । फिर अभि. सा. 3 के साक्ष्य की बात करें तो, निस्संदेह, उसने लगभग 1.40 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दी थी परंतु फिर संदेह यह होगा कि घटना दोपहर 12 बजे या उससे पहले घटित हुई थी । किसी भी स्थिति में उसका आचरण अस्वाभाविक ही प्रतीत होता है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि मृतक, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका भतीजा ही है, गली में जा रहा था और वह उसके पीछे 10-15 कदम चला परंतु जिस तरह से उसने घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति का

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 115.

वर्णन किया है उससे उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ संदेह होता है । इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि घटनास्थल थोड़ी दूरी पर है और आसपास कई घर हैं परंतु कम से कम यह दिखाने के लिए कि यह साक्षी घटना के तत्काल पश्चात् वहां मौजूद था, किसी भी निवासी की परीक्षा नहीं कराई गई है और अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । स्थानीय सरपंच राम रिख (प्रतिरक्षा साक्षी 1) का साक्ष्य यह है कि उनका घर घटनास्थल के बहुत निकट था और प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके साक्ष्य को खारिज करने के लिए उचित हो । प्रतिरक्षा साक्षी 1 ने कहा है कि लगभग 10.30 बजे वह बाहर आया और उसने शव देखा । घटनास्थल के बहुत निकट स्थित घर का निवासी होने के नाते, उसके कथन को खारिज नहीं किया जा सकता । यदि उसका कथन स्वीकार कर लिया जाए तो घटना के समय अभि. सा. 3 की उपस्थिति संदिग्ध हो जाती है । अभियोजन पक्ष ने उस क्षेत्र के किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ नहीं की है । अभि. सा. 3 अत्यधिक हितबद्ध साक्षी होने के नाते, अपराध में प्रयुक्त हथियार की प्रकृति के संबंध में कुछ सुधार भी किए हैं और चूंकि सम्पूर्ण मामला बिना किसी पुष्टि के उनके एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए हम सोचते हैं कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में प्रतिवादियों को दोषी ठहराना अत्यधिक असुरक्षित है । इन कारणों से ये अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अमर सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य**[1] (दांडिक अपील संख्या 161/1978 तारीख 17.2.1987) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 10 और 11 में निम्नानुसार मत व्यक्त किया है :–

10. इस संबंध में, हम दूसरे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अनोख सिंह (अभि. सा. 6) के साक्ष्य को निर्दिष्ट कर सकते हैं । अपनी मुख्य-परीक्षा में इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने का प्रयास किया है परंतु प्रतिपरीक्षा में उसने स्पष्ट और सटीक शब्दों

---

[1] 1987 क्रिमिनल ला जर्नल 706.

में कहा कि उसने मृतक प्यारा सिंह को अभियुक्तों के हाथों कोई क्षति कारित होते हुए नहीं देखा । इसलिए, अभि. सा. 6 के साक्ष्य का अवलंब नहीं लिया जा सकता । जहां तक मूर्ति सिंह (अभि. सा. 4) का संबंध है, वह वास्तविक घटना का साक्षी नहीं है, क्योंकि वह ईशर दास के पुत्र अमर सिंह और रतन सिंह द्वारा पीछा किए जाने पर धारीवाल ग्राम की ओर भागने लगा था और झाड़ियों में छिप गया था । फिर वह डर के मारे झाड़ियों में कुछ देर रुका और फिर अपने घर चला गया । उसकी मां (अभि. सा. 5) ने उसे बताया कि उसके भाई प्यारा सिंह की बचन सिंह के घर में हत्या कर दी गई है और उसे घर से भाग जाना चाहिए । इस प्रकार, तीन साक्षियों में से एकमात्र साक्षी श्रीमती वीरो (अभि. सा. 5) है जिसने अपीलार्थियों और अन्य अभियुक्त द्वारा मृतक प्यारा सिंह की पिटाई के बारे में साक्ष्य दिया है । उनका साक्ष्य, जैसाकि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है ।

11. हम अभि. सा. 5 के साक्ष्य पर आगे विचार कर सकते हैं कि प्यारा सिंह की हत्या कहां की गई थी । अपने मुख्य-परीक्षा में उसने यह कहा कि सभी अभियुक्त, मृतक प्यारा सिंह को बचन सिंह के घर के आंगन में ले गए जहां उसे अमर सिंह (अपीलार्थी सं. 1) ने थप्पी से पीटा । इसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्यारा सिंह को बचन सिंह के घर के कमरे के अंदर खींच लिया गया । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा कि घटनास्थल पर ही प्यारा सिंह की हत्या करने के पश्चात् अभियुक्त उसे घर के कमरे के अंदर ले गए । यद्यपि, सबूत यह है कि कमरे से रक्त बरामद किया गया था और आंगन में कोई रक्त नहीं मिला था । इसलिए, उसका साक्ष्य उस स्थान के बारे में असंगत है जहां अभियुक्त ने प्यारा सिंह की हत्या की थी । इस संबंध में, यह इंगित किया जा सकता है कि यद्यपि मुर्त सिंह (अभि. सा. 4) के साक्ष्य के अनुसार, जब वह घर आया तो उसने अपनी मां को रोते हुए पाया और उसने उसे बताया कि अभियुक्त ने प्यारा सिंह की हत्या कर दी है । अभि. सा. 4 द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उसकी मां के इस कथन का

कोई उल्लेख नहीं है कि प्यारा सिंह की हत्या अभियुक्तों द्वारा की गई थी ।

आशिम दास और अन्य आदि बनाम **असम राज्य**[1] (1978 की दांडिक अपील संख्या 109, 113 और 119, तारीख 2.5.1986) वाले मामले के पैरा संख्या 7 और 11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया :–

> "7. डॉ. हॉक (अभि. सा. 7) ने, जिन्होंने शव-परीक्षण किया था, पांच क्षतियां पाईं; एक खरोंच, दो विदीर्ण घाव और दो गुमटे । उनके अनुसार, कारित क्षतियों से मृतक को सदमा और इंट्रा-क्रेनियल रक्तस्राव हुआ और इसी के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कहा है कि यह इंट्राक्रैनियल रक्तस्राव क्षति नंबर 4 यानी माथे के बाईं ओर 3" × 2" क्षेत्र के ऊपर गुम-क्षति (नील-लांछल) के कारण हुआ था।
>
> 11. **राम नारायण** [ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1727 = 1975 क्रिमिनल ला जर्नल 1500] वाले मामले में यह माना गया था कि यदि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं तो यह अभियोजन पक्षकथन का एक सबसे बुनियादी दोष माना जाएगा और यदि उचित रूप से स्पष्टीकरण न दिया जाए तो यह पूरे मामले को दूषित करने के लिए पर्याप्त होगा । **पुरुषोत्तम** [ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1873 = 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 1298] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि घातक क्षति के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य और अभिकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बीच यदि कोई विरोधाभासी साक्ष्य आता है तो चिकित्सीय साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । **मौला बख्श** [(1983) 1 एस. सी. सी. 379 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1980 एस. सी. 34] वाले मामले में यह माना गया था कि यदि शव-परीक्षा रिपोर्ट और जांच रिपोर्ट में कोई विसंगति है और यदि शव-परीक्षा और शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक का साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय है, तो शव-

[1] 1987 क्रिमिनल ला जर्नल 1533 (जीएयू).

परीक्षा रिपोर्ट को स्वीकार करके विसंगति का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए यदि यह अभियुक्त के लिए अधिक अनुकूल हो ।

गुरमेज सिंह और अन्य बनाम **पंजाब राज्य**[1] (दांडिक अपील संख्या 778/1979, तारीख 16 जुलाई 1991) वाले मामले के पैरा संख्या 8 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न मत व्यक्त किया :–

8. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने आगे यह दलील दी कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी ज्ञान सिंह गंडासी से लैस था और उसने मृतक की छाती पर गंडासी से वार किया था । आमतौर पर गंडासी के वार से चीरा लग जाता है, जबकि मृतक की छाती पर 5" × 1" माप की खरोंच थी जो किसी कठोर और कुंद वस्तु से कारित हुई थी । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, आमतौर पर जब कोई साक्षी किसी विशेष हथियार के प्रयोग किए जाने का साक्ष्य देता है, तो यह मानने का कोई आधार नहीं होता कि हमलावर ने हथियार के कुंद भाग का प्रयोग किया था । इस तर्क के समर्थन में, काउंसेल ने हमारा ध्यान दो निर्णयों की ओर आकर्षित किया, अर्थात्, हल्लू **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(1974) 4 एस. सी. सी. 300 = 1974 क्रिमिनल ला जर्नल 1385] और नछत्तर सिंह **बनाम** पंजाब राज्य [(1976) 1 एस. सी. सी 750 = 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 691] । इसलिए, उनके द्वारा दी गई दलील में, छाती पर पाई गई क्षति का श्रेय ज्ञान सिंह को नहीं दिया जा सकता, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने गंडासी का प्रयोग किया था । हमें इस तर्क में कोई बल दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसलिए कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ज्ञान सिंह ने गंडासी के कुंद भाग का प्रयोग किया था । यदि अभियोजन पक्ष के साक्षी इस मामले में चुप रहते, तो काउंसेल की दलीलों का अवलंब लिया जाता । परंतु जहां अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हथियार के कुंद भाग का प्रयोग किया गया था, वहां यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि

---

[1] 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 293.

हथियार के उस नुकीले भाग का प्रयोग किया गया था जिसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है । उपरोक्त दोनों निर्णयों में की गई टिप्पणियां इसके विपरीत नहीं हैं । वास्तव में, पहले उल्लेखित मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो उनके साक्ष्य मान्य होंगे न कि उनका सामान्य अर्थ लगाया जाए । यद्यपि, विद्वान् काउंसेल ने शिकायत की है कि अभियोजन पक्ष ने इस प्रश्न पर डॉ. मल्होत्रा (अभि. सा. 1) की राय जानने की कोशिश नहीं की है कि क्या गंडासी के वार से ऐसा घर्षण आना संभव है । उनके अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय ने करतारे **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1976) 1 एस. सी. सी 172 = 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 13] और ईश्वर सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [(1976) 4 एस. सी. सी 355 = 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1883] में यह माना है कि अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य था कि वह इस संबंध में चिकित्सक की राय जाने । अभि. सा. 1 ने अपनी मुख्य-परीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि क्षति संख्या 2, 3 और 4 एक कुंद हथियार से कारित हुई थीं । यह सच है कि उनसे विशेष रूप से यह नहीं पूछा गया था कि क्या सीने में क्षति गंडासी के कुंद भाग से कारित हो सकती है । यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष को साक्षी को हथियार दिखाकर चिकित्सक की राय जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या कोई विशेष क्षति उस हथियार से संभव है जिससे क्षति कारित होने का आरोप है । वास्तव में, पीठासीन अधिकारी को स्वयं राय जाननी चाहिए थी । यद्यपि, इस मामले में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य स्वीकार्य है और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के साथ-साथ अभि. सा. 4 से भी इसकी पुष्टि होती है । यदि चिकित्सकीय साक्षी ने भी ऐसी राय दी होती तो इससे और पुष्टि हो जाती। परंतु उनकी राय जानने में हुई चूक से अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का प्रत्यक्ष साक्ष्य संदिग्ध या निर्बल नहीं बन सकता । इसलिए, हमें इस दलील में कोई सार दिखाई नहीं देता है । वास्तव में यदि हम

अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा पर विचार करें तो यह पता चलता है कि प्रतिरक्षा में यह पक्षकथन रखा गया था कि ये तीनों क्षतियां शरीर के किसी कठोर सतह पर रगड़ खाने से कारित हुई हैं यह एक ऐसा वृत्तांत है जिसे खारिज किया जाना चाहिए ।”

मीरान बख्श बनाम **लीलू** उर्फ **सगीर अहमद और अन्य**[1] (1992 की दांडिक अपील संख्या 410 और 411, तारीख 23 जुलाई, 1993) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 3 में निम्न मत व्यक्त किया है :–

“3. अभियोजन पक्षकथन यह है कि मंजूर अहमद नामक व्यक्ति ने 8 नवंबर, 1983 को पुलिस को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें यह कहा गया था कि जब वह और उसका चचेरा भाई अपनी मीट की दुकान में काम कर रहे थे और मृतक नजरुद्दीन लगभग 8 बजे वहां बैठा हुआ था तो लोहे की छड़ों और हॉकी से लैस होकर अभियुक्त अचानक वहां आ धमके और मृतक से पूछताछ की और अपने-अपने हथियारों से उस पर हमला कर दिया । इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दंड संहिता की धारा 147, 148, 307 और 323 के अधीन अपराध अभिलिखित किया । अन्वेषण आरंभ किया गया । इसके पश्चात् रात में मृतक नजरुद्दीन की मृत्यु हो गई और एक परिवर्तित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट जारी की गई । शव की मृत्यु समीक्षा की गई और शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने 18 बाह्य क्षतियां पाईं और उनमें से एक क्षति सिर में पायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप अस्थिभंग हो गया था । चिकित्सक की राय थी कि मृतक की मृत्यु इंट्रा-क्रेनियल रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई थी । अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1, 6 और 20 के साक्ष्य का अवलंब लिया । अभि. सा. 1 मुख्य साक्षी है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि लल्लू (अभियुक्त सं. 1) और मृतक के बीच कुछ पैसों को लेकर विवाद था और उनके बीच झगड़ा हुआ था और घटना वाले

---

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 1612.

दिन सभी अभियुक्त एक समूह में आए और मृतक पर हमला कर दिया । इस साक्षी की लंबी प्रतिपरीक्षा की गई । उच्च न्यायालय ने इस साक्षी के साक्ष्य की बहुत विस्तार से जांच की और कई विरोधाभासों और विसंगतियों को इंगित किया । यदि अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर विश्वास किया जाए तो आस-पास के पत्थरों पर अवश्य ही रक्त रहा होगा परंतु दुकान में या दुकान के पास या नाले को ढकने वाले पत्थरों पर कोई रक्त मिला ही नहीं । उच्च न्यायालय ने बताया कि कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं रखा गया है । अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने भी यही कहा है कि मृतक पर दुकान के अंदर हमला किया गया था परंतु यह आश्चर्य की बात है कि वहां कोई रक्त नहीं मिला । इसी तरह का साक्ष्य अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अर्थात् नूर मोहम्मद (अभि. सा. 2) द्वारा दिया गया है । अभि. सा. 6, अभि. सा. 8, अभि. सा. 20 और अभि. सा. 21 का साक्ष्य भी है जिस पर उच्च न्यायालय ने विस्तार से विचार किया है । जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है, सभी ने तोते की तरह एक ही कथन किया है । उच्च न्यायालय ने उनके साक्ष्यों पर विस्तार से विचार करने के पश्चात् यह माना कि वे एक ऐसा बयान लेकर आए हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उन्होंने घटना की उत्पत्ति को छिपाया है । उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि अन्वेषण निष्पक्ष तरीके से नहीं किया गया था ।”

हरचंद सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य**[1] (दांडिक अपील संख्या 32/1970, तारीख 31.08.1973) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा संख्या 10 में निम्न मत व्यक्त किया है :–

10. दूसरा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, जिसके साक्ष्य का अभियोजन पक्ष ने अवलंब लिया है, राम आसरा (अभि. सा. 14) है । जहां तक इस साक्षी का संबंध है, हमारा यह निष्कर्ष है कि मृतक अजायब सिंह ने खन्ना अस्पताल में पुलिस उपनिरीक्षक हरभजन

---

[1] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 344.

सिंह द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युपूर्व बयान में घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति का उल्लेख नहीं किया था । राम आसरा के अनुसार, वह उस समय मृतक के साथ कुएं पर काम कर रहा था जब तीनों अभियुक्त वहां आए और मृतक पर हमला किया । यदि राम आसरा वास्तव में घटना के समय मृतक अजायब सिंह के साथ मौजूद था और काम कर रहा था, तो यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक ने मृत्युपूर्व बयान में इस तथ्य का उल्लेख क्यों नहीं किया । अमरजीत सिंह, माल सिंह और तेजा सिंह के साक्ष्य, जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया, यह दर्शाते हैं कि राम आसरा ने घटना नहीं देखी थी । राम आसरा का नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं था, क्योंकि उक्त रिपोर्ट अजायब सिंह के मृत्युपूर्व बयान पर आधारित थी । इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखना चाहता है, वह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से एक अविश्वसनीय साक्षी साबित होता है । वर्तमान मामला ऐसा है जिसमें अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का एक समूह, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों से मेल नहीं खाता है । उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस आधार प्राप्त करना कठिन लगता है ।

उक्त उद्धरणों का उल्लेख करते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उपरोक्त उद्धरणों के सिद्धांतों को इस मामले में लागू किया जा सकता है ।

25. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक ने **बीरबल नाथ** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[1] (2008 की दांडिक अपील संख्या 1587 तारीख 30 अक्तूबर, 2023) वाले मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के एक उद्धरण का अवलंब लिया जिसके पैरा संख्या 20, 21, 22, 23 और 28 में निम्न मत व्यक्त किया :–

---

[1] 2023 एस. सी. सी ऑनलाइन एस. सी. 1396 = ए. आई. आर. 2023 एस. सी. 5644.

20. इसमें कोई संदेह नहीं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन "पूर्व बयान" हैं और इसलिए उनका उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा के दौरान "पूर्व बयान" के रूप में किया जा सकता है । परंतु यह केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए अर्थात् ऐसे साक्षी का "खंडन" करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है । यदि प्रतिरक्षा पक्ष किसी साक्षी का खंडन करने में सफल भी हो जाता है, तो इसका सदैव यह मतलब नहीं होगा कि उसके दो बयानों में विरोधाभास के कारण उस साक्षी की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी । यहीं पर हमें लगता है कि उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायाधीशों ने गलती की है ।

21. दोनों बयानों में विरोधाभास किसी साक्षी को अविश्वासनीय ठहराने के लिए पर्याप्त हो भी सकता है और नहीं भी । साक्ष्य अधिनियम की धारा 155 के साथ धारा 145 को किसी भी मामले में सावधानीपूर्वक लागू किया जाना चाहिए । इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि रामी (अभि. सा. 2) एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, और मृतक की पत्नी होने के नाते उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनके खेत में उसकी उपस्थिति स्वाभाविक है । अपनी मुख्य-परीक्षा में उसके बयान में घटना का विवरण और प्रत्येक हमलावर को सौंपी गई सटीक भूमिका का विवरण दिया गया है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा विस्तार से की है । ऐसे मामलों में कुछ विसंगतियां अवश्य होती हैं जब हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि यह साक्षी एक महिला है जो एक ग्राम में रहती है और एक किसान की पत्नी है जो अपनी भूमि जोतता है और अपने हाथों से फसल उगाता है । दूसरे शब्दों में, वे बड़े किसान नहीं हैं । ग्रामीण परिवेश, न्यायालय में ऐसे साक्षी की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करते समय सुसंगत कारक हैं । इसके अतिरिक्त, किसी साक्षी की

प्रतिपरीक्षा विस्तार से कराए जाने के परिणामस्वरूप प्रायः विरोधाभास आ सकते हैं । परंतु ये विरोधाभास सदैव किसी साक्षी को अविश्वासनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होते । रम्मी **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य [(1999) 8 एस. सी. सी 649 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3544] वाले मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था :–

> "24. जब किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से विस्तार से पूछताछ की जाती है, तो यह पूरी तरह संभव है कि वह कुछ विसंगतियां दे । कोई भी सच्चा साक्षी कुछ विसंगतियां देने से बच नहीं सकता । संभवतः एक मिथ्या साक्षी, जिसे अच्छी तरह से सिखाया-पढ़ाया गया हो, अपने साक्ष्य को पूरी तरह से विसंगति रहित बना सकता है । परंतु न्यायालयों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी साक्षी के साक्ष्य को केवल तभी त्यक्त करना चाहिए जब उसके साक्ष्य में विसंगतियां उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता के साथ पूरी तरह असंगत हों । परंतु किसी घटना के वर्णन में आने वाले मात्र अंतरों पर बहुत गंभीर दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए (चाहे वह अंतर दो साक्षियों के साक्ष्य के बीच या एक ही साक्षी के दो कथनों के बीच क्यों न हो) जो कि न्यायिक संवीक्षा के लिए यह एक अवास्तविक दृष्टिकोण है ।"

22. इसी मामले में, दो बयानों में विरोधाभास का उपयोग किस सीमा तक साक्षी को अविश्वासनीय ठहराने के लिए किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई है :–

> "25. निचले न्यायालयों में यह आम बात है कि प्रतिपरीक्षा के दौरान साक्षी के पिछले बयान में विरोधाभास निकाला जाता है । सिर्फ इसलिए कि साक्ष्य में असंगति है, साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना पर्याप्त नहीं है । निस्संदेह, साक्ष्य अधिनियम की धारा 155, किसी असंगत पूर्व-बयान को साबित करके साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने

की गुंजाइश देती है । परंतु इस धारा को पढ़ने से पता चलता है कि सभी असंगत बयान साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । धारा का मुख्य अंश नीचे दिया गया है –

"**155. साक्षी की विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाना –** किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा, या न्यायालय की सहमति से, उसे बुलाने वाले पक्ष द्वारा निम्नलिखित तरीकों से आक्षेप लगाया जा सकता है –

(1)-(2)***

(3) अपने साक्ष्य के किसी भाग से असंगत पूर्व कथनों को सिद्ध करके, जिसका खंडन किया जा सकता है;"

"26. एक पूर्ववर्ती कथन, यद्यपि साक्ष्य से असंगत प्रतीत होता है, आवश्यक रूप से खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है । केवल ऐसा असंगत कथन, जिसका "खंडन" किया जा सकता है, साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा । साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 भी प्रतिपरीक्षा करने वाले को साक्षी के किसी भी पूर्व-कथन का उपयोग करने का अधिकार देती है, किन्तु यह चेतावनी देती है कि यदि इसका उद्देश्य साक्षी का "खंडन" करना है, तो प्रतिपरीक्षा करने वाले को उसमें अभिनिर्धारित औपचारिकता का पालन करने का आदेश दिया जाता है । संहिता की धारा 162 भी प्रतिपरीक्षा करने वाले को साक्षी के पूर्व कथन (संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित) का उपयोग केवल सीमित उद्देश्य के लिए, अर्थात् साक्षी का "खंडन" करने के लिए अनुमति दी गई है ।"

23. तहसीलदार सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य [ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 1012] वाले मामले में, यह माना गया था कि किसी साक्षी का खंडन करने का अर्थ उस साक्षी को "अविश्वासनीय ठहराना" होगा । इसलिए, जब तक इस साक्षी का पूर्व कथन किसी

साक्षी को “अविश्वासनीय ठहराने” में सक्षम न हो, तब तक इसकी कोई सुसंगतता नहीं होगी । दो कथनों में मात्र भिन्नता किसी साक्षी को अविश्वासनीय ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इस न्यायालय ने अपने बाद के निर्णयों में, जिसमें **रम्मी** [ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3544] (उपरोक्त) भी सम्मिलित है, लगातार इसका अनुपालन किया है । इसके अतिरिक्त, इस मामले में उच्च न्यायालय ने अन्य अधिक सुसंगत कारकों, जैसे कि साक्षी का क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना, को अनदेखा किया है ।

28. उच्च न्यायालय ने तथ्यों और विधि, दोनों ही दृष्टि से मामले की समीक्षा में चूक की है । एक क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का कथन एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जिसे न्यायालय आसानी से खारिज नहीं कर सकता । छोटी-मोटी विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं हैं । मध्य प्रदेश राज्य **बनाम** मानसिंह एवं अन्य [(2003) 10 एस. सी. सी. 414 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2003 एस. सी. 848] वाले मामले में, जहां निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि का आदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, एक क्षतिग्रस्त साक्षी की अभिकथित विसंगतियों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए निम्न मत व्यक्त किया –

“9. क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य का साक्ष्यात्मक मूल्य अधिक होता है और जब तक ठोस कारण न हों, उनके कथनों को कम महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । मात्र इसलिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में चाकू का उल्लेख नहीं किया गया था, क्षतिग्रस्त साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 4 और अभि. सा. 7 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का प्रभाव समाप्त नहीं हो सकता । छोटी-मोटी विसंगतियों से किसी अन्य स्वीकृत साक्ष्य की विश्वसनीयता को कम नहीं होती है । उच्च न्यायालय द्वारा क्षतिग्रस्त साक्षियों के साक्ष्य को निर्बल बनाने के लिए उजागर की गई परिस्थितियां स्पष्ट रूप से असंगत हैं ।”

उक्त उद्धरण का अवलंब लेते हुए विद्वान् लोक अभियोजक ने न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि मामूली विरोधाभासों के कारण अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है और विद्वान् निचले न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए अपीलार्थी को सही और उचित रूप से दोषी पाया है ।

26. इस मामले में, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था और निचले न्यायालय ने भी अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप विरचित किया था, परंतु निचले न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सका और निचले न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करते हुए अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 323 के अधीन दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध किया है ।

27. किन्तु यहां दिए गए मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विभिन्न कमियां हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और इसके अतिरिक्त पीड़ित और उसके माता-पिता के साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके साक्ष्य में पूर्ण सुधार हुआ है जो उन्होंने न्यायालय में पहली बार किया है, क्योंकि पीड़ित और उसके माता-पिता ने यद्यपि अपनी मुख्य-परीक्षा में एक-दूसरे के कथन का समर्थन करने का प्रयास किया था, किन्तु प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए अपने बयानों से विचलित हो गए हैं । अभियोजन पक्ष, दलीलों की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय को बनाए रखने में उन कमियों को स्पष्ट करने में विफल रहा है और इस विरोधाभास के कारण, इस न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने निर्णय सुनाते समय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की गलत व्याख्या की है या उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया है

जिसके लिए इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान अपीलार्थी, अभिलेख पर उपलब्ध पुष्टिकारी साक्ष्य के अभाव में, संदेह के लाभ पर दोषमुक्ति का हकदार है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा निर्दिष्ट उद्धरण यद्यपि अत्यंत सुसंगत हैं, फिर भी अभिलेख पर उपलब्ध ठोस साक्ष्य के अभाव में इस मामले को लागू नहीं हो सकते ।

28. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उत्तरी त्रिपुरा, धर्मनगर द्वारा सेशन विचरण मामला संख्या (टी-1)/22/2019 के संबंध में तारीख 4 जनवरी, 2024 को दिया गया दोषसिद्धि का निर्णय और दण्डादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी सुब्रता नाथ को संदेह के लाभ पर दोषमुक्त किया जाता है । उसके प्रतिभू भी, यदि कोई हों, बंधपत्र के दायित्व से मुक्त किए जाते हैं । इस प्रकार, मामले के प्रतिवाद का निपटारा किया जाता है ।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख, निचले न्यायालय को भेजा जाए ।

यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया गया है ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

शैलेश महादेव लांजेवर

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य

(2022 की दांडिक अपील सं. 353)

तारीख 12 नवंबर, 2024

न्यायमूर्ति जी. ए. सनप

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366, 376(2)(च) और 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण और बलात्संग – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में अभियोक्त्री के सहमत-पक्षकार होने का अभिवाक् किया जाना – अपीलार्थी और अभियोक्त्री का दामाद और सास का रिश्ता होना – अभियोक्त्री का मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ जाने का यह आचरण इस निष्कर्ष को दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी क्योंकि रात में, उसके पास अपीलार्थी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसकी पुत्री नागभीड़ नहीं आई थी और साथ ही अभियोक्त्री को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव भी नहीं दिया गया कि उस दिन श्रावणी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी, अतः अपीलार्थी सहमत पक्षकार होने का लाभ नहीं ले सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 366, 376(2)(च) और 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण और बलात्संग – अपीलार्थी द्वारा यह अभिवाक् किया जाना कि अभियोक्त्री ने बलात्संग की घटना अपीलार्थी की बहिन और मां को नहीं बताई किन्तु अपीलार्थी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियोक्त्री का साक्ष्य नैसर्गिक पाया जाना – अभियोक्त्री ने अपीलार्थी की बहिन के घर पहुंचने पर अपीलार्थी की मां और बहिन को मारपीट की घटना सुनाई किन्तु उसने अपीलार्थी द्वारा

अपने साथ हुए बलात्संग के बारे में नहीं बताया क्योंकि वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने वहां गई थी और बलात्संग के बारे में बताने पर अभियोक्त्री को और अधिक शर्मिंदगी होती, लेकिन यदि उसने घटना की कोई भी जानकारी नहीं दी होती, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होती और अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा भी नहीं ली है कि इस घटना से पहले उसके अभियोक्त्री के साथ सहमत-संबंध थे अतः अभियोक्त्री के साक्ष्य पर संदेह नहीं किया जा सकता और निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 366 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3, 8 और 9] – अपहरण – अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री को जंगल में लेकर जाना – वन-रक्षक द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त कराना – शनाख्त परेड में, वन-रक्षक ने अपीलार्थी की शनाख्त उसी व्यक्ति के रूप में की जो जंगल में महिला के साथ उनसे मिला था, अतः इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री का अपहरण नहीं किया है ।

इस मामले में अभियोक्त्री इत्तिलाकर्ता है । अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, के विरुद्ध 23 दिसंबर, 2018 को अपराध पंजीकृत किया गया था । रिपोर्ट और अन्य सामग्री से उद्भूत अभियोजन पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री चंद्रपुर बस स्टैंड के आसपास के गोलबाजार में फूल विक्रेता के रूप में व्यवसाय कर रही है । अपीलार्थी और उसकी पत्नी दीपमाला के बीच वैवाहिक विवाद था । उनकी दो पुत्रियां हैं, जिनके नाम श्रावणी और वैष्णवी हैं । अपीलार्थी की पत्नी नागपुर में अलग रह रही थी । 21 दिसंबर, 2018 को अभियोक्त्री को उसकी नातिन श्रावणी का फोन आया था उसने अभियोक्त्री को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है । अभियोक्त्री ने उससे नागभीड़ आकर मिलने का वादा किया । अभियोक्त्री को इसी उद्देश्य से नागभीड़ जाना था । यह अभिकथन किया गया है कि 21 दिसंबर, 2018 को शाम को, अपीलार्थी उसकी (अभियोक्त्री) दुकान पर आया और उससे झगड़ा किया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से अपनी पत्नी को उसके साथ फिर से मिलाने के लिए कहा । उस समय अपीलार्थी ने उसे नागभीड़ में अपने साथ चलने के लिए

विवश किया, जहां श्रावणी रहती थी । अभियोक्त्री वैसे भी अपनी नातिन से मिलने नागभीड़ जाना चाहती थी । वह मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ गई । लोहारा ग्राम में अपीलार्थी ने देशी शराब खरीदी । लगभग 10:00 बजे रात को, नागभीड़ के रास्ते में, अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और देशी शराब पी ली । उसने अभियोक्त्री से कहा कि, चूंकि उसकी पुत्री उसके साथ नहीं रह रही है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है । अभियोक्त्री स्तब्ध रह गई और उसने अपीलार्थी से कहा कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उसकी मां की तरह है । तथापि, अपीलार्थी ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया । अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क के किनारे जंगल में ले गया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को पीटा, उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए । कुछ देर बाद, उसने फिर से उसके साथ यौन संबंध बनाए । यह कहा गया है कि घटनास्थल पर मोटरसाइकिल की चाबियां, जो अपीलार्थी ने अपनी जेब में रखी थीं, गिर गईं और बाद में वह उन्हें ढूंढ नहीं सका । इस कारण से, अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल को हाथ से धकेला और उसे वन विभाग की चौकी की ओर ले गया । वहां पहुंचने पर, उसने चौकी में मौजूद दो लोगों को बताया कि जब वह शौच के लिए गया था तो उससे मोटरसाइकिल की चाबियां कहीं खो गईं थीं और उनसे चाबियां खोजने में सहायता करने का अनुरोध किया । चौकीदारों में से एक ने अपने मोबाइल की रोशनी में चाबियां खोजने में अपीलार्थी की सहायता की । यह कहा गया है कि जब अपीलार्थी और एक चौकीदार चाबियां खोज रहे थे, तब 2-3 अन्य व्यक्ति उक्त चौकी में आए । अभियोक्त्री उनके साथ थी । अभियोजन पक्ष ने इन लोगों को अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने के बारे में बताया । उन्होंने उसे बताया कि उन्हें रात में अपनी ड्यूटी करनी है और उन्हें वहां से चले जाने का निर्देश दिया । आगे अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इसके पश्चात् अपीलार्थी अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल से लेकर आगे गया । अपीलार्थी चिचपाली में बजरंगबली की मूर्ति के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी । उक्त स्थान पर कुछ लोग जलाई गई आग के पास बैठ कर पर स्वयं को ताप रहे थे । उस समय अभियोक्त्री ने आग

के चारों ओर बैठे लोगों को अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलपूर्वक संभोग के बारे में बताया । यद्यपि, अपीलार्थी ने उन लोगों से कहा कि अभियोक्त्री पागल है और इस कारण से उनमें से किसी ने उसकी सहायता नहीं की । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए विवश किया और आगे बढ़ गया । लगभग रात्रि 3:00 बजे, वे अंधारी नदी के पास सड़क पर बने बस स्टॉप पर पहुंचे । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को बलपूर्वक बस स्टॉप शेड में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । प्रातः लगभग 5:00 बजे, अपीलार्थी और अभियोक्त्री नागभीड़ के लिए रवाना हुए । वे पूर्वाह्न लगभग 10:00 बजे अपीलार्थी की बहिन के घर पहुंचे । वहां पहुंचने पर अभियोक्त्री की मुलाकात उसकी नातिन श्रावणी से हुई । अभियोक्त्री ने श्रावणी, जो श्रावणी की मौसी और अपीलार्थी की मां भी है, को अपीलार्थी द्वारा उस पर किए गए हमले के बारे में बताया । इसके पश्चात्, उसने अपीलार्थी की बहिन के घर दोपहर का भोजन किया और दोपहर 12:45 बजे चंद्रपुर के लिए ट्रेन पकड़ी । अपराहन लगभग 3:30 बजे चंद्रपुर पहुंचने पर, अभियोक्त्री अपनी पुत्री शुभांगी के घर गई और उसे अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताया । उसकी पुत्री ने अभियोक्त्री को सांत्वना दी और उसके पश्चात्, वे गांधी चौक स्थित पुलिस स्टेशन गए । वहां से उन्हें रामनगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया । अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई । इस रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध मामला सं. 1485/2018 दर्ज किया गया । अभियोक्त्री को चिकित्सा जांच के लिए चंद्रपुर स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भेजा गया । प्रारंभिक जांच अभि. सा. 11 द्वारा की गई । प्राजक्ता नागपुरे (अभि. सा. 11) ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया । अभियोक्त्री के कपड़े अभिगृहीत किए गए । चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए रक्त के नमूने भी अभिगृहीत किए गए । आरोपी को 23 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया । उसे भी चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया । अपीलार्थी की शनाख्त परेड उन साक्षियों के माध्यम से कराई गई, जिन्होंने उक्त रात में अभियोक्त्री को अपीलार्थी के साथ देखा था । नमूने सी.ए. (रासायनिक विश्लेषक) को

भेजे गए थे । सी.ए. रिपोर्ट और डी. एन. ए. रिपोर्ट प्राप्त की गईं । जांच पूरी होने पर, द्‌वितीय जांच अधिकारी विट्‌ठल मोरे (अभि. सा. 10) द्‌वारा अपीलार्थी के विरुद्‌ध आरोप पत्र दाखिल किया गया । विद्‌वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्‌ध आरोप विरचित किया । अपीलार्थी ने अपने अपराध से इनकार किया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कहा है कि उसे उसकी पत्नी के कहने पर इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । उसका यह तर्क है कि यौन संबंध सहमति से बने थे । अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को दोषी सिद्‌ध करने के लिए ग्यारह साक्षियों की परीक्षा कराई है । विद्‌वान् न्यायाधीश ने साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को आरोप का दोषी ठहराया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्‌ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी ने इस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री की प्रतिपरीक्षा में कुछ चूक और विरोधाभास सामने आए हैं । मुख्य विरोधाभास घटना के आरंभ के संबंध में है । रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जब वह नागभीड़ जाने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड पर थी, अपीलार्थी उससे मिला और वहां उसने उसके साथ झगड़ा किया और उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए विवश किया । अपने साक्ष्य में, उसने यह कहा है कि घटना उसकी फूल की दुकान के सामने हुई और अन्य दुकानदारों की उपस्थिति में अपीलार्थी ने उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए विवश किया । उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलार्थी ने उसके साथ इस आधार पर झगड़ा किया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती है । अपीलार्थी ने उससे फिर से मिलने का आग्रह किया । जहां तक उसके साक्ष्य के इस भाग का संबंध है, यह उसकी रिपोर्ट के अनुरूप है । उसने स्वीकार यह किया है कि चंद्रपुर बस स्टैंड पर घटना के संबंध में तथ्य मिथ्या है । उसके साक्ष्य में यह उल्लेख है कि उसने लोहारा के रास्ते में अपीलार्थी का कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं किया । प्रतिपरीक्षा में उसके द्‌वारा दिए गए जवाबों से यह पता चलता है कि उसके पास भागने या पुलिस और लोगों से अपीलार्थी की शिकायत करने का पर्याप्त

अवसर था । उच्च न्यायालय के विचार से, केवल इसी आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलार्थी उसका दामाद है । उसकी नातिन श्रावणी नागभीड़ में थी । वह उससे मिलना चाहती थी क्योंकि श्रावणी की तबीयत ठीक नहीं थी । श्रावणी ने उससे नागभीड़ आने और उससे मिलने का अनुरोध किया था । अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी के आशय पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था । अपीलार्थी ने उसकी पुत्री से बीस वर्ष पहले शादी की थी । अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा नहीं ली है कि इस घटना से पहले उसके अभियोक्त्री के साथ सहमत-संबंध थे । अभियोक्त्री के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि अपीलार्थी उसके साथ संभोग करेगा । जहां तक अभियोक्त्री की दुकान के सामने झगड़ा होने और झगड़े के कारण का संबंध है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता । यह उल्लेखनीय है कि दुकान के सामने अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच जो झगड़ा हुआ था वह पूरी तरह से घरेलू प्रकृति का था और इस तरह अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग करने के ऐसे किसी भी इरादे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था । अपीलार्थी अपने और अपनी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के कारण निराश था । इसलिए, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अभियोक्त्री इस कृत्य में सहमत पक्षकार थी । यह सच है कि जब उसे मोटरसाइकिल पर उसके साथ जाने के लिए विवश किया गया था तो उसके पास भागने के साथ-साथ शिकायत करने का भी अवसर था । अभियोक्त्री ने अपीलार्थी द्वारा उसके साथ इस तरह के कृत्य की कल्पना भी नहीं की होगी । इसलिए, अभियोक्त्री का मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ जाने का यह आचरण इस निष्कर्ष को दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी । गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है अभियोक्त्री सहमत पक्षकार थी । उसने वन-रक्षक से अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग की शिकायत की, जब उसे पहली बार ऐसा करने का अवसर मिला था । उसने चिचपाली ग्राम में मिले लोगों से भी सहायता की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की ।

रात में, उसके पास अपीलार्थी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । उसके साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर, न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य है । अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसकी पुत्री श्रावणी नागभीड़ नहीं आई थी । अभियोक्त्री को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव नहीं दिया गया कि उस दिन श्रावणी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी । (पैरा 15)

अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि नागभीड़ में अपीलार्थी की बहिन के घर पहुंचने पर उसने अपीलार्थी की मां और बहिन को मारपीट की घटना सुनाई । उसने अपीलार्थी द्वारा अपने साथ हुए बलात्संग के बारे में नहीं बताया । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था । उल्लेखनीय है कि वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने वहां गई थी । उसकी मुलाकात श्रावणी से अपीलार्थी की बहिन के घर पर हुई थी । यदि उसने घटना की कोई भी जानकारी नहीं दी होती, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होती । अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, ने बलपूर्वक बलात्संग किया । संभवतः उसने श्रावणी की मौजूदगी में इस घटना के बारे में अपनी बहिन और मां को बताना ठीक न समझा हो । संभवतः उसने पूरी घटना उन्हें न बताई हो क्योंकि इससे उसे और अधिक शर्मिंदगी होती । अपीलार्थी द्वारा उसका पहले ही बलात्संग और अपमान किया जा चुका था । इस विषय पर और अधिक अपमान और चर्चा से बचने के लिए, उसने संभवतः अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्संग के बारे में उन्हें न बताना ही उचित समझा होगा । उच्च न्यायालय के विचार से, यह अभियोक्त्री के विरुद्ध नहीं जा सकता । यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री के इस तर्क की पुष्टि करने के लिए अन्य ठोस साक्ष्य भी मौजूद हैं कि उसके साथ बलात्संग उसकी सहमति के बिना किया गया था । राजू कोपुलवार वन-रक्षक है । अपने साक्ष्य में उसने 21 दिसंबर, 2018 को रात्रि लगभग 11:00 बजे उनके द्वारा देखी गई घटना का एक अंश सुनाया है । उसने कहा है कि उस दिन वह सोमेश्वर आसुतकर नामक व्यक्ति के साथ रात्रि ड्यूटी पर था । उसने कहा है कि उस समय एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को हाथ

से धक्का देकर वहां लाया । उक्त व्यक्ति ने वन-रक्षक और सोमेश्वर आसुतकर को बुलाया था । इस साक्षी ने कहा है कि उसके साथ एक महिला थी । इस साक्षी ने यह कहा कि उस व्यक्ति ने उन्हें यह बताया कि उसने अपनी चाबियां खो दी हैं और उनसे चाबी ढूंढने में सहायता करने का अनुरोध किया । इस साक्षी ने कहा है कि वन-रक्षक सोमेश्वर, अपीलार्थी के साथ चाबियां खोजने के लिए जंगल में गया । उस समय महिला इस साक्षी के साथ खड़ी थी और महिला ने उसे बताया कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं । उन्होंने कहा है कि जब वह चाबियां ढूंढ़ने के पश्चात् वापस आए तो इस साक्षी ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन उसने उन्हें बताया कि यह महिला पागल है । इस साक्षी ने कहा कि उस समय अभियोक्त्री भयभीत थी । (पैरा 16 और 17)

अपीलार्थी इस साक्षी को नहीं जानता था । पुलिस ने उसे 10 जनवरी, 2019 को अपीलार्थी की शनाख्त परेड कराने के लिए बुलाया था । शनाख्त परेड में, उसने अपीलार्थी की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जो जंगल में महिला के साथ उनसे मिला था । इस साक्षी की गहन प्रतिपरीक्षा की गई । उसने कहा है कि उसने महिला द्वारा की गई बलात्संग की शिकायत के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना नहीं दी थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रात्रि में भी वाहन वहां से गुजर रहे थे । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित होता है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे उसके साक्ष्य को त्यक्त किया जा सके । इस साक्षी को अपीलार्थी से कोई दुश्मनी नहीं थी । जंगल में अपीलार्थी द्वारा चाबियां खो जाने के संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य सुसंगत है । उन्होंने अपीलार्थी को चाबियां ढूंढने में सहायता की थी । इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अभियोक्त्री के साक्ष्य और इस साक्षी के साक्ष्य में सुसंगतता दिखाई देती है । इस साक्षी ने शनाख्त परेड में अपीलार्थी की पहचान की है । इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया था कि जांच के समय उसे अपीलार्थी से मिलने का अवसर मिला

था । उसने इस सुझाव का खंडन किया है । इस साक्षी को दिए गए सुझाव से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने घटना के इस भाग से इनकार नहीं किया है । न्यायालय को उसके साक्ष्य को खारिज करने और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 18)

लक्ष्मण चहारे सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है । वह फूल विक्रेता हैं जिसकी दुकान अभियोक्त्री की दुकान से सटी हुई है । उच्च न्यायालय के विचार से, इस साक्षी का साक्ष्य घटना को साबित करने के साथ-साथ दुकान के सामने घटना के घटित होने के संबंध में असंगति और विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । इस साक्षी ने कहा है कि अभियोक्त्री की फूलों की दुकान उसकी दुकान से सटी हुई है जहां घटना हुई थी । उन्होंने कहा है कि घटना 21 दिसंबर, 2018 को शाम लगभग 7:00 बजे हुई थी । इस साक्षी ने कहा है कि अपीलार्थी वहां आया और अभियोक्त्री से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की । उसने कहा है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को थप्पड़ मारा । उसने यह भी बताया कि उसने और वहां मौजूद अन्य लोगों ने अपीलार्थी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी ने उनकी बात नहीं सुनी । उसने कहा है कि उस समय अभियोक्त्री ने अपना बैग और फूलों की टोकरी उसे सौंप दी थी । उसने अगले दिन उसे यह सब सामान लौटा दिया । उसने कहा है कि अगले दिन अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । इस साक्षी की भी गहन प्रतिपरीक्षा की गई । उसे यह सुझाव दिया गया कि अभियोक्त्री से परिचित होने के कारण उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है । उसने स्वीकार किया है कि पुलिस स्टेशन बाजार के पास है । उसने पुलिस स्टेशन जाकर घटना की सूचना नहीं दी । मेरे विचार से, इस आधार पर उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस साक्षी को यह मालूम था कि अपीलार्थी, अभियोक्त्री का दामाद है । उसकी उपस्थिति में, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से झगड़ा किया था और उसने अभियोक्त्री से उसे उसकी पत्नी से मिलाने का आग्रह किया था । इसलिए इस साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह जाकर पुलिस को इस घटना की सूचना दे । जहां तक इस साक्षी

का संबंध है, अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच झगड़ा पूरी तरह से घरेलू प्रकृति का था । इस झगड़े को रोज़मर्रा का झगड़ा मानते हुए यह हो सकता है कि उसने पुलिस को इसकी सूचना न दी हो । इस साक्षी के साक्ष्य की सूक्ष्म जांच और मूल्यांकन करने पर, न्यायालय को उसके बयान पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि घटना दुकान के सामने घटित हुई थी । इस साक्षी के साक्ष्य से इस बिंदु पर अभियोक्त्री के साक्ष्य की पूरी तरह पुष्टि होती है । भले ही यह मान लिया जाए कि चंद्रपुर बस स्टैंड पर कोई घटना हुई थी, अभियोक्त्री की दुकान के सामने किसी घटना के घटित होने के तथ्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है । अगला महत्वपूर्ण पुष्टिकारक साक्ष्य नमूनों के अभिग्रहण अर्थात् अभियोक्त्री के कपड़े, अपीलार्थी के कपड़े और अपीलार्थी के नमूनों के अभिग्रहण के संबंध में है । अन्वेषण अधिकारी ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री की जांच के पश्चात्, नमूने चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए थे । नमूने विश्लेषण के लिए सी.ए. को भेजे गए थे । नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट रिकॉर्ड का भाग है । जांच के दौरान अभियोक्त्री के साथ-साथ अपीलार्थी के रक्त के नमूने भी एकत्र किए गए थे । सी.ए. की रिपोर्ट प्रदर्श-78 पर है । सी.ए. की परीक्षा जांच नहीं कराई गई है । इसी प्रकार, डी. एन. ए. विश्लेषक की भी परीक्षा नहीं कराई गई है । अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि नमूनों के संग्रह और नमूनों को अग्रेषित करने के संबंध में साक्ष्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है । नमूने प्रदर्श-69 तारीख 25 दिसंबर, 2018 के माध्यम से सी.ए. नागपुर को भेज दिए गए थे । प्रदर्श-70 वाहक का ड्यूटी पास है । प्रदर्श-71 आर.एफ.एस.एल. नागपुर के कार्यालय की पावती है । इससे यह पता चलता है कि नमूने 26 दिसंबर, 2018 को प्रयोगशाला में प्राप्त हुए थे । प्रदर्श-78 में सी.ए. रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चलता है कि वीर्य के धब्बे साड़ी (प्रदर्श-4), पेटीकोट (प्रदर्श-6) और लेगिंग (प्रदर्श-7) पर पाए गए थे । ये वस्त्र अभियोक्त्री से अभिगृहीत किए गए थे । प्रदर्श-79 अभियोक्त्री के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट है । उसका रक्त का ग्रुप 'O' है । प्रदर्श-80 अपीलार्थी के रक्त

के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट है । उसके रक्त ग्रुप के विश्लेषण का परिणाम अनिर्णायक था । यह देखा गया है कि उसके पश्चात् सभी नमूनों को विश्लेषण के लिए डी. एन. ए. अनुभाग में भेज दिया गया था । प्रदर्श-11, डी. एन. ए. रिपोर्ट है । डी. एन. ए. विश्लेषक ने यह राय दी है कि साड़ी (प्रदर्श-4), पेटीकोट (प्रदर्श-6) और लेगिंग (प्रदर्श-7) (बी.एन.-5113/2018) से प्राप्त वीर्य में प्राप्त मिश्रित डी. एन. ए. प्रोफाइल में शैलेश महादेव लांजेवार (बी.एन.-5115/2018) और नंदा दीपक वाखेड़े (बी.एन.-5114/2018) की डी. एन. ए. प्रोफाइल सम्मिलित है । डी. एन. ए. विशेषज्ञ ने आगे यह भी राय दी है कि जननांग स्वैब (प्रदर्श-3) (बी.एन.-5115/2018) से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल पुरुष का है और यह शैलेश महादेव के रक्त नमूने से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है । मेरे विचार से, यह साक्ष्य ठोस और प्रमाणिक है । न्यायालय को इस वैज्ञानिक साक्ष्य को खारिज करने और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । यह साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्संग के संबंध में अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि करता है । अगली महत्वपूर्ण साक्षी चिकित्सा अधिकारी प्रीति बंबोले है । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 22 दिसंबर, 2018 को अभियोक्त्री को रामनगर पुलिस स्टेशन द्वारा चिकित्सा जांच के लिए उसके पास भेजा गया था । जांच करने पर, उसने यह पाया कि पोस्टीरियर फोरचेट पर हल्का रक्तस्राव और खरोंच पाई गई । उसने यह कथन किया है कि उसने यह भी पाया कि दाहिने चूचुक पर काटने के निशान थे । चिकित्सा अधिकारी ने अपने समक्ष उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर यह राय दी कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोक्त्री के कपड़े चिकित्सा अधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं लिए गए थे । अभियोक्त्री द्वारा कपड़े पुलिस को सौंप दिए गए थे और पुलिस ने उन्हें अभिगृहीत कर लिया था । उसने आगे यह साक्ष्य दिया है कि उसने एक ताजा क्षति, रक्तस्राव और सूजन देखी । उसने कहा है कि उसका हाइमन अनुपस्थित था क्योंकि उसने पांच बच्चों को योनि से जन्म दिया था । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना से पांच वर्ष पहले अपीलार्थी और अभियोक्त्री की पुत्री

के बीच वैवाहिक विवाद था । यह अपीलार्थी का बचाव है कि उसे मिथ्या फंसाने के लिए, सहमति से यौन संबंध के इस मामले को उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक बलात्संग का रंग दिया गया है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बचाव संभावित नहीं है । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह अपीलार्थी का पक्षकथन नहीं है कि इस घटना से पहले उसने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे । अभियोक्त्री चंद्रपुर में अकेली रह रही थी । वह अपनी आजीविका के लिए फूल बेचने का व्यवसाय कर रही थी । वह अपनी पुत्रियों पर निर्भर नहीं थी । उसकी पुत्री चंद्रपुर में रहती थी । वे अलग-अलग रह रहे हैं । घटना के दिन, वह 55 वर्ष की थी । अगर यह मान भी लिया जाए कि वह अपीलार्थी के विरुद्ध फाइल किए गए मुकदमे में उसकी पत्नी का समर्थन कर रही थी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस कारण से वह अपने चरित्र पर ऐसा कलंक लगाएगी । ऐसे मामले की पुलिस में रिपोर्ट करने से कलंक के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं । अगर यह सहमति से किया गया कृत्य होता तो वह पुलिस में इसकी सूचना ही नहीं देती । यहां तक कि उसने अपनी पुत्री को भी यह बात बताई है । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी, जो अभियोक्त्री का दामाद है, ने अपनी सास के साथ जो उसकी अपनी मां की उम्र की है, यह शर्मनाक कृत्य किया है । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के नारीत्व को अपवित्र किया है । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी की इस प्रतिरक्षा कि बदला लेने के लिए यह मिथ्या मामला बनाया गया है, पर विश्वास नहीं किया जा सकता । यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि अभियोक्त्री अपीलार्थी को मिथ्या मामले में फंसाना चाहती, तो उसने एक और कहानी गढ़ी होती । वह अपने चरित्र पर इस तरह का सीधा प्रहार नहीं करती । अभियोक्त्री, पांच बच्चों की मां है, उसे जीवन भर इस कलंक को ढोना होगा । अभिलेख पर उपलब्ध सबूत उसके साथ बलात्संग साबित करने के लिए पर्याप्त हैं । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाया है । अभियोक्त्री ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका दामाद उसके साथ ऐसा घृणित कृत्य करेगा । अतः, इस मामले में, न्यायालय को

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को खारिज करने और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । विद्वान् न्यायाधीश ने साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और वे एक उचित एवं तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । न्यायालय को विद्वान् न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । विद्वान् न्यायाधीश द्वारा सभी धाराओं में दिया गया दंड अपराध की गंभीरता के पूर्णतः अनुपातिक है । इस मामले में भी किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 19, 22, 23 और 24)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 353.

विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, चंद्रपुर द्वारा तारीख 21 मार्च, 2022 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री योगेश मंडपे

प्रत्यर्थियों की ओर से सुश्री मुक्ता कविमानंदन (अपर लोक अभियोजक) और सुश्री फाल्गुनी बदानी

न्यायमूर्ति जी. ए. सनप – इस अपील में, विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, चंद्रपुर (संक्षेप में 'विद्वान् न्यायाधीश') द्वारा पारित तारीख 21 मार्च, 2022 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान् न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 366, 376(2)(च) और 376(2)(ढ) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे दंड संहिता की धारा 366 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए पांच (5) वर्ष के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का साधारण कारावास भोगने तथा दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और 376(2)(ढ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए चौदह (14) वर्षों के कठोर कारावास और 2,000/- रुपए के जुर्माने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर

प्रत्येक अपराध के लिए छह माह के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया ।

2. पृष्ठभूमिक तथ्य :

अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) इस मामले में इत्तिलाकर्ता है । अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, के विरुद्ध अपराध 23 दिसंबर, 2018 को पंजीकृत किया गया था । रिपोर्ट और अन्य सामग्री से उद्भूत अभियोजन पक्षकथन यह है कि अभियोक्त्री चंद्रपुर बस स्टैंड के आसपास के गोलबाजार में फूल विक्रेता के रूप में व्यवसाय कर रही है । अपीलार्थी और उसकी पत्नी दीपमाला के बीच वैवाहिक विवाद था । उनकी दो पुत्रियां हैं, जिनके नाम श्रावणी और वैष्णवी हैं । अपीलार्थी की पत्नी नागपुर में अलग रह रही थी । 21 दिसंबर, 2018 को अभियोक्त्री को उसकी नातिन श्रावणी का फोन आया था उसने अभियोक्त्री को बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है । अभियोक्त्री ने उससे नागभीड़ आकर मिलने का वादा किया । अभियोक्त्री को इसी उद्देश्य से नागभीड़ जाना था ।

3. यह कहा गया है कि 21 दिसंबर, 2018 को शाम को, अपीलार्थी उसकी (अभियोक्त्री) दुकान पर आया और उससे झगड़ा किया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से अपनी पत्नी को उसके साथ फिर से मिलाने के लिए कहा । उस समय अपीलार्थी ने उसे नागभीड़ में अपने साथ चलने के लिए विवश किया, जहां श्रावणी रहती थी । अभियोक्त्री वैसे भी अपनी नातिन से मिलने नागभीड़ जाना चाहती थी । वह मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ गई । लोहारा ग्राम में अपीलार्थी ने देशी शराब खरीदी । लगभग 10:00 बजे रात को, नागभीड़ के रास्ते में, अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और देशी शराब पी ली । उसने अभियोक्त्री से कहा कि, चूंकि उसकी पुत्री उसके साथ नहीं रह रही है, वह उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता है । अभियोक्त्री स्तब्ध रह गई और उसने अपीलार्थी से कहा कि उसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उसकी मां की तरह है । तथापि, अपीलार्थी ने उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया । अपीलार्थी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सड़क के किनारे जंगल में ले गया । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को

पीटा, उसे ज़मीन पर गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए । कुछ देर बाद, उसने फिर से उसके साथ यौन संबंध बनाए ।

4. यह कहा गया है कि घटनास्थल पर मोटरसाइकिल की चाबियां, जो अपीलार्थी ने अपनी जेब में रखी थीं, गिर गईं और बाद में वह उन्हें ढूंढ नहीं सका । इस कारण से, अपीलार्थी ने अपनी मोटरसाइकिल को हाथ से धकेला और उसे वन विभाग की चौकी की ओर ले गया । वहां पहुंचने पर, उसने चौकी में मौजूद दो लोगों को बताया कि जब वह शौच के लिए गया था तो उससे मोटरसाइकिल की चाबियां कहीं खो गईं थीं और उनसे चाबियां खोजने में सहायता करने का अनुरोध किया । चौकीदारों में से एक ने अपने मोबाइल की रोशनी में चाबियां खोजने में अपीलार्थी की सहायता की । यह कहा गया है कि जब अपीलार्थी और एक चौकीदार चाबियां खोज रहे थे, तब 2-3 अन्य व्यक्ति उक्त चौकी में आए । अभियोक्त्री उनके साथ थी । अभियोजन पक्ष ने इन लोगों को अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, द्वारा उसके साथ बलात्संग किए जाने के बारे में बताया । उन्होंने उसे बताया कि उन्हें रात में अपनी ड्यूटी करनी है और उन्हें वहां से चले जाने का निर्देश दिया ।

5. आगे अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि इसके पश्चात् अपीलार्थी अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल से लेकर आगे गया । अपीलार्थी ने चिचपाली में बजरंगबली की मूर्ति के पास अपनी मोटरसाइकिल रोकी । उक्त स्थान पर कुछ लोग जलाई गई आग के पास बैठ कर स्वयं को ताप रहे थे । उस समय अभियोक्त्री ने आग के चारों ओर बैठे लोगों को अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलपूर्वक संभोग के बारे में बताया । यद्यपि, अपीलार्थी ने उन लोगों से कहा कि अभियोक्त्री पागल है और इस कारण से उनमें से किसी ने उसकी सहायता नहीं की । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए विवश किया और आगे बढ़ गया । लगभग रात्रि 3:00 बजे, वे अंधारी नदी के पास सड़क पर बने बस स्टॉप पर पहुंचे । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को बलपूर्वक बस स्टॉप शेड में ले जाकर उसके साथ बलात्संग किया । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी ।

6. प्रातः लगभग 5:00 बजे, अपीलार्थी और अभियोक्त्री नागभीड़ के लिए रवाना हुए । वे पूर्वाह्न लगभग 10:00 बजे अपीलार्थी की बहिन के घर पहुंचे । वहां पहुंचने पर अभियोक्त्री की मुलाकात उसकी नातिन श्रावणी से हुई । अभियोक्त्री ने श्रावणी, जो श्रावणी की मौसी और अपीलार्थी की मां भी है, को अपीलार्थी द्वारा उस पर किए गए हमले के बारे में बताया । इसके पश्चात्, उसने अपीलार्थी की बहिन के घर दोपहर का भोजन किया और दोपहर 12:45 बजे चंद्रपुर के लिए ट्रेन पकड़ी । अपराह्न लगभग 3:30 बजे चंद्रपुर पहुंचने पर, अभियोक्त्री अपनी पुत्री शुभांगी के घर गई और उसे अपीलार्थी द्वारा किए गए अपराध के बारे में बताया । उसकी पुत्री ने अभियोक्त्री को सांत्वना दी और उसके पश्चात्, वे गांधी चौक स्थित पुलिस स्टेशन गए । वहां से उन्हें रामनगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया । अभियोक्त्री ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई ।

7. इस रिपोर्ट के आधार पर, अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध मामला सं. 1485/2018 दर्ज किया गया । अभियोक्त्री को चिकित्सा जांच के लिए चंद्रपुर स्थित सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भेजा गया । प्रारंभिक जांच अभि. सा. 11 द्वारा की गई । प्राजक्ता नागपुरे (अभि. सा. 11) ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया । अभियोक्त्री के कपड़े अभिगृहीत किए गए । चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए रक्त के नमूने भी अभिगृहीत किए गए । आरोपी को 23 दिसंबर, 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया । उसे भी चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया । अपीलार्थी की शनाख्त परेड उन साक्षियों के माध्यम से कराई गई, जिन्होंने उक्त रात में अभियोक्त्री को अपीलार्थी के साथ देखा था । नमूने सी.ए. (रासायनिक विश्लेषक) को भेजे गए थे । सी.ए. रिपोर्ट और डी. एन. ए. रिपोर्ट प्राप्त की गईं । जांच पूरी होने पर, द्वितीय जांच अधिकारी विट्ठल मोरे (अभि. सा. 10) द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया ।

8. विद्वान् न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया । अपीलार्थी ने अपने अपराध से इनकार किया । अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में यह कहा है कि उसे उसकी पत्नी के कहने पर इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । उसका यह तर्क है कि यौन संबंध सहमति से

बने थे । अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को दोषी सिद्ध करने के लिए ग्यारह साक्षियों की परीक्षा कराई है । विद्वान् न्यायाधीश ने साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी को आरोप का दोषी ठहराया और अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अपीलार्थी ने इस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की है ।

9. मैंने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता श्री वाई. बी. मंडपे, राज्य की ओर से विद्वान् अपर लोक अभियोजक सुश्री मुक्ता कविमानंदन और प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए विद्वान् अधिवक्ता सुश्री फाल्गुनी बदानी को सुना है । अभिलेख और कार्यवाही का अवलोकन किया गया है ।

10. विद्वान् अधिवक्ता श्री वाई. बी. मंडपे ने यह दलील दी है कि अभियोक्त्री के साक्ष्य में बड़ी असंगतताएं और विसंगतियां हैं । साक्ष्य विश्वसनीय और भरोसेमंद नहीं हैं । उस स्थान के संबंध में बड़े विरोधाभास हैं जहां अभियोक्त्री को अपीलार्थी के साथ जाने के लिए विवश किया गया था । यह बताया गया है कि अभियोक्त्री ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अपीलार्थी उससे चंद्रपुर बस स्टैंड पर मिला था जब वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने नागभीड़ जा रही थी । जबकि, न्यायालय के समक्ष उसने यह कहा है कि अभियोक्त्री की पिटाई और अपहरण की घटना उसकी फूल की दुकान के सामने हुई थी । इसलिए, विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि घटना की उत्पत्ति ही संदिग्ध है । विद्वान् अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी कि अभियोक्त्री का आचरण उसके इस दावे के साथ असंगत है कि उसके साथ बलपूर्वक संभोग किया गया था । संक्षेप में, विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी कि संभोग सहमति से हुआ था । अभियोक्त्री के पास भागने का और चंद्रपुर से लोहारा के रास्ते में पुलिस को सूचित करने का भी पर्याप्त अवसर था । उसके पास लोहारा में भागने का भी अवसर था, जब अपीलार्थी शराब खरीदना चाहता था, लेकिन उसने इसका लाभ नहीं उठाया । फिर, जंगल में कथित पहला संभोग करने के पश्चात्, वन

चौकी में उसे एक वाहन में सवार होने और चंद्रपुर वापस आने का अवसर मिला । यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोक्त्री के इस आचरण से पता चलता है कि वह इस कृत्य में सहमत पक्षकार थी । यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री की पुत्री के बीच वैवाहिक विवाद के कारण अपीलार्थी से छुटकारा पाने के लिए उसे मिथ्या फंसाया गया था । विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि अन्य साक्षियों के साक्ष्य, भले ही स्वीकार किए जाएं किन्तु प्रथमदृष्ट्या अभियोक्त्री की सहमति के बिना किए गए बलपूर्वक संभोग के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे । विद्वान् अधिवक्ता ने यह बताया कि अभियोक्त्री और अपीलार्थी दोनों के शरीर पर कोई क्षति कारित नहीं हुई थी जिससे यह पता चल पाता कि जब अभियोक्त्री को जंगल में ले जाया गया था, तब उसने अपीलार्थी का विरोध किया था । विद्वान् अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि विद्वान् न्यायाधीश उपलब्ध साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं और गलत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ।

11. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि उस स्थान से संबन्धित विरोधाभास को पर्याप्त रूप से समझाया गया है जहां अभियोक्त्री को मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ जाने के लिए विवश किया गया था । विद्वान् न्यायाधीश ने इस पहलू की उचित सराहना की है । यह दलील दी गई है कि इस विरोधाभास से बलपूर्वक कृत्य को सहमति से किया गया कृत्य नहीं समझा जा सकता है । यह दलील दी गई है कि एक स्वतंत्र साक्षी है, जो कि बराबर में ही फूल विक्रेता है, जो दुकान के सामने घटना के घटित होने के संबंध में अभियोक्त्री के साक्ष्य की पुष्टि करता है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि उस दिन अभियोक्त्री अपनी नातिन से मिलने नागभीड़ जाना चाहती थी । साक्ष्य से यह पता चलता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को फोन किया था और उसका ठिकाना जानने के पश्चात् दुकान पर आया और उससे झगड़ा किया । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री पर अपनी पत्नी को उसके साथ फिर से मिलाने का दबाव डाला । उस कारण झगड़ा हुआ और उसने अभियोक्त्री को अपने साथ नागभीड़ चलने के लिए विवश किया । यह प्रस्तुत किया

गया है कि अभियोक्त्री को अन्यथा भी अपनी नातिन श्रावणी को देखने के लिए नागभीड़ जाना पड़ा और इसलिए, अपीलार्थी के कहने पर, वह उसकी मोटरसाइकिल पर उसके साथ गई । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि इस घटना से पहले उसने अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया है कि, उसका दामाद होने के नाते, अभियोक्त्री ने उस पर विश्वास किया और सद्भाव से उसके साथ गई । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह भी दलील दी है कि चिकित्सा अधिकारी के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया था । सी.ए. रिपोर्ट और साथ ही डी. एन. ए. रिपोर्ट से बलात्संग का अपराध कारित किए जाने में अपीलार्थी की सह अपराधिता साबित होती है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि अभियोक्त्री का उस व्यक्ति को जो उन्हें रास्ते में मिला था, के साथ बलपूर्वक बलात्संग के बारे में बताना उसके आचरण के अनुरूप है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि विद्वान् न्यायाधीश ने कोई गलती या गैरकानूनी कार्य नहीं किया है ।

12. अभियोक्त्री की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता ने विद्वान् अपर लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया है ।

13. अभियोक्त्री (अभि. सा. 1) इस मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है । अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा ली है कि अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध सहमति से थे । विद्वान् न्यायाधीश ने साक्ष्य की सूक्ष्म जांच और मूल्यांकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि सहमति से किए गए कृत्य को सिद्ध नहीं किया गया है । विद्वान् न्यायाधीश ने यह माना है कि अभियोक्त्री का साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने उसकी सहमति के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाए । घटना की रिपोर्ट घटना के अगले दिन दर्ज की गई थी । रिपोर्ट दर्ज

करने में कोई देरी नहीं हुई थी । अभियोक्त्री ने यह बयान दिया है कि उसकी पुत्री दीपमाला का विवाह अपीलार्थी के साथ हुआ है । यह एक प्रेम विवाह था । अपने वैवाहिक विवाद के कारण, पांच वर्ष से दीपमाला नागपुर में रह रही है । उनकी दो पुत्रियां हैं, श्रावणी और वैष्णवी । पुत्रियां अपीलार्थी के साथ रह रही थीं । उसने फोन पर उसे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उससे नागभीड़ आने का अनुरोध किया । अभियोजन पक्ष ने कहा है कि उसने श्रावणी को आश्वासन दिया था कि वह उससे मिलने आएगी । उसने कहा है कि शाम को अपीलार्थी उसकी दुकान पर आया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया । अपीलार्थी ने आग्रह किया कि अभियोक्त्री उसकी पत्नी को वापस लाए । उसने उसे पीटा । उसने कहा है कि इसके पश्चात् वह नागभीड़ जाने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड गई । अपीलार्थी वहां आया और उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए विवश किया । अभियोक्त्री ने अपने आगे के साक्ष्य में रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराया । उसने कहा है कि लोहारा ग्राम के रास्ते में अपीलार्थी ने देशी शराब खरीदी । रास्ते में उसने कुछ शराब पी ली । अपीलार्थी ने रास्ते में जंगल में वाहन रोका और उसे जंगल के अंदर ले जाकर उसके साथ यौन संबंध बनाए । उसने कहा है कि जब अपीलार्थी ने उसके साथ संभोग करने की इच्छा व्यक्त की, तो उसने उससे कहा कि उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उसकी मां की तरह है । उसने कहा है कि घटना के समय अपीलार्थी की चाबियां खो गई थीं । वह मोटरसाइकिल को हाथ से खींचते हुए सड़क पर ले आया । चौकी के पास एक वन-रक्षक था । अपीलार्थी ने उन्हें बताया कि जब वह शौच के लिए गया था, तो उसने अपनी चाबियां खो दीं । उसने चाबियों को खोजने के लिए वन-रक्षक की सहायता ली । अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में और साथ ही न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कहा है कि उसने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में वन कर्मियों को बताया और सहायता के लिए अनुरोध किया । उसने कहा है कि वन कर्मियों ने उसे बताया कि वे ड्यूटी पर थे और इसलिए, उसकी सहायता नहीं कर सकते ।

14. उसने आगे यह कहा है कि उसे अपीलार्थी के साथ मोटरसाइकिल पर जाने के लिए विवश किया गया था । अपीलार्थी ने चिचपाली में बजरंगबली की मूर्ति के पास मोटरसाइकिल रोकी । वे लोग उनके द्वारा जलाई गई आग से ताप रहे थे । अभियोक्त्री ने कहा है कि वह उन लोगों के पास गई और उनसे सहायता मांगी । उसने उन्हें घटना के बारे में बताया । उसने कहा है कि अपीलार्थी ने उन लोगों से कहा कि अभियोक्त्री पागल है । उसने आगे यह कहा है कि नागभीड़ जाते समय रात में अंधारी नदी के सामने बस स्टॉप शेड पर, अपीलार्थी ने उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाए । अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि वे अपीलार्थी की बहिन के घर सुबह 10 बजे गए । उसने अपनी बहिन और मां को बताया कि अपीलार्थी ने उसकी पिटाई की है । उसने बताया कि खाना खाने के पश्चात् वह चंद्रपुर गई और अपनी दूसरी पुत्री शुभांगी, जो चंद्रपुर में रहती है, को घटना बताई । फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर मामले की सूचना दी ।

15. यह स्पष्ट है कि उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ चूक और विरोधाभास सामने आए हैं । मुख्य विरोधाभास घटना के आरंभ के संबंध में है । रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जब वह नागभीड़ जाने के लिए चंद्रपुर बस स्टैंड पर थी, अपीलार्थी उससे मिला और वहां उसने उसके साथ झगड़ा किया और उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए विवश किया । अपने साक्ष्य में, उसने यह कहा है कि घटना उसकी फूल की दुकान के सामने हुई और अन्य दुकानदारों की उपस्थिति में अपीलार्थी ने उसे मोटरसाइकिल पर अपने साथ चलने के लिए विवश किया । उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अपीलार्थी ने उसके साथ इस आधार पर झगड़ा किया कि उसकी पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती है । अपीलार्थी ने उससे फिर से मिलने का आग्रह किया । जहां तक उसके साक्ष्य के इस भाग का संबंध है, यह उसकी रिपोर्ट के अनुरूप है । उसने स्वीकार यह किया है कि चंद्रपुर बस स्टैंड पर घटना के संबंध में तथ्य मिथ्या है । उसके साक्ष्य में यह उल्लेख है कि उसने लोहारा के रास्ते में अपीलार्थी का कोई विरोध या प्रतिरोध नहीं किया । प्रतिपरीक्षा

में उसके द्वारा दिए गए जवाबों से यह पता चलता है कि उसके पास भागने या पुलिस और लोगों से अपीलार्थी की शिकायत करने का पर्याप्त अवसर था । मेरे विचार से, केवल इसी आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता । यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अपीलार्थी उसका दामाद है । उसकी नातिन श्रावणी नागभीड़ में थी । वह उससे मिलना चाहती थी क्योंकि श्रावणी की तबीयत ठीक नहीं थी । श्रावणी ने उससे नागभीड़ आने और उससे मिलने का अनुरोध किया था । अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी के आशय पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था । अपीलार्थी ने उसकी पुत्री से बीस वर्ष पहले शादी की थी । अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा नहीं ली है कि इस घटना से पहले उसके अभियोक्त्री के साथ सहमत-संबंध थे । अभियोक्त्री के पास यह संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि अपीलार्थी उसके साथ संभोग करेगा । जहां तक अभियोक्त्री की दुकान के सामने झगड़ा होने और झगड़े के कारण का संबंध है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता । यह उल्लेखनीय है कि दुकान के सामने अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच जो झगड़ा हुआ था वह पूरी तरह से घरेलू प्रकृति का था और इस तरह अभियोक्त्री के पास अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्संग करने के ऐसे किसी भी इरादे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था । अपीलार्थी अपने और अपनी पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के कारण निराश था । इसलिए, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अभियोक्त्री इस कृत्य में सहमत पक्षकार थी । यह सच है कि जब उसे मोटरसाइकिल पर उसके साथ जाने के लिए विवश किया गया था तो उसके पास भागने के साथ-साथ शिकायत करने का भी अवसर था । अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के इशारे पर उसके साथ इस तरह के कृत्य की कल्पना भी नहीं की होगी । इसलिए, अभियोक्त्री का मोटरसाइकिल पर अपीलार्थी के साथ जाने का यह आचरण इस निष्कर्ष को दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता कि अभियोक्त्री एक सहमत पक्षकार थी । गहन प्रतिपरीक्षा के बावजूद, यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं मिली है अभियोक्त्री सहमत पक्षकार थी । उसने वन-रक्षक से अपीलार्थी द्वारा

उसके साथ बलपूर्वक बलात्संग की शिकायत की, जब उसे पहली बार ऐसा करने का अवसर मिला था । उसने चिचपाली ग्राम में मिले लोगों से भी सहायता की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की । रात में, उसके पास अपीलार्थी के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । उसके साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर, मेरा यह समाधान हो गया है कि यह विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य है । अपीलार्थी का यह पक्षकथन नहीं है कि उसकी पुत्री श्रावणी नागभीड़ नहीं आई थी । अभियोक्त्री को उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव नहीं दिया गया कि उस दिन श्रावणी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं थी ।

16. अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि नागभीड़ में अपीलार्थी की बहिन के घर पहुंचने पर उसने अपीलार्थी की मां और बहिन को मारपीट की घटना सुनाई । उसने अपीलार्थी द्वारा अपने साथ हुए बलात्संग के बारे में नहीं बताया । उसने इस तथ्य को स्वीकार किया था । उल्लेखनीय है कि वह अपनी नातिन श्रावणी से मिलने वहां गई थी । उसकी मुलाकात श्रावणी से अपीलार्थी की बहिन के घर पर हुई थी । यदि उसने घटना की कोई भी जानकारी नहीं दी होती, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होती । अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थी, जो उसका दामाद है, ने बलपूर्वक बलात्संग किया । संभवत: उसने श्रावणी की मौजूदगी में इस घटना के बारे में अपनी बहिन और मां को बताना ठीक न समझा हो । संभवत: उसने पूरी घटना उन्हें न बताई हो क्योंकि इससे उसे और अधिक शर्मिंदगी होती । अपीलार्थी द्वारा उसका पहले ही बलात्संग और अपमान किया जा चुका था । इस विषय पर और अधिक अपमान और चर्चा से बचने के लिए, उसने संभवतः अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्संग के बारे में उन्हें न बताना ही उचित समझा होगा । मेरे विचार से, यह अभियोक्त्री के विरुद्ध नहीं जा सकता । यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोक्त्री के इस तर्क की पुष्टि करने के लिए अन्य ठोस साक्ष्य भी मौजूद हैं कि उसके साथ बलात्संग उसकी सहमति के बिना किया गया था ।

17. राजू कोपुलवार (अभि. सा. 2) वन-रक्षक है । अपने साक्ष्य में

उसने 21 दिसंबर, 2018 को रात्रि लगभग 11:00 बजे उनके द्वारा देखी गई घटना का एक अंश सुनाया है । उसने कहा है कि उस दिन वह सोमेश्वर आसुतकर नामक व्यक्ति के साथ रात्रि ड्यूटी पर था । उसने कहा है कि उस समय एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल को हाथ से धक्का देकर वहां लाया । उक्त व्यक्ति ने वन-रक्षक और सोमेश्वर आसुतकर को बुलाया था । इस साक्षी ने कहा है कि उसके साथ एक महिला थी । इस साक्षी ने यह कहा कि उस व्यक्ति ने उन्हें यह बताया कि उसने अपनी चाबियां खो दी हैं और उनसे चाबी ढूंढने में सहायता करने का अनुरोध किया । इस साक्षी ने कहा है कि वन-रक्षक सोमेश्वर, अपीलार्थी के साथ चाबियां खोजने के लिए जंगल मैं गया । उस समय महिला इस साक्षी के साथ खड़ी थी और महिला ने उसे बताया कि उक्त व्यक्ति ने उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए हैं । उन्होंने कहा है कि जब वह चाबियां ढूंढ़ने के पश्चात् वापस आए तो इस साक्षी ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन उसने उन्हें बताया कि यह महिला पागल है । इस साक्षी ने कहा कि उस समय अभियोक्त्री भयभीत थी ।

18. अपीलार्थी इस साक्षी को नहीं जानता था । पुलिस ने उसे 10 जनवरी, 2019 को अपीलार्थी की शनाख्त परेड कराने के लिए बुलाया था । शनाख्त परेड में, उसने अपीलार्थी की पहचान उसी व्यक्ति के रूप में की जो जंगल में महिला के साथ उनसे मिला था । इस साक्षी की गहन प्रतिपरीक्षा की गई । उसने कहा है कि उसने महिला द्वारा की गई बलात्संग की शिकायत के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित नहीं किया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना नहीं दी थी । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि रात्रि में भी वाहन वहां से गुजर रहे थे । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह दर्शित होता है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे उसके साक्ष्य को त्यक्त किया जा सके । इस साक्षी को अपीलार्थी से कोई दुश्मनी नहीं थी । जंगल में अपीलार्थी द्वारा चाबियां खो जाने के संबंध में इस साक्षी का साक्ष्य सुसंगत है । उन्होंने अपीलार्थी को चाबियां ढूंढने में सहायता की थी । इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अभियोक्त्री के साक्ष्य और

इस साक्षी के साक्ष्य में सुसंगतता दिखाई देती है । इस साक्षी ने शनाख्त परेड में अपीलार्थी की पहचान की है । इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया था कि जांच के समय उसे अपीलार्थी से मिलने का अवसर मिला था । उसने इस सुझाव का खंडन किया है । इस साक्षी को दिए गए सुझाव से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी ने घटना के इस भाग से इनकार नहीं किया है । मुझे उसके साक्ष्य को खारिज करने और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

19. लक्ष्मण चहारे (अभि. सा. 3) सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है । वह फूल विक्रेता हैं जिसकी दुकान अभियोक्त्री की दुकान से सटी हुई है । मेरे विचार से, इस साक्षी का साक्ष्य घटना को साबित करने के साथ-साथ दुकान के सामने घटना के घटित होने के संबंध में असंगति और विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है । इस साक्षी ने कहा है कि अभियोक्त्री की फूलों की दुकान उसकी दुकान से सटी हुई है जहां घटना हुई थी । उन्होंने कहा है कि घटना 21 दिसंबर, 2018 को शाम लगभग 7:00 बजे हुई थी । इस साक्षी ने कहा है कि अपीलार्थी वहां आया और अभियोक्त्री से अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ की । उसने कहा है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री को थप्पड़ मारा । उसने यह भी बताया कि उसने और वहां मौजूद अन्य लोगों ने अपीलार्थी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपीलार्थी ने उनकी बात नहीं सुनी । उसने कहा है कि उस समय अभियोक्त्री ने अपना बैग और फूलों की टोकरी उसे सौंप दी थी । उसने अगले दिन उसे यह सब सामान लौटा दिया । उसने कहा है कि अगले दिन अभियोक्त्री ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्संग किया है । इस साक्षी की भी गहन प्रतिपरीक्षा की गई । उसे यह सुझाव दिया गया कि अभियोक्त्री से परिचित होने के कारण उसने मिथ्या साक्ष्य दिया है । उसने स्वीकार किया है कि पुलिस स्टेशन बाजार के पास है । उसने पुलिस स्टेशन जाकर घटना की सूचना नहीं दी । मेरे विचार से, इस आधार पर उसके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इस साक्षी को यह मालूम था कि अपीलार्थी, अभियोक्त्री का दामाद है । उसकी उपस्थिति में, अपीलार्थी ने अभियोक्त्री से झगड़ा

किया था और उसने अभियोक्त्री से उसे उसकी पत्नी से मिलाने का आग्रह किया था । इसलिए इस साक्षी से यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह जाकर पुलिस को इस घटना की सूचना दे । जहां तक इस साक्षी का संबंध है, अपीलार्थी और अभियोक्त्री के बीच झगड़ा पूरी तरह से घरेलू प्रकृति का था । इस झगड़े को रोज़मर्रा का झगड़ा मानते हुए यह हो सकता है कि उसने पुलिस को इसकी सूचना न दी हो । इस साक्षी के साक्ष्य की सूक्ष्म जांच और मूल्यांकन करने पर, मुझे उसके बयान पर संदेह करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । उसके साक्ष्य से स्पष्ट रूप से साबित होता है कि घटना दुकान के सामने घटित हुई थी । इस साक्षी के साक्ष्य से इस बिंदु पर अभियोक्त्री के साक्ष्य की पूरी तरह पुष्टि होती है । भले ही यह मान लिया जाए कि चंद्रपुर बस स्टैंड पर कोई घटना हुई थी, अभियोक्त्री की दुकान के सामने किसी घटना के घटित होने के तथ्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है ।

20. जितेन्द्र गाडेवार (अभि. सा. 4) नायब तहसीलदार हैं, जिन्होंने शनाख्त परेड कराई थी । अपने साक्ष्य में, उन्होंने पुलिस द्वारा अपीलार्थी की शनाख्त परेड कराने के निवेदन और इसे कराते समय अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में साक्ष्य दिया है । अपने साक्ष्य में, उन्होंने शनाख्त परेड के समय बरती गई सावधानियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है । उन्होंने कहा है कि जेल जाने के पश्चात्, उन्होंने अपीलार्थी और पुतलों की उपस्थिति सुनिश्चित की और उन्हें कतार में खड़ा किया । पंक्ति में छह पुतले थे और अभि. सा. 2 और सोमेश्वर ने अपीलार्थी की पहचान की । उन्होंने गवाही दी है कि अभि. सा. 2 और सोमेश्वर द्वारा शनाख्त परेड अलग-अलग कराई गई थी । उनकी प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि मुख्य परीक्षा में उनके साक्ष्य, जैसे कि परीक्षण शनाख्त परेड के संचालन, साक्षी द्वारा अपीलार्थी की पहचान, और साथ ही शनाख्त परेड के समय उनके द्वारा बरती गई सावधानियों पर कोई आंच नहीं आई है । प्रदर्श 28, जांच अधिकारी द्वारा दिया गया अनुरोध पत्र है । प्रदर्श 32, शनाख्त परेड ज्ञापन है । प्रदर्श 30 और 31, डमी और अपीलार्थी के विवरण वाले चार्ट हैं । प्रदर्श 30,

साक्षी सोमेश्वर द्वारा अपीलार्थी की पहचान से संबंधित है । प्रदर्श 31, अभि. सा. 2 द्वारा अपीलार्थी की पहचान से संबंधित है ।

21. ईश्वर शेंडे (अभि. सा. 5) चिचपाली स्थित हनुमान मंदिर के पास स्थित चौकी का चौकीदार है । उसने घटना के उस हिस्से के बारे में साक्ष्य दिया है जिसे उसने देखा था । यह उल्लेखनीय है कि पुलिस ने उसे अपीलार्थी की शनाख्त करने के लिए नहीं बुलाया था । इसलिए, उसके साक्ष्य को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । शुभांगी वानखेड़े (अभि. सा. 6), अभियोक्त्री की पुत्री है । अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किए जाने की घटना सबसे पहले उसे अभियोक्त्री ने ही सुनाई थी । उसने कहा है कि उसने अभियोक्त्री को साहस और समर्थन दिया और अभियोक्त्री के साथ पुलिस स्टेशन गई थी । उसने कहा है कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलपूर्वक यौन संबंध बनाने की पूरी घटना उसे अभियोक्त्री ने सुनाई थी । उसकी प्रतिपरीक्षा में, अभियोक्त्री द्वारा अपीलार्थी को झूठे आरोप में फंसाने के कारणों को रिकॉर्ड पर लाने का प्रयास किया गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने कहा है कि उसकी बहिन दीपमाला और अपीलार्थी के बीच वैवाहिक विवाद है । उसने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी की पत्नी दीपमाला ने नागपुर के न्यायालय में मामले फाइल किए थे । अभियोक्त्री ने उक्त मामलों को फाइल करने में दीपमाला की सहायता की थी । उसने कहा है कि अभियोक्त्री उसके घर के बराबर में रहती है । वे प्रतिदिन मिलते हैं । उसने कहा है कि 21 दिसंबर, 2018 को जब उसकी मां बाजार से वापस नहीं आई तो उसने बाजार में फोन किया और अपनी मां के बारे में पूछताछ की । उसे बताया गया कि अपीलार्थी उसकी मां को जबरदस्ती अपने साथ ले गया है । उसने कहा है कि उस दिन और/या अगले दिन वह पुलिस के पास नहीं गई और न ही पुलिस को मामले की सूचना दी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिपरीक्षा में उसके कथन का यह भाग स्वाभाविक है । जहां तक घटना के एक बड़े भाग का संबंध है, वह उससे अवगत नहीं थी । उसने अभियोजन पक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दिया है । वह अभियोजन पक्ष के साथ

पुलिस स्टेशन गई थी । यह ध्यान देने योग्य है कि रिपोर्ट दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी । मुझे इस साक्षी के साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने इस घटना के बारे में दीपमाला को सूचित नहीं किया था । अभियोक्त्री ने नागभीड़ से चंद्रपुर जाकर अपनी पुत्री शुभांगी को घटना की जानकारी दी । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दीपमाला ने इस मामले में अपीलार्थी को मिथ्या फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ।

22. अगला महत्वपूर्ण पुष्टिकारक साक्ष्य नमूनों के अभिग्रहण अर्थात् अभियोक्त्री के कपड़े, अपीलार्थी के कपड़े और अपीलार्थी के नमूनों के अभिग्रहण के संबंध में है । अन्वेषण अधिकारी ने यह साक्ष्य दिया है कि अभियोक्त्री की जांच के पश्चात्, नमूने चिकित्सा अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए थे । नमूने विश्लेषण के लिए सी.ए. को भेजे गए थे । नमूने के विश्लेषण की रिपोर्ट रिकॉर्ड का भाग है । जांच के दौरान अभियोक्त्री के साथ-साथ अपीलार्थी के रक्त के नमूने भी एकत्र किए गए थे । सी.ए. की रिपोर्ट प्रदर्श-78 पर है । सी.ए. की परीक्षा जांच नहीं कराई गई है । इसी प्रकार, डी. एन. ए. विश्लेषक की भी परीक्षा नहीं कराई गई है । अन्वेषण अधिकारी की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से पता चलता है कि नमूनों के संग्रह और नमूनों को अग्रेषित करने के संबंध में साक्ष्य को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई है । नमूने प्रदर्श-69 तारीख 25 दिसंबर, 2018 के माध्यम से सी.ए. नागपुर को भेज दिए गए थे । प्रदर्श-70 वाहक का ड्यूटी पास है । प्रदर्श-71 आर.एफ.एस.एल. नागपुर के कार्यालय की पावती है । इससे यह पता चलता है कि नमूने 26 दिसंबर, 2018 को प्रयोगशाला में प्राप्त हुए थे । प्रदर्श-78 में सी.ए. रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चलता है कि वीर्य के धब्बे साड़ी (प्रदर्श-4), पेटीकोट (प्रदर्श-6) और लेगिंग (प्रदर्श-7) पर पाए गए थे । ये वस्त्र अभियोक्त्री से अभिगृहीत किए गए थे । प्रदर्श-79 अभियोक्त्री के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट है । उसका रक्त का ग्रुप 'O' है । प्रदर्श-80 अपीलार्थी के रक्त के नमूनों के विश्लेषण की रिपोर्ट है । उसके रक्त- ग्रुप के विश्लेषण का परिणाम अनिर्णायक था । यह देखा गया है कि उसके पश्चात्

सभी नमूनों को विश्लेषण के लिए डी. एन. ए. अनुभाग में भेज दिया गया था । प्रदर्श-11, डी. एन. ए. रिपोर्ट है । डी. एन. ए. विश्लेषक ने यह राय दी है कि साड़ी (प्रदर्श-4), पेटीकोट (प्रदर्श-6) और लेगिंग (प्रदर्श-7) (बी.एन.-5113/2018) से प्राप्त वीर्य में प्राप्त मिश्रित डी. एन. ए. प्रोफाइल में शैलेश महादेव लांजेवार (बी.एन.-5115/2018) और नंदा दीपक वाखेड़े (बी.एन.-5114/2018) की डी. एन. ए. प्रोफाइल सम्मिलित है । डी. एन. ए. विशेषज्ञ ने आगे यह भी राय दी है कि जननांग स्वैब (प्रदर्श-3) (बी.एन.-5115/2018) से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल पुरुष का है और यह शैलेश महादेव के रक्त नमूने से प्राप्त डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है । मेरे विचार से, यह साक्ष्य ठोस और प्रमाणिक है । मुझे इस वैज्ञानिक साक्ष्य को खारिज करने और इस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । यह साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए बलात्संग के संबंध में अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि करता है ।

23. अगली महत्वपूर्ण साक्षी चिकित्सा अधिकारी प्रीति बंबोले (अभि. सा. 9) है । इस साक्षी ने यह साक्ष्य दिया है कि तारीख 22 दिसंबर, 2018 को अभियोक्त्री को रामनगर पुलिस स्टेशन द्वारा चिकित्सा जांच के लिए उसके पास भेजा गया था । जांच करने पर, उसने यह पाया कि पोस्टीरियर फोरचेट पर हल्का रक्तस्राव और खरोंच पाई गई । उसने यह कथन किया है कि उसने यह भी पाया कि दाहिने चूचुक पर काटने के निशान थे । चिकित्सा अधिकारी ने अपने समक्ष उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर यह राय दी कि अभियोक्त्री के साथ संभोग किया गया है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोक्त्री के कपड़े चिकित्सा अधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं लिए गए थे । अभियोक्त्री द्वारा कपड़े पुलिस को सौंप दिए गए थे और पुलिस ने उन्हें अभिगृहीत कर लिया था । उसने आगे यह साक्ष्य दिया है कि उसने एक ताजा क्षति, रक्तस्राव और सूजन देखी । उसने कहा है कि उसका हाइमन अनुपस्थित था क्योंकि उसने पांच बच्चों को योनि से जन्म दिया था ।

24. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना से पांच वर्ष पहले

अपीलार्थी और अभियोक्त्री की पुत्री के बीच वैवाहिक विवाद था । यह अपीलार्थी का बचाव है कि उसे मिथ्या फंसाने के लिए, सहमति से यौन संबंध के इस मामले को उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक बलात्संग का रंग दिया गया है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह बचाव संभावित नहीं है । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि इस घटना से पहले उसने अभियोक्त्री के साथ यौन संबंध बनाए थे । अभियोक्त्री चंद्रपुर में अकेली रह रही थी । वह अपनी आजीविका के लिए फूल बेचने का व्यवसाय कर रही थी । वह अपनी पुत्रियों पर निर्भर नहीं थी । उसकी पुत्री (अभि. सा. 6) चंद्रपुर में रहती थी । वे अलग-अलग रह रहे हैं । घटना के दिन, वह 55 वर्ष की थी । अगर यह मान भी लिया जाए कि वह अपीलार्थी के विरुद्ध फाइल किए गए मुकदमे में उसकी पत्नी का समर्थन कर रही थी, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस कारण से वह अपने चरित्र पर ऐसा कलंक लगाएगी । ऐसे मामले की पुलिस में रिपोर्ट करने से कलंक के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं । अगर यह सहमति से किया गया कृत्य होता तो वह पुलिस में इसकी सूचना ही नहीं देती । यहां तक कि उसने अपनी पुत्री को भी यह बात बताई है । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी, जो अभियोक्त्री का दामाद है, ने अपनी सास के साथ जो उसकी अपनी मां की उम्र की है, यह शर्मनाक कृत्य किया है । अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के नारीत्व को अपवित्र किया है । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी का यह बचाव कि बदला लेने के लिए यह मिथ्या मामला बनाया गया है, विश्वास नहीं किया जा सकता । यह ध्यान देने वाली बात है कि यदि अभियोक्त्री अपीलार्थी को मिथ्या मामले में फंसाना चाहती, तो उसने एक और कहानी गढ़ी होती । वह अपने चरित्र पर इस तरह का सीधा प्रहार नहीं करती । अभियोक्त्री, पांच बच्चों की मां है, उसे जीवन भर इस कलंक को ढोना होगा । अभिलेख पर उपलब्ध सबूत उसके साथ बलात्संग साबित करने के लिए पर्याप्त हैं । यह ध्यान देने वाली बात है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाया है । अभियोक्त्री ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि

उसका दामाद उसके साथ ऐसा घृणित कृत्य करेगा । अतः, इस मामले में, मुझे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को खारिज करने और उस पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । विद्वान् न्यायाधीश ने साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और वे एक उचित एवं तर्कसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं । मुझे विद्वान् न्यायाधीश द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । विद्वान् न्यायाधीश द्वारा सभी धाराओं में दिया गया दंड अपराध की गंभीरता के पूर्णतः अनुपातिक है । इस मामले में भी किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपील में कोई सार नहीं है । अतः, अपील खारिज की जाती है ।

25. इस अपील में प्रतिवादी सं. 2 का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त की गई विद्वान् अधिवक्ता सुश्री फाल्गुनी बदानी, शुल्क प्राप्त करने की हकदार हैं । उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप समिति, नागपुर को निदेश दिया जाता है कि वे नियुक्त किए गए विद्वान् अधिवक्ता के शुल्क का संदाय नियमों के अनुसार करें ।

26. तद्नुसार, दांडिक अपील का निपटारा किया जाता है । यदि कोई आवेदन लंबित है तो उसका भी निपटारा किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

प्रसेनजीत मनबेन्द्रा सेन

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2023 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 76)

तारीख 2 जनवरी, 2025

न्यायमूर्ति मिलिंद एन. जाधव

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 304क [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना – वाहन चलाते हुए टक्कर मार कर मृत्यु कारित किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा बताया जाना कि टक्कर के बाद कार का चालक भाग गया था – दोषसिद्ध/आवेदक की शनाख्त न होना – कार किराए पर देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि अभि. सा. 1 ने ऐसा कोई भी अपराधजन्य विवरण नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि कार आवेदक को दी गई थी या आवेदक द्वारा चलाई गई थी, और न ही अन्वेषण अधिकारी ने उपरोक्त तथ्य की जांच की है, साथ ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने आवेदक की शनाख्त कार चालक के रूप में नहीं की है बल्कि वास्तविक कार चालक के घटना-स्थल से भाग जाने को स्पष्ट किया है, अतः ऐसी स्थिति में आवेदक को आरोपित अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता और निचले दोनों न्यायालयों का निर्णय न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मार्च, 2018 को रात लगभग 9:00 बजे, श्री रामसावरे बलराज पाल (अभि. सा. 3) और उनके मामा बच्चालाल, दोनों चौधरी नगर, भोसारी, पुणे के निवासी हैं, दो अलग-अलग साइकिलों पर संतनगर चौक से स्पाइन रोड होते हुए गोडाउन चौक की ओर जा रहे थे । उस समय, जय गणेश साम्राज्य चौक के पास एक आई-20 कार सं. के ए 03 एई 7760 ने बच्चालाल

की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वे सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर क्षतियां कारित हुईं । अभियोजन पक्षकथन यह है कि आवेदक कार चला रहा था । आवेदक के साथ, श्री शुभंकर बैरानी, सुश्री उत्तरा राशिनकर और सुश्री भूमिका शर्मा, कार में अन्य सह-यात्री थे । वे तुरंत बच्चालाल को क्षतियों के उपचार के लिए कार से संत ज्ञानेश्वर अस्पताल ले गए । बच्चालाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया । रामसावरे पाल ने बच्चालाल के पिता अमृतलाल को घटना की सूचना दी । अमृतलाल 20 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अपने ग्राम से आकर बच्चालाल से मिलने अस्पताल गए । उन्होंने 20 मार्च, 2018 को एम.आई.डी.सी. (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन) पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई । आरंभ में दंड संहिता की धारा 279, 338 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "यान अधिनियम" कहा गया है) की धारा 117, 119 और 184 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । यद्यपि, 20 मार्च, 2018 को बच्चालाल की गंभीर क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और इस कारण दंड संहिता की धारा 304क जोड़ी गई थी । आवेदक को 20 मार्च, 2018 को गिरफ्तार किया गया और इसके पश्चात् जमानत पर छोड़ दिया गया । उपरोक्त धारा के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रदर्श-14 के अधीन आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और उसका विचारण किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 313 के अधीन उसका कथन प्रदर्श-31 अभिलिखित किया गया था । विचारण न्यायालय के समक्ष उसने यह प्रतिरक्षा ली कि वह कार नहीं चला रहा था क्योंकि कार किराए की थी और घटना के समय एक अज्ञात चालक कार चला रहा था । उसने कहा कि कार उस समय तेज गति से नहीं चल रही थी जब कार ने पीछे से बच्चालाल की साइकिल को टक्कर मारी थी । आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री जोशी ने मुझे मामले के साक्ष्य और अभिलेख से अवगत कराया है और विस्तार से बहस की है । आरंभ में, उन्होंने यह दलील दी है कि घटना के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में 3 दिन का असामान्य विलंब हुआ है जिस पर निचले

न्यायालयों ने विचार नहीं किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी कहा है कि यद्यपि क्षतिग्रस्त बच्चालाल को 17 मार्च, 2018 को ही आवेदक और उसके दोस्तों द्वारा रामसावरे पाल के साथ अस्पताल ले जाया गया था, किन्तु फिर भी रामसावरे पाल, जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बच्चालाल के पिता द्वारा 20 मार्च, 2018 को अस्पताल में उनसे मिलने के पश्चात् दर्ज की गई थी, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं क्योंकि उस समय वे उत्तर प्रदेश में अपने ग्राम में थे । उन्होंने यह दलील दी है कि आवेदक और उसके दोस्तों ने पुणे में ए.एस. जस्ट राइड टूर्स एंड ट्रैवल्स नामक कंपनी से चालक के साथ प्रश्नगत कार किराए पर ली थी । उन्होंने दलील दी कि निचले दोनों न्यायालयों में आवेदक का यह लगातार पक्षकथन रहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि कार बिना चालक के किराए पर ली गई थी और केवल इसी कारण से आवेदक को कार का चालक मानते हुए दोषी ठहराया गया है । इन दोनों आदेशों से व्यथित होकर दोषसिद्ध/आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन फ़ाइल किया । आवेदन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, उत्तरा राशिनकर का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है । वह दुर्घटना/घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह उस कार में सह-यात्री थी, जो बच्चालाल की साइकिल से टकराई थी । उसका साक्ष्य दो भागों में है; सबसे पहले, अपनी मुख्य-परीक्षा में उसने घटनाओं के सटीक क्रम का वर्णन किया है और दूसरा, अपनी प्रतिपरीक्षा जिसमें उसने उन तथ्यों की विशेष रूप से पुष्टि की है । उसने यह कथन किया है कि दुर्घटना के समय वह स्वयं, उसके सहकर्मी भूमिका, शुभंकर और प्रसेनजीत तथा कार का चालक उसमें सवार थे । उसने यह कथन किया है कि रात 8:00 बजे से 9:00 बजे के बीच होटल फासोस में रात का खाना खाने के पश्चात्, उन्होंने वापस पुणे के लिए अपनी यात्रा आरंभ की । उसने यह साक्ष्य दिया है कि पुणे की ओर जाने के लिए यू-टर्न लेते समय, अचानक उनकी कार के बाईं ओर से बच्चालाल ने उनकी कार को टक्कर मार दी और वह भूमि पर गिर गया । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि कार रुकी थी और उसमें सवार सभी लोग नीचे उतरे और

बच्चालाल को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा । उसने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि कार चला रहा चालक भाग गया । उसने साक्ष्य में यह भी कहा है कि इसके पश्चात् शुभंकर और प्रसेनजीत (आवेदक) ने बच्चालाल की मदद की और उसे पास के अस्पताल ले गए । उसने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया है कि कार एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी से किराए पर ली गई थी, परंतु वह कार चला रहे व्यक्ति का नाम नहीं जानती है । उसने यह कथन किया है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसके पश्चात् उसने उपरोक्त तथ्य और घटना के बारे में पुलिस को बताया, जिसने उसका बयान अभिलिखित किया । उसने इस तथ्य का विशेष रूप से खंडन किया है कि दुर्घटना के समय आवेदक कार चला रहा था । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया है कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पुलिस ने उसके बयान में उक्त तथ्य क्यों नहीं अभिलिखित किया कि आवेदक प्रश्नगत कार नहीं चला रहा था । उसने कथन किया है कि बच्चालाल के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात्, उसे पता चला कि आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उसके अनुसार आवेदक ने दुर्घटना नहीं की थी बल्कि यह किराए की कार के चालक द्वारा की गई थी । उपरोक्त कथन पर उसकी प्रतिपरीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने विशेष रूप से पूछताछ करने पर उत्तर दिया है कि कार-चालक दुर्घटना होने के पश्चात् भाग गया था । अभि. सा. 5 का प्रत्यक्षदर्शी कथन विश्वसनीय है क्योंकि उसे पूरी तरह से चुनौती नहीं दी गई । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके साक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है, यद्यपि वह आवेदक से परिचित थी क्योंकि वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे । अन्वेषण अधिकारी ने अभि. सा. 6 के रूप में साक्ष्य दिया है । उन्होंने केवल इतना कहा है कि आवेदक कार चला रहा था और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष के दो विशिष्ट साक्षियों ने प्रश्नगत कार में सवार लोगों के विवरण और इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया है कि प्रश्नगत कार किराए पर ली गई थी, दुर्घटना के पश्चात् प्रश्नगत कार में सवार लोगों का विवरण, दुर्घटना के पश्चात् प्रश्नगत कार का चालक भाग गया, और यह तथ्य कि दुर्घटना के समय आवेदक कार का चालक नहीं था, अभियोजन पक्ष को इस संबंध में उचित पूछताछ और जांच करनी चाहिए थी । अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जो उपरोक्त प्रश्नों पर

प्रकाश डालता हो । अपने साक्ष्य में, अन्वेषण अधिकारी ने ऊपर वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है और कहा है कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वह काफी चौड़ी 4 लेन वाली सड़क है जिसके दोनों ओर सर्विस रोड भी हैं । आर.टी.ओ. रिपोर्ट प्रदर्श-29 के पैरा उल्लिखित अपने अभिसाक्ष्य में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कार में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था, इसलिए उसे तेज गति से नहीं चलाया जा सकता था । दुर्घटना के प्रभाव के बारे में उन्होंने यह कथन किया है कि एयरबैग नहीं खुले थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टक्कर प्रश्नगत कार के बाईं ओर हुई थी और कुछ खरोंचें आई थीं और बाईं ओर का शीशा टूट गया था । प्रदर्श-29 के साथ अन्वेषण अधिकारी का यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साइकिल में पीछे से टक्कर मारने वाली कहानी सही नहीं है । इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभि. सा. 3 ने ऊपर वर्णित अपने बयान को सुधारने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त, बच्चालाल द्वारा सड़क पर साइकिल चलाने में योगदायी उपेक्षा के पहलू से भी इनकार नहीं किया जा सकता । साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं कि टक्कर पीछे से नहीं लगी थी, बल्कि उसकी साइकिल ने प्रश्नगत कार को बाईं ओर से टक्कर मारी थी । प्रदर्श-29 के अंतर्गत दी गई आर.टी.ओ. रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है । जब अन्वेषण अधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि अन्वेषण के दौरान, प्रश्नगत कार में सवार लोगों ने उन्हें बताया था कि दुर्घटना के समय आवेदक कार नहीं चला रहा था, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि उन्हें इस बारे में बताया गया था कि प्रश्नगत कार कौन चला रहा था । यद्यपि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत कार किराए पर ली गई थी और इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह और भी आवश्यक था कि वह इस तथ्य का पता लगाए कि दुर्घटना के समय कार कौन चला रहा था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, अभिलेख पर अन्यथा भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अभिकथन किया जा सके कि प्रश्नगत कार को उतावलेपन और उपेक्षा से चलाया जा रहा था । अभि. सा. 1 ने, जो कार रेंटल कंपनी का टीम लीडर है, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि कार कौन चला रहा था और न ही उसने कंपनी से किराए पर ली गई कार को सौंपने के बारे में विवरण दिया है ।

बल्कि उसने स्वीकार किया है कि जब प्रातःकाल कार ली गई थी, वह उस समय उपलब्ध नहीं था । अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में, अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि रामसावरे पाल ने विशेष रूप से उसकी उपस्थिति में बयान अभिलिखित किया है कि कार रुकने के पश्चात् उसने 3 लड़कों और 2 लड़कियों को कार से बाहर आते देखा था । वह कार एक आई-20 कार थी जो 5 सीटर थी जिसमें आगे की ओर 2 बकेट सीटें और पीछे की ओर 3 यात्रियों के बैठने के लिए एक सोफा-सीट थी । एक बार यदि अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य पर विचार किया जाए कि उसने कार में सवार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देखे थे तो वे व्यक्ति (i) शुभंकर, (ii) प्रसेनजीत (आवेदक) और (iii) कार का चालक ही होंगे । कार में सवार दो लड़कियां बताई गई हैं तो वे (i) उत्तरा राशिनकर और (ii) भूमिका शर्मा होंगी । उपरोक्त चर्चा और अभियोजन पक्ष के साक्षी, अभि. सा. 5, जो दुर्घटना के समय कार में बैठा था, के विशिष्ट कथन को दृष्टिगत करते हुए अभि. सा. 3 द्वारा कार में 5 लोगों के होने संबंधी कथन का समाधान हो जाता है । अपने कथन में, अभि. सा. 5 ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत कार आवेदक द्वारा नहीं चलाई गई थी । यह कहानी कि कार कंपनी के चालक द्वारा चलाई गई थी, इस तथ्य से प्रबलित होता है कि यह एक किराए की कार थी, और उसमें सवार 5 में से 4 लोगों की स्पष्ट रूप से शनाख्त की गई है, टक्कर लगने के पश्चात् अभि. सा. 3 ने 3 लड़कों और 2 लड़कियों को कार से बाहर आते हुए देखा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा किराए पर ली गई कार के चालक के बारे में पूछताछ और जांच करने में उपेक्षा और लोप किया गया है । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय का मानना यह है कि अभियोजन पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं हुआ है । आवेदक द्वारा कार चलाने के तथ्य की बिल्कुल भी जांच नहीं की गई है । जहां तक दुर्घटना में कार से टक्कर लगने का संबंध है, अभिलेख से पता चलता है कि बच्चालाल की साइकिल कार पर बाईं ओर से टकराई थी और कार ने पीछे से साइकिल को टक्कर नहीं मारी थी । दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य से यही पता चला है । यह तथ्य कि बच्चालाल की साइकिल कार से बाईं ओर टकराई थी, इसके कई कारण हो सकते हैं । वाहन चला रहे चालक द्वारा वाहन की टक्कर

के प्रभाव की डिग्री निस्संदेह योगदायी उपेक्षा मानी जा सकती है परंतु यह सब प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा । घटनास्थल पंचनामा और अन्वेषण अधिकारी के कथन से यह पता चलता है कि संबंधित सड़क के दोनों ओर दो सर्विस रोड थे, यद्यपि इस कारण से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु दुर्घटना के घटित होने के तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है । ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए, एक प्रश्न/तथ्य स्पष्ट रूप से अनुत्तरित रह जाता है, अर्थात् क्या कार आवेदक द्वारा चलाई गई थी या किराए पर ली गई कार के चालक द्वारा । कार किराए पर देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि ने ऐसा कोई भी अपराधजन्य विवरण नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि कार आवेदक को दी गई थी या आवेदक द्वारा चलाई गई थी, और न ही अन्वेषण अधिकारी ने उपरोक्त तथ्य की जांच की है । अतः, आवेदक को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना मामला साबित नहीं किया है । अतः तारीख 28 सितंबर, 2021 और 24 मार्च, 2023 के विवादित निर्णय टिकने योग्य नहीं हैं और इन्हें रद्द कर अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, आवेदक की दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत पत्र को रद्द करने का निदेश दिया जाता है । (पैरा 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2024] ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 3720 :
प्रेम लाल आनंद और अन्य बनाम
नरेंद्र कुमार और अन्य । 14

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2023 का पुनरीक्षण आवेदन सं. 76.

2021 की दांडिक अपील सं. 154 में सेशन न्यायाधीश, पुणे द्वारा तारीख 24 मार्च, 2023 को पारित दोषसिद्धि निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री सत्यव्रत जोशी और श्री ओमकार नेवगी

प्रतिवादी की ओर से सुश्री डी. एस. कृष्णैयार (लोक अभियोजक)

आदेश

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण आवेदन (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "आवेदन" कहा गया है) के अधीन विचारण न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोनों ही निर्णयों को चुनौती दी गई है । आवेदक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पिंपरी, पुणे (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "न्यायिक मजिस्ट्रेट" कहा गया है) द्वारा समरी दांडिक मामला (संक्षेप में "समरी मामला") सं. 1164/2018 में पारित तारीख 28 सितंबर, 2021 के उस निर्णय को चुनौती देने के लिए वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है जिसके अधीन आवेदक को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 279 के अधीन दोषी ठहराया गया है और 500/- रुपए के जुर्माने के साथ तीन महीने के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया है । आवेदक को दंड संहिता की धारा 304क के अधीन भी दोषी ठहराया गया है और 5,000/- रुपए के जुर्माने के साथ छह मास के कठोर कारावास और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर एक मास के कारावास से दंडादिष्ट किया है । इसके पश्चात्, आवेदक ने सेशन न्यायाधीश, पुणे के समक्ष दांडिक अपील सं. 154/2021 फाइल की, जिन्होंने तारीख 24 मार्च, 2023 के अपने आक्षेपित निर्णय द्वारा उपरोक्त दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की है ।

2. इस न्यायालय (कोरम: न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल) ने 27 अक्तूबर, 2023 को वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन में फाइल किए गए अंतरिम आवेदन सं. 3928/2023 में निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

> "1. आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।
>
> 2. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि आवेदक अच्छी योग्यता वाला एक युवा है । वह सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में कार्यरत है । लंबित पुनरीक्षण आवेदन के कारण उसे नौकरी

नहीं मिल रही है; और ये उसके करियर और जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि पुनरीक्षण आवेदन यथाशीघ्र गुण-दोष के आधार पर विनिश्चित की जाए ।

3. इन प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए पुनर्विचार आवेदन को 11 दिसंबर, 2023 से आरंभ होने वाली साप्ताहिक अंतिम सुनवाई बोर्ड में सम्मिलित किया जाए । सम्पूर्ण अभिलेख मंगवाया जाए । तदनुसार, अंतरिम आवेदन का निपटारा किया जाता है ।"

3. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, मैंने आवेदक के विद्वान् काउंसेल और विद्वान् आवेदक को 10 दिसंबर, 2024 को सुना और अंतिम बहस पूरी हो गई ।

4. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है –

4.1 अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मार्च, 2018 को रात लगभग 9:00 बजे, श्री रामसावरे बलराज पाल (अभि. सा. 3) और उनके मामा बच्चालाल, दोनों चौधरी नगर, भोसारी, पुणे के निवासी हैं, दो अलग-अलग साइकिलों पर संतनगर चौक से स्पाइन रोड होते हुए गोडाउन चौक की ओर जा रहे थे । उस समय, जय गणेश साम्राज्य चौक के पास एक आई-20 कार सं. के ए 03 एई 7760 ने बच्चालाल की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वे सड़क पर गिर गए और उन्हें गंभीर क्षतियां कारित हुईं । अभियोजन पक्षकथन यह है कि आवेदक कार चला रहा था । आवेदक के साथ, श्री शुभंकर बैरानी, सुश्री उत्तरा राशिनकर और सुश्री भूमिका शर्मा, कार में अन्य सह-यात्री थे । वे तुरंत बच्चालाल को क्षतियों के उपचार के लिए कार से संत ज्ञानेश्वर अस्पताल ले गए । बच्चालाल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया । रामसावरे पाल ने बच्चालाल के पिता अमृतलाल को घटना की सूचना दी । अमृतलाल 20 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अपने ग्राम से आकर बच्चालाल से मिलने अस्पताल गए । उन्होंने 20 मार्च, 2018 को एम.आई.डी.सी. (महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन) पुलिस थाने में आवेदक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई । आरंभ में दंड संहिता की धारा

279, 338 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "मोटर यान अधिनियम" कहा गया है) की धारा 117, 119 और 184 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । यद्यपि, 20 मार्च, 2018 को बच्चालाल की गंभीर क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई और इस कारण दंड संहिता की धारा 304क जोड़ी गई थी । आवेदक को 20 मार्च, 2018 को गिरफ्तार किया गया और इसके पश्चात् जमानत पर छोड़ दिया गया । उपरोक्त धारा के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रदर्श-14 के अधीन आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए थे । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और उसका विचारण किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 313 के अधीन उसका कथन प्रदर्श-31 अभिलिखित किया गया था । विचारण न्यायालय के समक्ष उसने यह प्रतिरक्षा ली कि वह कार नहीं चला रहा था क्योंकि कार किराए की थी और घटना के समय एक अज्ञात चालक कार चला रहा था । उसने कहा कि कार उस समय तेज गति से नहीं चल रही थी जब कार ने पीछे से बच्चालाल की साइकिल को टक्कर मारी थी ।

5. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री जोशी ने मुझे मामले के साक्ष्य और अभिलेख से अवगत कराया है और विस्तार से बहस की है । आरंभ में, उन्होंने यह दलील दी है कि घटना के पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में 3 दिन का असामान्य विलंब हुआ है जिस पर निचले न्यायालयों ने विचार नहीं किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी कहा है कि यद्यपि क्षतिग्रस्त बच्चालाल को 17 मार्च, 2018 को ही आवेदक और उसके दोस्तों द्वारा रामसावरे पाल के साथ अस्पताल ले जाया गया था, किन्तु फिर भी रामसावरे पाल, जिसे घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है, द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट बच्चालाल के पिता द्वारा 20 मार्च, 2018 को अस्पताल में उनसे मिलने के पश्चात् दर्ज की गई थी, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं क्योंकि उस समय वे उत्तर प्रदेश में अपने ग्राम में थे । उन्होंने यह दलील दी है कि

आवेदक और उसके दोस्तों ने पुणे में ए. एस. जस्ट राइड टूर्स एंड ट्रैवल्स नामक कंपनी से चालक के साथ प्रश्नगत कार किराए पर ली थी । उन्होंने दलील दी कि निचले दोनों न्यायालयों में आवेदक का यह लगातार पक्षकथन रहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि कार बिना चालक के किराए पर ली गई थी और केवल इसी कारण से आवेदक को कार का चालक मानते हुए दोषी ठहराया गया है । उन्होंने यह दलील दी है कि निचले दोनों न्यायालयों ने ए.एस. जस्ट राइड्स टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के प्रतिनिधि और टीम लीडर, अभि. सा. 1 के कथन का अवलंब लिया है, जिसने अपने कथन में यह उल्लेख किया है कि आवेदक और उसके दोस्तों ने उनके ऑनलाइन ऐप के जरिए बिना चालक के कार किराए पर ली थी और केवल इसी कथन के आधार पर आवेदक को दोषी ठहराया गया है ।

5.1 उन्होंने यह भी दलील दी है कि कार में सवार उत्तरा राशिनकर नामक एक व्यक्ति ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के नाते न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है कि आवेदक प्रश्नगत कार नहीं चला रहा था । उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रदर्श-29 के अंतर्गत दी गई आर.टी.ओ. रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कार के बम्पर पर मामूली टक्कर लगी थी, परंतु कोई गंभीर क्षति नहीं हुई, जिससे यह पुष्टि होती है कि कार तेज गति से नहीं चलाई गई थी । काउंसेल ने यह निवेदन किया कि प्रदर्श-29 के अंतर्गत दी गई आर.टी.ओ. रिपोर्ट इस तथ्य की पुष्टि करती है कि कार में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था, इसलिए अन्यथा भी इसे तेज गति से नहीं चलाया जा सकता था ।

5.2 विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि आवेदक, जो एक उच्च शिक्षित युवा है और जिसके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है, की साख और पूर्ववृत्त को देखते हुए, उसे अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उपबंधों का लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि वह मृतक के परिजनों को भारी प्रतिकर देने के लिए तैयार और इच्छुक था । इस आधार पर, उन्होंने मेरे समक्ष तारीख 5 अप्रैल, 2024 के प्रदर्श-1 के अंतर्गत एम.ए.सी.पी. सं. 306/2018 में पारित आदेश भी

प्रस्तुत किया जिसमें एक मध्यस्थ रिपोर्ट और आवेदक अर्थात् मृतक बच्चालाल की पत्नी और ए.एस. के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हुए समझौते का उल्लेख है । जस्ट राइड्स टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी, जिसके अधीन विपक्षी सं.-3 अर्थात् नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 20,75,000/- रुपये प्राप्त करने पर, विपक्षी सं.-1 (वर्तमान आवेदक) और विपक्षी सं.-2 (ए.एस. जस्ट राइड्स टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी) दोनों को एम.ए.सी.पी. सं. 306/2018 में आरोपमुक्त कर दिया गया है ।

5.3 विद्वान् काउंसेल का कहना है कि अभियोजन पक्ष के पूरे मामले में, आवेदक के वाहन चलाने के कृत्य से जुड़े होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और दोनों निचले न्यायालयों ने आवेदक को दोषी ठहराते हुए केवल अभि. सा. 3, यानी रामसावरे पाल जिसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा किया था, के कथन का अवलंब लिया है और उसे स्वीकार किया है । काउंसेल का कहना है कि यदि ऐसा है, तो यह आश्चर्य की बात है कि रामसावरे पाल ने दुर्घटना के तुरंत बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई । उनका यह भी कहना है कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष अपने कथन में, रामसावरे पाल ने यह उल्लेख किया है कि वह मृतक बच्चालाल की साइकिल के पीछे अपनी साइकिल चला रहा था, फिर भी पुलिस द्वारा घटना के दिन अभिलिखित किए गए बयान में इस तथ्य का कोई भी उल्लेख नहीं है । उनका यह कहना कि प्रश्नगत कार के फोटो कार रुकने के बाद ही खींचे गए थे, का उल्लेख भी घटना की तारीख को पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए बयान में नहीं है । काउंसेल का यह भी कहना है कि अभि. सा. 3 द्वारा किया गया उपरोक्त सारभूत सुधार, घटना की तारीख को पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए उनके बयान के बिल्कुल विपरीत है ।

5.4 विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यद्यपि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की जान चली गई, परंतु दंड संहिता की धारा 279 सहपठित दंड संहिता की धारा 304क और मोटर यान अधिनियम के उपबंधों के अधीन आरोप विरचित किए जाने के लिए, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से कहीं भी यह साबित नहीं हुआ है कि प्रश्नगत कार आवेदक द्वारा चलाई गई थी और यह कि वह

तेज गति से उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण चलाई गई थी जिसके कारण बच्चालाल की साइकिल को टक्कर लगी । उन्होंने दृढ़ता से यह दलील दी कि चूंकि रामसावरे पाल (अभि. सा. 3) मृतक का प्रत्यक्ष रूप से हितबद्ध साक्षी है, उसका साक्ष्य सुधारों और विरोधाभासों से भरा है और इसे दोनों निचले न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था । उन्होंने इस बात पर बल देने का प्रयास किया है कि यदि प्रश्नगत कार उसके चालक द्वारा उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण रीति में उसके चालक द्वारा चलाई गई होती तो वास्तव में वह चालक दोषी होता और रामसावरे पाल (अभि. सा. 3) ने घटना वाले दिन ही शिकायत दर्ज करा दी होती । उन्होंने यह भी कहा है कि अभि. सा. 3 मृतक बच्चालाल का भतीजा होने के नाते एक हितबद्ध साक्षी है और इसलिए केवल उसके कथन का अवलंब लेना और अन्य अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथन को पूरी तरह से अनदेखा करना वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं है और इसलिए आक्षेपित निर्णय प्रथम दृष्टया विकृत हैं और इनमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ।

5.5 विद्वान् काउंसेल ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी पर प्रश्न उठाया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उन्होंने यह निवेदन किया है कि मृतक बच्चालाल के पिता अमृतलाल (अभि. सा. 4) ने दुर्घटना की सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस संदर्भ में, प्रदर्श-29, जो कि आर.टी.ओ. की रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चालाल की साइकिल में लगी टक्कर के बारे में, इसमें यह दर्ज है कि प्रश्नगत कार में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटना/घटना के पश्चात् टक्कर के कारण कोई भी एयरबैग खुला हुआ/फूला हुआ नहीं पाया गया और वे पूरी तरह सुरक्षित थे, इस तथ्य को दोनों निचले न्यायालयों ने पूरी तरह से अनदेखा किया है । इसके पश्चात्, उन्होंने मेरा ध्यान उक्त रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि प्रश्नगत कार के बम्पर को कुछ खरोंचों के अतिरिक्त कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने

दुर्घटना के पश्चात् बच्चालाल की संबंधित साइकिल का पंचनामा प्रस्तुत नहीं किया है ।

5.6 इस प्रकार विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि उपरोक्त सभी मामलों में अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर ठोस और सुसंगत साक्ष्य पेश नहीं किए हैं ताकि आवेदक को दोषी ठहराने के लिए सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे उसका मामला साबित हो सके और उपरोक्त मुद्दे से कई सवालों को अनुत्तरित रह जाते हैं । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि मामले के तथ्यों की जांच की गई है परंतु उन्हें सही ढंग से नहीं समझा गया है । उन्होंने मेरा ध्यान प्रश्नगत कार के सह-यात्री और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 5 के कथन की ओर आकर्षित किया है और यह दलील दी है कि वह दुर्घटना के समय कार के अंदर बैठी हुई थी और वहां जो कुछ हुआ था उसने उसे अपनी आंखों से देखा था । विद्वान् काउंसेल ने विशेष रूप से यह कहा है कि जब कथित घटना हुई तो प्रश्नगत कार वापस आने के लिए यू-टर्न ले रही थी और यह दलील दी है कि घटनास्थल एक व्यस्त और भीड़-भाड़ वाला इलाका था जहां दुर्घटना हुई ।

5.7 विद्वान् काउंसेल का यह कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को उपेक्षा से यान चलाने का दोषी ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष को यह निश्चित रूप से साबित करना आवश्यक है कि उसने यान को इतने उतावलेपन और उपेक्षा से चलाया था कि इससे मानव जीवन को खतरा हो सकता था या किसी को क्षति लगने की संभावना थी । उनका यह भी कहना है कि अभि. सा. 5, जो घटना के समय प्रश्नगत कार में यात्रा कर रहा था, को छोड़कर किसी अन्य किसी भी प्रत्यक्षदर्शी या स्वतंत्र साक्षी से पूछताछ नहीं की गई है । उनका यह कहना है कि प्रदर्श-27 के अंतर्गत दिए गए घटनास्थल के पंचनामे में स्पष्ट रूप से यह दर्ज है कि दुर्घटना स्थल पर प्रश्नगत कार के उपेक्षा या तेज गति से चलाए जाने का कोई संकेत नहीं मिला था । उनका कहना है कि इस मामले में आवेदक की दोषसिद्धि स्पष्ट

रूप से मानवीय भावनाओं से प्रेरित है क्योंकि घटना के तीन दिन बाद बच्चालाल की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी और अभि. सा. 3 यानी रामसावरे पाल (मृतक का भतीजा) के कथन के आधार पर दोषसिद्धि की गई है जिसका साक्ष्य सुधारों और सारभूत विरोधाभासों से भरा है ।

5.8 उपरोक्त के आधार पर, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्षकथन, शिकायत और आरोप पत्र, यदि एक साथ पढ़े जाएं, तो निस्संदेह यह प्रदर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष का साक्ष्य आवेदक के अपराध और इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि आवेदक ही वह कार चला रहा था जिससे दुर्घटना हुई और बच्चालाल की मृत्यु हुई । विद्वान् काउंसेल ने यह भी कहा है अभियोजन पक्ष इस आधार पर भी सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि कार को भी उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया गया था । इसलिए, विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए, निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा कायम रखे जाने वाले दोनों ही आक्षेपित निर्णय न्याय के हित में रद्द और निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

6. इसके विपरीत, विद्वान् लोक अभियोजक डॉ. कृष्णय्यर ने यह दलील दी है कि घटना घटित होने और आवेदक द्वारा चलाई जा रही कार की संलिप्तता के बीच अंतर है । उन्होंने यह कहा है कि अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण साक्षी अर्थात् ए. एस. जस्ट राइड्स टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी के प्रतिनिधि खानदेराव अडप्पा शिरोले (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को पेश किया है जिन्होंने यह कथन किया है कि आवेदक ने अपने तीन दोस्तों के साथ पुणे से भीमाशंकर तक एक दिन की यात्रा के लिए कार किराए पर ली थी और दुर्घटना के समय वे कार में मौजूद थे और इसके पश्चात् कंपनी के ऑनलाइन ऐप पर कार के वापसी समय को बार-बार 40 घंटे तक बढ़ाते रहे । उन्होंने यह दलील दी है कि इस कथन से यह साबित होता है कि आवेदक ही कार का चालक था और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित और सेशन न्यायालय द्वारा कायम रखे गए निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

7. मैंने आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री जोशी और राज्य के विद्वान् लोक अभियोजक डॉ. कृष्णायर को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है । विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों पर न्यायालय ने सम्यक् रूप से विचार किया है ।

8. वर्तमान मामले में यह देखा गया है कि, आरोप पत्र (प्रदर्श-1) है और आरोप प्रदर्श-14 के अनुसार विरचित किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन आवेदक का कथन (प्रदर्श-15) अभिलिखित किया गया है । यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष ने छह साक्षियों के साक्ष्य पेश किए हैं । खंडेराव अडप्पा शिरोले (अभि. सा. 1) ने ए. एस. जस्ट राइड टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी की ओर से साक्ष्य दिया है । वह टीम लीडर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने साक्ष्य में यह कहा है कि कंपनी ने आवेदक को 17 मार्च, 2018 को प्रातः 8.00 बजे प्रश्नगत आई-20 कार किराए पर दी थी और उसे रात 8.00 बजे कार वापस करनी थी । उन्होंने आगे यह बताया कि आवेदक ने रात 8.00 बजे कार वापस नहीं की और उसके पश्चात् कंपनी के ऑनलाइन ऐप पर कार वापस करने के लिए बार-बार 40 घंटे तक का समय बढ़ाने की मांग की । उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि इसके पश्चात् उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने प्रश्नगत कार का पता लगाया और यह पाया कि वह भोसारी पुलिस थाने के परिसर में खड़ी थी और पूछताछ करने पर पता चला कि वर्तमान मामले में यह कार दुर्घटनाग्रस्त हुई थी । उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आवेदक से उपरोक्त तथ्यों के बारे में बात की तो उसने दुर्घटना होने की बात स्वीकार की । इसके पश्चात् उन्होंने कहा कि औपचारिकताएं पूरी करने और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के बाद कार कंपनी को वापस कर दी गई । अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने 17 मार्च, 2018 को आवेदक को व्यक्तिगत रूप से कार नहीं दी थी और साथ ही वह दुर्घटना के साक्षी भी नहीं हैं । उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि किसकी गलती से दुर्घटना हुई । अभि. सा. 1 की उपरोक्त प्रतिपरीक्षा इस तथ्य को उजागर

नहीं करती है कि कार आवेदक को दी गई थी या आवेदक ने चालक के साथ कार किराए पर ली थी । इस पहलू पर अभि. सा. 1 के कथन में कोई भी उल्लेख नहीं है । आमतौर पर कारें कार रेंटल कंपनी द्वारा चालक के साथ ही किराए पर दी जाती हैं । यदि किसी मामले में कार बिना चालक के किराए पर दी जाती है तो अभि. सा. 1 को ऐसे विवरण और तथ्य देने से कोई नहीं रोक सकता । कंपनी ने चालक उपलब्ध कराया था या नहीं, यह तथ्य महत्वपूर्ण है । अभियोजन पक्ष के अनुसार, कार में 4 लोग/यात्री थे परंतु अभि. सा. 3, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, ने अपनी मुख्य-परीक्षा में यह कहा है कि जब कार सामने रुकी तो उसने दुर्घटना के पश्चात् 4-5 लोगों को कार से बाहर निकलते हुए देखा था । निचले न्यायालय ने अपना निर्णय मात्र अभि. सा. 3 के परिसाक्ष्य के आधार पर दिया है । इसलिए, अभियोजन पक्षकथन कार चालक उपलब्ध कराए जाने वाले तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि कंपनी द्वारा चालक दिया गया था या नहीं । अभि. सा. 1 द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है ।

9. सुधाकर मुरलीधर बोरोटे (अभि. सा. 2) घटनास्थल के पंचनामे का साक्षी है । यद्यपि घटना 17 मार्च, 2018 को हुई, घटनास्थल का पंचनामा 20 मार्च, 2018 को किया गया है, यानी घटना के 3 दिन बाद । उन्होंने जो कुछ कहा है वह यह है कि उन्हें घटना/दुर्घटनास्थल पर बुलाया गया था और रामसावरे पाल ने दुर्घटना की जानकारी उनके साथ साझा की, जिसके आधार पर घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया गया है और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं । जहां तक इन दो अभियोजन साक्षियों का संबंध है, वे दोनों घटना/दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि उन्होंने दुर्घटना नहीं देखी है । इन दोनों साक्षियों का साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन के लिए सहायक नहीं है । बल्कि अभि. सा. 1 के कथन से अभियोजन पक्षकथन इस बिन्दु पर पूरी तरह से साबित नहीं होता है कि आवेदक कार का चालक था ।

10. जहां तक अभि. सा. 4 का संबंध है, वह अमृतलाल पाल है जो मृतक बच्चालाल का पिता है और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है । अभि. सा. 4

अर्थात् मृतक के पिता, जो प्रथम इत्तिलाकर्ता भी है, का कथन मात्र अनुश्रुत साक्ष्य है । उसने यह कथन किया है कि अभि. सा. 3 ने उन्हें 17 मार्च, 2018 को हुई दुर्घटना के बारे में बताया था, जिसके पश्चात् वह मुंबई आए और 20 मार्च, 2018 को अस्पताल में बच्चालाल से मिले, जहां उनकी क्षतियों का उपचार चल रहा था । उन्होंने यह कथन किया है कि घटना के समय वह उत्तर प्रदेश में अपने ग्राम में थे और उन्होंने जो भी कथन किया है, वह उन्हें रामसावरे पाल (अभि. सा. 3) ने बताया था । उन्होंने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बच्चालाल से अस्पताल में मुलाकात की थी जहां उनकी क्षतियों का उपचार चल रहा था । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य की भांति उनका साक्ष्य भी अभियोजन पक्षकथन के लिए किसी प्रकार भी सहायक नहीं है ।

11. इस प्रकार, अब हम अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के परिसाक्ष्य पर आते हैं । अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभि. सा. 3 घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है । वह मृतक बच्चालाल पाल का भतीजा है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि वह बच्चालाल पाल के पीछे साइकिल चला रहा था । दुर्घटना का समय रात 9.15 बजे है । प्रदर्श-27 के अंतर्गत दर्शाए गए घटनास्थल के पंचनामा से यह पता नहीं चलता कि उस स्थान पर पर्याप्त रोशनी थी या नहीं । इससे केवल घटनास्थल की पहचान होती है कि वह संत ज्ञानेश्वर चौक है । उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि बच्चालाल पाल आगे थे और वे उस समय उनके पीछे अपनी साइकिल चलाते हुए आ रहे थे जब एक कार ने अचानक पीछे से बच्चालाल पाल को टक्कर मारी थी । अभि. सा. 3 का यह वृत्तान्त कुछ सीमा तक संदिग्ध मालूम देता है क्योंकि यदि ऐसा था तो कार ने पहले उन्हें टक्कर मार दी होती । यद्यपि अभि. सा. 3 ने घटना का विवरण देते हुए यह कहा है कि वे दोनों अपने साइकिलों को एक साथ चला रहे थे । उन्होंने बताया है कि सड़क के दोनों ओर, जो 70 फीट चौड़ी थी, बीच में एक डिवाइडर था और मुख्य सड़क के दोनों ओर दो सर्विस रोड मौजूद थे । उन्होंने अपनी मुख्यपरीक्षा में अपने कथन में यह कहकर सुधार किया है कि वह और बच्चालाल पाल अपनी-अपनी साइकिलों को

एक साथ चला रहे थे । यदि यह अभियोजन पक्ष के घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का प्रत्यक्षदर्शी विवरण है जिसके आधार पर दोषसिद्धि की गई है, तब इस कथन में और भी बहुत कुछ आना चाहिए था । एक हितबद्ध साक्षी के ऐसे प्रत्यक्षदर्शी कथन का स्पष्ट अर्थ यह होगा कि अभि. सा. 3 वास्तविक घटना/दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकता क्योंकि वह अपनी साइकिल बराबर में ही चला रहा था । यह अत्यंत आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण है क्योंकि उस स्थिति में वह यह नहीं बता सकता था और न ही इसकी पुष्टि कर सकता था कि प्रश्नगत कार ने बच्चालाल को टक्कर मारी और उस कार को कौन चला रहा था । अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने स्वेच्छा से यह कथन किया है कि कार ने पीछे से बच्चालाल की साइकिल को टक्कर मारी और वह हवा में उछलकर सड़क पर गिर गया और उसे क्षति कारित हुई । इसके तुरंत बाद उसने यह कहा है कि बच्चालाल को टक्कर लगने के पश्चात्, वह कार के शीशे और बोनट पर गिर गया । फिर उसने कहा है कि टक्कर के पश्चात् बच्चालाल सड़क पर गिर गया और कार कुछ दूरी पर रुक गई और कार में 4 से 5 यात्री थे जिन्होंने तुरंत बच्चालाल की सहायता की और उसे उसी कार में उपचार के लिए अस्पताल ले गए । उसने यह तथ्य स्वीकार किया है कि जब उसका प्रारंभिक बयान अभिलिखित किया गया था, तब उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसने दुर्घटना/घटना के पश्चात् प्रश्नगत कार का फोटो खींचा था । उसने इस तथ्य के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है कि वह यह उत्तर नहीं दे पाएगा कि पुलिस द्वारा दर्ज उसके बयान में उक्त तथ्य क्यों नहीं हैं । उसने आगे यह कहा है कि बच्चालाल की मृत्यु 21 मार्च, 2018 को हुई थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान उपरोक्त अभिसाक्ष्य और संस्वीकृति के अतिरिक्त अभिलेख पर अभियोजन पक्ष द्वारा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया जा सके । न्यायालय के समक्ष प्रश्न इस प्रकार हैं कि क्या उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन और इस तथ्य को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने के लिए पर्याप्त होगा कि प्रश्नगत कार आवेदक द्वारा चलाई गई थी, क्या इसे उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया गया था जिसके

परिणामस्वरूप उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन यह दुर्घटना/घटना हुई, क्या बच्चालाल की ओर से योगदायी उपेक्षा की गई थी, क्या अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच की गई कि कार चालक के साथ या उसके बिना किराए पर दी गई थी, अभियोजन पक्ष ने कार में सवारी कर रहे अन्य 3 व्यक्तियों की परीक्षा क्यों नहीं कराई जिन्होंने दुर्घटना देखी हो सकती है, किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा क्यों नहीं कराई गई जो प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है । वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों में उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं ।

12. वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, उत्तरा राशिनकर (अभि. सा. 5) का कथन अत्यंत महत्वपूर्ण है । वह दुर्घटना/घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । वह उस कार में सह-यात्री थी, जो बच्चालाल की साइकिल से टकराई थी । उसका साक्ष्य दो भागों में है; सबसे पहले, अपनी मुख्यपरीक्षा में उसने घटनाओं के सटीक क्रम का वर्णन किया है और दूसरा, अपनी प्रतिपरीक्षा जिसमें उसने उन तथ्यों की विशेष रूप से पुष्टि की है । उसने यह कथन किया है कि दुर्घटना के समय वह स्वयं, उसके सहकर्मी भूमिका, शुभंकर और प्रसेनजीत तथा कार का चालक उसमें सवार थे । उसने यह कथन किया है कि रात 8.00 बजे से 9.00 बजे के बीच होटल फासोस में रात का खाना खाने के पश्चात्, उन्होंने वापस पुणे के लिए अपनी यात्रा आरंभ की । उसने यह साक्ष्य दिया है कि पुणे की ओर जाने के लिए यू-टर्न लेते समय, अचानक उनकी कार के बाईं ओर से बच्चालाल ने उनकी कार को टक्कर मार दी और वह भूमि पर गिर गया । उसने यह भी साक्ष्य दिया है कि कार रुकी थी और उसमें सवार सभी लोग नीचे उतरे और बच्चालाल को क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा । उसने स्पष्ट रूप से यह साक्ष्य दिया है कि कार चला रहा चालक भाग गया । उसने साक्ष्य में यह भी कहा है कि इसके पश्चात् शुभंकर और प्रसेनजीत (आवेदक) ने बच्चालाल की मदद की और उसे पास के अस्पताल ले गए । उसने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया है कि कार एक टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी से किराए पर ली गई थी, परंतु वह कार चला रहे व्यक्ति का नाम नहीं जानती है । उसने यह कथन किया है कि जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसके पश्चात् उसने उपरोक्त तथ्य

और घटना के बारे में पुलिस को बताया, जिसने उसका बयान अभिलिखित किया । उसने इस तथ्य का विशेष रूप से खंडन किया है कि दुर्घटना के समय आवेदक कार चला रहा था । इसके पश्चात् उसने यह कथन किया है कि वह यह बताने की स्थिति में नहीं है कि पुलिस ने उसके बयान में उक्त तथ्य क्यों नहीं अभिलिखित किया कि आवेदक प्रश्नगत कार नहीं चला रहा था । उसने कथन किया है कि बच्चालाल के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात्, उसे पता चला कि आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उसके अनुसार आवेदक ने दुर्घटना नहीं की थी बल्कि यह किराए की कार के चालक द्वारा की गई थी । उपरोक्त कथन पर उसकी प्रतिपरीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने विशेष रूप से पूछताछ करने पर उत्तर दिया है कि कार-चालक दुर्घटना होने के पश्चात् भाग गया था । अभि. सा. 5 का प्रत्यक्षदर्शी कथन विश्वसनीय है क्योंकि उसे पूरी तरह से चुनौती नहीं दी गई । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसके साक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है, यद्यपि वह आवेदक से परिचित थी क्योंकि वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे ।

13. अन्वेषण अधिकारी ने अभि. सा. 6 के रूप में साक्ष्य दिया है । उन्होंने केवल इतना कहा है कि आवेदक कार चला रहा था और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि अभियोजन पक्ष के दो विशिष्ट साक्षियों ने प्रश्नगत कार में सवार लोगों के विवरण और इस तथ्य के बारे में साक्ष्य दिया है कि प्रश्नगत कार किराए पर ली गई थी, दुर्घटना के पश्चात् प्रश्नगत कार में सवार लोगों का विवरण, दुर्घटना के पश्चात् प्रश्नगत कार का चालक भाग गया, और यह तथ्य कि दुर्घटना के समय आवेदक कार का चालक नहीं था, अभियोजन पक्ष को इस संबंध में उचित पूछताछ और जांच करनी चाहिए थी । अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई जांच में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जो उपरोक्त प्रश्नों पर प्रकाश डालता हो । अपने साक्ष्य में, अन्वेषण अधिकारी ने ऊपर वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया है और अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है और कहा है कि जिस सड़क पर दुर्घटना हुई वह काफी चौड़ी 4 लेन वाली सड़क है जिसके दोनों ओर सर्विस रोड भी हैं । आर. टी. ओ. रिपोर्ट प्रदर्श-29 के पैरा 6 में उल्लिखित अपने

अभिसाक्ष्य में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि कार में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था, इसलिए उसे तेज गति से नहीं चलाया जा सकता था । दुर्घटना के प्रभाव के बारे में उन्होंने यह कथन किया है कि एयरबैग नहीं खुले थे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टक्कर प्रश्नगत कार के बाईं ओर हुई थी और कुछ खरोंचें आईं थीं और बाईं ओर का शीशा टूट गया था । प्रदर्श-29 के साथ अन्वेषण अधिकारी का यह कथन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई साइकिल में पीछे से टक्कर मारने वाली कहानी सही नहीं है । इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभि. सा. 3 ने ऊपर वर्णित अपने बयान को सुधारने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त, बच्चालाल द्वारा सड़क पर साइकिल चलाने में योगदायी उपेक्षा के पहलू से भी इनकार नहीं किया जा सकता । साक्ष्य इस बात के प्रमाण हैं कि टक्कर पीछे से नहीं लगी थी, बल्कि उसकी साइकिल ने प्रश्नगत कार को बाईं ओर से टक्कर मारी थी । प्रदर्श-29 के अंतर्गत दी गई आर. टी. ओ. रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है ।

14. इस संदर्भ में **प्रेम लाल आनंद और अन्य** बनाम **नरेंद्र कुमार और अन्य**[1] [विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 30188-30189/2018] वाले मामले में तारीख 7 अगस्त, 2024 को पारित उच्चतम न्यायालय का निर्णय सुसंगत है जिसका पैरा 11 और 12 निम्न प्रकार है :–

> 11. इस स्तर पर, योगदायी उपेक्षा से संबंधित इस न्यायालय की घोषणाओं पर विचार करना उचित होगा ।
>
> > 11.1 ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम **बनाम** लक्ष्मण अय्यर और अन्य (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4182) वाले मामले में, इस न्यायालय ने उपेक्षा की परिभाषा और इसके प्रकारों, यानी समग्र और योगदायी, पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की –
> >
> > > "6. ... उपेक्षा कर्तव्य का लोप है जो या तो किसी

---

[1] ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 3720.

ऐसे काम को करने में चूक के कारण होता है जिसे एक विवेकशील व्यक्ति उन विचारों के आधार पर करता है, जो सामान्यतः मानवीय आचरण के कारण करता है या करने के लिए बाध्य होता है, या किसी ऐसे काम को करने के कारण होता है जिसे एक प्रज्ञावान या विवेकशील व्यक्ति नहीं करता । उपेक्षा का अर्थ सदैव पूर्ण उपेक्षा नहीं होता है, बल्कि इसमें उस सीमा तक सावधानी का अभाव होता है जितनी विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होती है । दूसरे व्यक्ति के हित की संरक्षा किए जाने; सावधानी, एहतियात और सतर्कता उस कोटि की बरते जाने में हुई विफलता को उपेक्षा कहा गया है, जो उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हैं । उपेक्षा और कर्तव्य एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़े होते हैं । उपेक्षा का अर्थ या तो व्यक्तिपरक रूप से लापरवाह मनःस्थिति है, या वस्तुनिष्ठ रूप से लापरवाह आचरण है । उपेक्षा एक निरपेक्ष शब्द नहीं है, बल्कि एक सापेक्ष शब्द है; अर्थात् यह एक तुलनात्मक शब्द है । कोई निरपेक्ष मानक तय नहीं किया जा सकता है और न ही कोई गणितीय रूप से सटीक सूत्र अभिनिर्धारित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी दिए गए मामले में उपेक्षा या उसकी कमी को अचूक रूप से मापा जा सके । उपेक्षा क्या होती है, यह अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से तय किया जाता है और यह अभिनिर्धारित करने में कि क्या किसी विशेष मामले में उपेक्षा पाई गई है, या केवल एक कार्य या आचरण उपेक्षा के बराबर है, जैसी बातों को तय करने के लिए अभिलेख पर उपलब्ध सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा । इसे परिस्थितियों के अनुसार सावधानी का अभाव भी कहा जाता है । यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि कोई कार्य उपेक्षापूर्ण है या नहीं, पहले

यह तय किया जाना सुसंगत होगा कि क्या कोई विवेकशील व्यक्ति यह पूर्वानुमान लगा सकता था कि उस कार्य से क्षति होगी या नहीं । कानून द्वारा अभिनिर्धारित कार्य करने में लोप या कानून द्वारा अभिनिर्धारित तरीके, ढंग या विधि से कुछ भी करने में जितनी विफलता होती है, स्वयं उस व्यक्ति की ओर से उतनी ही उपेक्षा मानी जाएगी । यदि उत्तर हां में है, तो यह एक उपेक्षा पूर्ण कार्य कहा जाएगा । जहां कोई दुर्घटना दोनों पक्षों की उपेक्षा के कारण होती है, वहां मूलतः योगदायी उपेक्षा होगी और दोनों को दोषी ठहराया जाएगा । योगदायी उपेक्षा के मामले में, दायित्व जिस महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्भर करता है, वह यह होगा कि क्या कोई भी पक्ष उचित सावधानी बरतकर दूसरे पक्ष की उपेक्षा के परिणाम से बच सकता था... योगदायी उपेक्षा केवल वादी के आचरण को लागू होती है । इसका अर्थ यह है कि वादी की ओर से कोई ऐसा कार्य या लोप हुआ है, जिसका क्षति में भौतिक रूप से योगदान है, कार्य या लोप ऐसी प्रकृति का है कि इसे युक्तियुक्त रूप से उपेक्षा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, यद्यपि उपेक्षा को इसका सामान्य अर्थ नहीं दिया गया है....। अब यह अच्छी तरह से स्थापित है कि योगदायी उपेक्षा के मामले में, न्यायालयों के पास पक्षों के बीच नुकसान को इस प्रकार विभाजित करने की शक्ति है जिस प्रकार न्यायालय उसे उचित और न्यायसंगत समझे है ।”

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

11.2 इस न्यायालय ने प्रमोद कुमार रसिक भाई झवेरी **बनाम** करमासे कुनवर्गी टाक और अन्य [(2002) 6 एस. सी. सी. 455 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2864] वाले मामले में निम्न मत व्यक्त किया है –

9. कर्तव्य के अस्तित्व की अनिवार्यता न होने के अध्यधीन, योगदायी उपेक्षा के प्रश्न का विनिश्चय उसी सिद्धांत पर किया जाएगा जिस पर प्रतिवादी की उपेक्षा का प्रश्न तय किया जाता है । एक विवेकशील व्यक्ति का मानदंड वादी की योगदायी उपेक्षा के मामले में उतना ही सुसंगत है जितना कि प्रतिवादी की उपेक्षा के मामले में । परंतु सावधानी में जितनी कमी पाई गई है उससे योगदायी उपेक्षा का निर्धारण मामले की परिस्थितियों और तथ्यात्मक स्थिति के अनुसार किया जाएगा । एस्टली **बनाम** ऑस्ट्रस्ट लिमिटेड [(1999) 73 ए. एल. जे. आर. 403] वाले मामले में ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी उद्धृत करने योग्य है –

> "योगदायी उपेक्षा का निष्कर्ष इस तथ्यात्मक अन्वेषण पर आधारित होता है कि क्या वादी ने अपने शरीर या संपत्ति की उचित देखभाल न करके अपने नुकसान में योगदान दिया है । उचित देखभाल क्या है, यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । कई मामलों में, वादी के लिए प्रतिवादी पर अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए निर्भर रहना उचित हो सकता है । परंतु कोई परम नियम नहीं है । प्रतिवादी का कर्तव्य और दायित्व यह अभिनिर्धारित करने में एक परिवर्तनशील कारक है कि क्या योगदायी उपेक्षा पाई गई है और यदि है, तो किस सीमा तक । कुछ मामलों में, दायित्व की प्रकृति वादी को योगदायी उपेक्षा के दावे से मुक्त कर सकती है; अन्य मामलों में, दायित्व की प्रकृति कारित हुई क्षति के लिए वादी के दायित्व को कम कर सकती है; और कुछ अन्य मामलों में दायित्व की प्रकृति इस निष्कर्ष पर पहुंचने को नहीं रोक सकती कि वादी अपने शरीर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने में विफल रहा । योगदायी उपेक्षा वादी के आचरण पर केंद्रित होती

है । प्रतिवादी द्वारा निभाया गया कर्तव्य, यद्यपि सुसंगत है, किन्तु इस पर कई कारकों को ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिए ताकि यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि वादी ने ऐसा आचरण किया है कि वह अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करने में विफल रहा है ।"

12. अभिलेख से पता चलता है कि ट्रैक्टर सं. यूपी 14-ए 1933 के चालक ने धीमी गति बनाए रखी थी, जिससे दावेदार-अपीलार्थी सं. 1 को आगे निकलने के लिए प्रेरित किया गया, परंतु, दूसरे ट्रैक्टर सं. यूपी 14-बी 9603 के चालक ने अपने कार्य में जल्दबाजी और उपेक्षा बरती, क्योंकि उसने न केवल अधिक गति से गाड़ी चलाई बल्कि गलत दिशा से भी आया जिसके परिणामस्वरूप टक्कर हुई ।

15. जब अन्वेषण अधिकारी को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि अन्वेषण के दौरान, प्रश्नगत कार में सवार लोगों ने उन्हें बताया था कि दुर्घटना के समय आवेदक कार नहीं चला रहा था, तो उन्होंने सीधे तौर पर इसका खंडन किया और इस बात से इनकार किया कि उन्हें इस बारे में बताया गया था कि प्रश्नगत कार कौन चला रहा था । यद्यपि, उन्होंने यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत कार किराए पर ली गई थी और इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह और भी आवश्यक था कि वह इस तथ्य का पता लगाए कि दुर्घटना के समय कार कौन चला रहा था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, अभिलेख पर अन्यथा भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अभिकथन किया जा सके कि प्रश्नगत कार को उतावलेपन और उपेक्षा से चलाया जा रहा था ।

16. अभि. सा. 1 ने, जो कार रेंटल कंपनी का टीम लीडर है, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि कार कौन चला रहा था और न ही उसने कंपनी से किराए पर ली गई कार को सौंपने के बारे में विवरण दिया है । बल्कि उसने स्वीकार किया है कि जब प्रातःकाल कार ली गई थी, वह उस समय उपलब्ध नहीं था । अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में,

अन्वेषण अधिकारी ने इस तथ्य को निर्दिष्ट किया है कि रामसावरे पाल (अभि. सा. 3) ने विशेष रूप से उसकी उपस्थिति में बयान अभिलिखित किया है कि कार रुकने के पश्चात् उसने 3 लड़कों और 2 लड़कियों को कार से बाहर आते देखा था । वह कार एक आई-20 कार थी जो 5 सीटर थी जिसमें आगे की ओर 2 बकेट सीटें और पीछे की ओर 3 यात्रियों के बैठने के लिए एक सोफा-सीट थी । एक बार यदि अभि. सा. 3 के इस साक्ष्य पर विचार किया जाए कि उसने कार में सवार प्रत्यक्षदर्शी साक्षी देखे थे तो वे व्यक्ति (i) शुभंकर, (ii) प्रसेनजीत (आवेदक) और (iii) कार का चालक ही होंगे । कार में सवार दो लड़कियां बताई गई हैं तो वे (i) उत्तरा राशिनकर (अभि. सा. 5) और (ii) भूमिका शर्मा होंगी ।

17. उपरोक्त चर्चा और अभियोजन पक्ष के साक्षी, अभि. सा. 5, जो दुर्घटना के समय कार में बैठा था, के विशिष्ट कथन को दृष्टिगत करते हुए, अभि. सा. 3 द्वारा कार में 5 लोगों के होने संबंधी कथन का समाधान हो जाता है । अपने कथन में, अभि. सा. 5 ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि प्रश्नगत कार आवेदक द्वारा नहीं चलाई गई थी । यह कहानी कि कार कंपनी के चालक द्वारा चलाई गई थी, इस तथ्य से प्रबलित होता है कि यह एक किराए की कार थी, और उसमें सवार 5 में से 4 लोगों की स्पष्ट रूप से शनाख्त की गई है, टक्कर लगने के पश्चात् अभि. सा. 3 ने 3 लड़कों और 2 लड़कियों को कार से बाहर आते हुए देखा था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा किराए पर ली गई कार के चालक के बारे में पूछताछ और जांच करने में उपेक्षा और लोप किया गया है ।

18. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, मेरा मानना यह है कि अभियोजन पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित नहीं हुआ है । आवेदक द्वारा कार चलाने के तथ्य की बिल्कुल भी जांच नहीं की गई है । जहां तक दुर्घटना में कार से टक्कर लगने का संबंध है, अभिलेख से पता चलता है कि बच्चालाल की साइकिल कार पर बाईं ओर से टकराई थी और कार ने पीछे से साइकिल को टक्कर नहीं मारी थी । दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से यही पता चला

है । यह तथ्य कि बच्चालाल की साइकिल कार से बाईं ओर टकराई थी, इसके कई कारण हो सकते हैं । वाहन चला रहे चालक द्‌वारा वाहन की टक्कर के प्रभाव की डिग्री निस्संदेह योगदायी उपेक्षा मानी जा सकती है परंतु यह सब प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करेगा । घटनास्थल पंचनामा और अन्वेषण अधिकारी के कथन से यह पता चलता है कि संबंधित सड़क के दोनों ओर दो सर्विस रोड थे, यद्‌यपि इस कारण से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु दुर्घटना के घटित होने के तथ्यों पर विचार किया जाना आवश्यक है ।

19. ऊपर चर्चा किए गए साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए एक प्रश्न/तथ्य स्पष्ट रूप से अनुत्तरित रह जाता है, अर्थात् क्या कार आवेदक द्‌वारा चलाई गई थी या किराए पर ली गई कार के चालक द्‌वारा । कार किराए पर देने वाली कंपनी के प्रतिनिधि अभि. सा. 1 ने ऐसा कोई भी अपराधजन्य विवरण नहीं दिया है जिससे यह पता चले कि कार आवेदक को दी गई थी या आवेदक द्‌वारा चलाई गई थी, और न ही अन्वेषण अधिकारी ने उपरोक्त तथ्य की जांच की है ।

20. अतः, आवेदक को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना मामला साबित नहीं किया है । अतः तारीख 28 सितंबर, 2021 और 24 मार्च, 2023 के विवादित निर्णय टिकने योग्य नहीं हैं और इन्हें रद्‌द कर अपास्त किया जाता है । परिणामस्वरूप, आवेदक की दोषसिद्‌धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं ।

21. आवेदक द्‌वारा प्रस्तुत जमानत पत्र को रद्‌द करने का निदेश दिया जाता है ।

22. उपरोक्त निदेशों के अनुसार दांडिक पुनरीक्षण आवेदन मंजूर किया जाता है और इसका निपटारा भी किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

अस.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

हंस राज

(2011 की दांडिक अपील सं. 188)

तारीख 30 सितंबर, 2024

न्यायमूर्ति राकेश कैन्थला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304क और 279 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना – वाहन चलाते हुए टक्कर मार कर मृत्यु कारित किए जाने का अभिकथन – साक्ष्य का मूल्यांकन – दोषमुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा इत्तिलाकर्ता के बच्चे को टक्कर मारना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अभियोजन पक्ष कथन का समर्थन न किया जाना – प्रतिरक्षा साक्षी के अनुसार वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था, मृतक/बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार करने लगा था और वाहन के टायर के नीचे आ गया, ऐसी स्थिति में चालक को उपेक्षक/लापरवाह नहीं कहा जा सकता और न ही इस साक्षी के साक्ष्य को अविश्वसनीय कहा जा सकता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने इसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उद्धृत किया था किन्तु पुनरावृत्ति के कारण उसकी परीक्षा नहीं कराई थी, अतः निचले न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय न्यायोचित है ।

इस मामले में संदीप कुमार वर्ष 2008 में पुलिस थाने कोटखाई में एच.एच.जी. के रूप में तैनात थे । वह 13 जून, 2008 को जुब्बल-कोटखाई रोड पर एक वीआईपी ड्यूटी पर थे । लगभग 1:20 बजे, एक वाहन जिसकी रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 पिकअप टैम्पो-ट्रैक्स गुम्मा की ओर से तीव्र गति से आया और एक बच्चे को टक्कर मार दी । उसकी मां अमिता नंदा उसके साथ चल रही थी । बच्चा वाहन के टायरों के नीचे कुचला गया । उसे सिविल अस्पताल, कोटखाई ले जाया गया,

परंतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त वाहन चला रहा था और दुर्घटना उसकी तीव्र गति और उपेक्षा के कारण हुई थी । संदीप कुमार ने हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह को एक बयान दिया है जिन्होंने इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए के रूप में अभिलिखित किया और इसे उस पुलिस थाने को भेज दिया जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ए) दर्ज की गई थी । हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह ने अन्वेषण आरंभ किया । उन्होंने एक स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) तैयार किया । उन्होंने एक आधिकारिक कैमरे की मदद से फोटो खींचे परंतु उन फोटों को बनवाया नहीं जा सका और उनके नेगेटिवों (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी) को रिकार्ड में रखा गया । अभियुक्त हंस राज ने दस्तावेजों के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 को पेश किया जिन्हें ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) द्वारा अभिगृहीत किया गया था । शव की समीक्षा की गई और एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/सी) तैयार की गई । डॉ. पंकज साकी ने मृत बच्चे के शव की शव-परीक्षा की और यह पाया कि उसकी मृत्यु सिर में क्षति लगने के कारण हुई है । उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए) जारी की । शव को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/डी) के अधीन मोहित नंदा को सौंप दिया गया । वाहन में ले जाई जा रही वस्तुओं को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी) के अधीन रमेश चंद को सौंप दिया गया । वाहन की यांत्रिक जांच कांस्टेबल राजिंदर सिंह द्वारा की गई जिन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) जारी की । साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, चालान तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 और 304-क के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए सूचना जारी की, जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । विचारण के पश्चात् अभियुक्त/प्रत्यर्थी को दोषमुक्त किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर राज्य ने अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – इस प्रकार, साक्षियों द्वारा उच्च गति शब्द के प्रयोग से कोई लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता है । किसी भी स्थिति में,

अभियोजन पक्ष का यह कथन कि दुर्घटना वाहन की तीव्र गति के कारण हुई, सिद्ध नहीं हुआ है । अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि वाहन भरा हुआ था इसलिए उसकी गति बहुत तेज नहीं हो सकती थी । साक्षियों ने कहा है कि वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभव प्रतीत होता है कि वाहन भरा हुआ था और उसमें लदी हुई वस्तुएं रमेश को सौंपी गई थीं । अमिता नंदा ने यह कथन किया है कि अभियुक्त नशे में था, जो अभियोजन पक्षकथन नहीं है । इससे पता चलता है कि यह साक्षी किसी भी हद तक जाकर अभियुक्त को फंसाने की कोशिश कर रही है और इससे उसका साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है । प्रदीप दोप्ता को अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, किन्तु अभियोजन पक्ष ने उसकी परीक्षा नहीं कराई और उसे छोड़ दिया । उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 वाला एक वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था । एक बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा था । वह अपनी मां का हाथ छोड़कर वाहन के टायर के नीचे कुचला गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह दुर्घटना के दिन से ही अभियुक्त को जानता था । उसने वाहन को लगभग 20 फुट की दूरी से देखा था । घटनास्थल पर 10-15 लोग मौजूद थे । बच्चा और उसकी मां 5-7 फुट की दूरी पर थे । वाहन उस स्थान को पार कर गए जहां वह खड़ा था । बच्चे की मां कुछ अन्य महिलाओं से बात कर रही थी, परंतु वह उनका नाम नहीं जानता । इस साक्षी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया था । अभियोजन पक्ष ने उसे पुनरावृत्ति से बचने के लिए छोड़ दिया था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं था । उसके साक्ष्य पर संदेह करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके साक्ष्य को सही माना था । प्रदीप दोप्ता, संदीप कुमार और रमेश चंद ने लगातार यह तर्क दिया है कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार कर गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई । (पैरा 26, 27, 28, 29, 30 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2024]	(2024) 3 एस. सी. सी. 544 = 2024 एस. सी. सी ऑनलाइन एस. सी. 130 = ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 1252: **मल्लप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	12
[2019]	एच. एल. जे. 2019 (एच. पी.) (सप्ली.) 171 : **यशपाल राणा** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	25
[2018]	एच. एल. जे. 2018 (एच. पी.) (सप्ली.) 763 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2018 एच. पी. 902: **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **अमर नाथ** ;	24
[1998]	(1998) 8 एस. सी. सी. 493 = (1998) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1508 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश** ;	23
[1989]	1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन (एच. पी.) 18 = 1990 ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 771 (एच. पी.) = (1990) 2 टी. ए. सी. 261 : **गुरचरण सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	28,32
[1972]	(1972) 4 एस. सी. सी. 758 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 221 : **महादेव हरि लोकरे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	31
[1968]	1968 ए. सी. जे. 124 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1968 एस. सी. 102 : **मोहंता लाल साहा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य ।**	22

आरंभिक दांडिक रिट याचिका : 2011 की दांडिक अपील सं. 188.

राज्य की ओर से विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ठियोग, जिला शिमला द्वारा तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री आयुषी नेगी (उप महाधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वसुश्री शीतल व्यास, जय प्रभा और श्री तेजस्वी ठाकुर

न्यायमूर्ति राकेश कैन्थला – यह अपील विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ठियोग, जिला शिमला (विद्वान् विचारण न्यायालय) द्वारा तारीख 25 अक्तूबर, 2010 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फ़ाइल है जिसके द्वारा प्रतिवादी (विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त) को भारतीय दंड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 279 और 304-क के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया था । (इसके पश्चात् पक्षकारों को उसी प्रकार निर्दिष्ट किया जाएगा जिस प्रकार उन्हें सुविधा के लिए विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था) ।

2. संक्षेप में, जिन तथ्यों के आधार पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है, इस प्रकार है कि संदीप कुमार (अभि. सा. 2) वर्ष 2008 में पुलिस थाने कोटखाई में एच.एच.जी. के रूप में तैनात थे । वह 13 जून, 2008 को जुब्बल-कोटखाई रोड पर एक वीआईपी ड्यूटी पर थे । लगभग 1:20 बजे, एक वाहन जिसकी रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 पिकअप टैंम्पो-ट्रैक्स गुम्मा की ओर से तीव्र गति से आया और एक बच्चे को टक्कर मार दी । उसकी मां अमिता नंदा (अभि. सा. 5) उसके साथ चल रही थीं । बच्चा वाहन के टायरों के नीचे कुचला गया । उसे सिविल अस्पताल, कोटखाई ले जाया गया, परंतु अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त वाहन चला रहा था और दुर्घटना उसकी तीव्र गति और उपेक्षा के कारण हुई थी । संदीप कुमार ने हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह (अभि. सा. 11) को एक बयान दिया है जिन्होंने इसे प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए के रूप में अभिलिखित किया और इसे उस पुलिस थाने को भेज दिया जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ए) दर्ज की गई थी । हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह (अभि. सा. 11) ने अन्वेषण आरंभ किया । उन्होंने एक स्थल-नक्शा (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/ए) तैयार किया । उन्होंने एक आधिकारिक कैमरे की मदद से फोटो खींचे गए परंतु उन फोटों को बनवाया नहीं जा सका और उनके नेगेटिवों (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/बी) को रिकॉर्ड में रखा गया । अभियुक्त हंस राज

ने दस्तावेजों के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 को पेश किया जिन्हें ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/बी) द्वारा अभिगृहीत किया गया था । शव की समीक्षा की गई और एक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/सी) तैयार की गई । डॉ. पंकज साकी (अभि. सा. 7) ने मृत बच्चे के शव की शव-परीक्षा की और यह पाया कि उसकी मृत्यु सिर में क्षति लगने के कारण हुई है । उन्होंने शव-परीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए) जारी की । शव को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 11/डी) के अधीन मोहित नंदा को सौंप दिया गया । वाहन में ले जाई जा रही वस्तुओं को ज्ञापन (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/सी) के अधीन रमेश चंद (अभि. सा. 3) को सौंप दिया गया । वाहन की यांत्रिक जांच कांस्टेबल राजिंदर सिंह (अभि. सा. 13) द्वारा की गई जिन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 13/ए) जारी की । साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार अभिलिखित किए गए और अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, चालान तैयार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

3. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के अधीन दंडनीय अपराध के लिए नोटिस दिया, जिस पर अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की ।

4. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए 14 साक्षियों की परीक्षा कराई । कांस्टेबल सोहन सिंह (अभि. सा. 1) रुक्का लेकर पुलिस थाने गया । संदीप कुमार (अभि. सा. 2) ने पुलिस को मामले की सूचना दी । रमेश चंद (अभि. सा. 3) अभियुक्त के साथ वाहन में यात्रा कर रहा था । निखिल ठाकुर (अभि. सा. 4), उपेश (अभि. सा. 14), और अमिता नंदा (अभि. सा. 5) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । विशाल नंदा (अभि. सा. 6) बच्चे का पिता है, डॉ. पंकज साकी (अभि. सा. 7) ने बच्चे की शव-परीक्षा की है । रविंदर मेहता (अभि. सा. 8) ज्ञापन के साक्षी हैं । तामेश्वर ठाकुर (अभि. सा. 9) ने चालान तैयार किया । हैड कांस्टेबल मोहन सिंह (अभि. सा. 10) ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए । हैड कांस्टेबल बलदेव सिंह (अभि. सा. 11) ने अन्वेषण किया है । कांस्टेबल प्रदीप कुमार (अभि. सा. 12) ने रोजनामचे में

प्रविष्टि की है । कांस्टेबल राजिंदर सिंह (अभि. सा. 13) ने वाहन की यांत्रिक जांच की है ।

5. अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में स्वीकार किया है कि वाहन और उसके दस्तावेज कब्जे में लिए गए थे । उसने स्वीकार किया कि वह वाहन चला रहा था और वाहन में रमेश चंद का सामान था । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह तीव्र गति से वाहन चला रहा था । उसने यह बताया है कि बच्चा अपनी मां के साथ जा रहा था । बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था । अभियुक्त ने स्वयं पुलिस को मामले की सूचना दी थी । उसने स्वीकार किया कि बच्चे को अस्पताल ले जाया गया था और रास्ते में उसकी क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई थी । उसने बताया कि उसने दूसरे वाहन को पास देने के लिए अपना वाहन रोका था । मृतक बच्चे की मां ने उपेक्षा बरती । उसने प्रतिरक्षा में प्रदीप दोप्ता (प्रतिरक्षा साक्षी-1) की परीक्षा कराई ।

6. विद्वान् निचले न्यायालय ने माना कि पीड़िता की मां और चाचा का साक्ष्य संतोषजनक नहीं था । घटनास्थल के नक्शे से पता चलता है कि दो वाहन एक-दूसरे के पास से बड़ी मुश्किल से गुजर सकते थे । प्रतिरक्षा पक्ष का यह कथन कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार करने का प्रयास कर रहा था, अत्यधिक संभावित प्रतीत होता है । किसी भी स्थिति में, जब अभिलेख पर दो कथन अभिलिखित हों, तो अभियुक्त के पक्ष में कथन को प्राथमिकता दी जानी थी । यदि कोई पैदल यात्री अचानक उसके वाहन के सामने आ जाए, तो चालक दुर्घटना से बच नहीं सकता । अभियुक्त की उपेक्षा संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई । इसलिए, अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के अधीन दंडनीय अपराधों के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया ।

7. विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर, राज्य ने यह कहते हुए वर्तमान अपील फाइल की है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों को सतही ढंग से परखा है । विद्वान्

विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने में विफल रहा है । इसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए एक अवास्तविक मानदंड अभिनिर्धारित किया है । साक्षियों के बयानों को बिना किसी कारण के खारिज कर दिया गया । यह पूरी तरह साबित हो गया कि दुर्घटना अभियुक्तों की उपेक्षा के कारण हुई थी । बच्चा वाहन के टायरों के नीचे कुचला गया था । सड़क काफी चौड़ी थी । वह स्थान व्यस्त था और अभियुक्त को वाहन सावधानी से चलाना चाहिए था । विद्वान् विचारण न्यायालय इन सभी तथ्यों पर विचार करने में विफल रहा । इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जाए ।

8. मैंने अपीलार्थी/राज्य की ओर से विद्वान् उप महाधिवक्ता सुश्री आयुषी नेगी, प्रतिवादी/अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री शीतल व्यास, सुश्री जय प्रभा और सुश्री तेजस्वी ठाकुर को सुना है ।

9. अपीलार्थी/राज्य की विद्वान् उप महाधिवक्ता सुश्री आयुषी नेगी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बिना किसी उचित संदेह के सिद्ध कर दिया है । विद्वान् निचला न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का मूल्यांकन करने में विफल रहा है । मृतक की मां और चाचा के साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया कि अभियुक्त तीव्र गति से वाहन चला रहा था और उसने दुर्घटना के पश्चात् भी वाहन नहीं रोका था जिससे अभियुक्त की उपेक्षा स्पष्ट होती है । दुर्घटनास्थल काफी व्यस्त था और अभियुक्त को सड़क पर चल रहे पैदल यात्री का ध्यान रखते हुए वाहन धीरे-धीरे चलाना चाहिए था । इसलिए, उसने प्रार्थना की कि वर्तमान अपील स्वीकार की जाए और विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को रद्द किया जाए ।

10. प्रतिवादी/अभियुक्त की विद्वान् काउंसेल सुश्री शीतल व्यास ने विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया और यह तर्क दिया कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । मृतक की मां और चाचा हितबद्ध साक्षी थे । अन्य साक्षियों ने, जिनमें एच.एच.जी. संदीप कुमार (अभि. सा. 2) भी सम्मिलित थे, प्रतिरक्षा पक्ष

के इस कथन का समर्थन किया कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क के बीचों-बीच भाग गया था । विद्वान् निचले न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि अभिलेख पर दो कथन हैं और प्रतिरक्षा पक्ष के हित में दिए गए कथन को ही सही माना जाना चाहिए । इसलिए, उन्होंने वर्तमान अपील को खारिज करने की प्रार्थना की ।

11. मैंने न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर गहन विचार किया है तथा अभिलेख का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है ।

12. वर्तमान अपील दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । उच्चतम न्यायालय ने **मल्लप्पा** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उचित मूल्यांकन किया गया है या नहीं; दूसरा, क्या न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है या विधि या तथ्य की त्रुटि से प्रभावित है, और तीसरा, क्या निचले न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय एक संभावित निर्णय था, जिसे अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर लिया जा सकता था । न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में यूं ही हस्तक्षेप नहीं करेगा । निम्न प्रकार मत व्यक्त किया गया :–

> "25. सबसे पहले हम दांडिक अपील में हस्तक्षेप की व्यापकता के संबंध में विधि की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं । क्योंकि, यही इस चुनौती का आधार है । आपराधिक न्यायशास्त्र का यह प्रमुख सिद्धांत है कि जब तक अभियुक्त दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक उसके पक्ष में निर्दोषिता की धारणा बनी रहती है । यह धारणा विचारण के सभी चरणों में बनी रहती है और अंततः मामले के समाप्त होने पर जब दोषमुक्ति हो जाती है तब एक तथ्य में परिणत हो जाती है । निर्दोषिता की धारणा तब और प्रबलित हो जाती है जब मामला दोषमुक्त होने पर समाप्त होता है । ऐसा इसलिए है कि जब निचला न्यायालय, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य

---

[1] (2024) 3 एस. सी. सी. 544 = 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 130 = ए. आई. आर. 2024 एस. सी. 1252.

का मूल्यांकन करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं था, तब यह धारणा और प्रबलित हो जाती है और अपील में इसे खारिज करने के लिए एक उच्चतर सीमा की अपेक्षा की जाती है ।

26. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है और इस बारे में कोई विवाद नहीं है । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि अपीली शक्तियों के प्रयोग में उच्च न्यायालय पर अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने या उन पर पुनर्विचार करने पर कोई रोक नहीं है । यद्यपि, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने की उच्च न्यायालय की शक्ति एक योग्य शक्ति है, विशेषकर जब चुनौती दिया गया आदेश दोषमुक्ति का हो। पूछा जाने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नयह है कि क्या विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का पूरी तरह से मूल्यांकन किया और सबूत के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर उचित विचार किया या नहीं । विचारणीय दूसरा बिंदु यह है कि क्या विचारण न्यायालय का निष्कर्ष अवैध है या कानून या तथ्य की त्रुटि से प्रभावित है । यदि नहीं, तो तीसरा विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से संभव दृष्टिकोण है । दोषमुक्ति के निर्णय को मात्र मतभेद के आधार पर पलटना नहीं होता है । निर्णय की अवैधता और अनुचितता पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि किसी आपराधिक मामले में दो दृष्टिकोणों की संभावना कोई असाधारण घटना नहीं है । "दो दृष्टिकोणों के सिद्धांत" को न्यायालयों द्वारा न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है और यह तब लागू होता है जब साक्ष्य के मूल्यांकन से दो समान रूप से तर्कसम्मत दृष्टिकोण सामने आते हैं । यद्यपि, इस विवाद का समाधान अभियुक्त के पक्ष में किया जाना है । क्योंकि, अभियुक्त की निर्दोषिता के पक्ष में समान रूप से प्रशंसनीय दृष्टिकोण का अस्तित्व ही अभियोजन पक्षकथन में अपने आप में एक उचित संदेह है । इसके अतिरिक्त, यह निर्दोषिता की धारणा को पुष्ट करता है । इसलिए, जब दो

दृष्टिकोण संभव हों, तो अभियुक्त की निर्दोषिता के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाना सबसे सुरक्षित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त, यह भी स्थापित है कि यदि दोषमुक्ति के मामले में, निचले न्यायालय का दृष्टिकोण तर्कसम्मत है, तो उच्च न्यायालय साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके अभियुक्त को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं रखता है । यदि ऐसा कोई रास्ता स्वीकार्य है, तो विधि की दृष्टि में अधिकारों और दायित्वों का निपटारा करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाएगा ।

28. सेल्वाराज **बनाम** कर्नाटक राज्य [(2015) 10 एस. सी. सी. 230 = (2016) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 19 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3834] वाले मामले के पैरा 13 में निम्न मत व्यक्त किया गया –

> "13. विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों और साक्ष्य के मूल्यांकन पर विचार करने पर हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण संभावित था । इस प्रकार, उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । इस न्यायालय ने [जगन एम. शेषाद्रि **बनाम** टी. एन. राज्य, (2002) 9 एस. सी. सी. 639 = (2003) एस. सी. सी. (एल और एस) 1494 = ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2399] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि दोषमुक्ति के निर्णय को फिर से दर्ज करते समय विचारण न्यायालय द्वारा किए गए साक्ष्य की सराहना एक उचित दृष्टिकोण है, इसलिए अपील में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है । दोषमुक्ति के निर्णय को पलटते समय उच्च न्यायालय के कर्तव्य को इस न्यायालय द्वारा इस निर्णय के पैरा 9 में निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है –
>
> '9.... हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि एक मामले में उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील पर विचार कर रहा था । उसे उन विभिन्न आधारों पर विचार करना था जिन पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था

और उन आधारों को खारिज करना था । उसने ऐसा नहीं किया । दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने हितकर सिद्धांतों की अनदेखी की है । यदि निचले न्यायालय द्वारा साक्ष्य के मूल्यांकन में कोई त्रुटि नहीं होती, जैसा कि वास्तव में विवादित निर्णय में इंगित नहीं किया गया है, तो दोषमुक्ति के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता था । विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक उचित दृष्टिकोण था और यदि किसी भी कल्पना से यह कहा जा सकता है कि एक अन्य दृष्टिकोण संभव था, तो भी वह दोषमुक्ति के आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था ।

29. संजीव **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य, [(2022) 6 एस. सी. सी. 294 = (2022) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 522 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2022 एस. सी. 798] वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने संबंधित निर्णयों का विश्लेषण किया और दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर निर्णय देते समय अपील न्यायालय के दृष्टिकोण का सारांश प्रस्तुत किया । न्यायालय ने निर्णय के पैरा 7 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया –

"7. यह सर्वविदित है कि :

7.1 दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय, अभियुक्त को दोषमुक्त करने में निचले न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों पर विचार किया जाना चाहिए, यदि अपीली न्यायालय का यह विचार है कि निचले न्यायालय द्वारा दिया गया दोषमुक्ति का निर्णय पलट दिए जाने योग्य है । विजय मोहन सिंह **बनाम** कर्नाटक राज्य, [(2019) 5 एस. सी. सी. 436 = (2019) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 586 = ए. आई. आर. 2019 एस. सी. 2418] और अनवर अली **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य, [(2020) 10 एस. सी. सी. 166 = (2021) 1 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 395 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 4519] वाले मामले देखिए ।

7.2 विचारण न्यायालय द्‌वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश के साथ, आपराधिक मामले में निर्दोषिता की सामान्य धारणा प्रबलित हो जाती है । एटली **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य, [1955 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 51 = ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807] वाला मामला देखिए ।

7.3 यदि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अपीली न्यायालय को दोषमुक्ति के विरुद्‌ध की गई अपील में हस्तक्षेप करने में अत्यंत धीमा होना चाहिए । संबासिवन **बनाम** केरल राज्य [(1998) 5 एस. सी. सी. 412 = 1998 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1320 = ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 2107] वाले मामले देखिए ।"

13. वर्तमान अपील का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्‌वारा अधिकथित मापदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

14. संदीप कुमार (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा था । उसे वाहन ने टक्कर मार दी और बच्चा वाहन के टायर के नीचे कुचल गया । उसे अस्पताल ले जाया गया । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गई । विद्‌वान् लोक अभियोजक द्‌वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया कि वाहन तीव्र गति से चलाया जा रहा था और उसने सड़क के किनारे चल रहे बच्चे को टक्कर मारी थी । दुर्घटना वाहन चालक की उपेक्षा के कारण हुई थी । उसने विद्‌वान् प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्‌वारा की गई प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर सड़क के बीचों-बीच भाग गया था । वाहन सामान्य गति से कम गति पर चल रहा था । चालक दुर्घटना से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बच्चा अचानक सड़क के बीचों-बीच भाग गया था ।

15. इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क के बीचों-बीच भाग कर गया । उसने यह भी स्वीकार किया है कि चालक दुर्घटना को रोक नहीं सकता था । इसलिए, अभियोजन पक्ष उसके साक्ष्य से कोई लाभ नहीं ले सकता ।

16. रमेश चंद (अभि. सा. 3) वाहन में सवार था । उसने बताया कि बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया था । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा कराने की अनुमति दी गई । विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि बच्चा सड़क किनारे चल रहा था और किसी वाहन ने बच्चे को टक्कर मारी थी । उन्होंने पुलिस द्वारा अभिलिखित किए गए पूर्व बयान का खंडन किया । प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता की दुकान सड़क के दूसरी ओर थी । बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर दूसरी ओर अर्थात दुकान की ओर भागा था । अभियुक्त की ओर से कोई उपेक्षा नहीं की गई ।

17. इस साक्षी के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है; बल्कि उसने प्रतिरक्षा पक्ष के कथन का समर्थन किया है कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार कर गया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई ।

18. उपेश (अभि. सा. 14) एक अन्य साक्षी है । उसने यह बताया है कि वाहन सामान्य गति से आया था । एक महिला सड़क किनारे खड़ी थी । उसके साथ एक बच्चा भी था । वाहन ने बच्चे को टक्कर मार दी और बच्चा क्षतिग्रस्त हो गया । प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसने बताया कि बच्चे के पिता की दुकान सड़क के दूसरी ओर है । महिला के बाईं ओर एक बच्चा था और दूसरा बच्चा सड़क पर खड़ा था । वह यह नहीं कह सकता कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क के दूसरी ओर भागा था । उसने अपनी इच्छा से कहा कि वह 5-7 फुट की दूरी पर था और ये सब नहीं देख सका था । उसने स्वीकार यह किया है कि यदि कोई बच्चा अचानक सड़क पार कर जाए तो चालक कुछ नहीं कर सकता ।

19. इस साक्षी का बयान भी संतोषजनक नहीं है । उसने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह 5-7 फुट की दूरी पर खड़ा हुआ था और यह नहीं कह सकता था कि बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड दिया था । इससे यह पता चलता है कि वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

20. निखिल ठाकुर (अभि. सा. 4) ने बताया कि शिमला से एक

वाहन रोहड़ू की ओर जा रहा था । वाहन तीव्र गति से चल रहा था । वाहन ने बच्चे को टक्कर मार दी और टायर के नीचे कुचल गया । अभियुक्त वाहन चला रहा था और दुर्घटना उसकी उपेक्षा के कारण हुई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में बताया कि बच्चा उसकी बहन का पुत्र था । उसने यह स्वीकार किया कि दुर्घटना स्थल घनी आबादी वाला क्षेत्र था । उसने इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना स्थल चौड़ा नहीं था । उसने दावा किया कि घटनास्थल के पास सड़क चौड़ी थी । वह यह नहीं कह सकता कि अभियुक्तों का वाहन माल से भरा हुआ था । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि वाहन धीमी गति से चलाया जा रहा था ।

21. अमिता नंदा (अभि. सा. 5) ने यह बताया है कि 13 जून, 2008 को दोपहर लगभग 1:20 बजे वह अपने नाबालिग पुत्र वीरेन के साथ दुकान जा रही थी । एक वाहन तीव्र गति से जुब्बल की ओर जा रहा था । उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया था । वाहन ने तीव्र गति से उसके बच्चे को टक्कर मार दी । चालक ने वाहन नहीं रोका । अभियुक्त वाहन चला रहा था । बच्चे को अस्पताल ले जाया गया परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि उसके निवास के पास वह जगह घनी आबादी वाली है । दुर्घटनास्थल पर 4-5 दुकानें स्थित हैं । उसने यह स्वीकार किया है कि वाहन भरा हुआ था परंतु उसने दावा किया कि वाहन तीव्र गति से चलाया जा रहा था और चालक नशे में लग रहा था । उसने इस बात से इनकार किया कि बच्चे ने उसका हाथ छोड़ दिया था और यह कि वह वाहन के पिछले टायर से टकराया था ।

22. इन साक्षियों के कथनों से पता चलता है कि उन्होंने दुर्घटना का कारण तीव्र गति बताया है । उन्होंने वाहन की अनुमानित गति नहीं बताई है । अमिता नंदा (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह यह नहीं बता सकती कि वाहन की गति क्या थी । उच्चतम न्यायालय ने **मोहंता लाल साहा** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1], में यह

---

[1] 1968 ए. सी. जे. 124 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1968 एस. सी. 102.

अभिनिर्धारित किया था कि तीव्र गति शब्द का प्रयोग तब तक निरर्थक है जब तक कि साक्षी से उसकी गति का अनुमान न लिया जाए । इस मामले में निम्न टिप्पणी की गई :-

> "प्रफुल्ल कुमार डे ने निस्संदेह न्यायालय में यह कहा है कि अपीलार्थी की बस तीव्र गति से आ रही थी; परंतु यह बयान अन्वेषण के दौरान दिए गए उनके पहले के साक्ष्य में सुधार प्रतीत होता है, जब उन्होंने अन्वेषण अधिकारी को यह नहीं बताया था कि बस तीव्र गति से चल रही थी । इसके अतिरिक्त, यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि इस साक्षी ने तीव्र गति से क्या समझा । एक व्यक्ति को 10 या 20 मील प्रति घंटे की गति भी ज़्यादा लग सकती है, जबकि दूसरे को 25 या 30 मील प्रति घंटे की गति भी उचित लग सकती है । इसलिए, इस मामले में साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी बस को इतनी गति से चला रहा था कि यह मानना उचित होगा कि वह बस को उतावलेपन और उपेक्षा से चला रहा था ।"

23. **कर्नाटक राज्य** बनाम **सतीश**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "तीव्र गति" शब्द का प्रयोग उतावलेपन या उपेक्षा का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है । इस मामले में निम्न मत व्यक्त किया गया :-

> 4. सिर्फ इसलिए कि ट्रक "तीव्र गति" से चलाया जा रहा था, अपने आप में "उपेक्षा" या "उतावलापन" का संकेत नहीं देता है । अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा किए गए किसी भी साक्षी के साक्ष्य से यह संकेत नहीं मिलता है कि उनके "तीव्र गति" कहने से क्या तात्पर्य था । "तीव्र गति" एक सापेक्ष शब्द है । मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में "तीव्र गति" से क्या तात्पर्य है, यह स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को अभिलेख पर सामग्री प्रस्तुत करनी थी । किसी आपराधिक विचारण में, अभियुक्त के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी तथ्य उपलब्ध कराने

---

[1] (1998) 8 एस. सी. सी. 493 = (1998) एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1508 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 1996 एस. सी. 95.

का दायित्व सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक विपरीत सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की धारणा बनी रहती है । कुछ वैधानिक अपवादों के अधीन, आपराधिता उपधारित नहीं की जानी चाहिए । वर्तमान मामले में ऐसे किसी भी कानूनी अपवाद का अभिवाक् नहीं किया गया है । अभिलेख पर किसी भी सामग्री के अभाव में, "स्वयं प्रमाण" युक्ति को निर्दिष्ट करके "उतावलेपन" या "उपेक्षा" का कोई पूर्व-अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ट्रक के पलटने से ठीक पहले, एक प्रबल झटका लगा था । यह स्पष्ट नहीं है कि झटका उबड़-खाबड़ सड़क की वजह से था या तकनीकी खराबी की वजह से ।

24. इस न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **अमर नाथ**[1] वाले नवीनतम मामले में समान दृष्टिकोण अपनाया, और निम्नानुसार मत व्यक्त किया :–

"18 यह ध्यान देने योग्य है कि यह मामला ऐसा है जहां अभि. सा. 1 के केवल इस कथन के अतिरिक्त कि याची द्वारा वाहन तीव्र गति से चलाया जा रहा था, यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि वाहन चालक की ओर से कोई उतावलापन और उपेक्षा बरती गई थी । "तीव्र गति" एक सापेक्ष और व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति है । इसलिए, मात्र यह कहना कि वाहन तीव्र गति से चलाया जा रहा था, यह अर्थ नहीं रखता है कि चालक उतावलेपन और उपेक्षा से वाहन चला रहा था ।"

25. **यशपाल राणा** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] वाले नवीनतम में भी इसी प्रकार मत व्यक्त किया गया जो निम्न प्रकार है :–

"9. किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना, इस न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से याची-अभियुक्त द्वारा उपेक्षा से गाड़ी

---

[1] एच. एल. जे. 2018 (एच. पी.) (सप्ली.) 763 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2018 एच. पी. 902.

[2] एच. एल. जे. 2019 (एच. पी.) (सप्ली.) 171.

चलाए जाने को साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई विशिष्ट सबूत नहीं मिला है । जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया है, अभि. सा. 1 ने बहुत ही सहज रूप से केवल यह कहा है कि अपराधी वाहन को तीव्र गति से चलाया जा रहा था, परंतु 'तीव्र गति' कहना दंड संहिता की धारा 279 के अधीन उतावलेपन और उपेक्षा से गाड़ी चलाने के अपराध, यदि कोई हो, को साबित करने के लिए मानदंड नहीं हो सकती है और मानव जीवन को खतरे में डालने वाली जल्दबाजी और उपेक्षा का कार्य साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है । परंतु वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष मानव जीवन को खतरे में डालने वाले अभियुक्तों के उतावलेपन और उपेक्षा वाले कृत्यों के संबंध में विशिष्ट सबूत, यदि कोई हो, अभिलेख पर रखने में सक्षम नहीं है ।

26. इस प्रकार, साक्षियों द्वारा उच्च गति शब्द के प्रयोग से कोई लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता है ।

27. किसी भी स्थिति में, अभियोजन पक्ष का यह कथन कि दुर्घटना वाहन की तीव्र गति के कारण हुई सिद्ध नहीं हुआ । अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि वाहन भरा हुआ था इसलिए उसकी गति बहुत तेज नहीं हो सकती थी । साक्षियों ने कहा है कि वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संभव प्रतीत होता है कि वाहन भरा हुआ था और उसमें लदी हुई वस्तुएं रमेश को सौंपी गई थीं ।

28. अमिता नंदा (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि अभियुक्त नशे में था, जो अभियोजन पक्षकथन नहीं है । इससे पता चलता है कि यह साक्षी किसी भी हद तक जाकर अभियुक्त को फंसाने की कोशिश कर रही है और इससे उसका साक्ष्य संदिग्ध हो जाता है । इस न्यायालय ने **गुरचरण सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दुर्घटना के मामलों में साक्षी पूरी

---

[1] 1989 एस. सी. सी. ऑनलाइन एच. पी. 18 = 1990 ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 771 (एच. पी.) = (1990) 2 टी. ए. सी. 261.

तरह से पूर्वाग्रही होते हैं और न्यायालय को उनके साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए थी । निर्णय के पृष्ठ 599 पर निम्न मत व्यक्त किया गया था :–

> "12. इस प्रकार के मामलों का निपटारा करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रस्तुत साक्ष्य कभी-कभी वाहन चालक के पूरी तरह से पूर्वाग्रही होता है । घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की संभावना कभी-कभी असामान्य नहीं होती । साक्षी भी अपराधी के प्रति पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं । इसलिए, मात्र इस कारण से कि किसी का जीवन काल छोटा हो गया, इस मामले को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । मामले को सही परिप्रेक्ष्य में परखा, आंका और समझा जाना चाहिए ।"

29. प्रदीप दोप्ता (प्रतिरक्षा साक्षी-1) को अभियोजन पक्ष के साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, किन्तु अभियोजन पक्ष ने उसकी परीक्षा नहीं कराई और उसे छोड़ दिया । उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन नं. एच पी 63-1318 वाला एक वाहन सामान्य गति से चलाया जा रहा था । एक बच्चा अपनी मां के साथ चल रहा था । वह अपनी मां का हाथ छोड़कर वाहन के टायर के नीचे कुचला गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि वह दुर्घटना के दिन से ही अभियुक्त को जानता था । उसने वाहन को लगभग 20 फुट की दूरी से देखा था । घटनास्थल पर 10-15 लोग मौजूद थे । बच्चा और उसकी मां 5-7 फुट की दूरी पर थे । वाहन उस स्थान को पार कर गए जहां वह खड़ा था । बच्चे की मां कुछ अन्य महिलाओं से बात कर रही थी, परंतु वह उनका नाम नहीं जानता ।

30. इस साक्षी की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष ने उसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में उद्धृत किया था । अभियोजन पक्ष ने उसे पुनरावृत्ति से बचने के लिए छोड़ दिया था । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष को उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं था । उसके साक्ष्य पर संदेह करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने उसके साक्ष्य को सही माना था ।

31. प्रदीप दोप्ता (प्रतिरक्षा साक्षी-1), संदीप कुमार (अभि. सा. 2) और रमेश चंद (अभि. सा. 3) ने लगातार यह तर्क दिया है कि बच्चा अपनी मां का हाथ छोड़कर अचानक सड़क पार कर गया था, जिसके

कारण यह दुर्घटना हुई । उच्चतम न्यायालय ने **महादेव हरि लोकरे** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि यदि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पार करता है, तो चालक दुर्घटना से बच नहीं सकता और उसे उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । इस निर्णय के पृष्ठ 759 पर निम्न टिप्पणी की गई थी :–

> "4. ..... परंतु मामला एक अलग रूप ले लेता है यदि हम मामले के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दयानंद (अभि. सा. 1) से सहमत हों कि टक्कर के समय, रविकांत वास्तव में पश्चिम से पूर्व की ओर सड़क पार कर रहा था । इसका अर्थ यह हुआ कि यदि रविकांत अचानक पश्चिम से पूर्व की ओर सामने से आती हुई बस पर ध्यान दिए बिना सड़क पार की थी तब उसके बस से टकराने की पूरी संभावना इसलिए थी कि बस चालक को उसके सड़क पार करने का पता भी नहीं होगा क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी । यदि कोई व्यक्ति अचानक सड़क पार कर लेता है, तो बस चालक, चाहे कितनी भी धीमी गति से गाड़ी क्यों न चला रहा हो, दुर्घटना को बचाने की स्थिति में नहीं हो सकता । इसलिए, यह मानना संभव नहीं होगा कि बस चालक ने उपेक्षा की थी ।"

32. इस न्यायालय ने **गुरचरण सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया है । इस मामले के पृष्ठ 600 पर निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> 14. इस पहलू पर साक्षियों के बयानों की बात करें तो, यह कहा गया है कि ट्रक तीव्र गति से चल रहा था, परंतु यह नहीं बताया गया है कि वह गति वास्तव में कितनी थी । यह कहना कि कोई वाहन तीव्र गति से चल रहा था, न तो तीव्र गति का उचित और कानूनी प्रमाण है और न ही इससे किसी भी तरह से चालक की उपेक्षा का संकेत मिलता है । अभियोजन पक्ष को इस पहलू पर सटीक होना चाहिए था क्योंकि दंड संहिता, 1860 की धारा 304क के अधीन किसी मामले में वाहन की गति एक आवश्यक बिंदु है जिसे देखा और सिद्ध किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, कोई

[1] (1972) 4 एस. सी. सी. 758 = ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 221.

फिसलन के निशान नहीं हैं जो वाहन की तीव्र गति के साक्ष्य को नकारते हैं । इसके अतिरिक्त, साक्षियों ने यह भी कहा है कि वाहन दुर्घटना स्थल से 50 फुट की दूरी पर रुका था । यह अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है । यद्यपि, दो बिंदुओं अर्थात्, दुर्घटना क्रम की पहली टक्कर और वाहन के आखिरी टायर और प्रश्नगत ट्रक की पूरी लंबाई को देखते हुए यह दूरी अधिक नहीं है । यदि इन कोणों से देखा जाए तो साक्षियों द्वारा बताई गई दूरी बहुत लंबी नहीं मानी जा सकती है और न ही यह उच्च गति का संकेत है । याची का यह कथन कि उसने मोड़ के पास हॉर्न बजाया था जिससे बच्चा डर गया, बिना तथ्य के नहीं माना जा सकता । अन्यथा यह तर्कसंगत रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि याची ने बच्चे को सड़क पर देखकर हॉर्न बजाया होगा क्योंकि यह साक्ष्य में है कि बच्चा सड़क के पक्के भाग पर आया था, जबकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि साक्षी, विशेष रूप से, घनश्याम (अभि. सा. 7), चंद्रकांता (अभि. सा. 8) मां और कुछ अन्य साक्षी उस विशेष समय पर वहां मौजूद थे या नहीं । बल्कि इन साक्षियों के कथनों से यह संकेत मिलता है कि वे किसी ग्राम की गली से आ रहे थे जो संबंधित मुख्य सड़क से जुड़ती थी । इस आयु के बच्चे, जो आमतौर पर स्वभाव से चंचल होते हैं, अपने माता-पिता से तेज चलते हैं और चलते समय उनसे आगे निकल जाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में भी ऐसा ही हुआ है । इस मामले की परिस्थितियों और अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों का सूक्ष्म परिशीलन करने से पता चलता है कि मृतक अपने माता-पिता और साक्षियों के आने से बहुत पहले सड़क के पक्के भाग पर पहुंच गया था । इसीलिए उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बच्चे को ट्रक ने कुचल दिया था । दूसरी ओर, याची ने कहा है कि बच्चा उसके द्वारा हॉर्न बजाने पर डर गया और सड़क पार करने लगा जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी और परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई और बच्चे की मृत्यु हो गई । यदि कोई पैदल यात्री अचानक सड़क पार करता है, तो वाहन चालक पैदल यात्री को नहीं बचा सकता चाहे वह वाहन कितनी भी धीमी गति से क्यों न चला रहा हो । ऐसी स्थिति

में उसे लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता; बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के माता-पिता बच्चे की उचित देखभाल न करके लापरवाह थे और उसे सड़क पर अकेले आने दिया जबकि वे कहीं पीछे थे और वे बच्चे को आने वाले वाहन के संपर्क में आने से पहले वापस खींचने के लिए दौड़ सकते थे क्योंकि यह उनके साक्ष्य में है कि ट्रक चालक कुछ दूरी पर तीव्र गति से आ रहा था और यदि बच्चा सड़क पार करना चाहता, तो वह दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के समय के भीतर ऐसा कर सकता था । दुर्घटना वास्तव में कैसे हुई, यह किसी भी साक्षी द्वारा स्पष्ट और व्यापक रूप से नहीं बताया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे चालक के कृत्य को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे । इसलिए, उनके वृत्तान्त याची के अंतिम कृत्य और इस तथ्य से प्रभावित हैं कि बच्चे को मार दिया गया था ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है ।)

33. इस प्रकार, विद्वान् विचारण न्यायालय ने एक उचित दृष्टिकोण अपनाया है जो उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर लिया जा सकता था और दोषमुक्त किए जाने के विरुद्ध की गई इस अपील के विनिश्चित किए जाने में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

34. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है ।

35. विद्वान् निचले न्यायालय का अभिलेख तुरन्त वापस किया जाए ।

36. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का भी निपटारा कर दिया गया है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

संसद् के अधिनियम

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 56)

[30 दिसम्बर, 2000]

विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों से संबंधित विधि का, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण और उपचार का उपबंध करते हुए तथा उनसे संबंधित विषयों का न्यायनिर्णयन और व्ययन करने में बालकों के सर्वोत्तम हित में, बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा [1][उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का संशोधन करने के लिए अधिनियम]

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3), अनुच्छेद 39 के खंड (ङ) और खंड (च), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47 सहित, अनेक उपबंधों में राज्य पर यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि बालकों की सभी आवश्यकताएं पूरी की जाएं और उनके बुनियादी मानवीय अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण किया जाए ;

और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 20 नवम्बर, 1989 को बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को अंगीकार किया है ;

और बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय ने ऐसे कुछ मानदंड विहित किए हैं, जिनका बालक के सर्वोत्तम हितों को प्राप्त करने के लिए, सभी पक्षकार राज्यों द्वारा पालन किया जाना है ;

और बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय ने न्यायिक

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

कार्यवाहियों का सहारा लिए बिना, संभव सीमा तक पीड़ित बालकों को समाज में पुनः मिलाने के लिए बल दिया है ;

और भारत सरकार ने उक्त अभिसमय का 11 दिसम्बर, 1992 को अनुसमर्थन कर दिया है ;

और किशोरों से संबंधित विद्यमान विधि को, बालक के अधिकारों से संबंधित अभिसमय में विहित मानकों, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, 1985, (बीजिंग नियम), अपनी स्वतंत्रता से वंचित संयुक्त राष्ट्र किशोर संरक्षण नियम, (1990) और सभी अन्य सुसंगत अंतरराष्ट्रीय लिखतों को ध्यान में रखते हुए पुनः अधिनियमित करना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार [1][,प्रारंभ और लागू होना] – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय, संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

[2][(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, ऐसे सभी मामलों को लागू होंगे जिनमें ऐसी अन्य विधि के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का निरोध, अभियोजन, शास्ति या कारावास का दंडादेश अंतर्वलित है ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "सलाहकार बोर्ड" से धारा 62 के अधीन गठित, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सलाहकार बोर्ड या जिला और नगर स्तर का सलाहकार बोर्ड अभिप्रेत है ;

[1][(कक) "दत्तक ग्रहण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा दत्तक बालक अपने जैविक माता-पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है और अपने दत्तक माता-पिता का उन सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों और दायित्वों के साथ जो उस नातेदारी के साथ संलग्न है, धर्मज संतान बन जाता है ;]

(ख) "भीख मांगना" से अभिप्रेत है, –

(i) लोक स्थान पर भिक्षा की याचना करना या प्राप्त करना या किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना या प्राप्त करने के प्रयोजन से प्रवेश करना, चाहे वह किसी बहाने से हो ;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से, अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीव जन्तु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना ;

(ग) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन गठित किशोर न्याय बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक" से ऐसा बालक अभिप्रेत है, –

(i) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास का स्थान और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं ;

[1][(iक) जो भीख मांगते हुए पाया जाता है, या जो आवारा बालक है या श्रमजीवी बालक है ;]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

(ii) जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (चाहे वह बालक का संरक्षक हो अथवा नहीं) और ऐसे व्यक्ति ने, –

(क) बालक को मारने या उसे क्षति पहुंचाने की धमकी दी है और उस धमकी को कार्यान्वित किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है, या

(ख) किसी अन्य बालक या बालकों को मार दिया है, उसके या उनके साथ दुर्व्यवहार या उसकी या उनकी उपेक्षा की है और प्रश्नगत बालक के उस व्यक्ति द्वारा मारे जाने, उसके साथ दुर्व्यवहार या उसकी उपेक्षा किए जाने की युक्तियुक्त संभावना है,

(iii) जो मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या बीमार बालक है या ऐसा बालक है जो घातक रोगों या असाध्य रोगों से पीड़ित है, जिनकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है,

(iv) जिसके माता-पिता या संरक्षक हैं और ऐसे माता-पिता या संरक्षक बालक पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य या असमर्थ हैं,

(v) जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी व्यक्ति उसकी देखरेख करने का इच्छुक नहीं है या उसके माता-पिता ने उसका परित्याग [1][या अभ्यर्पण] कर दिया है या जो गुमशुदा है और भागा हुआ बालक है और जिसके माता-पिता युक्तियुक्त जांच के पश्चात् भी नहीं मिल सके हैं,

(vi) जिसका लैंगिक दुर्व्यवहार या अवैध कार्यों के प्रयोजन हेतु घोर दुर्व्यवहार प्रपीड़न या शोषण किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है,

(vii) जो असुरक्षित पाया गया है और उसके मादक द्रव्य

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

के कुप्रयोग या उनके अवैध व्यापार में सम्मिलित किए जाने की संभावना है,

(viii) जिसका लोकात्मा विरुद्ध अभिलाभों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है,

(ix) जो किसी सशस्त्र संघर्ष, सिविल उपद्रव या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित है ;

(ङ) "बालगृह" से धारा 34 के अधीन राज्य सरकार या स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित और उस सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था अभिप्रेत है ;

(च) "समिति" से धारा 29 के अधीन गठित बाल कल्याण समिति अभिप्रेत है ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में समिति और विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "योग्य संस्था" से ऐसा सरकारी या रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संगठन अभिप्रेत है जो किसी बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और ऐसा संगठन [1][सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा] योग्य पाया जाता है ;

(झ) "योग्य व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति, जो सामाजिक कार्यकर्ता है या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो बालक की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बालक को प्राप्त करने और उसकी देखरेख करने के लिए योग्य पाया जाता है ;

(ञ) बालक के संबंध में "संरक्षक" से उसका नैसर्गिक संरक्षक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी वास्तविक देखरेख या नियंत्रण में बालक है और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान संरक्षक के रूप में मान्यता दी गई है ;

(ट) "किशोर" या "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

[1][(ठ) "विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर" से ऐसा कोई किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह अभिकथन है कि उसने कोई अपराध किया है और ऐसा अपराध करने की तारीख को उसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ;]

[2]* * * * *

(ढ) "स्वापक ओषधि" और "मनःप्रभावी पदार्थ" के क्रमशः वही अर्थ हैं, जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में हैं ;

(ण) "संप्रेक्षण गृह" से धारा 8 के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के लिए राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित और उस राज्य सरकार द्वारा संप्रेक्षण गृह के रूप में प्रमाणित किया गया गृह अभिप्रेत है ;

(त) "अपराध" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभिप्रेत है ;

(थ) "सुरक्षित स्थान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या ऐसी कोई संस्था (जो पुलिस हवालात या जेल नहीं है) जिसका भारसाधक व्यक्ति किसी किशोर को अस्थायी रूप से लेने और उसकी देखरेख करने के लिए रजामंद है और जो सक्षम प्राधिकारी की राय में किशोर के लिए सुरक्षित स्थान है ;

(द) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 4 द्वारा लोप किया गया ।

(ध) "परिवीक्षा अधिकारी" से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(न) "सार्वजनिक स्थान" का वही अर्थ होगा जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) में है ;

(प) "आश्रय गृह" से धारा 37 के अधीन स्थापित गृह या मिलन केन्द्र अभिप्रेत है ;

(फ) "विशेष गृह" से धारा 9 के अधीन राज्य सरकार द्वारा या स्वैच्छिक संगठन द्वारा स्थापित और उस सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था अभिप्रेत है ;

(ब) "विशेष किशोर पुलिस एकक" से राज्य पुलिस बल की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो धारा 63 के अधीन किशोरों या बालकों से निपटने के लिए अभिप्रेत है ;

(भ) "राज्य सरकार" से संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(म) उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस संहिता में उनके हैं ।

3. ऐसे किशोर के बारे में जांच जारी रखना जो किशोर नहीं रह गया है – जहां विधि का उल्लंघन करने वाले किसी किशोर या देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के विरुद्ध जांच आरंभ कर दी गई है और उस जांच के दौरान वह किशोर या बालक, किशोर या बालक नहीं रह गया है वहां इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति के बारे में जांच ऐसे जारी रखी जा सकेगी और आदेश ऐसे किए जा सकेंगे मानो ऐसा व्यक्ति किशोर या बालक बना रहा है ।

अध्याय 2

विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर

4. किशोर न्याय बोर्ड – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, [1][किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए] इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के संबंध में ऐसे बोर्ड को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

(2) बोर्ड, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और ऐसे दो सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिलकर बनेगा जिनमें से कम से कम एक महिला होगी और वह न्यायपीठ के रूप में गठित होगा और ऐसे प्रत्येक न्यायपीठ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी और बोर्ड के मजिस्ट्रेट को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा ।

(3) किसी भी मजिस्ट्रेट को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या प्रशिक्षण न हो और किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को बोर्ड के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण के क्रियाकलापों में कम से कम सात वर्षों तक न लगा रहा हो ।

(4) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि और वह रीति, जिसमें ऐसा सदस्य त्यागपत्र दे सकेगा, वे होंगी जो विहित की जाएं ।

(5) बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, जांच किए जाने के पश्चात् समाप्त की जा सकेगी, यदि –

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) वह इस अधिनियम के अधीन निहित की गई शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है,

(ii) वह ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उल्टा नहीं गया है या उसे ऐसे अपराध की बाबत पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,

(iii) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना, लगातार तीन मास तक बोर्ड की कार्यवाहियों में उपस्थिति होने में असफल रहता है या वह किसी वर्ष में कम से कम तीन-चौथाई बैठकों में उपस्थिति होने में असफल रहा है ।

5. बोर्ड के संबंध में प्रक्रिया आदि – (1) बोर्ड ऐसे समयों पर बैठक करेगा और ऐसी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं ।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को, जब बोर्ड की बैठक नहीं हो रही हो, बोर्ड के व्यष्टिक सदस्य के समक्ष पेश किया जा सकेगा ।

(3) बोर्ड, बोर्ड के किसी सदस्य के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड द्वारा किया गया कोई आदेश, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम के दौरान किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा :

परंतु किसी मामले के अंतिम निपटारे के समय प्रधान मजिस्ट्रेट सहित कम से कम दो सदस्य उपस्थित रहेंगे ।

(4) अंतरिम या अंतिम निपटान में बोर्ड के सदस्यों के बीच राय की भिन्नता की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी, किंतु जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी ।

6. किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियां – (1) जहां किसी जिले [1]* * *

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 7 द्वारा लोप किया गया ।

के लिए बोर्ड गठित किया गया है वहां, ऐसे बोर्ड को, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यतः कार्य करने की शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब कार्यवाही अपील, पुनरीक्षण में या अन्यथा उनके समक्ष आए ।

7. इस अधिनियम के अधीन सशक्त न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1) जब किसी ऐसे मजिस्ट्रेट की, जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, यह राय है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन (उसके समक्ष साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) लाया गया कोई व्यक्ति किशोर या बालक है तब वह उस राय को अविलंब अभिलिखित करेगा और उस किशोर या बालक को तथा उस कार्यवाही के अभिलेख को उस कार्यवाही पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही भेजी गई है, इस प्रकार जांच करेगा मानो वह किशोर या बालक मूलतः उसके समक्ष लाया गया हो ।

[1][7क. किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया – (1) जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का कोई दावा किया जाता है या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध कारित होने की तारीख को किशोर था तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथ-पत्र पर नहीं) और इस बारे में उसकी निकटतम आयु का कथन करते हुए

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 8 द्वारा अंत:स्थापित ।

निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं :

परंतु किशोरावस्था का दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसे किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के पश्चात् भी, मान्यता दी जाएगी और ऐसे दावे का इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, भले ही उसकी किशोरावस्था इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले समाप्त हो गई हो ।

(2) यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित करने की तारीख को किशोर था, तो वह उस किशोर को समुचित आदेश पारित किए जाने के लिए बोर्ड को भेजेगा, और यदि न्यायालय द्वारा कोई दंडादेश पारित किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है ।]

8. संप्रेक्षण गृह – (1) कोई राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के साथ करार के अधीन ऐसे संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगी और उनका अनुरक्षण कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को, उनसे संबंधित किसी जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से रखने के लिए अपेक्षित हो ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को उनसे संबंधित किसी जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से रखने के लिए ठीक है, वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संप्रेक्षण गृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, संप्रेक्षण गृहों के प्रबंध के लिए, जिसमें किशोरों के पुनर्वास और समाज में पुनः मिलाने के लिए उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्तर और उनके विभिन्न प्रकार भी हैं, और उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तथा उस रीति के लिए जिससे संप्रेक्षण गृह

का प्रमाणन अनुदत्त या प्रत्याहृत किया जा सकेगा, उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी ।

(4) प्रत्येक किशोर को, जो माता-पिता या संरक्षक के प्रभार में नहीं रखा गया है और संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है, प्रारंभिक पूछताछ, देखरेख और उसकी आयु समूह, जैसे सात वर्ष से बारह वर्ष, बारह वर्ष से सोलह वर्ष और सोलह वर्ष से अठारह वर्ष के अनुसार संप्रेक्षण गृह में आगे सम्मिलित करने के लिए किशोरों के वर्गीकरण के लिए प्रथमतः संप्रेक्षण गृह की स्वागत इकाई में रखा जाएगा जिसमें शारीरिक और मानसिक स्तर और किए गए अपराध की श्रेणी को सम्यक् रूप से ध्यान में रखा जाएगा ।

9. विशेष गृह – (1) कोई राज्य सरकार या तो स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों के साथ करार के अधीन, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में ऐसे विशेष गृह स्थापित कर सकेगी और उनका अनुरक्षण कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को रखने और उनके पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन वहां भेजे जाने वाले विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों को रखने के लिए ठीक है वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष गृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगी ।

(3) राज्य सरकार विशेष गृहों के प्रबंध के लिए, जिसमें उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्तर और उनके विभिन्न प्रकार भी हैं, जो किशोरों को समाज में पुनः मिलाने के लिए आवश्यक हैं, और उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तथा उस रीति के लिए जिससे विशेष गृह का प्रमाणन अनुदत्त या प्रत्याहृत किया जा सकेगा, उपबंध, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बनाए गए नियमों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का, उनकी आयु और उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति और उसके मानसिक और शारीरिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण और पृथक्करण के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा ।

10. विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर की गिरफ्तारी – [1][(1) जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तभी वह विशेष किशोर पुलिस बल एकक या अभिहित पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा जो किशोर को समय नष्ट किए बिना चौबीस घंटे के भीतर किशोर की गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा में लिए गए आवश्यक समय को छोड़कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परंतु किसी भी दशा में, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा ।]

(2) राज्य सरकार –

(i) उन व्यक्तियों के लिए उपबंध करने के लिए जिनके द्वारा (जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन भी है) विधि का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर, बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा ; और

(ii) उस रीति का उपबंध करने के लिए जिससे ऐसे किशोर को किसी संप्रेक्षण गृह में भेजा जा सकेगा,

इस अधिनियम के संगत नियम बना सकेगी ।

11. किशोर पर अभिरक्षक का नियंत्रण – ऐसे व्यक्ति का, जिसके प्रभार में कोई किशोर, इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जाता है, जब आदेश प्रवर्तन में हो, किशोर पर नियंत्रण इस प्रकार होगा जैसे कि उसका नियंत्रण उस समय होता यदि वह उसका माता-पिता होता और उसके भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा तथा किशोर, इस बात के होते हुए भी कि उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया गया है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित अवधि के लिए प्रभार में बना रहेगा ।

12. किशोर की जमानत – (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति, जो

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।

जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और दृश्यमान रूप में किशोर है, गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है अथवा बोर्ड के समक्ष उपसंजात होता है या लाया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, [1][या किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन या किसी उपयुक्त संस्था या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखा जाएगा] किन्तु इस प्रकार उसे तब नहीं छोड़ा जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसके ऐसे छोड़े जाने से यह संभाव्य है कि उसका संसर्ग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से खतरे में पड़ जाएगा या उसके छोड़े जाने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे ।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसा अधिकारी उसे विहित रीति से संप्रेक्षण गृह में केवल तब तक के लिए रखवाएगा जब तक उसे बोर्ड के समक्ष न लाया जा सके ।

(3) जब ऐसा व्यक्ति बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह कारागार के सुपुर्द करने के बजाय उसके बारे में जांच के लंबित रहने के दौरान ऐसी कालावधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा ।

13. माता-पिता या संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला – जहां कोई किशोर गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने या विशेष किशोर पुलिस एकक का भारसाधक अधिकारी, जिसके पास वह किशोर लाया जाता है, गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र –

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 10 द्वारा अंतस्थापित ।

(क) उस किशोर के माता-पिता या संरक्षक को, यदि उसका पता चलता है, ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा और यह निदेश देगा कि वह उस बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो जिसके समक्ष किशोर उपसंजात होगा ; और

(ख) परिवीक्षा अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा जिससे कि वह किशोर के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक पृष्ठभूमि के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितियों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त कर सके, जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में बोर्ड के लिए सहायक होंगी ।

14. किशोर के बारे में बोर्ड द्वारा जांच – [1][(1)] जहां अपराध से आरोपित किशोर, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां का बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और वह किशोर के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई जांच इसके प्रारंभ होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर जब तक कि बोर्ड द्वारा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात् और विशेष मामलों में ऐसे विस्तार के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी ।

[2][(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट प्रत्येक छह मास पर बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करेगा और बोर्ड को अपनी बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने का निदेश देगा या अतिरिक्त बोर्डों का गठन करा सकेगा ।]

15. आदेश जो किशोर के बारे में पारित किया जा सकेगा – (1) जहां बोर्ड को जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि किशोर ने अपराध किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह बोर्ड, यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है, तो, –

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 11 द्वारा पुनःसंख्यांकित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) किशोर को उसके विरुद्ध समुचित जांच करने के पश्चात् और माता-पिता या संरक्षक या किशोर को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने देने का निदेश दे सकेगा ;

(ख) किशोर को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा ;

(ग) किशोर को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा ;

(घ) किशोर के माता-पिता को या स्वयं किशोर को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा यदि वह चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जित करता है ;

(ङ) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा किशोर के सदाचार और उसकी भलाई के लिए उस बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा ;

(च) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और सदाचार और उसकी भलाई के लिए किसी योग्य संस्था की देखरेख में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए दे सकेगा ;

[1][(छ) किशोर को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने के लिए निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा :

परंतु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसा करना समीचीन है, तो बोर्ड रोक आदेश की अवधि को ऐसी अवधि तक घटा सकेगा जो वह ठीक समझे ।]

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) बोर्ड किशोरों पर किसी परिवीक्षा अधिकारी या मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन की मार्फत या अन्यथा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व ऐसी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ङ) या खंड (च) के अधीन आदेश किया जाता है वहां बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना किशोर के तथा लोकहित में समीचीन है, तो अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यदि तत्पश्चात् किसी समय बोर्ड को परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर पर्यवेक्षण की कालावधि के दौरान सदाचारी नहीं रहा है अथवा वह योग्य संस्था, जिसकी देखरेख में किशोर को रखा गया था, अब किशोर का सदाचार या भलाई सुनिश्चित करने के लिए असमर्थ है या रजामंद नहीं है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को विशेष गृह को भेजे जाने का आदेश कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करते समय बोर्ड किशोर को तथा, यथास्थिति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को, जिसकी देखरेख में किशोर रखा गया है, आदेश के निबंधन और शर्तें समझा देगा और तत्काल उस पर्यवेक्षण आदेश की प्रतिलिपि, यथास्थिति, किशोर के माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को और यदि कोई प्रतिभू हों तो उन्हें और परिवीक्षा अधिकारी को देगा ।

16. वे आदेश जो किशोर के विरुद्ध पारित न किए जा सकेंगे –

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को मृत्यु [1][या ऐसे किसी कारावास का जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी,] दंडादेश नहीं दिया जाएगा, और न जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर या प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारागार के सुपुर्द किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे किशोर ने, जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कोई अपराध किया है और बोर्ड का समाधान हो जाता है कि किया गया अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है या उसका आचरण और आचार ऐसा रहा है कि यह उसके हित में या विशेष गृह में के अन्य किशोरों के हित में नहीं होगा कि उसे ऐसे विशेष गृह भेजा जाए और यह कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अध्युपायों में से कोई भी उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है वहां बोर्ड, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे वह ठीक समझे, सुरक्षित स्थान में रखे जाने का आदेश कर सकेगा और राज्य सरकार के आदेशार्थ मामले की रिपोर्ट करेगा ।

(2) बोर्ड से उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार, किशोर के बारे में ऐसे इंतजाम कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और ऐसे किशोर को ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, निरुद्ध रखे जाने पर आदेश कर सकेगी :

[1][परन्तु इस प्रकार आदिष्ट निरोध की कालावधि किसी भी दशा में इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन उपबंधित की गई अधिकतम कालावधि से अधिक नहीं होगी ।]

17. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन की कार्यवाही का किशोर के विरुद्ध सक्षम न हो सकना – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी किशोर

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित ।

के विरुद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश किया जाएगा ।

18. किशोर और ऐसे व्यक्ति की, जो किशोर नहीं है संयुक्त कार्यवाही का न होना – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो किशोर नहीं है किसी अपराध के लिए आरोपित या विचारित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई किशोर, किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसके लिए वह किशोर और कोई अन्य व्यक्ति, जो किशोर नहीं है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 223 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, उस दशा में जब कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट प्रतिषेध न होता, एक साथ आरोपित और विचारित किया जाता तो अपराध का संज्ञान करने वाला बोर्ड उस किशोर और अन्य व्यक्ति के पृथक् विचारणों का निदेश देगा ।

19. दोषसिद्धि से होने वाली निरर्हताओं का हटाया जाना – (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई किशोर, जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा चुकी है, किसी ऐसी निरर्हता के, यदि कोई हो, अधीन नहीं होगा ; जो ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो ।

(2) बोर्ड यह निदेश देते हुए आदेश देगा कि ऐसी दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख, यथास्थिति, अपील की अवधि या ऐसी युक्तियुक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो नियमों में विहित की जाए, हटा लिए जाएंगे ।

20. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध – इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र के न्यायालय में, उस तारीख को जबकि यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, लंबित किशोर विषयक सब कार्यवाहियां उस न्यायालय में इस प्रकार चालू रखी जाएंगी, मानो

यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किशोर ने अपराध किया है तो वह उस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और उस किशोर के बारे में कोई दंडादेश करने के बजाय उस किशोर को बोर्ड को भेज देगा, जो उस किशोर के बारे में आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे करेगा मानो इस अधिनियम के अधीन जांच पर उसका समाधान हो गया है कि किशोर ने वह अपराध किया है :

[1][परंतु बोर्ड किसी ऐसे उपयुक्त और विशेष कारण से जो आदेश में वर्णित किया जाए, मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे किशोर के हित में उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – किसी न्यायालय में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित सभी लंबित मामलों में जिनके अंतर्गत विचारण, पुनरीक्षण, अपील या कोई अन्य दांडिक कार्यवाहियां भी हैं, ऐसे किशोर की किशोरावस्था का अवधारण धारा 2 के खंड (ठ) के निबन्धनानुसार किया जाएगा भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले किशोर न रहा हो और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उक्त उपबंध सभी प्रयोजनों के लिए और सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे जब ऐसा अभिकथित अपराध किया गया था ।]

[2][21. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतर्वलित विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या देखरेख संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के नाम आदि के प्रकाशन का प्रतिषिद्ध – (1) किसी समाचारपत्र, पत्रिका का समाचार पृष्ठ या दृश्य माध्यम में इस अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के बारे में किसी जांच की कोई रिपोर्ट किशोर या बालक का नाम, पता या विद्यालय या कोई अन्य विशिष्टियां, जिनसे किशोर या बालक का पहचाना जाना प्रकल्पित हो,

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 14 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2006 के अधिनियम सं. 33 की धारा 15 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्रकट नहीं की जाएगी और न ही ऐसे किशोर या बालक का कोई चित्र ही प्रकाशित किया जाएगा :

परन्तु जांच करने वाला प्राधिकारी ऐसा प्रकटन ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे तब अनुज्ञात कर सकेगा जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन किशोर या बालक के हित में हो ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति जो ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपए तक की हो सकेगी ।]

22. निकल भागे किशोर की बाबत उपबंध – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में इसके प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कोई पुलिस अधिकारी, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे किशोर का बिना वारंट के प्रभार ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख से भाग निकला है जिसके अधीन वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया था और उसे, यथास्थिति, उस विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या उस व्यक्ति को वापस किया जाएगा और उस किशोर के विरुद्ध ऐसे भाग निकलने के कारण कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी, किन्तु विशेष गृह या संप्रेक्षण गृह या वह व्यक्ति उस बोर्ड को सूचना देने के पश्चात् जिसने किशोर के संबंध में आदेश पारित किया था, किशोर के संबंध में ऐसे कदम उठा सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन आवश्यक प्रतीत हों ।

23. किशोर या बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड – जो कोई किशोर या बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए ऐसी रीति से, जिससे उस किशोर या बालक को अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट होना संभाव्य हो उस किशोर या बालक पर हमला करेगा, उसका परित्याग करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला या उसका परित्यक्त, उच्छन्न या उपेक्षित किया जाना कारित या उपाप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।

24. भीख मांगने के लिए किशोर या बालक का नियोजन – (1) जो कोई, भीख मांगने के प्रयोजन के लिए किसी किशोर या बालक को

नियोजित या प्रयुक्त करता है या किसी किशोर या बालक से भीख मंगवाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

(2) जो कोई, किशोर या बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

25. किशोर या बालक को मादक लिकर या स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति – जो कोई, सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी से अन्यथा किसी किशोर या बालक को लोक-स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक ओषधि या मनःप्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

26. किशोर या बालक कर्मचारी का शोषण – जो कोई, किसी परिसंकटमय नियोजन के प्रयोजन के लिए, किशोर या बालक को दृश्यमानतः उपाप्त करेगा या किशोर के उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन स्वयं अपने प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

27. विशेष अपराध – धारा 23, धारा 24, धारा 25 और धारा 26 के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे ।

28. वैकल्पिक दंड – जहां कोई कार्य या लोप ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम के अधीन या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन भी दंडनीय है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसे अधिनियम के अधीन हो, जो किसी दंड का उपबंध करता है, ऐसे दंड का भागी होगा जो मात्रा में अधिक हो ।

शेष आगामी अंक में............

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in